Monday, 10th August, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 29, आठवां सत्र—दूसरा भाग, 1987/1909 (शक)

अंक 60 सोमवार, 10 अगस्त, 1987/19 श्रावण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या : 181, 183 से 185 और 187 से 191	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 192 और 194 से 201	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1961 से 2062, 2064 से 2127 2129 से 2166 और 2168 से 2186	25—230
सभा पटल पर रखे गए पत्र	230—231
वित्तीय समिति—एक समीक्षा	231
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1987-88	231
समिति के लिए निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड	231—232
याचिका समिति	
39वां प्रतिवेदन	232—233
नियम 377 के अधीन मामले	233—236
(एक) केरल में एक तापीय विद्युत संयन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री के० कुन्जम्बु	233
(दो) मैसूर आदि के लिए कन्नड़ कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद	233—234
...को बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तुरन्त कदम उठाने की ...यकता	
श्री भरत सिंह	234

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) नए डाकघर खोलने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता	
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	234—235
(पांच) बिहार के मिथिला क्षेत्र में पैदा होने वाले आमों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता	
डा० गौरी शंकर राजहंस	235
(छह) पुरी और नई दिल्ली के बीच एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकना	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	235—236
(सात) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में सिंचाई के लिए कुओं के भीतर बोर लगाने हेतु प्रदान सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	236
(आठ) उत्तरी बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री आनन्द पाठक	236
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक	237—255
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा० गौरी शंकर राजहंस	237—239
श्री ताम्पन थामस	239—242
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	242—244
श्री के० आर० नटराजन	244—245
श्री यू० एच० पटेल	245
श्रीमती गीता मुखर्जी	246—247
कुमारी ममता बनर्जी	247—254
श्री जनार्दन पुजारी	
खण्ड 2 और 3 तथा 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	254—255
श्री जनार्दन पुजारी	255

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक	256—277
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री अमल दत्त	256—262
श्री पी० चिदम्बरम	259—263
श्री सी० माधव रेड्डी	263—268
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	268—271
कुमारी ममता बनर्जी	271—273
डा० सुधीर राय	273—275
श्री राम नगीना मिश्र	275—277
देश में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा	277—304
श्री इन्द्रजीत गुप्त	278—284
राव वीरेन्द्र सिंह	284—292
श्री के० पी० सिंह देव	292—299
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	299—304
सभा पटल पर रखे गए पत्र	304

लोक सभा

सोमवार, 10 अगस्त, 1987/19 श्रावण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम

*181. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन संशोधनों के परिणामस्वरूप लम्बे रेशे की और मध्यम लम्बाई के रेशे की कपास का कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने उक्त प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 6 लाख गांठें।

(ग) जी हां।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और क्या इस परिशोधन के बाद संगठन के ढांचे में कोई परिवर्तन हुआ है यथा तालुक और जिला स्तर पर स्टाफ उपलब्ध कराना, प्रचालन प्रभारों आक्षनों और प्रमाणित बीजों पर राज सहायता प्रदान करना। यदि हां, तो इन सभी कार्यों में राज्य सरकारों की भागीदारी कितने प्रतिशत है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना के लिये 1629.17 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है, जिसमें से भारत सरकार का अंश 834.47 लाख रुपये है। यदि आप राज्यवार आंकड़े चाहते हैं तो मैं वह भी दे सकता हूं किन्तु इतनी ही

राशि नियत की गई है। यह नियतन प्रजनक बीजों के लिये बीज उत्पादन, मूल बीजों के उत्पादन के लिये और प्रमाणिक बीजों के वितरण के लिये, प्रदर्शन के लिये, कपास वर्गीकरण केन्द्रों के लिये, पौध संरक्षक उपकरणों के वितरण, हवाई छिड़काव आदि के लिये किया गया है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : इसमें राज्यों की कितनी भागीदारी है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने कहा था, 50 प्रतिशत।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मंत्री महोदय ने कहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 7 लाख गांठें होंगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कुछ राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है। कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं, उदाहरण के तौर पर, हमारी कर्नाटक राज्य सरकार, जहां के वेतन भोगी लोगों के चैकों का भुगतान भी महीने में 15 या 20 दिन तक नहीं किया जाता है। उनके पास वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों को भी अदा करने के लिये रुपया नहीं होता। जब यह स्थिति है, तो उनसे 50 प्रतिशत की भागीदारी करने की आशा किस प्रकार की जा सकती सकती है ? यदि वे असफल होते हैं, तो आप राज्य सरकारों को किस प्रकार अनुशासित कर पायेंगे तथा इस योजना में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : भारत सरकार की योजनायें पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाई जाती जाती हैं। किसी राज्य सरकार विशेष की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। किन्तु यदि वे विकास करना चाहते है तो उन्हें इस योजना में भाग लेना ही होगा और उन्हें अपने बजट में नियतन करना ही होगा। उन्हें प्राथमिकतायें निर्धारित करनी होगी यदि वे इसे प्राथमिकता के क्षेत्र में रखना चाहते हैं। और यह प्राथमिकता का विषय है क्योंकि यह राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में सहयोग करता है। राज्य सरकारों को अपने खजाने से इसमें सहायता प्रदान करनी चाहिये।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : किन-किन राज्यों ने उनको आधे के आधार पर इस योजना को पूरा करने का जिम्मा लिया है और इस योजना का क्या परिणाम निकला है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि समुचित कपास वर्गीकरण न होने और कपास की खरीददारी की प्रमुख केन्द्रों पर जांच मशीनों के उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अपना माल बेचने में बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ी है। यदि हां, तो क्या सरकार इस उपाय के अन्तर्गत, प्रमुख खरीद केन्द्रों पर उन उपकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं आपके प्रश्न के प्रथम भाग को नहीं समझ सका। क्या आप उसे दोहरायेंगे ?

श्रीमती बसवराजेश्वरी : किन-किन राज्यों ने आधे-आधे के आधार पर आई०सी०डी०पी० योजना में आरम्भ की हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि। इन राज्यों ने इस योजना में भाग लिया है। इन सभी राज्यों में कपास वर्गीकरण केन्द्र हैं। कपास वर्गीकरण केन्द्रों के लिये भी भारत सरकार तथा राज्य सरकारें आधा-आधा धन लगाती हैं।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : नई जांच करने वाली मशीनों का क्या रहा जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है ? वहां इन मशीनों के न रहने के कारण किसानों को बहुत अधिक असुविधा होती है। न तो सी०सी०आई० और नहीं ए०पी०एस०सी० के पास ऐसे उपकरण हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कर्नाटक में छः केन्द्र खोले जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, कपास की पैदावार ज्यादा हो, उसके लिए आवश्यक है कि किसान को अच्छा भाव मिले। महाराष्ट्र में एकाधिकार कपास योजना किसानों को ज्यादा पैसा मिलने के लिये है। महाराष्ट्र सरकार ने कपास एक्सपोर्ट कार्यक्रम की भी आपसे परमीशन ली थी, लेकिन इसमें सेंटर ने देरी की। देरी होने से भाव बढ़ गये इससे 90 करोड़ रुपये का किसानों को नुकसान हुआ। इसके लिये केन्द्र सरकार से मांग की गई है कि वह घाटा पूरा करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार क्या करने वाली है जिससे कि किसान घाटे से बच सकें।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह एकाधिकार कपास खरीद योजना राज्य सरकार की योजना है। वास्तव में, इस योजना के कारण महाराष्ट्र की सहकारी समितियों को भी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र को भी अन्य राज्य सरकारों के बराबर होना चाहिये। वे कोई प्रथम योजना नहीं चला सकते हैं। इस योजना में हुए नुकसान के लिये भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेगी।

दिल्ली छावनी क्षेत्र में महावीर एन्कलेव में मकानों का गिराया जाना

*183. **श्री मेवा सिंह गिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी क्षेत्र में महावीर एन्कलेव, दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित की गई कालोनी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 27 जून, 1987 को इसे गिराये जाने के आदेश दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) मकान गिराये जाने की कार्यवाही के दौरान कितने व्यक्ति मारे गए और वहां के निवासियों को कितनी हानि हुई है; और

(घ) क्या पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गिराने का कार्य महावीर एन्कलेव, में न होकर मिर्जापुर गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण की हाल ही में कब्जा की गई रिक्त भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए किया गया था। यह क्षेत्र महावीर एन्कलेव से दूर है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसे नियमित नहीं किया गया है।

(ग) हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, पुलिस को आत्म-रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अनधिकृत निर्माण को गिराने के कारण हुई हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि गिराने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर बने अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए किया गया था।

श्री मेवा सिंह गिल : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि निर्माण गिराने का यह काम खुले क्षेत्र में हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह अतिक्रमण कब से चल रहा था क्योंकि यह समझा जा सकता है कि यह अतिक्रमण रातों-रात नहीं हो गया। आरम्भ में ही इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये थे? क्या सरकार ने अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध आपराधिक अतिक्रमण का कोई अपराधिक मामला दर्ज किया था?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य का जो प्रश्न महावीर इनक्लेव से संबंधित है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि महावीर इनक्लेव को एम० सी० डी० ने रेगुलराइज्ड कर दिया है और मिर्जापुर विलेज में डी० डी० ए० की कब्जा की गई रिक्त भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए ऐसा किया गया था। सितम्बर 1986 में हमें इसका पजेशन मिला था। उसके बाद हमने पिछले वर्ष दिसम्बर में कार्यवाही शुरू की। लेकिन बहुत ज्यादा रेजीडेंस के रहने की वजह से यह कार्यवाही बंद कर दी थी। अभी फिर 27 जून को हमने वहां एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए ऐसा किया क्योंकि यह डी० डी० ए० का लैंड है।

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल : महोदय, इस कार्यवाही में एक व्यक्ति मारा गया था। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन बलों के प्रयोग करने से पहले सरकार ने कोई कानूनी कार्यवाही की थी? क्या सरकार ने आपराधिक अतिक्रमण का कोई मामला दर्ज किया था? क्या उसने उन व्यक्ति के विरुद्ध अवैध रूप से जमा होने का कोई मामला दर्ज किया था जो उस समय हिंसा पर उतारू बताये गये थे? एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह डी डी ए की लैंड है और यह जो अनअथराइज्ड कालोनाइजर्स हैं इनकी तरफ से रातों-रात एन्क्रोचमेंट हो जाता है, इसमें दीवालें खड़ी की गई जबकि पहले से वहां डी डी ए का बोर्ड लगा हुआ था। जहां पर ये पजेशन्स किए गए हैं, वहां पर पहले से ही लोगों को एनाउन्समेंट की गई और जितनी भी कानूनी कार्यवाही है वह इसके पहले एकार्डिगली की गई है और तभी उसका पजेशन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के तहत डी डी ए को मिली है। एन्टायर्ली यह डी डी ए की जमीन है और उस पर बोर्ड भी लगा हुआ था और जो लोग अवैध रूप से इसमें निर्माण कार्य कर रहे थे, उन्हीं को वहां से हटाया गया है।

[अनुवाद]

कृषकों को कृषि लागत और मूल्य आयोग में प्रतिनिधित्व

+

*184 प्रो० मधु दण्डवते :

श्री प्रताप राव बी० भोंसले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषकों को कृषि लागत और मूल्य आयोग में प्रतिनिधित्व दिये जाने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषकों के प्रतिनिधियों को आयोग में नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं और उनकी अर्हताएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी इस प्रकार नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने निर्णय किया है कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि लागत तथा मूल्य आयोग में तीन गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाय।

(ख) गैर-सरकारी सदस्य अभी नियुक्त किए जाने हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार को कई संसद-सदस्यों, राज्य सरकारों और अन्य सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं से कई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। सरकार इन सिफारिशों पर तत्परता से विचार कर रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें याद है कि 21 मार्च 1985 के शुरू में जब मैंने नियम 193 के अन्तर्गत कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्यों पर वाद-विवाद आरम्भ किया था तो उस वाद-विवाद के दौरान वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने पहले ही आश्वासन दिया था कि हमारे विभाग में कृषको के प्रतिनिधियों को कृषि मूल्य आयोग में नियुक्त करने की बात है ताकि उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जा सके और उनके साथ न्याय किया जा सके।

क्या यह सच नहीं है कि बाद में 1 मार्च 1987 को इसी सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री डा० ढिल्लों ने पहले ही कहा था कि कृषकों के प्रतिनिधियों के अलावा इस आयोग में ये गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किये जायेंगे ?

यदि 1985 और 1987 में ये आश्वासन दिये गये थे तो आमतौर पर सरकार इन आश्वासनों की पूर्ति करने में और यह सुनिश्चित करने में कितना समय लेगी कि सर्वप्रथम किसानों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करके तथा फिर उन्हें कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करके आवश्यक छूट देकर किसानों के प्रति न्याय किया जाये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ढिल्लों साहब, आपके जवाब देने से पहले मुझे एक शेर याद आता है :

माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका जवाब ज्यादा अच्छा है।

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : स्पीकर साहब, अब आपको मैं क्या जवाब दूं कि तगाफुल है या ध्यान है इसमें—मेरा आपसे उलझते अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रोफेसर दण्डवते जी को मैं जवाब देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

वह अंग्रेजी में प्रश्न पूछ रहे थे। मैंने सोचा, मुझे आपको अंग्रेजी में उत्तर देना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अब मैं हिन्दी में भी अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। चिन्ता न करें।

[हिन्दी]

डा० जी० एस० ढिल्लों : यह ठीक है कि आपने कहा था और मैंने कहा था एक से बढ़ाकर 3 रिप्रेजेंटेटिव करेंगे—

[अनुवाद]

वे सभी कृषकों के प्रतिनिधि होंगे।

हमने इसका पहले ही फैसला कर लिया है या इसके अन्तिम अनुमोदन के लिए इन्तजार कर रहे हैं। हमारे जाने से पहले या उसके थोड़े समय बाद वे इस सभा के सामने होंगे। मैं स्वयं इसकी समय-सीमा का वायदा नहीं कर सकता हूं। लेकिन वे आ रहे हैं, उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। इसमें कुछ समय लगेगा।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह है कि मंत्रियों की इतनी मर्तबा तब्दीली होती रहती है कि नया मंत्री जो आता है उसके ध्यान में यह नहीं रहता है कि पुराने मंत्री ने क्या आश्वासन दिया था। ठीक है, यह तो इनका अन्दरूनी सवाल हैं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं जरा यह बताइये क्या यह बात सच नही है कि जिन फार्मर्स के नुमाइन्दे वहां न होने की वजह से बड़ी संख्या में, नई मर्तबा अखबार वालों ने भी यह शिकायत की है, एग्रीकल्चर एकोनामिस्टों ने भी शिकायत की है सरकार से कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेज आप तय करते हैं कि लाभदायक मूल्य गरीब किसानों को मिलने चाहिए वह कई मर्तबा एड-हाक फैसले रहते हैं। हर साल के बाद आप नया फैसला करते हैं, लेकिन कोई लम्बी दूरी का ख्याल करते हुए आप लांग-टर्म-पॉलिसी तय नहीं करते हैं। उसकी एक वजह यह है कि जिन्हें कृषि से ज्यादा दिलचस्पी है, ऐसे बहुत कम लोग वहां हैं। इसलिए आपकी सारी पॉलिसी एडहॉक चलती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं और राय जानना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि जितने भी इन्डस्ट्रियल गुडस पैदा किए जाते हैं, उनकी जब प्राइस तय की जाती है, तो बड़े बड़े इकोनोमिष्ट्स सारा ख्याल करते हैं उनको रॉ-मैटिरियल में कितना पैसा देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, इलैक्ट्रिसिटी के लिए कितना पैसा देना पड़ता है और यदि कारखाना दूसरी जगह है, तो कितना रैन्ट देना पड़ता है। तथा इनपुट्स के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। यह सब तय करके आप इन्डस्ट्रियल गुड्स की प्राइस तय करते हैं। नये तीन रिप्रजेन्टेटिव जब भी आने वाले हैं, तब आ जायेंगे, तब यह अधिकार इन्डस्ट्रियल गुड्स की प्राइस तय करते समय जो गाइड लाइन्स आप तय करते हैं, वही गाइड लाइन्स हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्युस के लिए दे देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं, यह आश्वासन आप देने के लिए तैयार हैं या नहीं? यह ठोस सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका ठोस जवाब दीजिए।

डा० जी० एस० ढिल्लों : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर साहब कई दफा अपनी नेक नीयती अपने सामने आ जाती है। वह भी इतने साल जमाना रहा, एक ही से काम चलता रहा। मैंने इसको

लिया है कि एक ठीक नहीं है। इसके जितने आफिशियल हैं, उनके बराबर ही यह होना चाहिए। यह सारी तकरीर रखी गई है और इसको कैबिनेट ने मान लिया है। मैं आपको बताऊं, जब भी एप्वाइंटमेंट होना होता है, तो हाउस के मैम्बरान राय देते है कि यह ठीक रहेगा और वह ठीक नहीं रहेगा। इसको भी ले लो और उसको भी ले लो। मैंने यह लेते-लेते इतना टाइम गुजार गया। अब यह फैसला किया है कि मैरिट पर करेंगे। कौन अच्छा किसान है, किस फोल्ड में एक्सपर्ट है, ड्राइलैंड में है या दूसरे फोल्ड में है। यह सारा कुछ तय करेंगे और तकरीबन-तकरीबन हम फैसले पर पहुंच चुके हैं। यह तो पहले इतने साल से ही काम चलता रहा है, आपने कभी गिला नहीं किया। अब फैसला तीन में किया तो आप इतने इम्पैशेन्ट हैं कि दो महीने भी इन्तजार नहीं कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : पुराना गिला करने वाले हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लो : आप तो पुराना गिला करने वाले हैं, हम नए आए थे और उसी वक्त यह काम शुरू कर दिया। पुराना गिला मेरे नए से तो मत करना। लेकिन आपका यह हो जाएगा।

आपने इन्डस्ट्रीज के बारे में कहा, किसान की फसल की टर्म्स आफ रिफ्रेंस कुछ ज्यादा कर दी गई। इसमें क्राइटेरिया इस हाउस में दो दफे बता चुके हैं। वही क्राइटेरिया होगा, लेकिन टर्म्स आफ रिफ्रेंस इन्डस्ट्रीज में कहा है।

[अनुवाद]

किसान क्या पाते हैं और किसान क्या देते हैं।

[हिन्दी]

इसको भी लाजमी तौर पर रखा जाएगा और यह इन्क्ल्युड कर लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, नया सवाल नहीं पूछूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि ठोस जवाब दीजिए। मेरा सीधा सवाल यह था और आपने अभी दलील पेश की है कि काफी नाम एमपीज की तरह से एग्रीकल्चरिस्ट्स की तरफ से आए हैं। उसमें समय लगेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है, औद्योगिक प्रश्नों के लिए आप समिति तय करते हैं चाहे कितने भी आपके पास सुझाव आए हों, लेकिन आप जल्दी फैसला कर देते हैं और कमेटी मुकर्रिर करते हैं? यह जिम्मेदारी आप हम लोगों के ऊपर मत डालिए कि हम लोगों ने, एमपीज लोगों ने काफी सुझाव भेजे हैं, इसलिए आपके दिल में कन्फ्यूजन हो गया कि क्या फैसला करें और इसलिए देरी हो रही है। आप कृपा करके जवाब दीजिए कि कब फार्मर्स के रिप्रजेंटेटिव कमेटी में आयेंगे, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बता दीजिए?

डा० जी० एस० ढिल्लों : यह जवाब तो आप पर नहीं है, यह अपने ऊपर डाल रहा हूँ। इसमें कुछ मन्जूरी लेते हुए देर हो गई। तजवीज करते हैं, तो कभी इधर से आ जाता है, तो कभी उधर से आ जाता है।

[अनुवाद]

अन्ततः यह मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर कर दिया गया था। अब हम इस पर आगे कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

बड़ी जल्दी होने वाला है, आप विश्वास कीजिए, तो बहुत जल्दी कर देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : टाइम बाउण्ड तो पता कर लें।

डा० जी० एस० ढिल्लों : टाइम बाउण्ड—जल्दी।

प्रो० मधु दंडवते : यह समय की सीमा है, कहते हैं जल्दी कर देंगे।

[अनुवाद]

सामान्यतया वे कहते हैं कि यह विचाराधीन है, इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछ सकते हैं। कितने समय से क्या मतलब है ?

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : इस लोक सभा के सत्र पूरा होने तक यह फैसला होगा ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : हाऊस हटने से पहले ही कर देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : यह सत्र समाप्त होने से पहले कर देंगे।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं यह एश्योरेंस नहीं देता हूं लेकिन कोशिश करूंगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब से नाम लेकर आप नोमीनेट कर दें। आप स्पीकर साहब पर छोड़ दीजिए।

डा० जी० एस० ढिल्लों : स्पीकर साहब मुझ पर नहीं छोड़ते हैं, मैं इन पर क्यों छोड़ूं।

अध्यक्ष महोदय : राव साहब, यह डिस्क्रिमिनेशन मत करिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : ये बदला निकाल रहे हैं।

श्री डी० पी० यादव : खेतिया माल और करखनिया माल के भाव में समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि खेती की पद्धति को, एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी को अप-टू-डेट किया जाए और आज के जमाने में आपकी एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी मुश्किल से 20 प्रतिशत लेबोरेटरी से लैंड तक गई है और 80 फीसदी टेक्नोलाजी का ट्रान्फर नहीं हुआ है। इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल यह है।

दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स का डेप्लायमेंट जब तक साईंटीफिक तरीके से नहीं होगा, तब तक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के भाव बढ़ते रहेंगे। इस संबंध में आपकी क्या राय है और क्या नीति है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह जरूरी है कि जो भी लेबोरेटरी में तैयार किया जाए, वह किसानों के खेतों तक पहुंचे और उसके लिए राज्यों में एक्सटेंशन मशीनरी है। हम भी कुछ किसान मेलों को आर्गेनाइज करके और इनपुट्स फोर्टनाईट आर्गेनाइज करके एक्टेंशन के काम को करते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट आफ इन्डिया और स्टेट गवर्नमेंटस दोनों इस काम को कर रही हैं।

जहां तक प्रोडक्शन के खर्च में कमी लाने की बात है, उसके लिए नई टेक्नोलाजी डेवलप कर रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्टस हैं, वे डे टू डे और एवरी डे इसको कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए ऐसे बीज तैयार करते हैं, जिनसे रोग न हो और ऐसे बीज तैयार करते हैं जिनसे प्रोडक्शन कास्ट में कमी हो। जब रोग न होगा और ऐसे बीज होंगे, जिनसे दवाई न छिड़कनी पड़े, तो उससे प्रोडक्शन की कास्ट कम होती है। ऐसा हम रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के माध्यम से कर रहे हैं।

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने दंडवते जी को जो जवाब दिये हैं और उसमें आपने शेर पढ़ा था ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दोबारा शेर पढ़ द।

श्री बी० तुलसीराम : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी तीन सदस्य लाने के बारे में जो मंत्री जी ने स्टेटमेंट में बताया है, उसमें यह आश्वासन वे दें कि उसमें किसान को ही वे लेंगे और किसान से हट कर किसी को नहीं लेंगे और जो छोटा किसान है, उसको वे लें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह शेड्यूल्ड कास्ट का हो।

श्री बी० तुलसीराम : अगर ऐसा विचार हो, तो बहुत अच्छा है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर ऐसा हो जाए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : एक शेड्यूल्ड कास्ट होना चाहिए और एक शेड्यूल्ड ट्राइब होना चाहिए।

श्री बी० तुलसीराम : अगर चेयरमेन किसान हो, तो बहुत बढ़िया है और ऐसा आपका विचार है क्या, क्योंकि दिसम्बर में और जनवरी में नार्थ इन्डिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, यू०पी० और मध्य प्रदेश में जो किसान ठंड में पानी देता है, ठंड में बैठ कर अकड़ता हुआ खेतों को पानी देता है, उसी को मालूम होता है कि कितनी मुसीबत होती है और जो गर्म रजाई में पड़ा हुआ होता है, उसको उस मुसीबत के बारे में क्या मालूम। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि किसान को उस कमेटी का चेयरमेन आप बनाएंगे क्या? ऐसा आपका विचार है? आपने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आप कोशिश ही करते रह जाएं और आपका पोर्टफोलियो बदल जाए।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं इतना बता दूं कि चेयरमेन जो होता है, वह बाई रूल्स होता है और उसमें मेरे बस की कोई बात नहीं होती है।

वह एमीनेंट एग्रो-इकोनोमिस्ट होते हैं। जो तीन आफिशियल मेम्बर होते है वे भी अपनी-अपनी लाईन में एक्सपर्टस होते हैं, एमीनेंट एजूकेशनिस्टस होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना यह है कि जो सर्दी में काम करने वाले किसान होते हैं···

डा० जी० एस० ढिल्लों : नान-आफिशियल्स के बारे में आपने जो बताया है, उसका भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। उनमें भी एक साउथ से होगा, नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स से एक होगा और एक नार्थ से होगा। उनमें भी स्माल फार्मर, ड्राई लैंड वाले, ड्राट प्रोन एरियाज वाले ये सब होते हैं।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी : विस्थापित लोगों के बारे में क्या किया गया है? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

डा० जी० एस० ढिल्लों : उन्होंने चेयरमैन की अप्वाएंटमेंट के बारे में बताया था, उसका मैंने यह जवाब दिया है।

[अनुवाद]

यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको अंग्रेजी में बता सकता हूं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभापति एक किसान होना चाहिए। मैंने उन्हें बताया है कि सभापति की नियुक्ति के लिए पहले से ही सुनिश्चित प्रक्रियायें और नियम हैं। उसे कृषि अर्थव्यवस्था में उच्च अहर्ता प्राप्त होना चाहिए।

वह पहले से ही है। सदस्यों में से तीन सरकारी सदस्य हैं जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। उनको पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। जहां तक अन्य तीन कृषक समुदाय के सदस्यों की बात है, यह फैसला किया जायेगा कि क्या वे छोटे किसान होने चाहिए या अन्य किसान होने चाहिए या वे दक्षिण से हों या पूर्वोत्तर से या उत्तर से। इन बातों पर लगभग फैसला लिया जा चुका है। उनकी नियुक्ति करनी बाकी है।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने समिति में सदस्यों को लिए जाने के लिए कोई मानक या मानदंड निर्धारित किये हैं। दूसरे क्या कृषि मंत्री को मूल्य निर्धारण, सिंचाई आदि कार्यों के लिए दी जाने वाली राज सहायता के संबंध में संसदीय कृषक मंच की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमें सदस्यों के संसदीय मंच के साथ-साथ काफी संख्या में संसद सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इसमें जो मानदंड अपनाये गये हैं वह ये हैं कि सदस्य को कृषकों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। मूल रूप से वह एक किसान होना चाहिए। यह पहला मानदंड है। दूसरे ··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय····

(**व्यवधान**)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बगैर कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब मैं किसान कहता हूं तो मेरा तात्पर्य उस व्यक्ति से नहीं है—जो दिल्ली में रह रहा है—या जिसका दिल्ली के आस-पास फार्म है। किसानों का चयन भिन्न कृषि जलवायु खण्डों से किया जाता है जिनका मेरे माननीय साथी पहले ही जिक्र कर चुके हैं। सभी कृषि जलवायु खण्डों में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जिनमें शुष्क भूमि खेती, सिंचित खेती, चावल की खेती वाले क्षेत्र, गेहूं के खेती वाले क्षेत्र, मोटे अनाज की खेती वाले क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं, का ध्यान रखा जाता है। हरेक कृषि जलवायु खण्डों के किसानों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाने पर विचार किया जाता है। **(व्यवधान)**

डा० जी० एस० ढिल्लों . व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं एक किसान हू यद्यपि बहुत धनवान किसान नहीं हूं। आपको आश्वस्त करने के लिए कि मैं एक किसान हूं मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कल मेरे साथ मेरे फार्म पर चलें। मैं आपको वहां कल शाम ले जाऊंगा। यह अमृतसर जिले में है लेकिन जोखिम आपको उठाना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज से पहले जितनी भी सरकारी कमेटियां बनी हैं, उनकी क्या हालत हुई है। "जाने बूझे आए-लड़का डूबे काहे।" यह तो वही बात है कि एक एक्सपर्ट को नदी क्रास करनी थी उसके साथ तीन-चार बच्चे थे, उसने हिसाब लगाया और सबकी लम्बाई का और नदी की गहराई का औसत निकाल कर कहा कि सब नदी पार कर जाएंगे, लेकिन जब नदी के बीच में पहुंचे तो बच्चे डूबने लगे उस आदमी ने कहा कि मैंने तो हिसाब ठीक लगाया था, लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों डूब रहे हैं। यही हालत आज हमारी इन कमेटियों की है जो लोग उनमे बैठे हैं। मंत्री जी ने कहा कि मैं खेतिहर हूं, मैं भी खेतिहर हूं, ब्राह्मण होकर मैंने अपने हाथ से हल चलाया है, मैं जानना चाहता हू कि एक एकड़ गन्ना बोने में, एक एकड़ गेहूं बोने में क्या लागत आती है। आज आप गाव के किसी भी किसान से हलफिया पूछ लीजिए शायद ही कोई किसान कर्ज से न लदा हो। आज गन्ने के दाम जिस तरह से तय होते हैं, समिति दाम तय करती है वे ठीक नहीं होते इसलिए भारत सरकार को कुछ बढ़ाने पड़ते हैं। अभी माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक सवाल किया है, यह ठीक है कि जब तक इंडस्ट्रीज की तरफ से फसलों के दाम भी ठीक हिसाब लगाकर तय नहीं किए जाएंगे, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : सवाल करिए।

श्री राम नगीना मिश्र : एग्रीकल्चर डूब जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि केवल शुद्ध किसान जो खेती करने वाले हैं, उनको ही इसमे लिया जाए। विशेषज्ञों की रिपोर्ट से कोई फायदा नहीं हुआ है, इसलिए क्या आप आश्वासन देंगे कि उसमें किसानों को ही रखा जाएगा।

दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की कमेटी तय करने में सरकार को क्या बाधा है। जब सारे लोग कहते हैं, हम सब कहते हैं कि खेती की तरक्की हो, तो क्या कारण है कि ऐसी कमेटी आज तक नहीं बनी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सिफारिश की है वह सही है। जो किसान सेल है, उसने भी यही रिकमण्ड किया है कि उसमें किसानों के प्रतिनिधि हों। मैं समझता हू कि ऐसा तो नहीं किया होगा हमारे प्रतिनिधियों ने कि गैर-किसानों को किसानों की जगह पर रिकमण्ड किया हो। हम उसमें से जिनको चुनने वाले हैं और भी सजेशंन आए हैं वे किसानों के ही हैं, गैर-किसानों के नहीं हैं और उन्हीं में से हम लेंगे।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : हम एक के बाद दूसरे मंत्री के आभारी हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे आश्वासन दिये। आज मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि वे केवल वास्तविक कृषक प्रतिनिधियों को ही नामनिर्दिष्ट करेंगे।

हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जायेंगे यदि हमें कम से कम एक और आश्वासन न मिले और वह यह है कि किसानों का एक नया-वर्ग है यानी सिने अभिनेता, उद्योगपति राजनीतिज्ञों का वर्ग जिन्होंने कभी भी फार्म नहीं देखा है लेकिन वे बड़े फार्मों के मालिक हैं।

क्या मुझे माननीय मंत्री से एक आश्वासन मिल सकता है कि इस समिति में किसानों के इस वर्ग को नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके साथ एक और क्यों नहीं जोड़ देते कि सन 1945 या 1947 के बाद जो नए फार्मर्स आए हैं, उनको फार्मर गिना ही न जाये और उनको इनकम टैक्स के अन्तर्गत लिया जाय। उन्होंने सारे नाजायज फायदे उठाए हैं।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं। इस संशोधन के साथ मैं यह प्रश्न पूछता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यह दुर्भाग्य है कि राज्य सरकारों द्वारा कई कानून जैसे काश्तकारी कानून, भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम और कई अन्य प्रगतिशील भूमि संबंधी विधान बनाने के बावजूद हमारे यहां दूरवासी जमींदार हैं, बड़े भूस्वामी हैं।

इनमें कई खामियां हैं जिनका ये तथाकथित राजनीतिज्ञ और अन्य फायदा उठाते हैं। वे दूरवासी जमींदार हैं। हम ध्यान रखेंगे कि वे इन समितियों में नामांकित न किये जायें बल्कि वास्तविक किसान ही नामनिर्दिष्ट किये जायें।

श्री के० रघुमा रेड्डी : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने मुझे एक पूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस प्रश्न के लिए आधा घंटा दे चुका हूं। अब श्री राज कुमार राय।

[हिन्दी]

नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में श्रम कानूनों का उल्लंघन

*185. श्री राज कुमार राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारायणा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में कुछ उद्योगों के मालिक श्रम कानूनों को कथित उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ख) क्या इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या रजिस्टरों में दिखाई गई संख्या से अधिक है; यदि हां, तो इस प्रकार श्रम कानूनों का उल्लंघन रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) उन उद्योगों में, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में जहां तक नारायणा औद्योगिक एरिया का संबंध है कोई भी शिकायत केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें नारायणा औद्योगिक एरिया, दिल्ली के संबंध में श्रम काननों के उल्लंघन, जिनमें कर्मचारियों के उचित रिकार्डों और रजिस्टरों को न रखना भी शामिल है, के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली प्रशासन (समुचित सरकार के रूप में) द्वारा ऐसे मामलों में दोषी नियोजकों के खिलाफ संगत कानून के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : माननीय अध्यक्ष जी, शुरू से ही हमारी सरकार डिगनिटी आफ लेबर कायम करने के लिए तैयार है और शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि औद्योगिक केन्द्रों में मानवता का विनाश हो रहा है, बच्चों से काम लिया जा रहा है और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं तो इससे कम ही उम्मीद करता था माननीय मंत्री जी इतना साफ जवाब देंगे। लेकिन इसमें इन्होंने यह कहकर अपने को छुडा लिया कि ये जो मामले उनके सामने आए हैं, वे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, केन्द्रीय सरकार से संबंधित नहीं है। पता नहीं कौन सी लाईन बांध रखी है जहां से केन्द्रीय सरकार और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का ज्युरिसडिक्शन मानते हो। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। स्टील रोलिंग मिल, ए-79 इंडस्ट्रीयल एरिया, वजीरपुर में 3-8-87 को फैक्टरी में काम करते हुए एक लखई यादव की मृत्यु हुई। चार और पांच को दो दिन तक पोस्ट मार्टम नहीं हुआ। छह तारीख को जब मैंने डी० आइ० जी० राजेन्द्र मोहन को टेलीफोन किया, न तो लेबर इन्सपैक्टर गया और न फैक्टरी का आदमी गया। ऐसे मामले में जहां सी० आर० पी० सी० स्पष्ट कहता हो, एक्ट आफ पार्लियामेंट हो और उसका उल्लंघन होता हो और तीन-तीन दिन तक पोस्ट मार्टम न हो, तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़कर माननीय मंत्री जी को जवाब बचाने की क्या आवश्यकता है। जब डिगनिटी आफ लेबर रखना है, उनके हितों की रक्षा करनी है तो माननीय मंत्री जी को साफ-साफ उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए !

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री राज कुमार राय : क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर के इस बात की जांच करायेंगे कि ग्रोल्ड विलेज इंडस्ट्रीज, ए-16 नारायण इंडस्ट्रीयल एरिया, कासमिक एक्सपोर्ट, ए-17, सरस्वती आफसेट प्रेस, ए-5, मणिलाल पटेल एंड क० 21/9, इनवाइफ, बेन्टेक्स क० तथा बाकी की हमसे लिस्ट लेकर, जहाँ डेढ़ सौ-दो सौ वर्कर्स हैं और मिनिमम वेजेस का उल्लंघन तथा इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट एक्ट और चाइल्ड लेबर का उल्लंघन हो रहा है और लेबर इन्सपेक्टर को पैसा देकर रजिस्टरों में पांच-सात आदमी दिखाए जाते हैं, क्या उसकी जांच करायेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अन्तर करना है, क्योंकि ऐसे उद्योग और संस्थाएं हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार उचित सरकार है, और कुछ ऐसी औद्योगिक संस्थाएं भी हैं जिनके लिए राज्य सरकार उचित सरकारें हैं। अतः अंतर तो करना ही होगा।

जहां तक नारायणा औद्योगिक क्षेत्र का संबंध है, वहां केवल दो प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार उचित सरकार है अर्थात, भारतीय खाद्य निगम और बैंक। कोई भी उद्योग भारत सरकार के अधिकार में नहीं है। शेष दिल्ली प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। चूंकि माननीय सदस्य के प्रश्न सामान्य थे, दिल्ली प्रशासन ने इनका उत्तर दिया है, और तदनुसार मैंने उत्तर दिया है।

अब माननीय सदस्य ने दो विशेष घटनाओं का उल्लेख किया है, मैं निश्चय ही इनकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : जहां क्रिमीनल प्रोसीजर कोड का सीधा वायोलेशन हुआ हो और पोस्ट मार्टम में देर हुई है तो क्या वहाँ माननीय मंत्री जी के श्रम कानूनों के उल्लंघन का ज्युरीसडिक्शन नहीं होता है तो ऐसे मामलों में माननीय मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मंत्री का इस पर कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को ही कार्यवाही करनी है, और यह न्यायालयों को ही करना होगा। श्रम मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जिसका उन्होंने उदाहरण दिया है यह एक पुलिस केस है अर्थात शव-परीक्षा आदि नहीं की गई है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं इस मामले की जांच करूंगा अर्थात अद्यतन स्थिति क्या है, और माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश चन्द्र : अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि बहुत से इंडस्ट्रीयल एस्टेट जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं और जहां सरकार की करोड़ों की पूंजी लगी हुई है, उन सब स्थानों पर आज इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं तथा मजदूर भूखे मर रहे हैं और मालिक लोग वहां से भाग चुके हैं।

ऐसा एक उदाहरण हमारे सामने आया है। हमारे संसदीय क्षेत्र में खतवां एक स्थान है, बिहार में। उस जगह लोग भूखे मर रहे हैं और मालिक लोग वहां से भाग चुके हैं। जिन गरीब लोगों ने जमीन दी है वह अब उससे महरूम हो गये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार कुछ सोचती है ? क्या बिहार सरकार या अन्य सरकारों को कोई निर्देश देने का विचार है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। यह संगत नहीं है।

दूरदर्शन से पुरी के रथ यात्रा उत्सव का सीधा प्रसारण

+

*187. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

श्री सोमनाथ रथ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव का टेलीविजन से सीधा प्रसारण करने की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार, सीधा टी०वी० प्रसारण राष्ट्रव्यापी प्रासंगिकता की घटनाओं तथा गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महत्वपूर्ण खेल घटनाओं, आदि तक सीमित है। अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के लिए, दूरदर्शन पर बाद में टेलीकास्ट किए जाने के लिए टी० वी० रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। पुरी का रथ यात्रा उत्सव भी इसी प्रकार उपयुक्त ढंग से टेलीकास्ट किया गया था।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आपने उत्तर सुना है। इसका सार यह है कि पुरी रथ यात्रा, विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा दूरदर्शन से सीधे प्रसारण करने योग्य नहीं है। किन्तु मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह उत्तर उस वक्तव्य का प्रतिवाद नहीं है जो मंत्री जी ने पुरी मंदिर की यात्रा करने के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद संसद के बाहर कही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस वर्ष पुरी की रथ यात्रा का सीधा दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाएगा। यही बात उन्होंने संसद सदस्यों के एक दल से कही थी जो उनसे पुरी रथ यात्रा के बाद मिलने गया था।

मैं जानना चाहता हूं कि उपर्युक्त आश्वासन क्यों नहीं लागू किया गया। उन्होंने वहां कुछ और ही बात कही। इसमें क्यों इतना भारी अन्तर है। जो बात उन्होंने यहां अपने उत्तर में कहीं और जो बात उन्होंने संसद के बाहर संसद सदस्यों के एक दल और पत्रकारों से कही उनमें अन्तर क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह सदन में इस बात का आश्वासन देते तो मैं उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकता था। मुझे नहीं मालूम कि संसद के बाहर उन्होंने क्या कहा था।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक प्रथम भाग का संबंध है, मैं व्यक्तिगत रूप में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गया था। जहां तक पत्रकारों को दिए जाने वाले आश्वासनों का संबंध है, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। जब माननीय सदस्यों ने इतनी मांग की थी और कटक और भुवनेश्वर में प्रेस वालों ने भी मांग की थी तब मैंने यह कहा था कि जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगा तो मैं प्रयत्न करूंगा और इस बात पर अधिकारियों के साथ चर्चा करूंगा जो यह बताएंगे कि क्या यह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है। यह देखा गया कि पुरी और कटक के बीच कोई माइक्रोवेव संपर्क नहीं है जिससे उसी दिन दूरदर्शन से सीधा प्रसारण हो सकता हो। इसी लिए यह संभव नहीं पाया गया जहां तक नीति संबंधी मामले की बात है, यह राष्ट्रीय महत्त्व का विषय होना चाहिए, और दूरदर्शन के आने के बाद से इसी नीति का पालन किया जा रहा है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : आपने उत्तर सुन लिया है। आप अन्तर देख लीजिए। यहां तो वह कुछ और ही कह रहे हैं, वह कहते हैं कि कटक और पुरी के बीच कोई शक्तिशाली माइक्रोवेव सम्पर्क नहीं है इसलिए ऐसा संभव नहीं हो सका। अतः यह अन्तर है। अब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह हमें यह बताए कि क्या इन दो स्थानों के बीच शक्तिशाली और प्रभावशाली माइक्रोवेव संपर्क स्थापित किया जाएगा ताकि अगले वर्ष पुरी रथ यात्रा समारोह के राष्ट्रीय महत्व के कारण इसका सीधा प्रसारण किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं प्रति वर्ष सभी धर्मों, जातियों आदि के लगभग 10 लाख लोग वहां इकट्ठे होते हैं, वहां विदेशी भी होते हैं। यह एक राष्ट्रीय उत्सव है जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता और मजबूत हो जाती है जिसकी अधिकतम आवश्यकता है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन कर सकता हूं और यह कह सकता हूं कि उसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ विगत में कहा था उन्हें अब कमियों को दूर करना चाहिए और दो स्थानों के बीच प्रभावशाली माइक्रोवेव संपर्क स्थापित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगले वर्ष पुरी की रथ यात्रा का सीधा टी० वी० प्रसारण हो ?

श्री ए० के० पांजा : जहां तक इस रथ यात्रा का संबंध है यद्यपि इसका सीधा प्रसारण नहीं किया गया था परन्तु यात्रा के दिन 28 जून, 1987 को 9.50 म०प० को कटक केन्द्र से पूरे एक घंटे के लिए इसे दिखाया गया था। फिर 29 जून, 1987 को 10.25 म०प० को राष्ट्रीय कार्यक्रम मे 30 मिनट के लिये दिखाया गया। अतः इसे न दिखाने का प्रश्न ही नहीं है। मैं इस समय आपको सीधे प्रसारण का कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जब फुट-बाल मैचों का सीधा प्रसारण होता है, तो रथ यात्रा का क्यों नहीं हो सकता है ? और उन्होंने पहले भी इसका आश्वासन दिया था। क्या वह इस विषय पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री सी० सम्बु : दिल्ली दूरदर्शन ने हर शुक्रवार को रात के समय "ए" प्रमाणपत्र चलचित्रों को दर्शाना आरंभ किया है। किन्तु वह जनता को अधिक मनोरंजन नहीं दे रही हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि मध्यरात्रि ट्रान्समिशन में कुछ रोचक फिल्में दिखाएं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का इससे कोई सबंध नहीं है।

श्री ए० के० पांजा : यह संगत नहीं है।

सभी किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू करना

*188. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक फसल बीमा योजना इस समय केवल उन्हीं किसानों तक ही सीमित है जो निगम संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल के लिए ऋण ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे सीमित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रभावग्रस्त घोषित किए गए क्षेत्रों के किसानों को इसके लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) ऋण न लेने वाले किसानों को शामिल करने से प्रिमियम का संचयन, उत्पादन का मूल्यांकन, उपज संबंधी आंकड़ों की संवीक्षा, दावों की अदायगी आदि कार्य करने के लिए एक विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी का सृजन करके लागू करने की आवश्यकता होगी।

(ग) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में बीमाकृत फसल उगाने वाले ऋणी किसान फसल उपज संबंधी आंकड़ों के आधार पर प्राकृतिक आपदा के मामले में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

श्री एस० जी० घोलप : उत्तर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस योजना का लाभ फसल उपज संबंधी आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा घोषित अभाव भी फसल की उपज पर आधारित है। यदि यह 50 प्रतिशत से कम है, तो राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र को अभाव का क्षेत्र घोषित किया जाता है। जिन ग्रामों को अभाव क्षेत्र घोषित किया जाता है उनको यह लाभ नहीं मिलता है। फिर इस विशेष फसल के उत्पादन के आंकड़ों को आधार माना जाता है। राज्य सरकार के इस मानदण्ड को क्यों न स्वीकार किया जाए ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह तो राज्य सरकार विशेष को ही अधिसूचित करना होगा कि वह कौन से क्षेत्र हैं जो फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आने चाहिए। यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

श्री एस० जी० घोलप : प्रश्न यह है कि जहां किसान कमी से प्रभावित है वहां उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार यह मानदण्ड स्वीकार नहीं करती है।

एक माननीय सदस्य : इसे स्वीकार किया जाता है।

श्री एस० जी० घोलप : इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : फसल की कटाई के प्रयोग का एक मापदण्ड है। और इसका निष्कर्ष राज्य सरकारों, कृषि वैज्ञानिकों आदि द्वारा किया जाता है, और हम इसे स्वीकार करते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने अभी क्रोप इन्श्योरेंस योजना की सदन में जानकारी दी, आपको पता है कि राजस्थान में पिछले 5-6 सालों से ड्रौट की स्थिति बराबर चलती आ रही है और वहां क्रोप इन्श्योरेंस योजना न होने की वजह से वहां के फारमर्स की हालत बद से बदतर होती जा रहा है। उसको ध्यान में रखते क्या माननीय मंत्री जी राजस्थान सरकार को निर्देश देंगे कि उन तमाम क्षेत्रों में जहां ड्रोट की स्थिति बनी हुई है और जिसके कारण वहां के किसानों का भारी नुकसान हुआ है, क्रोप इन्श्योरेंस योजना लागू करके कृषकों को मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी आर्थिक हालत कुछ सुधर सके और उनका काम चलता रहे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने तो सभी स्टेट गवर्नमैंटस से कहा है कि वे अपने यहां क्रोप इन्श्योरेंस योजना को लागू करें, जो उसे एक्सैप्ट करेगी वहां हम लागू कर देंगे हमने राजस्थान सरकार को भी कहा था, सम्भव है राजस्थान सरकार ने इसे एक्सैप्ट न किया हो।

श्री गिरधारी लाल व्यास : नहीं आप बताइये कि क्या आप राजस्थान की ड्रौट की स्थिति को देखते हुए वहां क्रोप इन्श्योरेंश योजना लागू करेंगे या नहीं। आपने राजस्थान सरकार से कहा या नहीं, उसका प्रश्न नहीं है। वहां राज्य के किसानों का भारी नुकसान हुआ है।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : इनका पता लगाना राज्य सरकारों का काम है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान के किसानों की हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है परन्तु अभी तक भारत सरकार की ओर से वहां क्रोप इन्श्योरेंस योजना लागू नहीं हुई है जिससे किसानों की मदद नहीं हो रही है, उनकी आर्थिक हालत खराब होती जा रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : राजस्थान सरकार ने फसल बीमा योजना को स्वीकार कर लिया था तथा इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। अन्य क्षेत्रों में इसकी घोषणा करना राज्य सरकार का काम है। पंजाब तथा हरियाणा जैसी राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। यह बात राज्य सरकार पर छोड़ दी गई है तथा इसे लागू करना भारत सरकार का काम नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : जैसा कि आप जानते हैं कि कृत्रिम रेशे के उत्पादन से वृद्धि होने के कारण कपास का उत्पादन अनिश्चित हो गया है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, कपास को शामिल नहीं किया गया है। क्या मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ सकता हूं कि इसे शामिल क्यों नहीं किया गया है? विभिन्न कृषि उत्पादों को शामिल करने का क्या माप-दण्ड है? क्या इसे व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए विचार किया जायेगा?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यह एक नई योजना है—एक अग्रगामी योजना है—जिसे हमने 1985 में शुरू किया था और हर वर्ष हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब कृषि मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में इस योजना की समीक्षा करने तथा अन्य क्षेत्रों तक इसका

विस्तार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। कुछ फसलों को इसमें शामिल करने के लिए राज्य सरकारें तथा संसद सदस्यों ने कई सुझाव दिये थे। फिलहाल कपास को शामिल नहीं किया गया है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी मदों को अब इसमें शामिल किया गया है। भविष्य में इस योजना का विस्तार अन्य फसलों तक भी किया जा सकता है।

श्री दिग्विजय सिंह : परन्तु बीमा योजना के अन्तर्गत एक फसल विशेष को शामिल करने के लिए प्राथमिकता के सम्बन्ध में क्या नीति है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माप-दण्ड प्रशासकीय ढांचा है। क्या इसका संचालन करना सम्भव होगा यह बात प्रशासकीय ढांचे इत्यादि पर निर्भर करेंगे।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

*189. **श्री तम्पन थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का परिकलन उचित मूल्य की दुकानों पर वस्तुओं की सप्लाई की वास्तविकता उपलब्धता के आधार पर करने का प्रस्ताव है;

(ख) उनका ग्राह्यता के आधार पर परिकलन करने के पुराने तरीके को छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस नए तरीके का मजदूर संघों द्वारा समर्थन किया गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का परिकलन करने के लिए 1982 को आधार वर्ष मानते हुए "ग्राह्यता" की अपेक्षा "उपलब्धता" को आधार मानकर प्रस्तावित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का परिकलन विद्यमान कार्य प्रणाली की तुलना में अधिक बेहतर होगा, क्योंकि यह वास्तविक खपत पैटर्न के अधिक निकट होगा।

(ग) इस पर ट्रेड यूनियनों के साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

श्री तम्पन थामस महोदय, 1982 को आधार वर्ष मान कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नया संशोधन करने से लगभग 500 लाख श्रमिक गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं। 1960 का आधार वर्ष मानकर 1977 में श्रमिकों की ओर से दिये गये आवेदनों के आधार पर रथ आयोग गठित किया गया था और उन्होंने पाया कि श्रमिकों को 7 अंकों में हानि हो गयी थी। अब 1982 को आधार वर्ष मानकर, डा० सील की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग गठित किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर "माई लार्ड" क्या हुआ कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 22 अंकों की हानि हो गई है। इसका अर्थ हुआ कि इस देश में केवल महगाई भत्ते पर ही श्रमिकों को लगाया 175 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। क्या सरकार इसमें संशोधन करेगी।

एक माननीय सदस्य : यह न्यायालय नहीं है। क्या आप न्यायालय में हैं ?

श्री तम्पन थामस : महोदय "माई लार्ड" शब्द भी आपके लिए उपयुक्त है। फिलहाल सरकार ने टैक्सी, टेलिविजन तथा अन्य वस्तुओं पर ध्यान दिया है। जिन्हें महत्व दिया गया है। मैं पूछना चाहता हू कि क्या सरकार इस मामले पर पुनः विचार करेगी और एक समिति नियुक्त करेगी जिसमें वर्तमान संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रमिकों, उद्योग-पतियों तथा अन्य लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये।

श्री पी० ए० संगमा : यह सच नहीं है कि नई श्रृंखला के परिणाम स्वरूप लाखों लोग पहले ही प्रभावित हो गये हैं क्योंकि नई श्रृंखला की शुरुआत नहीं की गई है। अतः प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जहां तक रथ समिति का संबंध है, मैं माननीय सदस्य महोदय की बात से सहमत नहीं हूं। 22 अंकों के अन्तर का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि समिति ने इस का उल्लेख नहीं किया है।

श्री तम्पन थामस : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रमिक संघों ने अभ्यावेदन दिये हैं। क्या सरकार श्रमिक संघों से इस विषय पर विचार-विमर्श करेगी तथा वर्तमान सिफारिश लागू नहीं करेगी।

श्री पी० ए० संगमा : हम विभिन्न स्तरों पर श्रमिक संघों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। वास्तव में, केन्द्रीय स्तर पर जब 8-1-87 को हमारी बैठक हुई थी तो मैंने बैठक की स्वयं अध्यक्षता की थी, क्षेत्रीय स्तर पर 20-2-87 को कानपुर में, 3-3-87 को मद्रास में, 6-3-87 को बम्बई में, 18-3-87 को दिल्ली में तथा 2-7-87 को कलकत्ता में हमारी बैठक हुई थी। मजदूर संघों के साथ ये बैठकें हुई थी। शीघ्र ही हम राष्ट्रीय स्तर पर एक और बैठक करने जा रहे हैं।

कोयला खानों में सुरक्षा उपाय

+

*10. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला खानों में सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने हेतु एक समिति गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो कोयला खानों में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नही।

(ख) एक **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

खानों में सुरक्षा के बारे में खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में यथा संमाविष्ट उपबंधों को खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा लागू किया जाता है, और इस प्रयोजनार्थ, नियमित तौर पर सांविधिक निरीक्षण किये जाते हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान, कोयला खानों में दुर्घटनाओं (घातक और गंभीर) के बारे में स्थिति नीचे बतायी गई है।

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या
1982	158	1135
1983	156	1169
1984	160	1196
1985	175	1007
1986	180	1145

2. कोयला विभाग ने बताया है कि उन्होंने कोयला खानों में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) सुरक्षा समिति की नियमित बैठकों के जरिये सुरक्षा मामलों में कर्मकारों की भागीदारी, खान स्तर, क्षेत्र स्तर और निगम स्तर पर त्रिपक्षीय सुरक्षा बैठकें आयोजित करना।

(2) विधि के उपबन्धों का अनुपालन करने के अलावा, विभिन्न सम्मेलनों और स्थायी समितियों की सिफारिशों को लागू करना।

(3) कर्मचारों को प्रशिक्षण और दोबारा प्रशिक्षण देना।

(4) भूमिगत खानों में छत और साइडों की सपोर्ट पर विशेष ध्यान देना, और लोंग वाल खनन और ओपन कास्ट खनन में अधिक सुरक्षित तकनीकी का प्रयोग करना।

(5) टेली मानीटरिंग पद्धति दूर संचार पद्धति को प्रारम्भ करना, खान सुरक्षा सप्ताहों का आयोजन करना, और विशेष सुरक्षा अभियान आदि आयोजित करना।

डा० वी० वेंकटेश : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार, 1982 से 1986 तक खनन क्षेत्रों में भयंकर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही हैं। मैं कोलार सोना खानों से आ रहा हूं। वहाँ भूतल से लगभग 2 किलो मीटर नीचे खनन कार्य किया जाता है। और 1982 में 158 दुर्घनाएं हुई थी जो बढ़ कर 1986 में 180 हो गई। गम्भीर दुर्घनाओं में भी वृद्धि स्वतः ही हो रही है। परन्तु मंत्री जी कह रहे हैं कि इनकी जांच करने के लिए एक नई समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं नहीं है। कोलार सोना खानों में प्रतिदिन एक दुर्घटना होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन दुर्घटनाओं विशेष तौर पर कोलार सोना खानों में दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए क्या सरकार कोई आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करेगी।

श्री पी० ए० संगमा : यह सच है कि घातक दुर्घटनाओं की संख्या 1982 में 158 थी जो बढ़कर 1986 में 180 हो गई है। परन्तु हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि खनन क्षेत्रों में खनन कार्य भी बढ़ रहा है तथा खनन क्षेत्रों में आने वाले श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर 1982 में कोयले का कुल उत्पादन 1340 लाख टन था, 1986 में बढ़कर यह 1630 लाख

टन हो गया। परन्तु मेरे कहने का भाव यह नहीं है कि चूंकि खनन कार्य में वृद्धि हो रही है तो दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होनी चाहिए। हमें इसकी रोकथाम अवश्य करनी चाहिए। इस दिशा में हम हर सम्भव कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जो उपाय किये जाने हैं वे खनन विभाग तथा कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं। भविष्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

डा० वी० वेंकटेश : मंत्री जी ने अभी कहा है कि उत्पादों में वृद्धि होने के कारण दुर्घनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु कोलार सोना खानों का क्या हुआ ? वहां उत्पादन कम और दुर्घटनायें अधिक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन दुर्घटनाओं की रोकथाम विशेष तौर पर कोलार सोना खानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नया तरीका अपनायेगी ?

श्री पी० ए० संगमा : इस समय कोलर सोना खानों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु मैं यहां अवश्य कहना हूं कि दुर्घटनायें केवल भारत में ही नहीं होती हैं, विश्व भर में दुर्घटनायें होती हैं। यदि हम तुलनात्मक आंकड़ों को देखें कि विश्व में अन्यत्र क्या हुआ है तो हमारे आंकड़े तुलनात्मक दृष्टि से काफी संतोषजनक हैं। भारत में घातक दुर्घटनाओं की दर प्रति हजार व्यक्ति 0.32 है जबकि जापान में यह दर 3.57 है। इसी प्रकार अन्य देशों में दुर्घटनाओं के आंकड़े हमारे से अधिक हैं यद्यपि वे हमारी अपेक्षा बहुत आधुनिकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। जापान, पश्चिम जर्मनी तथा अमरीका में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के बावजूद घातक दुर्घटनाओं की दर हमारे देश की अपेक्षा कहीं अधिक है।

पेय जल योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देना

+

***191. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने सिंचाई और विद्युत को प्रमुख क्षेत्र में शामिल किया है और धन का आबंटन करते समय इन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पेयजल की समस्या को तुरन्त हल करने के लिए इस समस्या को और उच्च प्राथमिकत देने और इसके लिए अधिक धन की व्यवस्था करने तथा राज्यों पर भी ऐसा ही करने के लिए जोर डालने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और कैसे ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सिंचाई तथा विद्युत क्षेत्रों को योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये क्षेत्र कृषि, उद्योग और अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सातवीं योजना के कुल परिव्यय में सिंचाई क्षेत्र का भाग 8.9 प्रतिशत है। विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय सातवीं योजना के कुल परिव्यय का 19 प्रतिशत है।

(ख) जी हां, । केन्द्रीय सरकार पेयजल योजना (त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम) के लिए अधिक धन की व्यवस्था कर रही है तथा राज्यों पर भी ऐसा ही करने के लिए जोर दे रही है।

(ग) निम्नलिखित तालिका में छठी योजना, सातवीं योजना और वार्षिक योजनाओं, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान पेयजल सप्लाई क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये परिव्ययों को दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

	छठी योजना	सातवीं योजना	1985-86	1986-87	1987-88
राज्य/संघ शासित क्षेत्र योजना	3307.80	5285.64	838.30	1000.10	1168.56
(उनमें से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	1407.11	2253.25	356.71	417.38	490.85
केन्द्रीय योजना	604.22*	1236 83	300 00	329.70	392.34
(उनमें से त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम)	725.00**	1201.22	298.88	316.75	369.75

*इसमें जल तथा वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए 12 करोड़ रुपये शामिल हैं जो अब विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

**इसमें प्रोत्साहन बोनस योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है जो छठी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद अनुमोदित किया गया था।

इस क्षेत्र के लिए सातवीं योजना के दौरान राज्य/संघशासित क्षेत्र और साथ ही साथ केन्द्रीय योजना दोनों के अन्तर्गत अधिक परि-व्यय प्रदान किये गये हैं। (जो कि छठी योजना में प्रदान किए गए परिव्यय से दुगने से भी कहीं अधिक है)। सातवीं योजनावधि के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघशासित क्षेत्र योजना और केन्द्रीय योजना में परिव्ययों को क्रमिक रूप से बढ़ाया गया है। सातवीं योजना के शेष 2 वर्षों में और भी अधिक परिव्ययों की संभावना है।

राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों पर इस क्षेत्र के लिए और अधिक निधियां उपलब्ध कराने के लिए जोर दिया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का आबंटन इस शर्त के आधार पर किया जाता है कि इतनी ही राशि राज्य-क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में उपलब्ध कराई जाए। 11 तथा 12 फरवरी, 1987 को हुए राज्यों के जल सप्लाई तथा स्वच्छता के प्रभारी मंत्रियों, सचिवों और मुख्य अभियन्ताओं के सम्मेलन में यह सर्व-सम्मति हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई कार्यक्रम को योजना के प्रमुख क्षेत्र में रखा जाना चाहिए और अन्य सभी योजना स्कीमों में इस योजना को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सातवीं योजनावधि के अन्त तक, ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेय जल की सप्लाई करने के सातवीं योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और वित्तीय संसाधनों का आबंटन करना अनिवार्य समझा गया था।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने सिंचाई और विद्युत को प्रमुख क्षेत्र में शामिल किया है और धन का आबंटन करते समय भी इन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्लान का 8.9 परसेंट सिंचाई पर खर्च किया जा रहा हैं, 19 परसेंट विद्युत पर खर्च किया जा रहा और 3.2 परसेंट पीने के पानी पर खर्च किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर और अन्य सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता पीने के पानी को दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार ने सिर्फ 1200 करोड़ रुपये का प्रावीजन पीने के पानी के लिए किया है। क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में और प्रावीजन कर पीने के पानी की समस्या को हल किया जायेगा और पीने के पानी को कोर सेक्टर में लाया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए धारावाहिक कार्यक्रमों और फीचर फिल्मों का चयन

*192. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए धारावाहिक कार्यक्रमों और फीचर फिल्मों का चयन गुणदोष के अलावा अन्य आधार पर किए जाने के बारे में एक ही प्रकार की बार-बार शिकायतें किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) इस संबंध में कौनसे सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) दूरदर्शन पर टी० वी० धारावाहिकों और फीचर फिल्मों के चयन पर दर्शकों ने प्रशंसात्मक और कभी-कभी आलोचनात्मक प्रतिक्रियायें व्यक्त की हैं। तथापि, कोई ठोस आरोप लगाते हुए कोई विशिष्ट शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

टी० वी० धारावाहिकों और फीचर फिल्मों के चयन में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए दूरदर्शन ने समितियों का गठन किया है जिनमें प्रख्यात गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल हैं। प्रायोजित धारावाहिकों के मामले में, एक तीन स्तरीय व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें प्राथमिक समिति, चयन समिति और अपील समिति शामिल हैं। किसी वैयक्तिक विपथन की संभावना को दूर करने के लिए चयन समिति और अपील समिति में गैर-सरकारी सदस्यों को भी सहयोजित किया जाता है। इसी प्रकार, फीचर फिल्मों के चयन के लिए समितियों का भी जानकारी युक्त गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पुनर्गठन किया गया है। चयन किसी व्यक्ति की राय पर आधारित नहीं होता और निर्णय निष्पक्ष ढंग से सामूहिक रूप से गुणवत्ता के आधार पर लिए जाते हैं।

दूरदर्शन में समाचार सेवा प्रणाली

*194, श्री चित्त महता : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन में समाचार सेवा-प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों को अधिक प्रासंगिक और दृश्य उन्मुखी बनाने के लिए दूरदर्शन ने समाचार ढांचे को सुदृढ़ करने की एक स्कीम बनाई है। मुख्यालय स्तर पर कुछ वरिष्ठ समाचार कार्मिकों की मंजूरी दी गई। मुख्यालय इस ढांचे का कार्य सामयिक महत्व की घटनाओं के हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, समाचारिक मूल्य की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के दृश्य कवरेजों की योजना बनाना और उनकी व्यवस्था करना है।

2. समाचार सेवा में व्यवसायिकाता लाने के लिए केन्द्रीय समाचार कक्ष अब अनुभवी समाचार व्यावसायिक व्यक्ति के अधीन है। इस ढांचे को सशक्त बनाने के अन्य कदम के रूप में, दूरदर्शन समाचार संवाददाताओं, सहायक समाचार संवाददाताओं तथा समाचार संपादकों के नए 57 पदों की मंजूरी दी गई है। केन्द्रीय समाचार कक्ष को दृश्य भेजने के लिए इन संवाददाताओं के साथ पृथक कैमरा टीमों को सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया है। दूरदराज और सुदूरवर्ती स्थानों में होने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के दृश्यों का तीव्र संकलन करने के लिए जीपों और हैलीकाप्टरों के प्रावधान की भी परिकल्पना है।

3. समूचे समाचार ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए समर्पित उपकरणों तथा कार्यालय से युक्त पर्याप्त हार्डवेयर उपलब्ध करके इस ढांचे का पुनर्गठन करने की भी परिकल्पना है।

अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

*195. श्री ठी० बशीर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्र अखबारी कागज के मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि को वहन करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सी कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा : (क) इस आशय का कोई संकेत नहीं है कि लघु और मझोले समाचार पत्र आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि वहन करने में असमर्थ हैं। 31-12-1982 से स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्यों में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य में पूंजी निवेश बढ़ाना

*196. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य में पूंजी निवेश बढ़ाने का है, जैसा कि 9 जुलाई, 1987 के "दि इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का किये गये पूंजी निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि सम्बन्धी अनुसंधान और विकास यूनिटों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में अनुकूल वैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करने और वैज्ञानिक उत्तर-दायित्व की व्यवस्था भी लागू करने का विचा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : (क) इस समय कृषि अनुसंधान में पूंजी निवेश बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास प्रायोजना के लिए हाल ही में 7 करोड़ रु० का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। तिलहन कार्यक्रम के लिए धन के कुछ अतिरिक्त आवंटन पर योजना आयोग के तहत विचार किया जा रहा है।

(ख) कृषि अनुसंधान पर किये जाने वाले पूंजी निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में अनुकूल वैज्ञानिक वातावरण मौजूद है। वैज्ञानिक उत्तर-दायित्व की बात यहां पहले से ही मौजूद है।

(ग) कृषि वैज्ञानिकों के लिए दो सेवाओं अर्थात् कृषि अनुसंधान सेवा (ए० आर० एस०) तथा अनुसंधान प्रबन्ध सम्बन्धी पदों (आर० एम० पी०) का क्रमशः अक्तूबर, 1975 में तथा अप्रैल, 1976 में गठन किया गया था। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत जीवनवृत्ति के जो अवसर प्रदान किए गये हैं उससे समर्पित कार्यकर्त्ताओं को अधिकतम प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रबोधन तथा मूल्यांकन प्रणालियों, जैसे वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक कार्यशालाओं, क्षेत्रीय समिति की बैठकों, वैज्ञानिक पैनल की बैठकों, पंचवर्षीय समीक्षा दलों तथा मध्यावधि समीक्षाओं के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जा रहा है।

दिल्ली के लिए स्वायत्तशासी गंदी बस्ती बोर्ड

***197. श्री पी० एम० सईद** :

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली प्रशासन से दिल्ली में एक स्वायत्तशासी गन्दी बस्ती बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश प्राप्त हुई है और उसने उस पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो यह बोर्ड कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) बोर्ड के मुख्य कृत्य क्या हैं;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) दिल्ली में एक मलिन बस्ती बोर्ड के गठन सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

महिला विमान चालक

***198. श्री कुंवर राम** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में महिला विमान चालकों की संख्या कितनी है;

(ख) देश के विभिन्न विमान चालक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में अधिक संख्या में महिलाओं को आकर्षित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) देश में महिला विमान चालकों को विभिन्न श्रेणियों के 183 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) देश में प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। तथापि वनस्थली विद्यापीठ केवल महिलाओं के लिए उड़ान प्रशिक्षण दे रही है।

(ग) अधिक महिला विमान चालकों को आकर्षित करने की कोई अलग योजना नहीं है।

[अनुवाद]

टेली फिल्मों का चयन

*199. डा० बी० एल० शैलेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन ने टेली फिल्मों, नाटकों, और धारावाहिकों (हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं दोनों में) को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कौन से नवीनतम मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) इनके चयन, दूरदर्शन पर प्रसारण और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रमुख समय (प्राइम टाइम) के आबटन का तरीका क्या है;

(ग) इन टेली फिल्मों, धारावाहिकों तथा नाटकों के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है; और

(घ) इस समय दूरदर्शन की स्वीकृति के लिए कुल कितनी टेली फिल्में पड़ी हुई हैं और इन्हें किस प्रकार निपटाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा टेली फिल्मों की स्वीकृति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

(1) **दूरदर्शन के सहयोग से टेली फिल्मों का निर्माण करना।**

दूरदर्शन के सहयोग से एक टेली फिल्म बनाने के लिए दूरदर्शन द्वारा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। शेष व्यय निर्माता द्वारा वहन किया जाना होता है। दूरदर्शन के पास केवल शाश्वत टी० वी० अधिकार रहते हैं, जबकि, अन्य सभी अधिकार (जिनमें, वीडियो, थियेटर रिलीजों इत्यादि के अधिकार शामिल हैं) निर्माता/प्रायोजक के पास रहते हैं। विज्ञापनों से होने वाली वाणिज्यिक आय यदि कोई हो, तो दूरदर्शन को मिलती है।

(2) **प्रायोजित टेली फिल्में**

इस श्रेणी में आने वाली टेली फिल्मों की समूची निर्माण लागत निर्माता/प्रायोजक द्वारा वहन की जाती है तथा टेलीकास्ट का शुल्क के रूप में दूरदर्शन को 1 लाख रुपए की राशि दी जानी होती है। इसके बदले में निर्माता/प्रायोजक को चार मिनट का निःशुल्क वाणिज्यिक समय दिया जाता है।

इस प्रकार की टेली फिल्मों के मामले में दूरदर्शन के अधिकार केवल तीन टेलीकास्टों तक ही सीमित रहते हैं। शेष सभी अधिकार निर्माता/प्रायोजक के पास रहते हैं।

टेली-फिल्मों के चयन की प्रक्रिया।

इस समय दूरदर्शन 25.9.1986 से टेली फिल्मों के लिए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा है। लम्बित प्रस्तावों पर निम्नलिखित विधि से कार्रवाही की जाती है :

(1) दूरदर्शन के सहयोग से निर्माण के लिए पेंडिग प्रस्तावों पर दूरदर्शन तथा निगम के मध्य हुई व्यवस्था के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में कार्रवाई की जा रही हैं। इन प्रस्तावों की राष्ट्रीय फिल्य विकास निगम के विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा जांच की जा रही है जिसमें दूरदर्शन के अधिकारी भी शामिल हैं। टेली फिल्मों का निर्माण दूरदर्शन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा निर्माता द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(2) प्रायोजित टेली फिल्मों के लिए प्रस्तावों का आंकलन दूरदर्शन की एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें महानिदेशक, उपमहानिदेशक (फिल्म) तथा कार्यक्रम नियंत्रक (फिल्म) शामिल हैं। यदि प्रस्ताव को शुरू में उपयुक्त पाया जाता है तो इसकी स्वीकृति से निर्माता को सूचित कर दिया जायेगा ताकि वह फिल्म का निर्माण कर सके।

निर्मित फिल्म का फीचर फिल्म चयन समिति द्वारा प्रिव्यू किया जाएगा जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य होते हैं।

टेली नाटक

दूरदर्शन प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखित तथा उच्च कोटि के मंचीय नाटकों पर आधारित टेली नाटकों के लिए प्रस्ताव स्वीकार करता है। विचार दूरदर्शन के दर्शकों को लोकप्रिय तथा उच्च स्तर के मंचीय नाटकों दिखाने का है। प्रस्तावों की निर्माता की साख और नाटक की गुणवत्ता के आधार पर निदेशालय में जांच की जाती है। अन्तिम मंजूरी दूरदर्शन महानिदेशालय की सरकारी समिति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में, टेली-नाटक महीने में एक बार शनिवार को रात 9.50 बजे टेली कास्ट किए जाते हैं।

प्रायोजित धारावाहिक

प्रायोजित किए जाने वाला कार्यक्रम मानव रूचि के किसी भी विषय अथवा कथावस्तु पर आधारित हो सकता है और यह दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के अनुरूप होना चाहिए। प्रायोजित धारावाहिकों के लिए प्रस्तावों को मोटी श्रेणियों अर्थात् (1) कथा साहित्य (2) गैर कथा साहित्य और (3) कार्टून में वर्गीकृत किया जाएगा। चयन समिति एक श्रेणी वर्ग से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों पर एकल ढेरी के रूप में विचार करती है। दी गई समयावधि में एक विशिष्ट श्रेणी के प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति उस श्रेणी में उपलब्ध प्रस्तावों में से अपेक्षित संख्या में प्रस्तावों का चयन करती है। प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय चयन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है :—

(1) मानव एकता सद्भाव, सभी धर्मों का समान आदर, हिंसा, साम्प्रदायिकता दुर्भावना और तनाव का प्रतिकार तथा अन्धविश्वासी औ पक्षपातों से मुक्त जैसे मूल सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना;

(2) देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रतिम्बित करना; और

(3) मीडिया का प्रयोग इस तरह से करना कि यह नयी पीढ़ी में उचित तरह से मूल्यों, दृष्टिकोणों और स्तरों को बनाने में सहायता कर सके।

धारावाहिकों का चयन

प्रस्तावों की संकल्पना पर पहले एक सरकारी समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसकी सिफारिशें महानिदेशक, दूरदर्शन को प्रस्तुत की जाती हैं। इस प्रारम्भिक समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों को चयन समिति को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। यदि चयन समिति प्रस्ताव अनुमोदित कर देती है तो निर्माता को पायलट बनाने के लिए कहा जाता है। तब पायलट को चयन समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही पायलट अनुमोदित हो जाता है निर्माता से परख के लिए चार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इन चार कार्यक्रमों के प्राप्त होने और अनुमोदित हो जाने पर टेलीकास्ट की तारीख और समय निश्चित करके निर्माता को बताया जाता है।

धारावाहिकों के लिए समय का आबंटन कार्यक्रम की समग्र गुणवत्ता, लक्ष्यदर्शक और दूरदर्शन कार्यक्रम आवश्यकताओं जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करता है।

इस समय दूरदर्शन निम्नलिखित समय पर धारावाहिक टेलीकास्ट करता है—

(क) हर रविवार को प्रात: 9.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और सायं 5.00 बजे से सांय 5.45 बजे तक।

(ख) सभी दिनों में रात 9.00 बजे।

(ग) हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रात 10.20 बजे।

(ग) किसी प्रायोजित टेली फिल्म (90-100 मिनट) के मामले में, निर्माता को चार मिनट का नि:शुल्क वाणिज्यिक समय आवंटित किया जाता है। लेकिन निर्माता को दूरदर्शन को 1 लाख रुपये की टेलीकास्ट फीस अदा करनी होती है। इस प्रकार की टेलीफिल्मों पर दूरदर्शन का अधिकार केवल 3 टेलीकास्टों तक सीमित है।

दूरदर्शन के सहयोग से बनाई जाने वाली टेलीफिल्मों के लिए, दूरदर्शन द्वारा फिल्म निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।

प्रायोजित टेली-नाटकों और धारावाहिकों के लिये, दूरदर्शन कोई भुगतान नहीं करता। निर्माण लागत प्रोड्यूसर प्रायोजक द्वारा वहन की जाती है। दूरदर्शन निर्धारित दर कार्ड के अनुसार टेलीकास्ट फीस वसूल करता है।

(घ) 326 प्रस्तावों को, जिनके लिए पार्टियों से वित्तीय सहायता मांगी गई है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्रवाही हेतु भेज दिया गया है। टेली फिल्मों के लिये 28 अन्य प्रस्तावों, जिनके लिये वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई है, की दूरदर्शन में जांच की जा रही है।

बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण

*200. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बच्चों के लिए अच्छी किस्म की फिल्मों के निर्माण में भारत पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बच्चों के लिए अच्छी किस्म की अधिक फिल्मों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का फिल्म और टेलीविजन इंस्टीटयूट, पुणे के कलाकारों के सहयोग से बच्चों के लिए अच्छी फिल्में बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) भारत में फिल्म उद्योग लगभग पूर्णतया निजी क्षेत्र में फिल्मों के निर्माण के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा रखे गए प्रमाणीकरण के आंकड़े से यह पता चलता है कि देश निर्मित बाल फिल्मों की संख्या अन्य फिल्मों की संख्या की तुलना में बहुत कम है । वर्ष 1985 और 1986 के दौरान, कुल प्रमाणीकृत 912 और 840 फीचर फिल्मों में से बाल फिल्मों की संख्या क्रमश: केवल 11 और 3 थी। उसी अवधि के दौरान प्रमाणीकृत 1533 और 1428 लघु बाल फिल्मों में से लघु बाल फिल्मों की संख्या क्रमश: 2 और 4 थी ।

2. संस्था पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बाल चित्र समिति, भारत देश में बाल फिल्मों के आंदोलन को बढ़ावा देने में रत है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समिति कठपुतली फिल्मों, एनीमेशन फिल्मों, फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों जैसे फार्मेटों का उपयोग करते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं में बाल फिल्मों का निर्माण करती रही है। अपनी फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से बाल चित्र समिति, भारत ने 1985 में अपनी निर्माण रीतियों में संशोधन किया है। सरकार स्वयं फीचर फिल्मों का निर्माण नहीं करती । तथापि, अच्छी गुणवत्ता की बाल फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में इस प्रकार की फिल्मों को राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट करने और दूर्दर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट करने के लिए देय शुल्क में पर्याप्त वृद्धि की है।

हज यात्रा के लिए किराया

*201. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा इस वर्ष हज यात्रियों से कितना वापसी किराया लिया गया है;

(ख) क्या हज किराये में सउदी अरेबियन एयरलाइन्स को देय रायल्टी का कोई भाग भी शामिल है;

(ग) क्या इस वर्ष का किराया रुपयों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन (इन्टरनेशानल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन) के चालू किराए के प्रतिशत हमेशा से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एयर इंडिया द्वारा जद्दाह-भारत मार्ग पर लिए जा रहे किराए निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

जद्दाह/बम्बई	3,850.00 रुपये
जद्दाह/दिल्ली	3,957.00 रुपये
जद्दाह/मद्रास	4,700.00 रुपये

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के चालू किरायों के प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष किराए उच्चतम नहीं हैं।

फास्फेट युक्त उर्वरकों की नयी क्षमता

1961. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फास्फेट युक्त उर्वरकों की बहुत मांग है और लागत में लाभ के प्रयोजन को देखते हुए भविष्य में इसकी कमी आयात करके ही पूरी की जा सकती है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है,

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (घ) फास्फेटिक उर्वरकों की वर्तमान मांग को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जाता है जिसमें आयात प्रतिपूर्ति शामिल है। भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये फास्फेटिक उर्वरक की अतिरिक्त क्षमता विकसित की जा रही है।

विभाग द्वारा गठित अध्ययन दल ने भावी मांग को पूरा करने के लिए फास्फेटिक उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में आयातों को वरीयता दी है। सरकार ने इन सिफारिशों पर अभी विचार नहीं किया है।

फास्फेटिक उर्वरकों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अत्यन्त परिवर्तनशील हैं और सरकार सभी संबंध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन उर्वरकों की खरीद अथवा उनके विकल्प पर निरन्तर निगरानी रखेगी।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन

1962. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के एकक के कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां, कर्मचारी संघ से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जो मुख्यत: हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर आफ इंडिया (एच० एफ० सी०) के दुर्गापुर एकक के विस्तार तथा पुनरुद्धार से सम्बन्धित थे।

(ग) इस एकक के विस्तार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक इसके पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है, एच० एफ० सी० के सभी चालू एककों का सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने का पहले ही निर्णय किया जा चुका है।

दिल्ली दूरदर्शन पर नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ भेंटवार्ता का प्रसारण

1963. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जून, 1987 को दिल्ली दूरदर्शन पर अध्यक्ष नई दिल्ली नगर पालिका के साथ एक भेंटवार्ता प्रसारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) चर्चा किए गए/उठाये गए मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या इस संबंध में की गई कार्यवाही दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड पर भी लागू होगी;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह दिल्ली में विज्ञापन पटों के प्रदर्शन से सम्बन्धित था जो विशेषकर अश्लील प्रकृति के हैं।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका अपने क्षेत्र में कोई विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नहीं देती है और जो अनधिकृत रूप से लगाये जाते हैं, उन्हें निरन्तर रूप से हटा देती है। तथापि, कुछ मामलों में पार्टियों ने न्यायालयों से रोका देश प्राप्त कर लिए हैं। नई दिल्ली नगर पालिका रोका देशों को निरस्त कराने के प्रयास कर रही है।

(घ) छावनी बोर्ड ऐसा कोई विज्ञापन पट्ट छावनी क्षेत्र में लगाने की अनुमति नहीं देता है।

दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्र में अनधिकृत विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नहीं देता है और जब भी ये ध्यान में आते हैं, इन्हें हटा दिया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में कुछ पार्टियों ने न्यायालयों से रोका देश प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार के विज्ञापन पट्टों को हटाने के लिए रोका देशों को निरस्त करने के प्रयास किए जाते हैं। अश्लील प्रकृति के विज्ञापन जब भी ध्यान में आते हैं, उन्हें भी हटा दिया जाता है।

देश में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम शुरू करना

1964. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के किन-किन स्थानों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) क्या कुछ अन्य स्थानों पर भी ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और यह कार्यक्रम कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों का निर्माण और प्रस्तुत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग के दो केन्द्र बंगलौर और दिल्ली में स्थित हैं। आमतौर से ये कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, अस्पृश्यता स्वतन्त्रता संग्राम, परिवार कल्याण और नशाबन्दी, आदि पर होते हैं, फेरी वाले हैं। वर्ष 1986 के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रम जोरहाट, ऐज़वाल, गंगटोक, तेजपुर, कलकत्ता वारंगल, तिरूपति और हैदराबाद में आयोजित किए गए थे।

(ख) और (ग) : जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों को त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के कुछ स्थानों पर प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

मल्लापुरम में कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगाना

1965. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री केरल के मल्लापुरम जिले में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में 2 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ में कम शक्ति (100 वाट) का टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने के लिए मंजूरी दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ख) मल्लापुरम में कम शक्ति का ट्रांसमीटर कब तक लगा दिया जाएगा; और

(ग) क्या इस कम शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर के लगाए जाने पर पूरे जिले में दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) डिब्रूगढ़ के 100 वाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के वर्ष 1987-88 के दौरान रिलीज हो जाने की उम्मीद है और उसके बाद ही उसे मल्लापुरम में स्थापित और चालू किया जाएगा।

(ग) जी, हां। तथापि, भूभागीय स्थितियों के अधीन रहते हुए यह मल्लापुरम जिले का लगभग 50% क्षेत्र कवर करेगा।

भारतीय कामगारों तथा पंजाब केमि-प्लांटस लिमिटेड, बगदाद के प्रबंधकों के बीच समझौता

1966. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बगदाद स्थित भारतीय दूतावास गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा भर्ती किए गए भारतीय कामगारों तथा केमि-प्लांटस् लिमिटेड के प्रबन्धकों के बीच 12 जुलाई, 1986 को एक सौहार्दपूर्ण समझौता कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका ध्यान 13 जुलाई, 1987 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "जाब सीकर्स ड्यूप्ट एक्सप्लायटेड इन इराक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या समझौते को लागू करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय को इस समाचार के बारे में जानकारी है, परन्तु इस आरोप के बारे में कोई प्रमाणीकृत सूचना या शिकायतें नहीं है कि प्रश्नगत कम्पनी ने दादन श्रमिक को अवैध रूप से भर्ती किया था, या उसे ठगा था या उसे तंग किया था।

मैसर्स पंजाब केमि-प्लांटस् लि० के कर्मकारों की जुलाई, 1985 से सितम्बर, 1685 तक की अवधि का वेतन उनके एन०आर०आई० खातों में जमा कर दिया गया है।

इराक की बसराह हाऊसिंग परियोजना में नियोजित उक्त कम्पनी के 630 भारतीय कर्मकारों में से, 533 कर्मकारों को पहले ही स्वदेश भेजा जा चुका है और शेष कर्मकारों को स्वदेश भेजने के लिए प्रयास जारी हैं।

मूंगफली, रेपसीड और सरसों का उत्पादन

1967. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीन और फ्रांस की तुलना में मूंगफली, रेपसीड और सरसों का कितना उत्पादन होता है,

(ख) क्या इन देशों की तुलना में हमारे देश में मूंगफली, रेपसीड और सरसों की उत्पादकता कम है,

(ग) यदि हां, तो उनके बराबर उत्पादन करने के लिए कौन से कदम उठाए गए है, और

(घ) इस संबंध में क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नीचे दी गई सारणी में इस देश में तथा इसकी तुलना में चीन तथा फ्रांस में मूंगफली और तोरिया तथा सरसों की उत्पादकता दी गई है :—

फसल	देश	उपज (किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)
मूंगफली	चीन	1902
	भारत (1985-86)	759
तोरिया तथा सरसों	चीन	1243
	फ्रांस	2991
	भारत (1984-85)	771

चीन और फ्रांस के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष 1985 के हैं और भारत के संबंध में ये फसल वर्षों से

संबंधित हैं। खाद्य तथा कृषि संगठन के उत्पादन शब्दकोष में फ्रांस में मूंगफली के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि इन देशों के मुकाबले भारत में मूंगफली और तोरिया तथा सरसों की उत्पादकता कम है।

(ग) और (घ) विभिन्न तिलहनों, जिनमें मूंगफली और तोरिया तथा सरसों शामिल हैं, का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत, आदानों तथा आदान सेवाओं और किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल

1968. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सन् 2001 की दिल्ली" की योजना के प्रारूप में यह सुझाव दिया गया है कि दिल्ली के लिए 5 नए अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल आवश्यक हैं ;

(ख) यह योजना प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था;

(ग) कितने टर्मिनलों के संबंध में काम शुरू कर दिया गया है; और

(घ) टर्मिनलों के प्राथमिकता के अनुसार उन पांच स्थानों के नाम क्या हैं जिनके स्थापित किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) (ग) तथा (घ) दिल्ली 2001 की संदर्श योजना प्रारूप में प्राथमिकता को दर्शाये बिना निम्नलिखित स्थानों पर 5 नये अन्तर्राज्यीय बस अड्डा की स्थापना की सिफारिश की गई है :—

1. पूर्व में यमुनापार क्षेत्र
2. दक्षिण में ओखला के पास
3. दक्षिण पश्चिम में शहरी विस्तार में मंगल के नजदीक
4. शहरी विस्तार में उत्तरी दिल्ली में
5. धौलाकुआं या निजामुद्दीन के नजदीक रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग बाइपास के चौराहे पर।

इन परियोजनाओं में से किसी में भी कार्य के आरम्भ होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की 3-6-87 को हुई अपनी बैठक में अपनाये गए योजना प्रारूप को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन कार्रवाही के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

समुद्री संसाधनों का दोहन

1969. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनन्य आर्थिक क्षेत्र के समुद्री संसाधनों का पूरी तरह दोहन न किए जाने का एक कारण गहरे समुद्र में चलने वाले अत्याधुनिक जहाजों और प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले जलयानों की संख्या विद्यमान 120 से बढ़ाकर 500 कर दिए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षित जन-शक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए, कोच्चियन स्थित केन्द्रीय मात्स्यकी नौवहन तथा इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान ने अपनी मद्रास तथा विशाखापत्तनम स्थित इकाइयों के साथ गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले जलयानों का चलाने वाले कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कई पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं।

दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

1970. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दूध की अलग-अलग उपलब्धता कितनी है,

(ख) विश्व में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी है,

(ग) क्या यह सच है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता विश्व में सबसे कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1986-87 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 57.1 कि०ग्रा० प्रति वर्ष थी। देश में ग्रामीण और नागरीय क्षेत्रों के लिए कोई अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विश्व में दूध की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 104.8 किलोग्राम प्रतिवर्ष है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार ने देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा वैज्ञानिक आधार पर पशु/भैंस विकास को बढ़ावा देने लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ सके, कई कदम उठाए हैं। अपनाई गई मुख्य नीतियां और कार्यनीतियां इस प्रकार हैं :—

(1) गौपशुओं की राष्ट्रीय तौर पर महत्वपूर्ण नस्लों के उनके अपने क्षेत्रों में चयनात्मक प्रजनन द्वारा आनुवंशिक सुधार और अन्य चुनिन्दा क्षेत्रों में उन्नयन;

(2) अज्ञात नस्ल के कम दूध देने वाले गोपशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन;

(3) चयनात्मक प्रजनन द्वारा भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों का प्रगामी आनुवंशिक सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अज्ञात नस्ल की भैंसों का उन्नयन;

(4) पशुओं को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए आहार और चारे के संसाधनों का विकास;

(5) उत्पादन कार्यक्रम की सहायता के लिए प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवायें संगठित करना;

(6) आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए आदान मुहैया कराने तथा विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रायोगिक परियोजना

1971. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 तथा 1986-87 के दौरान आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में उक्त परियोजना शुरू करने पर चावल उत्पादन में हुई वृद्धि की दर का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मत्स्यन नौकाओं की खरीद के लिए ऋण देना

1972. **डा० सुधीर राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम में कितनी मत्स्यन नौकाएं लगी हुई हैं,

(ख) क्या सरकार नौकाएं खरीदने के लिए मछुआरों की सहकारी समितियों को ऋण या वित्तीय सहायता देती है, और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहकारी समितियों ने इस प्रकार के ऋण प्राप्त किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हमारे समुद्र में (20 मीटर और उससे अधिक लम्बाई के) ट्रालर जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम में लगे हुए हैं, उनकी कुल संख्या इस समय 120 है।

(ख) जी हां।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जहाजरानी विकास निधि समिति से ऋणों के लिए किसी सहकारी समिति ने आवेदन नहीं किया है।

प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदार बनाना

1973. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** :

डा० टी० कल्पना देवी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदार बनाने के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिनके निदेशक मंडल में मजदूर संघों का कम से कम एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सिद्धान्त को किस तारीख तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा दिसम्बर, 1983 में प्रबन्धतंत्र में कर्मचारियों की भागीदारी पर एक व्यापक योजना अधिसूचित की गई थी । इस योजना के कार्य की पुनरीक्षा और उपचारी उपायों के सुझाव देने के लिए नियोजकों, ट्रेड यूनियनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय समिति भी गठित की गई है । उपलब्ध सूचना के अनुसार सौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने शाप फ्लोर और प्लांट स्तर पर इस योजना को कार्यान्वित किया है । सात उपक्रमों अर्थात् भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, एलगिन मिल्स, नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०, एन० टी० सी० (गुजरात), एन० टी० सी० (दक्षिण महाराष्ट्र), एन० टी० सी० (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा) और राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लि०, ने ट्रेड यूनियन नेताओं को निदेशक मंडल में नियुक्त कर लिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी कारखाने के श्रमिकों द्वारा धरना

1974. **श्री रेणुपद दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में चीनी कारखाने के श्रमिकों ने 21 अप्रैल, 1987 को दिल्ली में धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कर्मकारों की मांगें इस प्रकार हैं, अर्थात् (1) अंतरिम राहत की राशि में वृद्धि करना और (2) परिवर्ती मंहगाई भत्ता की दर 1.35 रु० से बढ़ाकर 1.65 रु० करना । सरकार ने ये मांगें चीनी मजदूरी बोर्ड को उनके विचारार्थ भेज दी थी । इस सम्बन्ध में मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

बीड़ी कामगारों के लिए मकानों का निर्माण

1975. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बीड़ी कामगारों के लिए राज्यवार और वर्षवार कितने मकानों का निर्माण किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) बीड़ी कामगार कल्याण निधि से प्रयोजन के लिए कितनी राशि दी गई और ये मकान किन-किन स्थानों पर बनाए गए हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन मकानों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण दी गई है।

(ग) यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं। केन्द्रीय सरकार इससे सम्बन्धित सूचना नहीं रखती है।

विवरण

बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान निर्माण

राज्य	मंजूर करने का वर्ष	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से मंजूर की गई राशि (रु० हजारों में)	मंजूर किए गए मकानों की संख्या	पूरे किए गए मकानों की संख्या	टिप्पणी
आंध्र प्रदेश	1985-86	1.452	484	...	कुरनूल 332 नामूडपेट 152
कर्नाटक	1984-85	429	143	143	चमाराजनगर
उड़ीसा	1984-85	300	100	50	दसरथपुर
महाराष्ट्र	1986-87	...	4,000	...	शोलापुर में मकानों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। मकानों के छत तक बनाए जाने पर प्रति वर्ष 1000 मकानों के लिए सहायता अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान	1986-87	150	50	50	कोटा
		300	100	100	अजमेर
	कुल	2,631	4,877	343	

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए श्रम दिवसों के सृजन का लक्ष्य

1976. श्री सी० सम्बु :

श्री कट्टुरी नारायण स्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष, 1983 से 1986 तक की अवधि के दौरान श्रम दिवसों के सृजन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन राज्यों में उक्त अवधि के दौरान वास्तव में सृजित श्रम दिवसों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 से 1986-87 के दौरान रोजगार सृजन के लक्ष्य और प्रतिशत सहित उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण—1 संलग्न है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम है, न कि मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों की सहायता करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । उपरोक्त राज्यों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 से 1986-87 के वर्षों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य विवरण—11 में दिए गए हैं ।

विवरण—I

1983-84 से 1986-87 के दौरान राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के लक्ष्य, उपलब्धि और लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि

क्र० सं०	राज्य का नाम/वर्ष	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम			ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि (कालम 4 की तुलना में कालम 3 में)	लक्ष्य	उपलब्धित	प्रतिशत उपलब्धि (कालम 7 की तुलना में कालम 6 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**आन्ध्र प्रदेश**						
	1983-84	298.50	265·68	112·35	*	—	—
	1984-85	235·00	270·73	115·20	231·11	217·55	94·13
	1985-86	183·00	214·48	117·20	163·00	224·99	138·03
	1986-87	258·70	264·22	102·13	251·88	299·83	119·04
2.	**बिहार**						
	1983-84	405·46	375·86	92·70	*	—	—
	1984-85	430·00	506·51	117·79	392·15	336·52	85·81
	1985-86	316·00	416·27	131·73	281·00	232·73	82·82
	1986-87	290·00	369·63	127·46	262·00	328·66	125·44

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	महाराष्ट्र						
	1983-84	295·38	183·60	62·16	*	—	—
	1984-85	251·00	330·28	131·59	309·84	327·69	105·76
	1985-86	211·00	250·03	118·50	189·33	230·27	121·62
	1986-87	229·00	237·62	103·76	230·00	222·44	96·71
4.	राजस्थान						
	1983-84	67·76	67·38	99·44	*	5·59	—
	1984-85	61·10	97·72	159·93	62·22	67·68	108·78
	1985-86	45·00	497·86*	1106·36	43·00	64·27	149·49
	1986-87	352·60	929.63*	264·09	91·00	152 26	167·32
5.	उड़ीसा						
	1983-84	182·00	132·:6	72·67	*	—	—
	1984-85	175·00	1:8·37	90·50	175·80	73.22	41·65
	1985-86	130 00	147·83	113·72	146·23	121·29	82·94
	1986-87	150·00	181·77	121·18	138·00	175·94	127·49
6.	उत्तर प्रदेश						
	1983-84	550·40	459·80	83·54	*	10·53	—
	1984-85	495·39	516·70	104·30	456·34	505·62	110·80
	1985-86	427·00	501·90	117·54	385·00	468·25	121·62
	1986-87	382·00	465·23	121·78	390·00	527·61	135·28

* ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15-8-83 से आरम्भ किया गया था । उस वर्ष के दौरान रोजगार सृजन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे ।

* अभाव राहत कार्यों के अन्तर्गत रोजगार सृजन शामिल है जिस पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के खाद्यान्नों का उपयोग किया गया था ।

विवरण—II

1983-84 से 1986-87 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित लक्ष्यों और उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र०	राज्य	1983-84 भौतिक लक्ष्य	1983-84 उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि (कालम 3 की तुलना में कालम 4 में)	1984-85 भौतिक लक्ष्य	1984-85 उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि (कालम 6 की तुलना में कालम 7 में)	1985-86 भौतिक लक्ष्य	1985-86 उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि (कालम 9 की तुलना में कालम 10 में)	1986-87 भौतिक लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	% उपलब्धि (कालम 3 की तुलना में कालम 14 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	198000	249259	125·88	198000	273328	138·04	144000	180115	125·08	241500	256944	106·40
2.	बिहार	352200	430145	122·13	352200	601837	170·88	310000	421135	135·85	460000	535155	116·34
3.	महाराष्ट्र	177600	256052	144·17	177600	234272	131·91	150000	190174	126.78	220000	238118	108·24
4.	उड़ीसा	188400	217073	115·22	188400	213119	113·12	114400	173427	151·59	234000	207872	88·23
5.	राजस्थान	141600	163421	115·41	141600	158994	112·28	83000	140503	169·28	155900	164472	105·50
6.	उत्तर-प्रदेश	352200	643272	182·64	532200	694951	130-58	54300	580802	106·96	632000	666474	105·45

आंध्र प्रदेश में इन्दिरा गांधी गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आवास कार्यक्रम

1977. **श्री श्रीहरि राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों और बन्धुआ मजदूरों के लिए आवास कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए गए हैं; और

(ख) आंध्र प्रदेश में इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गए क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं और ये केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों के लिए होती हैं ।

(ख) योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11.90 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है ।

कर्नाटक में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का कार्यक्रम

1978. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कर्नाटक राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, और

(ख) यदि हां, तो योजना का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : (क) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत तिलहन उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों, जिनमें कर्नाटक राज्य भी शामिल है, के 180 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) कर्नाटक में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 9 जिले अर्थात् टूमकुर, चित्रदुर्गा, बेलारी, धारवाड़, बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचुर और बिदर चुने गए हैं। खेती के लिए चुनी गई फसलें मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम, तिल, अलसी और सोयाबीन हैं ।

1986-87 से तिलहनों की खेती के लिए वित्तीय व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों की ऋण की सीमा स्वीकृत करने के लिए ऋण की एक पृथक पद्धति बनाई है । उन्होंने 1986-87 के दौरान छ: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से स्वीकृत 400 लाख रुपयों की तुलना में वर्ष 1987-88 में आठ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से कर्नाटक राज्य सहकारी शीर्षस्थ बैंक की कुल मिलाकर 1650 लाख रुपए (31-7-87 तक) की अल्पकालिक ऋण की सीमा स्वीकृत की है ।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने 1987-88 के दौरान पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग 353 लाख रुपए की ऋण सीमा भी स्वीकृत की है, जबकि 1986-87 के दौरान दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 102 लाख रुपए स्वीकृत किए गये थे।

पिथौरागढ़ में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

1979. **श्री डी० एन० रेड्डी :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री पिथौरागढ़ में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि के सम्बन्ध में 13 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पिथौरागढ़ में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए इस बीच भूमि उपलब्ध करा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उक्त आकाशवाणी केन्द्र कब तक काम करना आरम्भ कर देगा; और

(ग) यदि अभी भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो यह कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ में भूमि का कब्जा आकाशवाणी को सौंपने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है।

[हिन्दी]

बांसवाड़ा, राजस्थान के लिए विमान सेवा

1980. **श्री प्रभु लाल रावत :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसवाड़ा (राजस्थान) को नियमित विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान कच्ची हवाई पट्टी को पक्की हवाई पट्टी में बदलने और बांसवाड़ा में "टर्मिनल विंग" बनाए जाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) विमान क्षमता की कमी तथा बांसवाड़ा पर परिचालनात्मक विमान पट्टी के उपलब्ध न होने के कारण, वायुदूत की तत्काल विस्तार योजना में बांसवाड़ा को सम्मिलित करना संभव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में कर्मचारियों को उपदान की अदायगी न किया जाना

1981. श्री यू० एच० पटेल :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1, 1985 से 15 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान देश में गुजरात और अन्य स्थानों पर गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों की उपदान की अदायगी न किए जाने की कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हैं; और

(घ) यह राशि कुल कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) उपदान के भुगतान न किए जाने के मामलों में कर्मचारियों को समुचित सरकार द्वारा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए केन्द्रीय सरकार नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा 1985, 1986 तथा 1987 (अप्रैल तक) 6168 शिकायतें प्राप्त हुई थी। बताया गया है कि इनमें से 30-4-87 को नियंत्रण प्राधिकारियों (जिसमें गुजरात शामिल है) के पास 2463 शिकायतें लम्बित पड़ी थीं जिनसे 2463 व्यक्ति प्रभावित थे और इनमें लगभग 80 लाख रुपये की राशि निहित थी। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों संबंधी सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि

1982. श्री सुरेश कुरुप : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में त्रिवेन्द्रम को माइक्रोवेव सर्किट के माध्यम से कोचीन और कालिकट के साथ जोड़ने की परिकल्पना है। दूरदर्शन ने यह सर्किट उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार विचार विभाग को आर्डर पहले ही भेज दिया है। जैसे ही यह सर्किट दूर संचार विचार द्वारा उपलब्ध और चालू कर दिया जायेगा, कोचीन और कालिकट के रिले केन्द्रों के लिए दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम द्वारा निर्मित और टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों को रिले करना संभव होगा।

भारतीय डेयरी निगम द्वारा स्किम्ड मिलक पाउडर और बटर आयल की खरीद

1983. डा० जी० विजय रामाराव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारतीय डेयरी निगम स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर आयल की खरीद करता है और यदि हां, तो उनकी मात्रा में कितनी खरीद की जाती है उसके लिए कितना मूल्य दिया जाता है तथा उसकी सप्लाई के क्या स्रोत हैं,

(ख) क्या भारतीय डेयरी निगम इन्हें सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों और सहकारी समितियों तथा गैर-सरकारी कम्पनियों को बेचता है और उसे भारी नुकसान होता है और यदि हां, तो खरीदारों के नाम क्या हैं और उन सौदों में हुई हानि का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस प्रकार की हानि के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेरी निगम ने वर्ष 1986-87 के दौरान देश में विभिन्न सहकारी संघों से देश में विनिर्मित स्किम्ड दुग्ध चूर्ण की 17,563.611 मीटरी टन मात्रा की अधिप्राप्ति 22,000/- रुपए प्रति मीटरी टन के हिसाब से की । बटर आयल की कोई अधिप्राप्ति नहीं की गई क्योंकि इसका निर्माण देश में नहीं किया जाता ।

(ख) जिन्सों की सप्लाई आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों तथा स्वदेश से अधिप्राप्य सप्लाई के भण्डारित पूल में से मुख्यतया सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की डेरियों को पूल सप्लाई कीमत पर की गई थी, इसलिए भारतीय डेरी निगम द्वारा हानि उठाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बैंक

1984. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बैंक स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ख) बैंक द्वारा छोटे मछुआरों को किस रूप में सहायता दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

इण्डियन एयरलाइंस में अनुसूचित जनजाति की विमान परिचारिकाएं

1985. **श्रीमती सुमति उरांव :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जनजाति की कितनी विमान परिचारिकाएं हैं;

(ख) क्या विमान परिचारिकाओं के पद के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरी तरह भर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-7-87 को इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जनजाति की 49 विमान परिचारिकाएं थीं।

(ख) और (ग) कुल मिलाकर विमान परिचारिकाओं के ग्रेड में अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा भर दिया गया है। इण्डियन एयरलाइन्स रियायतें देकर, छूट देकर और अलग से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अभ्यास करवाकर, अनुसूचित जनजाति समुदाय के विमान परिचारिकाओं की भर्ती के विशेष कदम उठाती है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन संवाददाताओं के पद के लिए आवेदन पत्र

1986. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने संवाददाताओं के पद के लिए सीधे आवेदन पत्र मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी प्रकार की भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग के जरिए की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में इस प्रक्रिया को न अपनाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन महानिदेशालय ने दूरदर्शन के समाचार ढांचे की निम्नलिखित श्रेणियों में कलाकारों को लगाने के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किए हैं :—

क्रम संख्या	पदनाम और शुल्कमान	पदों की संख्या
1.	टी० वी० समाचार संवाददाता (3000-4500 रुपये)	20
2.	टी० वी० सहायक समाचार संवाददाता (2200-4000 रुपये)	30
3.	टी० वी० सहायक समाचार सम्पादक (2200-400 रुपये/2000-3500)	7

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुराने यमुना पार क्षेत्र के पूर्व में पुल का निर्माण

1987. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुनापार क्षेत्र की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वहां की जनता ने पुराने यमुना पार क्षेत्र के पूर्व में एक और पुल बनाए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र के निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह पुल बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, पुराने यमुनापार क्षेत्र के पूर्व में एक पुल बनाने की मांग होती रही है। मामला विचाराधीन है तथा इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए धन का उपयोग करना

1988. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 के दौरान किन-किन राज्यों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्हें आवंटित की गई राशि व्यय कर दी है;

(ख) किन-किन राज्यों का कार्य निष्पादन अच्छा रहा और कौन-कौन से राज्य इसमें पिछड़ गए हैं; और

(ग) 1986-87 के दौरान राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई और वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इन कार्यक्रमों के लिए उन्हें आवंटित निधियां खर्च कर ली हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम 14 राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए भी आवंटित निधियां खर्च कर ली हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1986-87 के दौरान रिलीज की गई राज्य-वार और कार्यक्रम-वार निधियों तथा वास्तव में उपयोग में लाई गई निधियों को दर्शाने वाले विवरण I से IV संलग्न हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के सम्बध में राज्यों का प्रतिशत निष्पादन भी विवरणों में दर्शाया गया है।

विवरण—I

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति—1986-87

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	रिलीज किए गए खाद्यान्नों के मूल्य सहित केन्द्रीय सहायता	राज्य और खाद्यान्नों के मूल्य सहित कुल आबंटन	उपयोग	कुल आबंटन में उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4082.41	6279.41	5892.22	93.83
अरुणाचल प्रदेश	37.89	37.89	37.69	91.47
असम	509.25	970.25	1281.14	132.04
बिहार	7242.04	10476.04	9405.61	89.78
गुजरात	2598.30	3355.30	2925.18	87.18
हरियाणा	353.20	567.20	554.76	97.81
हिमाचल प्रदेश	227.44	365.44	385.23	105.42
जम्मू तथा कश्मीर	1045.60	1215.60	1563.43	128.61
कर्नाटक	2521.50	3581.50	2972.61	83.00
केरल	1673.02	2539.02	2782.09	108.57
मध्य प्रदेश	5770.27	7677.27	5455.37	71.06
महाराष्ट्र	1834.00	3668.00	3838.47	104.65
मणिपुर	61.54	86-54	89.78	103.74
मेघालय	35-06	30.06	84.41	130.48
मिजोरम	47.66	47.66	37.93	79.58
नागालैंड	65.57	93.57	96.12	102.73
उड़ीसा	1704.99	2717.99	2813.96	103.53
पंजाब	362.90	590.90	422.20	71.45
राजस्थान	5010.00	5902.00	6565.67	111.24
सिक्किम	36.95	54.95	63.96	116.40
तमिलनाडु	3360.34	5171.3	5436.44	105.13
त्रिपुरा	101.40	177.40	217.94	122.85
उत्तर प्रदेश	8568.32	12622.32	110,79.24	87.77

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	2622.77	4354.77	4165.25	95.65
अण्डमान तथा निकोबार दीप समूह	80.51	80.51	50.30	62.48
चण्डीगढ़	13.23	13.23	9.74	73.60
दादरा तथा नगर हवेली	17.50	17.50	13.22	75-54
दिल्ली	15.02	15.02	9.07	60.37
गोवा दमन तथा दीव	86.34	86.34	58.59	67.86
लक्षद्वीप	16.21	16.21	28.17	173.78
पांडिचेरी	77.10	77.10	58.58	75.98
अखिल भारत	50178.33	72928.33	68374.37	93.78

विवरण—II

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत
वित्तीय प्रगति—1986-87

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	खाद्यान्नों के मूल्य सहित कुल आबंटन	खाद्यान्नों के मूल्य सहित कुल आबंटन	कालम 3 की तुलना में कालम 4 का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6339.64	7080.68	111.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	56.43	24.11	42.73
3.	असम	1160.17	1301.44	112.18
4.	बिहार	9091.93	8385.88	92.23
5.	गोवा	80.65	58.79	72.90
6.	गुजरात	1879.90	1872.96	99.63
7.	हरियाणा	600.80	642.63	106.96
8.	हिमाचल प्रदेश	409.50	348.62	85.13
9.	जम्मू तथा कश्मीर	510.90	409.88	80.23
10.	कर्नाटक	3357.64	2081.02	61.98
11.	केरल	2913.89	3263-48	112.00

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	5430.85	4848.20	59.27
13.	महाराष्ट्र	3949.00	3411.90	86.40
14.	मणिपुर	66.99	40.12	59.89
15.	मेघालय	87.06	67.12	77.10
16.	मिजोरम	217.00	272.80	125.71
17.	नागालैंड	83.57	90.42	108.20
18.	उड़ीसा	2794.41	2781.77	99.55
19.	पंजाब	639.80	789.32	123.37
20.	राजस्थान	2523.00	2475.92	98.13
21.	सिक्किम	51.81	65.58	126.58
22.	तमिलनाडु	5241.13	5728.79	109.30
23.	त्रिपुरा	195.47	232.05	118.71
24.	उत्तर प्रदेश	12883.10	11749.82	91.20
25.	पश्चिम बंगाल	4672.76	4637.06	99.24
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	56.43	17.40	30.83
27.	चण्डीगढ़	13.30	1.61	12.11
28.	दादरा तथा नगर हवेली	27.70	20.79	75.05
29	दिल्ली	36.25	14.29	39.42
30.	दमन तथा दीव	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	14.07	16.33	116.06
32.	पांडिचेरी	56.43	42.08	74.57
	अखिल भारत	65441.47	62772.86	95.92

विवरण—III

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति—1986-87

वित्तीय प्रगति (लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल आबंटन	केन्द्रीय अंश	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	कालम 3 की तुलना में कालम 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3739.76	1869.89	1869.78	4747.60	126.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	367.15	367.15	243.52	295.95	80.61
3.	असम	1256.59	628.30	628.30	1901.34	151.31
4.	बिहार	7097.72	3548.86	3382.51	7683.99	108.26

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोआ	193.36	193.36	166.25	120.35	62.24
6.	गुजरात	1979.67	989.84	989.74	2324.35	117.41
7.	हरियाणा	691.18	345.59	445.59	893.43	129.26
8.	हिमाचल प्रदेश	437.76	218.88	218.88	682.81	155.98
9.	जम्मू व कश्मीर	702.03	351.02	348.19	558.95	79.62
10.	कर्नाटक	2173.82	1086.91	1086.90	2424.80	111.55
11.	केरल	1477.97	738.98	1043.98	2382.07	161.17
12.	मध्य प्रदेश	5073.61	2536.80	2536.89	5515.73	108.31
13.	महाराष्ट्र	3699.47	1849.73	1732.75	4192.98	113.34
14.	मणिपुर	154.83	77.41	77.41	284.51	183.76
15.	मेघालय	208.17	104.08	81.55	435.08	209 00
16.	मिजोरम	180.68	180.68	284.68	300.79	166.48
17.	नागालैंड	263 27	131.64	126.00	145.20	55.15
18.	उड़ीसा	2972.04	1486.02	1237.73	2819.17	94.86
19.	पंजाब	795.36	397.68	812.49	1410-48	177.34
20.	राजस्थान	2523.54	1261.77	1185.63	2435.50	96.51
21.	सिक्किम	86.13	43.06	21.05	33.39	38.77
22.	तमिलनाडु	3793.53	1896.76	2097.56	4322.20	113.94
23.	त्रिपुरा	146.75	73.38	142.75	372.11	253.57
24.	उत्तर प्रदेश	10029.66	5014.83	5014.83	11138.60	111.06
25.	प० बंगाल	4001.01	2000.51	1935.15	3679.49	91.96
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	45.15	45.15	45.15	49.19	110.54
27.	चण्डीगढ़	60.73	60.73	—	1.85	3.05
28.	दादरा तथा नगर हवेली	23.79	23.79	23.79	19.19	80.66
29.	दिल्ली	100.58	100.58	100.58	86.19	85.69
30.	दमन तथा दीव	—	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	30.49	30.49	11.09	9.27	30.40
32.	पांडिचेरी	86.75	56.75	76.75	70.65	92.05
	अखिल भारत	54382.56	27730.62	27967.47	61337.93	112.79

विवरण—IV

वर्ष 1986-87 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

क्र०सं०	राज्य	वर्ष 1986-87 के लिए आबंटन	वर्ष 1986-87 मार्च तक खर्च	आबंटन की तुलना में प्रतिशत खर्च	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1035	1308.43	126.43	517.50
2.	बिहार	810	1011.57	124.88	378.75
3.	गुजरात	645	719.80	111.60	322.50
4.	हरियाणा	135	135.74	100.55	67.50
5.	जम्मू तथा कश्मीर	195	191.18	98.04	97.50
6.	कर्नाटक	1065	881.27	82.75	532.50
7.	मध्य प्रदेश	735	723.67	98.46	367.50
8.	महाराष्ट्र	1110	1109.72	99.97	555.00
9.	उड़ीसा	585	560.30	95.78	292.50
10.	राजस्थान	450	670.70	149.04	225.00
11.	तमिलनाडु	645	570.19	88.40	322.50
12.	उत्तर प्रदेश	1308	1510.98	116.78	657.50
13.	पश्चिम बंगाल	510	432.49	84.50	234.76
	योग	9225	9826.04	(106.51)	4566.01

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

क्र०सं०	राज्य	वर्ष 1986-87 के लिए आबंटन	वर्ष 1986-87 मार्च तक खर्च	आबंटन की तुलना में प्रतिशत खर्च	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां
1.	गुजरात	165	151.11	91.98	165.00
2.	हरियाणा	310	344.22	111.03	310.00
3.	हिमाचल प्रदेश	150	156.55	104.37	150.00
4.	जम्मू तथा कश्मीर	225	150.19	111.20	225.00
5.	राजस्थान	3000	3436.75	114.56	3000.00
	योग	3850	4338.82	112.70	3850.00

उर्वरक संयंत्रों को गैर-सरकारी फर्मों को सौंपना

1989. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में माधोपुर और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा स्थित उर्वरक संयंत्र गैर-सरकारी फर्मों को सौंप दिए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने, इनके अनुमानित उत्पादन और व्यय के सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) सवाई माधोपुर स्थित उर्वरक परियोजना का कार्यान्वयन एक गैर-सरकारी पक्षकार द्वारा किया जा रहा है। काकीनाडा में स्थित दो में से एक परियोजना का कार्यान्वयन भी एक गैर-सरकारी पक्षकार द्वारा तथा अन्य का कार्यान्वयन एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

उर्वरक परियोजना तथा परियोजना प्राधिकरण का नाम	अनुमानित उत्पादन क्षमता (टन/प्रतिवर्ष)	अनुमानित परियोजना लागत (रु० करोड़ों में)	पूर्ण होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
1. सवाई माधोपुर मै० अरावली फर्टिलाइजर्स लि०	3.42 लाख (नाइट्रोजन)	764.00	अगस्त 1990
2. काकीनाडा नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट मै० नागरजना फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	2.28 लाख (नाइट्रोजन)	626.00	जुलाई 1990
3. काकीनाडा फास्फेटिक फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट मै० गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	1.38 लाख (पी$_2$ ओ$_5$)	108.00	दिसम्बर 1987

उड़ीसा में दूरदर्शन नेटवर्क

1990. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूरदर्शन नेटवर्क सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या उड़ीसा के देर रात्रि को दिखाई जाने वाली फिल्मों को दूरदर्शन पर न देख पाने के कारण विक्षुब्ध हैं;

(ग) क्या कुछ तकनीकी खराबियों के कारण ट्रांसमीशन दोषपूर्ण है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) उड़ीसा में स्थित सभी दूरदर्शन रिले केन्द्र सामान्यत: संतोषजनक रूप कार्य से कर रहे हैं।

(ख) भवानी पटना के दूरदर्शन रिले केन्द्र को छोड़कर उड़ीसा में स्थित अन्य सभी दूरदर्शन रिले केन्द्रों ने 26 जून, 1987 से देर रात्रि की फिल्मों को टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) राउरकेला स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटर एक उप-यूनिट के खराब हो जाने के कारण कुछ समय के लिए कम शक्ति पर प्रचालित किया गया था। उसे अब ठीक किया जा चुका है। कटक स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उपकरणों और विद्युत आपूर्ति में खराबी हो जाने के कारण कभी-कभार व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कटक ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र में कुछ विदेशी टी० वी० सिगनलों के हस्तक्षेप की रिपोर्ट थी। इसकी जांच की गई और इसे अस्थायी स्वरूप पाया गया। तथापि संग्रह की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र में मंजूरी

1991. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में 29 जून, 1987 को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और संघों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक बुलाने का क्या प्रयोजन था; और

(ग) क्या इस बैठक में सरकारी क्षेत्र की मंजूरी के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी और यदि हां, तो चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारों को अंतरिम राहत की अदायगी करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों अर्थात् इंटक, बी० एम० एस०, एच० एम० एस०, एटक और सीटू के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। यह सहमति हुई कि इस मामले पर आपस में स्वीकार्य हल निकालने के लिए विचार विमर्श जारी रखा जाय।

श्रीराम रेयन के कोटा स्थित संयंत्र का बन्द होना

1992. श्री सुभाष यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1987 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि श्रीराम रेयन ने अनन्त, अपने कोटा स्थित प्लांट को बन्द करने के लिए राजस्थान सरकार को आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कामगारों (श्रमिकों) के प्रभावित होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार का कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) से (ग) जी, हां । राजस्थान सरकार, जो इस मामले में समुचित सरकार है, के अनुसार श्रीराम रेयन्स, कोटा के प्रबन्धतन्त्र ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ण) के अधीन दिनांक 9-3-87 को एक आवेदन पत्र दिया, जिसमें उक्त प्रतिष्ठान को मुख्यत: अप्रचलित तकनीकी और श्रमिक अशांति के कारण बंद करने के लिए अनुमति मांगी गई थी । कामबंदी के लिए उक्त आवेदन पर विचार किया गया और राज्य सरकार ने 7-5-87 को जारी एक आदेश द्वारा इसे नामंजूर कर दिया । प्रबंधतंत्र ने दिनांक 21-5-87 को एक अन्य आवेन पत्र दिया जिसमें कामबन्दी से सम्बन्धित मसले को न्यायनिर्णयन हेतु अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए अनुरोध किया गया था । यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । यदि कामबन्दी की अनुमति दी जाती है, तो इससे 1539 कर्मकारों के प्रभावित होने की सम्भावना है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई में पड़ा दूषित बटर आयल

1993. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने बृहत बम्बई दुग्ध योजना के भंडार गृह में पड़े रेडियोधर्मिता सफेद मक्खन को नष्ट करने का अनुरोध किया है ताकि रेडियो धर्मिता को फैलने से रोका जा सके, और

(ख] यदि हां, तो क्या सक्षम प्राधिकारी ने मक्खन के नमूनों की जांच की थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इससे संबंधित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था ।

(ख) बटर के नमूने भाभा उर्जा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई द्वारा जांचे गए थे और उन्हें रेडियो धर्मिता के अनुमेय स्तरों की सीमा के काफी नीचे पाया गया था ।

भोपाल में औद्योगिक इकाई में गैस का रिसाव

1994. श्री शांता राम नायक क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या जून महीने में भोपाल में एक औद्योगिक इकाई में गैस रिसाव की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने लोग प्रभावित हुए और उनको इलाज की क्या सुविधायें प्रदान की गई;

(घ) क्या यूनिट के मालिक मालिकों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 22 जून, 1987 को कालीपराडे औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल में स्थित मैसर्स ज्योति इंडस्ट्रीज आइस फैक्ट्री के अमोनिया रिफ्रिजेरेशन सिस्टम के कन्डेन्सर पाइप से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था । यह दुर्घटना पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हुई । इस रिसाव पर कर्मकारों द्वारा तुरन्त नियंत्रण कर लिया गया । कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ ।

(घ) और (ङ) चूंकि इस यूनिट में 10 से कम व्यक्ति नियोजित हैं और इसलिए यह कारखाना अधिनियम, 1948 के सीमाक्षेत्र में नहीं आता है, अत: उक्त मालिक के खिलाफ कारखाना अधिनियम के अधीन कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य संसाधनों का समाप्त होना

1995. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक मात्रा में मछली पकड़ने से स्थानीय मत्स्यन संसाधनों की सुरक्षा के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में यंत्रीकृत नौकाओं और "पर्स सिने नेट्स' के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों के मत्स्य संसाधनों पर उपकरणों के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन सर्वेक्षण किया है,

(ग) क्या पश्चिम तट के झींगा मछली संसाधन तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित माडल विधेयक के आधार पर गुजरात और पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, लक्षयद्वीप और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर शेष समुद्रतटीय राज्यों संघ शासित क्षेत्रों ने, समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम पारित किया है या प्रादेशिक जल में समुद्री मत्स्यन के विनियमन के लिए कार्यकारी आदेश पारित किया है। इस अधि-कार्यकारी आदेशों के अनुसार यांत्रिक नौकाओं का परिचालन केरल और आन्ध्र प्रदेश में तट से 10 कि० मी० तक, तमिलनाडु में 3 समुद्री मील तक और उड़ीसा, कर्नाटक एवं गोवा में 5 किलोमीटर तक प्रतिबंधित है। केरल समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्रादेशिक जल में पर्स सोन का प्रयोग प्रतिबन्धित है। महाराष्ट्र सरकार पर्स-सोन का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। कर्नाटक में पर्स-सोनिंग पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में अभी निर्णय को लम्बित रखा गया है क्योंकि इससे यांत्रिक क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने दक्षिण-पश्चिमी तट पर वेलापवर्ती संसाधनों के विकास और संरक्षण के लिए एक समन्वय-समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष मत्स्यन विकास आयुक्त हैं तथा इस समिति में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह समिति वेलापवर्ती मात्स्यकियों और उनके उपयोग को समीक्षा करेगी और उनके आवश्यकता से अधिक उपयोग को रोकने के लिए उपाय सुझायेगी।

(ग) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पश्चिमी तट झींगा और झींगो के संसाधनों में केवल मामूली वार्षिक उतार-चढ़ाव ही दिखाई दे रहे हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने झींगा पकड़ने की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति संग्रहण में आने वाली कमी, यदि कोई हो तो, को दूर करने के लिये उपायों के बारे में सिफारिश भी करेगा।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड को शेयर पूंजी जारी करना

1996. (श्री सी० आई० पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आवास निर्माण सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की केन्द्रीय सरकार की निश्चित नीति होने के बावजूद उनके मंत्रालय ने दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड को उसकी शेयर पूंजी हेतु 1.35 करोड़ रुपये की धनराशि देने के लिए दिल्ली प्रशासन को 31 मार्च, 1987 तक व्यय की मंजूरी नहीं दी हालांकि धनराशि के लिए बजट आवंटन किया गया था तथा अन्य सभी स्वीकृतियां दे दी गई थीं और इस प्रकार उक्त धनराशि व्यय गत हो गई;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाये जाएंगे;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लि० के ऋण कार्यक्रम और लाभ भोगियों को 30 जून, 1987 तक ऋणों के संवितरण के लिए निधियों की आवश्यकता की तुलना में उनके पास उपलब्ध अबाध विधियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस अवस्था में सरकार से समिमि को और साम्य निधियां रिलिज करने का कोई औचित्य नहीं है।

तथापि, बजट 1987-88 में समिति के लिए साम्य सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें से समिति को 0.46 करोड़ रुपये की राशि 14 जुलाई, 1987 को रिलिज की चुकी है।

साम्य सहायता के लिए समिति के अनुरोध पर, आवश्यकता सिद्ध होने की शर्त पर सरकार द्वारा सदैव बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

बंगलादेश से अखबारी कागज की खरीद

1997. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :

डा० टी० कल्पना देवी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की खरीद के लिए बंगलादेश के साथ दीर्घावधि प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बंगलादेश से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अखबारी कागज का आयात करने का विचार है; और

(ग) क्या अखबारी कागज का अन्य देशों से भी आयात करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान बंगलादेश से लगभग 16.12 करोड़ रुपये के लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य का 25,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान निम्नलिखित देशों से भी अखबारी कागज आयात करने का प्रस्ताव है।

सोवियत संघ	कनाडा
जी० डी० आर	न्यूजीलेंड
रोमानिया	तंजानिया
फिनलेंड	यूगोस्लाविया
स्वीडन	

[हिन्दी]

संसद भवन के सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित करना

1998. **श्री मदन पांडे** : शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार संसद भवन के सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और किस स्थान पर इस प्रतिमा को स्थापित करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा लगाने का निर्णय ले लिया गया है। तथापि, सही स्थान तय नहीं किया गया है। शिल्पियों का अभी तक पता लगाया जाना है। उच्च कोटि की शिल्प के इस कार्य के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

[अनुवाद]

सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियों की कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं

1999. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग कालोनियों की संख्या कितनी है जहां निर्माण कार्य या तो पूरा हो चुका है अथवा पूरा होने वाला है और जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन ग्रुप हाउसिंग कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य आरम्भ किए जाने में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जहां कहीं भी निर्माण पूरा हो गया हो/होने वाला होता है, वहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तथापि, निम्नलिखित क्षेत्रों में 45 ग्रुप आवास समितियां ऐसी हैं जहां निर्माण या तो पूरा हो गया है या अन्तिम चरणों में है परन्तु जलपूर्ति मल निर्यास तथा बिजली जैसी परिधीय सेवाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं।

1. पश्चिम दिल्ली में बोडेला चरण—तथा II	5 ग्रुप आवास समितियां
2. रोहिणी	5 ग्रुप आवास समितियां
3. यमुनापार क्षेत्र	35 ग्रुप आवास समितियां
	45 ग्रुप आवास समितियां

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रुप आवास समितियों के भूमि की परिधि में सम्पर्क मार्ग, बाह्य बरसाती पानी की नालियां तथा बाह्य सीवर मुहैया कराता है जबकि आन्तरिक विकास कार्य समितियों द्वारा स्वयं ही किए जाते हैं। विद्युत उपकेन्द्र दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा मुहैया कराये जाते हैं। म न निर्माण लाइनों तथा जलपूर्ति लाइनों की व्यवस्था जैसे कार्यों के लिए दिल्ली नगर निगम से योजनाओं के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान जैसे अन्य अभिकरणों की ओर से शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए इन सुविधाओं को मुहैया कराने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। चालू कार्यों में तेजी लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं :

[हिन्दी]

पुनर्वास कालोनियों में मालिकाना हक प्रदान करना

2000. **श्री भरत सिंह :**

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास कालोनियों में मालिकाना हक देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह हक कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। भारत सरकार, भूतपूर्व निर्माण और आवास मंत्रालय ने अपने दिनांक 4/5 सितम्बर, 1980 के पत्र संख्या के 14014 (20)/73 डी० डी० II बी० (खण्ड-2) के द्वारा दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत विकससित आवंटियों को पट्टाधिकार देने के बारे में निर्णय बता दिया था। अनधिकृत कब्जेदारों को भी पट्टाधिकार देने का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है तथा फिलहाल यह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा उसका समय बताना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

विमान सेवाओं के विस्तार की आलोचना

2001. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या नागर **विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने हाल ही में विमान सेवाओं का अंधाधुंध विस्तार किए जाने की आलोचना की है; और

(ख) क्या वर्ष 1960-61 से अब तक हवाई यातायात की यात्रा में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या कुल यात्रीयातायात की तुलना में आंतरिक हवाई यातायात केवल 1 प्रतिशत से कुछ अधिक है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) यद्यपि योजना आयोग ने विमान सेवा के विस्तार किए जाने पर टिप्पणी की है, परन्तु देश के क्षेत्रफल, अधिक जनसंख्या तथा तीव्र औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्देशीय एयरलाइनों के पास स्थिति से निपटने के लिए इसके विस्तार के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार को इस तथ्य की जानकारी है तथा अन्तर्देशीय विमान यातायात को बढ़ावा देने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

असम में कपास और बिनोले का उत्पादन

2002. **भद्रेश्वर तांती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान असम में बिनौले का कुल कितना उत्पादन हुआ और कपास उत्पादक किसानों को उसका कितनी मात्रा में वितरण किया गया, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान असम में विभिन्न किस्मों की कपास का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 और 1986-87 के दौरान प्रमाणीकृत/अच्छी किस्म के बिनोलों का अखिल भारतीय उत्पादन क्रमश: 2.37 लाख क्विंटल और 2.03 लाख क्विंटल था। असम सरकार ने उपर्युक्त वर्षों के दौरान प्रमाणित/अच्छी किस्म के बिनोलों के किसी वितरण की सूचना नहीं दी है।

(ख) फसल वर्ष 1985-86 के दौरान असम में कपास का उत्पादन प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की 2 हजार गांठें था और फसल वर्ष 1986-87 में यह 1.39 हजार गांठें था। उत्पादन की सम्पूर्ण मात्रा कपास की कोमिला किस्म से संबंधित है।

मध्य प्रदेश में मुर्गीपालन विकास योजना

2003. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में मुर्गीपालन विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ख) मध्य प्रदेश में मुर्गीपालन विकास योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं और शेष जिलों को इस योजना के अंतर्गत कब तक शामिल किया जाएगा,

(ग) क्या राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी गई है यदि हों तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) राज्य को इस प्रयोजन हेतु किनती वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है,

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्म प्रदेश राज्य में मुर्गीपालन विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं :—

1. मुर्गी-पालन फार्मों की स्थापना
2. मुर्गी-पालन परियोजनाओं की स्थापना

3. मुर्गी-पालन अनुसंधान कार्यक्रम

4. व्यापक मुर्गी उत्पादन योजना

5. रानीखेत उन्मूलन योजना

6. छोटे कृषक विकास कार्यक्रम मुर्गी-पालन योजना

7. बतख फार्म की स्थापना

8. कदकनाथ फार्म की स्थापना

9. मुर्गी-पालन प्रशिक्षण स्कूल

10. असेल फार्म की स्थापना

11. मुर्गी रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना

12. मुर्गी-पालन निगम

13. बतख तथा गिनी मुर्गी का वितरण

14. विशेष पशुधनप्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुर्गी उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना।

(ख) मुर्गी-पालन विकास योजना के तहत 38 जिले शामिल किए गए हैं और शेष जिले 1987-88 के दौरान शामिल किए जाएंगे।

(ग) जी हां। निम्नलिखित योजनाएं शुरू करके राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को तरजीह दी जा रही है :—

(1) जगदलपुर में असेल फार्म की स्थापना

(2) झबुआ में कदकनाथ फार्म की स्थापना

(3) शाहडोल, सरगुजा, बस्तर, झबुआ में रानीखेत रोग उन्मूलन योजना

(4) राज्य के सभी 22 आदिवासी जिलों में व्यापक मुर्गी उत्पादन योजना

(घ) 1986-87 के दौरान 29.35 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई थी और विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार को कुल मिलाकर 1987-88 के दौरान धनराशि का केन्द्रीय योगदान के रूप में 32.50 लाख रुपए की प्रथम किस्त निर्मुक्त की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मुर्गी उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने के लिए कोई प्रखण्ड आबंटन नहीं किया जाता है।

दिल्ली गोवा-त्रिवेन्द्रम मार्ग पर यातायात

2004. श्री के० मोहनदास : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-गोवा-त्रिवेन्द्रम मार्ग पर काफी भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर एक और विमान सेवा आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस सेक्टर पर प्रदान की गई क्षमता पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के मद्रास और तिरुचिरापल्ली केन्द्रों से भाषाओं के पाठों का प्रसारण

2005. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के मद्रास और तिरुचिरापल्ली केन्द्रों से तमिल भाषा के पाठ प्रसारित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के विजयवाड़ा केन्द्र से संस्कृत और हिन्दी भाषा के पाठ प्रसारित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार आकाशवाणी के विजयवाड़ा केन्द्र से तेलुगू और हिन्दी के पाठ प्रसारित करेगी क्योंकि इस क्षेत्र में तेलुगू भाषा बोली जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आकाशवाणी, विजयवाड़ा से तेलुगू के भाषाई पाठों के प्रसारण का कोई प्रस्ताव नहीं है। आकाशवाणी के भाषाई पाठों का मुख्य उद्देश्य यह कि एक राज्य के श्रोता उस राज्य की मुख्य भाषा से भिन्न भाषा को सीख सकें। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में भी सहायक है।

कार्यक्रम संचालकों के चयन के लिए मानदंड

2006 **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन बहुधा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की पत्नियों तथा संबंधियों को कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है :

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण व्यक्तियों के लिए तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ताओं का चयन करने में क्या मानदंड अपनाया जाता है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं कि संबंधित विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का ही कार्यक्रम संचालक के रूप में चयन किया जाए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : दूरदर्शन कम्पीयरों और उद्घोषकों का चयन सर्वथा उनके कार्य निष्पादन की गुणावगुण और क्षमता के आधार पर करता है। स्वर परीक्षा समिति उम्मीदवारों की क्षमता का परीक्षण करती है और केवल योग्यता वाले उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय उर्वरक निगम में हुए लाभ और हानि का ब्योरा

2007. श्री सी० डी० गामित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड में कुल कितना निवेश किया गया है :

(ख) भारतीय उर्वरक निगम को वर्ष 1982-83 से वर्ष 1986-87 की अवधि के दौरान हुए लाभ और हानि का वर्ष वार ब्योरा क्या है :

(ग) भारतीय उर्वरक निगम को भारी हानि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा हानि कम करने और लाभ अर्जित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई) में किया गया कुल निवेश 818.13 करोड़ रुपये है ।

(ख) 1982-83 से 1986-87 तक की अवधि के दौरान उठाई गई हानि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं ।

वर्ष	(रु० करोड़)
1982-83	80.69
1983-84	80.59
1984-85	45.14
1985-86	127.21
1986-87	96.97 (अनंतिम)

[अनुवाद]

अनन्य आर्थिक क्षेत्र में टूना के भंडार

2008. श्री डी० पी० जडेजा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे समुद्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र में टूना मछली के कितने भंडार हैं,

(ख) इन टूना के भंडारों से होने वाली आय से टूना पकड़ने वाली कितनी नौकाएं चलाई जा सकती हैं,

(ग) हमारे समुद्री क्षेत्रों में टूना मछली के भंडार समुद्र तट से कितनी दूर उपलब्ध हैं,

(घ) क्या सरकार टूना मछलियों के पकड़ने को बढ़ावा दे रही है, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एकमात्र भारतीय आर्थिक क्षेत्र में टूना मछली का भण्डार करीब 5 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है ।

(ख) अनुमान है कि हमारे एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में टूना और इससे सम्बद्ध संसाधनों से गिलनेटर्स, छोटे पर्स सीनर्स, पोल और लाइन वेसल्स, लांग लाइनर्स और बड़े पर्स सीनर्स जैसी विभिन्न आकार और किस्म की करीब 200-400 टूना नौकाएं चलाई जा सकती हैं।

(ग) समुद्री तट की टूना मछली 0-50 मीटर गहराई वाले क्षेत्र में मुख्य भूमि के दोनों तटों के साथ-साथ पायी जाती हैं, जबकि समुद्री टूना मछली अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्ष्य द्वीपसमूह के आस पास और दक्षिणी पश्चिमी तट पर तट की रेखा से 50-200 मील दूरी पर उपलब्ध हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) गहरे जल में मछली पकड़ने वाली संशोधित नीति के अंतर्गत सरकार आयात, चार्टर और संयुक्त उद्यम के तहत् टूना जलयानों जैसे विशिष्ट और संसाधन विशिष्ट जलयानों को ही चलाने के लिए बढ़ावा दे रही है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवशोषण के लिये सर्वेक्षण और प्रशिक्षण के बड़े जलयान भी चलाये हैं। इस समय टूना मछली पकड़ने वाले दो बड़े जलयान निजी क्षेत्र में चल रहे हैं।

दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम

2009. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के अन्तर्गत नियम बना लिए गए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) यदि नहीं तो नियम बनाने में तथा अधिनियम को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा :

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : जी, अभी नहीं।

(ग) नियमावली प्रकाशित करने तथा अधिनियम को शीघ्र ही प्रवृत्त करने का प्रस्ताव है।

हिन्दी कार्यक्रम 'राज्यों से चिट्ठी' का प्रसारण

2010. **श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से 19 मई, 1987 को प्रातः 9.10 बजे हिन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत 'राज्यों से चिट्ठी' नामक प्रसारण विभिन्न राज्यों से दैनिक समाचार के एक अंग के रूप में हरियाणा राज्य सरकार के निष्पादन से संबंधित था :

(ख) इन समाचारों (न्यूजलेटर्स) का आलेख किस प्रकार तैयार किया जाता है :

(ग) क्या इन समाचारों (न्यूजलेटर्स) के प्रसारण के लिए कोई मानदंड निर्धारित है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) राज्यों से

चिट्ठी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली "बी" केन्द्र से प्रतिदिन प्रात: 9.10 बजे प्रसारित किया जाता है। तदनुसार हरियाणा का न्यूज लैटर इस कार्यक्रम में 19 मई, 1987 को प्रसारित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन एक राज्य का न्यूज लैटर प्रसारित किया जाता है जो प्रसारण के तारीख से लगभग एक माह पहले की अवधि को कवर करता है। न्यूज लैटर की स्क्रिप्ट को अनिवार्य रूप से सम्बन्धित राज्य की राजधानी में तैनात आकाशवाणी के संवाददाता द्वारा लिखा जाता है। "राज्यों से चिट्ठी कार्यक्रय में प्रसारित किये जाने से पूर्ण स्क्रिप्ट का हिन्दी में अनुवाद किया जाता है। न्यूज लैटर में मुख्य समाचारों और विकासात्मक समाचारों को शामिल किया जाता है। राज्य के न्यूज लैटर को प्रसारित करने का कार्यक्रम 20 दिन पहले बनाया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है कि विभिन्न राज्यों की राजधानियों में तैनात आकाशवाणी के संवाददाता स्क्रिप्ट को काफी पहले भेज सकें।

मंगलवार को सामिष भोजन परोसना

2011. **श्री यशवन्त राव गड़ाख पाटिल :**

श्री बक्कम पुरुषोत्तमन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने मंगलवार को सामिष भोजन न परोसने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में यात्रियों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) ऐसे यात्रियों की सहायता के लिए क्या उपाय किए गए हैं जो मंगलवार को भी सामिष भोजन ही अधिक पसंद करते हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स मंगलवार को मांसाहारी नाश्ता दे रही है किन्तु प्रयोगात्मक आधार पर उसने अन्तर्देशीय उड़ानों पर मंगलवार को दोपहर और रात को मांसाहारी खाना देना बन्द कर दिया है चूंकि मंगलवार को शाकाहारी भोजन की मांग होना निश्चित नहीं है और इसके लिए कोई निर्धारित पद्धति भी नहीं है, अतः इंडियन एयरलाइन्स का विचार है कि प्रयोग के तौर पर दोपहर और रात को सारा खाना शाकाहारी ही दिया जाए। इस परिवर्तन के सम्बन्ध में यात्रियों की सामान्य प्रतिक्रिया प्रतिकूल नहीं है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स का विचार है कि कुछ और समय तक यात्रियों की प्रतिक्रिया देखी जाए।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

2012. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्मों के विदेशों को किए जाने वाले निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात में आई इस गिरावट का तेलुगू फिल्मों पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) तेलुगू फिल्मों को बढ़ावा देने और इनके विदेशों को निर्यात किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) तेलुगू फिल्म उद्योग किस सीमा तक प्रभावित हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) (क) और (ख) यद्यपि 1980-81 से 1986-87 की अवधि में निर्यातित भारतीय फिल्मों की संख्या तथा निर्यात आय में गिरावट आई है। तेलुगू फिल्मों की वार्षिक निर्यात स्थिति ने सामान्य ढर्रे का अनुसरण नहीं किया है। 1981-82 तथा 1986-87 के मध्य तेलुगू फिल्मों का वार्षिक निर्यात और निर्यात आय घटती बढ़ती रही है। आय में वृद्धि 1985-86 में 8.61 लाख रुपये की तुलना में 1986-87 में 10.40 लाख रुपये दर्ज की गई। इससे तेलुगू फिल्में प्रभावित हुई प्रतीत नहीं होतीं।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा तेलुगू फिल्मों सहित भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने और संवर्धित करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित तेलुगु फिल्मों की संख्या 1981 में 132 से बढ़कर 1986 में 19: हो गई इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि तेलुगु फिल्म उद्योग में कोई गिरावट आई है।

विवरण

विदेशों में भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का ब्योरा।

(1) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों में भाग लेता है।

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और फिल्मोत्सवों के अवसर पर फिल्म बाजारों का आयोजन करता है और उनमें भाग लेने के लिए भावी खरीददारों, व्यक्तियों तथा सरकारी एजेंसियों को आमंत्रित करता है।

(3) विदेशी प्रतिनिधि मंडलों को भारतीय फिल्मों का चयन तथा खरीदने के लिए उन्हें देखने के लिए भारत की यात्रा करने के लिए आमंत्रित तथा प्रोत्साहित किया जाता है।

(4) निगम ने कुछ देशों की सरकारी एजेंसियों के साथ अनन्य एजेंसी करार किए हैं।

(5) फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिए निगम का लंदन में एक क्षेत्रीय कार्यालय है।

(6) सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत अथवा अन्यथा विभिन्न देशों में आयोजित भारतीय फिल्मों के समारोह विदेशों में भारतीय फिल्मों में रुचि पैदा करते हैं।

(7) निगम ने निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाने हेतु फिल्म उद्योग के साथ संयुक्त रूप से मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में क्षेत्रीय फिल्म निर्यात सलाहकार समितियों और बम्बई में केन्द्रीय फिल्म निर्यात सलाहकार समिति का गठन किया है।

(8) निगम नए बाजारों के लिए मार्ग खोलने हेतु विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों से सहायता मांगता है।

(9) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्म समारोहों के दौरान तथा लंदन कार्यालय के माध्यम से प्रचार और वितरण के लिए उपशीर्षक प्रिंटों, वीडियो कैसेटों और अन्य सामग्री जैसे विपणन उपकरण तैयार किए हैं।

(10) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्रिंट सामग्री, आदि तैयार करने के लिए निर्यातकों को पेशगी/ऋण देता है।

(11) उन देशों के मामले में, जहां विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाईयां हैं, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्थानीय मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने की सभावना का पता लगा रहा है।

(12) बाजार समर्थन स्तरों पर मूल्यों को नियिमित करने के लिए निर्यात युक्तियुक्तकरण प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया गया है।

(13) यू० के० जैसे कुछ देशों में जहां कापी राइट कानून मौजूद है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का वीडियोपाइरेसी रोकने और इस वजह से निर्यात में होने वाली गिरावट को नियंत्रित करने के लिए कापी राइट चोरी अधिनियम के तहत फेडरेशन का सदस्य बनने का इरादा है।

(14) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा मई, 1986 में मारीशस सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए करार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तेलुगु फिल्मों सहित क्षेत्रीय भाषा की फिल्में मारीशस को नियमित रूप से आपूर्ति की जाएंगी।

(15) हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें मारीशस ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन को टेलीकास्ट हेतु तेलुगु फिल्मों की बिक्री करना शामिल है।

[हिन्दी]

विदेशी दूरदर्शन कार्यक्रमों का देखा जाना

2018. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन से क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते हैं और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां विदेशी दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकते हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है कि टेलीविजन पर कोई भी व्यक्ति विदेशी कार्यक्रम न देख सके, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं : और

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम देखने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य शुरू किया है : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) घरेलू दूरदर्शन सेवा इस समय गुजरात की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। विदेशी टी० वी० ट्रांसमटिरों के कमजोर और अनियमित सिगनलों के कथित रूप से गुजरात के पश्चिमी भागों में मौसमी स्थितियों के अधीन रहते हुए प्राप्त होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जबकि राज्य की 61.6 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा पहले ही उपलब्ध है, दूरदर्शन की सातवीं योजना के अन्तर्गत गुजरात में स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित उच्च शक्ति के। दूरदर्शन ट्रांसमीटर और 100 वाट के सभी 9 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर इस जनसंख्या के लगभग 66.6 प्रतिशत तक बढ़ जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

भूमि से सूक्ष्म उपजाऊ कणों का समाप्त होना

2014. श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिक उपजाऊ फसलों की किस्में भूमि से सूक्ष्म उपजाऊ कणों को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सूक्ष्म उपजाऊ कणों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान, अधिक पैदावार वाली किस्मों और संकर फसलों में अधिक पैदावार क्षमता और अधिक में सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग किए जाने के कारण भारत के 1960 के दशक के मध्य से भारत की मिट्टियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का पता लगाया गया था।

(ख) इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं—

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1967-68 में मिट्टी एवं पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों से सम्बन्धित एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजना आरम्भ की गई थी इस प्रायोजना के देश में आठ सहयोगी केन्द्र हैं। इस प्रायोजाना के अन्तर्गत अधिक संख्या में किये गये मृदा एवं पौध विश्लेषण के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के मानचित्रों में दिखाये जाने वाले क्षेत्रों का प्रकाशन किया गया है और उसे मृदा रूप प्रदान किया गया है। जिंक, लौहा, ताम्बा और मैंगनीज का उनके महत्व के अनुसार व्यापक रूप में कमी का पता लगाया गया है। इन क्षेत्रों में फसलों की खेती के लिए जिन उपयुक्त कृषि क्रियाओं की सिफारिश की गई है उनमें सीमित रूप में सूक्ष्मपोषक तत्वों का प्रयोग भी शामिल है।

(ii) सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए किसानों के खेतों से लिए गये मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण के लिए 25 प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म विलयन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगाकर मृदा जांच सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(iii) किसानों को बेचे जा रहे जिंक सल्फेट की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश अधिनियम के अन्तर्गत इस रसायन को शामिल किया गया है।

(iv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के अन्तर्गत भारत की मिट्टियों में सूक्ष्मपोषक तत्वों की पैदा होने वाली कमी की पूर्व सूचना देने के लिए अन्वेषण का कार्य जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली-वाराणसी के बीच विमान सेवा

2015. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और वाराणसी के बीच पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी उड़ानें की गई;

(ख) क्या इस समय और वाराणसी के बीच कोई सीधी विमान सेवा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जून, 1984 से आगे दिल्ली और वाराणसी के बीच परिचालित उड़ानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं—

इंडियन एयरलाइन्स

1/6/84 दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रति सप्ताह 11 बी-737 सेवाएं

1/11/84 से दिल्ली और वाराणसी के बीच 14 बी-737 सेवाएं

15/6/87 तक

15/6/87 दिल्ली और वाराणसी के बीच 7 बी-737 सेवाएं ।

वायुदूत :

वायुदूत से 26 नवम्बर, 1986 से दिल्ली आगरा-कानपुर-वाराणसी तथा वापसी मार्ग पर सप्ताह में तीन सेवाएं आरम्भ की हैं। इस सेवा का परिचालन मार्च तक भारी यातायात मौसम के दौरान किया जाना था ।

पर्याप्त यातायात उपलब्ध न होने के कारण, वायुदूत ने इस अवधि के लिए अनुसूचित 60 उड़ानों में से केवल 37 उड़ानों का परिचालन किया ।

(ख) इस समय इंडियन एयरलाइन्स आगरा और खजुराहो से होकर दिल्ली और वाराणसी के बीच एक दैनिक बी-737 सेवा का परिचालन कर रही है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

उद्योग द्वारा बोनस का भुगतान

2016. डा० **दत्ता सामन्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को इस आशय के लिखित निदेश दिए हैं कि वह अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस का भुगतान करें और अगर उनके द्वारा अधिक बोनस का भुगतान किया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह निर्णय किस कारण से लिया है; और

(ग) क्या बंबई उद्योग संघ ने इस निर्णय के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में यह लाया गया था कि कुछ व्यवसाय संघ/कर्मकार संगठन बोनस संदाय अधिनियम, 1965 क अधीन निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक बोनस दिए जाने की मांग करते हैं । व्यवसाय संघों को उक्त अधिनियम की धारा 11 और 31-क में समाविष्ट कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी गई । यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई नियोक्ता निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक बोनस की अदायगी करता है, तो अधिनियम के इन उपबंधों के तहत उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन उसे दंड दिया जाएगा ।

(ग) ऐसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि यह स्पष्ट किया जाए कि न केवल अधिकतम सीमा अधिक बोनस और उक्त अधिनियम के अधीन देय बोनस से अधिक की मांग करना उक्त अधिनियम का उल्लंघन है ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत केरल को दी गई धन राशि

2017. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत केरल को कितनी धन राशि प्रदान की गई है : और

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान किए गए कार्य और किये जाने वाले कार्य का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) (क) और (ख) 1985 से 1987 के दौरान इन्दिरा आवास योजना हेतु केरल को उपलब्ध की गई तथा 1987-88 में आबंटित की गई नकद निधियों, खाद्यान्न संसाधनों तथा उक्त निधियों की तुलना में निर्मित आवासों का ब्योरा नीचे दिया गया है ।

वर्ष	रिलीज की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)	उपलब्ध खाद्यान्नों का मूल्य (करोड़ रुपये में)	निर्मित यूनिटों की संख्या
1985-86	4.59	0.66	5716
1986-87	4.70	1.57	14888
1987-88	4.70*	1.57*	—

*आबंटित

केरल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के गैर-निर्धारित क्षेत्रों से निधियों का उपयोग करके इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित निधियों से अधिक निधियां खर्च कर रहा है । वर्ष 1987-88 में निर्धारित संसाधनों के माध्यम से जितनी आवास यूनिटों का निर्माण किया जा सकता है, उनकी संख्या लगभग 6000 मकान होगी ।

केरल में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करना

2018. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केरल में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) इन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए नए पाठ्यक्रम मंजूर करने के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) केरल में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० वी० टी०) जो केन्द्र सरकार का एक शीर्ष सलाहकार निकाय है, से सम्बद्ध 217 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (निजी संस्थान) हैं।

(ख) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित सम्बन्धन प्रक्रिया के अनुसार, नए पाट्यक्रम स्वीकृत करने का मसला शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से सम्बन्धित राज्य निदेशक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय के पास नए पाठ्यक्रमों को स्वीकृत करने के लिये कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखकर लागू नहीं होता।

शहरी परिवहन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

2019- **श्री एस० एम० गुरड्डी** :

श्री जी० एस० बसवराजु : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में शहरी परिवहन सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) विचार-गोष्ठी में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) विचार गोष्ठी में लिए गए निर्णयों की सरकार ने कहां तक जांच की है और उन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। नई दिल्ली में 12-13 जून, 1987 को "नगर परिवहन" पर एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) सेमिनार में विचार विमर्श किये गए प्रमुख मुद्दों तथा की गई मुख्य सिफारिशे यह हैं कि शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग और परिवहन अर्द्ध-संरचना के मध्य नजदीक सम्बन्ध है तथा उपयुक्त यातायात और परिवहन अर्द्ध-संरचना विकास के माध्यम से अपेक्षित दिशा में शहरीकरण किया जाना चाहिए और एक उपयुक्त संगठन की स्थापना करके आयोजना पूंजी निवेश और भाड़ा (फेयर बाक्स)

सम्बन्धी मामलों में विभिन्न परिवहन पद्धतियों के बीच समन्वय करने की आवश्यकता है।

(ग) नगर परिवहन नीतियां तैयार करते समय सिफारिशों/सुझावों/निष्कर्षों पर ध्यान दिया जाएगा।

बागडोगरा से दार्जिलिंग तक हेलिकाप्टर सेवा

2020. **श्री आनन्द पाठक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बागडोगरा और दार्जिलिंग के बीच हेलिकाप्टर सेवा आरम्भ करने का विचार है ताकि अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्थानीय जनता की आवश्यकता भी पूरी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब शुरू की जाएगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पवन हंस का इस समय पश्चिम बंगाल राज्य में स्वयं अपनी अनुसूचित सेवाओं के परिचालन का विचार नहीं है। फिर भी, पवन हंस ने पश्चिम बंगाल सरकार को उनके अपने विवेक पर परिचालन सेवाओं के लिए वेट-लीज के आधार पर हैलीकाप्टर प्रदान किया है।

राजस्थान में कपास की खेती के अन्तर्गत भूमि

2021. **श्री शांति धारीवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में कुल कितने भूमि क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है,

(ख) क्या यह क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार और अधिक क्षेत्र में कपास खेती शुरू करके कपास की खेती तथा अच्छी किस्म की कपास की पैदावार को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठा रही है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) निम्नलिखित सारणी में फसल वर्ष 1985-86 के दौरान राजस्थान और अन्य मुख्य उत्पादक राज्यों में कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र दिया गया है—

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
आन्ध्र प्रदेश	6.0
गुजरात	14.0
हरियाणा	3.4
कर्नाटक	7.5
मध्य प्रदेश	5.2
महाराष्ट्र	27.5
पंजाब	5.6
राजस्थान	3.3
तमिलनाडु	2.6
अन्य	0.7
अखिल भारत	75.8

कई अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र कम है, क्योंकि इसकी खेती मुख्य रूप से केवल कुछ ही जिलों तक सीमित है।

(ग) लम्बे और मध्यम रेशे की कपास के अन्तर्गत क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक गहन कपास विकास कार्यक्रम राजस्थान सहित मुख्य कपास उगाने वाले राज्यों में 50:50 की लागत की भागेदारी के आधार पर सातवीं पंच वर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार (1) प्रजनक तथा आधारी बीज के उत्पादन (2) प्रमाणिम बीज के उत्पादन तथा वितरण (3) प्रदर्शन प्लाट तैयार करने और (4) कपास श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना के लिए राजसहायता प्रदान करती है।

दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रमों के लिए भुगतान

2022. **श्री राम भगत पासवान** : **क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वाधिक धनराशि कमाने वाले धारावाहिक कार्यक्रम का नाम क्या है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुए दस श्रेष्ठ धारावाहिकों की आय और व्यय का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री ए० के पांजा**) : (क) और (ख) दूरदर्शन प्रायोजित धारावाहिकों को टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान नहीं करता। दूरदर्शन टेलीकास्ट करने के लिए फीस वसूल करता है और निःशुल्क विज्ञापन समय देता है। प्रायोजित धारावाहिक बाहरी निर्माताओं द्वारा बनाए जाते हैं अतः ऐसे विवरण सरकार के पास नहीं होते हैं।

उद्योगों और संस्थापनाओं में चालीस घंटों का कार्य सप्ताह प्रारम्भ करना

2023. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी उद्योगों और संस्थापनाओं में चालीस घंटे का कार्य सप्ताह प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिकतर औद्योगिक देशों में यह एक मानक बन चुका है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री पी० ए० संगमा**) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश के आर्थिक विकास की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 40 घंटे का सप्ताह लागू करना वांछनीय नहीं समझा। तथापि, कुछ औद्योगिक एककों तथा प्रतिष्ठानों ने इसे स्वैच्छिक आधार पर अपना लिया है।

दर्शकों पर विज्ञापनों के प्रभाव का अध्ययन

2024. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित विभिन्न विज्ञापनों का दर्शकों पर विशेषकर युवकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है; और

(ग) क्या प्रसारित किए जा रहे विज्ञापनों का रुझान जनता को विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी नहीं । तथापि, दूरदर्शन ने दूरदर्शन विज्ञापन के सामाजिक प्रभावों का प्रायोगिक अध्ययन करने का काम एक बाहरी मार्केट रिसर्च ऐजेन्सी को सौंपा है ।

(ख) और (ग) अध्ययन अभी जारी है ।

महाराष्ट्र में समुद्र तट से दूर समुद्री संसाधनों का संरक्षण

2025. **श्री आर० एस० माने** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र में समुद्र तट से दूर मछली और झींगा मछली पकड़ने में अत्यधिक हुई गिरावट पर निगरानी रख रही है,

(ख) झींगा मछली पकड़ने में कमी आने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का आगामी तीन वर्षों के लिए झींगा मछली पकड़ने की बड़ी नौकाओं का आयत करने पर रोक लगाने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो हमारे समुद्री संसाधनों विशेषकर झींगा मछली के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) महाराष्ट्र में समुद्री मछली और झींगा मछली के संग्रहण में अत्यधिक गिरावट नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने बहु-प्रयोजन वाली नौकाओं का आयात करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

वायुदूत सेवा का विस्तार

2026. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत का "एयर टैक्सी" सर्विस शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या वायुदूत सेवाओं को धार्मिक, दुर्गम, ऐतिहासिक और पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए उनका विस्तार किया जा रहा है;

(ग) क्या राजस्थान के ऐतिहासिक स्थान चित्तौड़गढ़ को वायुदूत सेवा से जोड़ने का भी प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार वायुदूत सेवा को कोटा से सीधे वापस लौटने के बजाय चित्तौड़गढ़ हो कर चलाने सम्बन्धी अनुरोध पर विचार करेगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विमान क्षमता की कमी तथा चित्तौड़गढ़ में विमान पट्टी के उपलब्ध न होने के कारण, चित्तौड़गढ़ को वायुदूत के तत्काल विस्तार कार्यक्रम में शामिल करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों का वेतन निर्धारण

2027. **श्री सोडे रामैया** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के बारे में 21 अगस्त, 1986 को दिए गए इस आशय के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है कि उनका वेतन नियमित और तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों के बीच बिना किसी अन्तर के निर्धारित किया जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने एक विशेष छुट्टी याचिका दायर की थी जो 20 अप्रैल, 1987 को रद्द कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्रालय के दिनांक 14 नवम्बर, 1975 के उन आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन सभी सहायक इंजीनियरों पर लागू होते हैं जो 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् कार्यपालक इंजीनियरी के पद पर नियमित रिक्तियों में तदर्थ आधार पर पदोन्नत हुए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (घ) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में समझौते के अनुसार याचिका दाताओं को वेतन निर्धारण तथा वेतन में वृद्धि का लाभ देने के लिए सरकार ने 3-6-1987 को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि समझौते के अनुसार वेतन निर्धारण और वेतन में वृद्धि का लाभ केवल याचिका दाताओं को ही दिया जाए।

विजिअंजम मत्स्य बन्दरगाह पर व्यय

2028. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में, केरल में, विजिअंजम मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई,

(ख) अब तक इस पर कितनी राशि खर्च की गई है,

(ग) इस बन्दरगाह के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है,

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है,

(ङ) क्या इस परियोजना के निष्पादन में कोई विलम्ब हो रहा है, और

(च) यदि हां, तो मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 500 लाख रुपये, जिसमें 250 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप मे शामिल हैं।

(ख) परियोजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 492 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ग) निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो गया है तथा द्वितीय चरण पूरा होने वाला है। तृतीय चरण के निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं मांगी गई हैं।

(घ) निर्माण कार्य पूरा होने की लक्ष्य-तिथि मार्च, 1990 है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में मत्स्य पत्तन

2029. **श्री एन० डेनिस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तमिलनाडु में कुछ और मत्स्य पत्तन बनाने का विचार है, यदि हां, तो इनके लिए कौन-कौन स्थान चुने गए हैं,

(ख) क्या सरकार का तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर बड़ी संख्या में मछलियों की उपलब्धता और उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मछुआरों के होने को ध्यान में रखते हुए वहां एक मत्स्य पत्तन बनाने की बहुत समय से की जा रही मांग पर भी विचार करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) तमिलनाडू के पश्चिमी तट के 70 कि०मी० छोटे क्षेत्र में सरकार का मत्स्यन बन्दरगाह बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि एक मत्स्यन बन्दरगाह चिन्नामुट्टम में बनाया जा रहा है जो पश्चिमी तट से ज्यादा दूर नहीं है। चिन्नामुट्टम इस इलाके के मछुआरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" का प्रसारण

2030. **श्री निर्मल खत्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा विगत में घोषित किए गए धारावाहिक "महाभारत" के निर्माण और उसके प्रसारण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने "महाभारत" तथा "रामायण" का साथ-साथ प्रसारण न करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) "महाभारत" धारावाहिक का निर्माण दूरदर्शन द्वारा नहीं, बल्कि एक गैर-सरकारी निर्माता द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शन ने अभी तक निर्माता को केवल संकल्पना के लिए स्वीकृति दी है।

(ख) और (ग) जी, हां। दो महाकाव्यों पर कार्यक्रमों को साथ-साथ टेलीकास्ट करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

[अनुवाद]

केरल में मत्स्य पालन के लिए सहायता

2031. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 के लिए केरल में मत्स्य पालन के लिए कितनी सहायता दी है,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रति किसान प्रति हैक्टेयर सहायता राशि दिए जाने के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं,

(ग) क्या यह सच है कि राज्य में मत्स्य पालन करने वाले किसानों को केन्द्रीय प्रायोजित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से दी गई सहायता किसानों को मत्स्य पालन हेतु आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इस कार्यक्रम की समीक्षा करने का विचार है ताकि इन किसानों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) वर्ष 1987-88 के लिए केरल में चार (4) मछुआ विकास एजेंसियों के लिए व्यय के केन्द्रीय अंश हेतु अभी तक 1.64 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

मछुआ विकास एजेंसियों के अन्तर्गत तालाब विकास और डिम्गोना, आहार, उर्वरक और खाद जैसे प्रथम वर्ष में उपयोग किए जाने वाले आदानों की लागत का 25 प्रतिशत राजसहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। यह सहायता अधिक से अधिक प्रति किसान प्रति हैक्टेयर 3000/- रुपए की होगी। विभिन्न राज्यों की मांग के आधार पर राजसहायता की अधिकतम सीमा

1987-88 से बढ़ाकर प्रति किसान प्रति हैक्टेयर 5000 रुपए कर दी गई है ताकि और ज्यादा मछुआरों को मछली पकड़ने के कार्य को शुरू करने की ओर आकर्षित किया जा सके। राज सहायता की लागत भारत सरकार और राज्य के बीच 50:50 आधार पर वहन की जाती है।

केरल में हाल ही में मंजूर की गई खारे जल संबंधी मछुआ विकास एजेंसी के अन्तर्गत तालाब विकास संबंधी पूंजीगत लागत और प्रथम फसल के लिए आदानों की कुल लागत का 25 प्रतिशत राजसहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, जो अधिक से अधिक प्रति किसान प्रति हैक्टेयर 30,000 रुपए की होगी। राजसहायता की लागत केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 आधार पर वहन की जायेगी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित

राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों के लिए भाषाएं

2032. **श्री टोम्बो सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय दिवसों पर आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में आठवीं अनुसूची की भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं को भी सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त सम्मेलनों में उन भाषाओं को अब तक सम्मिलित न करने के कारण इन भाषा बोलने वाले ग्रुपों में भारी असन्तोष है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) राष्ट्रीय दिवसों पर केवल आकाशवाणी ही कवि सम्मेलनों का आयोजन करता है। इस समय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से भिन्न किसी अन्य भाषा का इन सम्मेलनों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय भाषाओं में प्रचलित विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का व्यापक चित्रण करने के उद्देश्य से आकाशवाणी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक वार्षिक सर्वभाषा कवि सम्मेलन आयोजित करता है। यह आवश्यक है कि कविताएं भारतीय संस्कृति, एकता और सांप्रदायिक सदभाव पर आधारित हों। कवि अपनी भाषाओं में अपनी कविताएं पढ़ते हैं और प्रत्येक कविता का हिन्दी अनुवाद मूल कविता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हिन्दी रूपांतर को सभी हिन्दी केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है जबकि अन्य केन्द्र अपनी अपनी भाषा के रूपांतर को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए सम्मेलन भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं तक सीमित हैं।

(घ) सरकार को इस प्रकार की शिकायत या असन्तोष की जानकारी नहीं है।

खारे पानी में मछली पालन

2033. **श्री ए० जयमोहन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खारे पानी में मछली पालन के क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र को प्रवेश करने की अनुमति देने का विचार है,

(ख) क्या यह सच है कि इस निर्णय से विशेषकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में असंगटित मछुआरों और समाज के कमजोर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और

(ग) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) असंगठित मछुआरों पर इस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उपलब्ध खारे जल क्षेत्र में से खारे पानी में जल कृषि के अन्तर्गत लाए जाने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत व्यक्तिगत मछुओं अथवा मछुआरों के समूह या मछुवारा सहकारी समितियों के लिए अलग कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में विमान सेवा

2034. **श्री कालीप्रसाद पाण्डेय :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में विमान सेवा का विस्तार करने का विचार है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार से दिल्ली से गोपाल गंज जिले में साबेया (हकुआ) के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार सीधी विमान सेवा शुरू करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां. तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विमान क्षमता तथा अधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर, वायुदूत की बिहार में धनबाद, गया और पूर्णिया के लिए अपनी सेवाओं के विस्तार की योजनाएं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ-इण्डिया के फार्मों से अर्जित लाभ

2035, **श्री मानिक रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (एस० एफ० सी० आई०) का आंध्र प्रदेश में अपने फार्म स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इण्डिया ने कितना लाभ कमाया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम से आंध्र प्रदेश में किसी भी फार्म को स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) भारतीय राज्य फार्म निगम आजकल देश के विभिन्न भागों में 13 फार्मों का प्रबन्ध कर रही है और निगम की आर्थिक स्थिति काफी असंतोषजनक है। निगम को वर्ष 1985-86 के दौरान 23.63 लाख रुपए की हानि हुई। वर्ष 1986-87 के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि लेखा वर्ष जुलाई से जून तक है।

दक्षिणी दिल्ली में किसानों को भूखण्डों का आबंटन

2036. **श्री माणिकराव होडल्य गावित** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली के ऐसे किसानों की संख्या कितनी है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी भूमि के अधिग्रहण के बदले में 250 से 400 वर्ग गज तक के वैकल्पिक आवासीय भूखण्ड आबंटित नहीं किए गए हैं और इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग की सिफारिशें क्या है;

(ख) दक्षिण दिल्ली में विभिन्न कालोनियों में ऐसे विकसित भूखण्डों की संख्या कितनी है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार इन किसानों को आबंटित करने का है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन किसानों को उसी क्षेत्र में, जहां भूमि अधिग्रहीत की गई है और दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग द्वारा प्रस्तुत आकार के वैकल्पिक रिहायशी भूखण्ड कब तक आबंटित किए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 180

(ख) फिलहाल आबंटन हेतु अपेक्षित आकार का कोई प्लाट नहीं है।

(ग) जब कभी प्लाट उपलब्ध हो जाएंगे, ये वरिष्टता के आधार पर लाटरी निकाल कर आबंटित कर दिए जाएंगे।

राजस्थान द्वारा मदर डेरी को दूध की सप्लाई बन्द करना

2037. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध की कीमतों पर विवाद के कारण राजस्थान में मदर डेरी को दूध की सप्लाई बन्द कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कानूनी संरक्षण

2038. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कानूनी संरक्षण देने संबंधी कुछ कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के रूप में कानूनी संरक्षण निर्माण उद्योग में कर्मकारों को पहले से ही उपलब्ध हैं। निर्माण श्रमिकों सहित कर्मकारों के हितों का संरक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है।

बेरोजगारों को सुविधाएं

2039. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है।

(ख) क्या सरकार नौकरी के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगारों को निशुल्क पोस्टल आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट और डाक टिकटों के संबंध में सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को इस संबंध में समान भागीदारी होगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार, देश में 5 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों (शिक्षित व अशिक्षित) की संख्या का अनुमान छठी योजना के अन्त में 92 लाख था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में कपास की खेती

2040. **श्री विष्णु मोदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कपास की खेती अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम होती है, और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में कपास की खेती के संवर्द्धन हेतु सरकार का क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फसल वर्ष 1985-86 के दौरान राजस्थान और अन्य मुख्य उत्पादक राज्यों में कपास की खेती वाला क्षेत्र निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

राज्य	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
आंध्र प्रदेश	6.0
गुजरात	14.0
हरियाणा	3.4
कर्नाटक	7.5
मध्य प्रदेश	5.2
महाराष्ट्र	27.5
पंजाब	5.6
राजस्थान	3.3
तमिलनाडु	2.6
अन्य	0.7
समस्त भारत	75.8

बहुत से अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कपास की खेती वाला क्षेत्र कम है क्योंकि वहां पर कपास की खेती मुख्यतया कुछ जिलों तक ही सीमित है जिसका कारण कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियां हैं।

(ख) राजस्थान में मध्यम रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच 50.50 के अनुसार लागत वहन करने के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार निम्नलिखित के लिए राजसहायता देती है—(1) प्रजनक और आधारी बीजों का उत्पादन, (2) प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण (3) प्रदर्शन प्लाट तैयार करना और (4) कपास ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना। इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के लिए 166.90 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर करना

2041. **श्री मुरलीधर माने** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख विकास परियोजनाओं के

कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की स्वीकृति हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में विचार किए जाने के लिए सरकार प्रस्तावों की जांच कर रही है ।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में आलू के बीज फार्म

2042. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार के आलू के कितने बीज फार्म हैं और गत दो वर्षों के दौरान इन फार्मों द्वारा अधिक उपज देने वाली कौन-कौन किस्मों के बीज विकसित किए गए; और

(ख) इन बीजों का वितरण किन-किन राज्यों को किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का केवल एक आलू बीज फार्म है यानी कुफरीफागू है । पिछले दो वर्षों के दौरान यहां आलू की कोई नई किस्म विकसित नहीं की गई । तथापि, इन वर्षों के दौरान किस्म कुफरी ज्योति का प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया है ।

(ख) इस फार्म में उत्पादित किस्म कुफरी ज्योति के बीजों को हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में वितरित किया गया है ।

[अनुवाद]

कपास का लाभकारी मूल्य

2043. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात में कपास वर्ष 1986-87 के दौरान कितने क्षेत्र में कपास की खेती की गई और कपास का कितना उत्पादन हुआ,

(ख) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में देश में कपास की लगभग कितनी मांग थी और वास्तव में कितनी खपत हुई थी,

(ग) क्या घरेलू खपत की तुलना में कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है और देश में अतिरिक्त कपास का भंडार है,

(घ) यदि हां, तो क्या देश में कपास का उत्पादन करने वाले किसान और विशेष रूप से गुजरात के किसान, अपने उत्पादों के अलाभकारी कम मूल्य प्राप्त होने की गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो घरेलू बाजार में कपास का लाभकारी मूल्य बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा अतिरिक्त कपास का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1986-87 के लिए कपास के अन्तर्गत आवृत्त क्षेत्र और इसके उत्पादन का अनंतिम अनुमान नीचे दिया गया है :—

	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	उत्पादन लाख गांठें (170 कि० ग्राम प्रत्येक)
गुजरात	13.51	11.16
अखिल भारत	70.11	71.80

तथापि, कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष के दौरान कपास की 95 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान मिल में और कारखाने से बाहर निकालते ही कपास का अनुमानित उपभोग 1985-86 के 86.57 लाख गांठें 5.10 लाख गांठों की तुलना में क्रमश: 94.0 लाख गांठें और 5.5 लाख गांठें हैं।

(ग) से (ङ) कपास का उत्पादन वर्षानुवर्ष विस्तृत उतार-चढ़ावों के आधीन रहा है। पूर्ति मांग को विद्यमान परिस्थितियों में गुजरात सहित देश में कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तरों से काफी ऊंची हैं।

कपास के विकास हेतु सरकार के कार्यक्रम का मुख्य बल निर्यात उद्देश्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त कपास का उत्पादन करने के साथ ही रेशे की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने पर भी है। इस उद्देश्य हेतु किए जा रहे उपायों में ये सम्मिलित हैं।

(1) कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वियन करना;

(2) कपास की विभिन्न किस्मों के संबंध में वर्षानुवर्ष के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करना;

(3) जहां और जब भी आवश्यक हो, मंडी समर्थन कार्यों को शुरू करना; और

(4) कपास पर दीर्घावधिक निर्यात नीति का कार्यान्वियन करना।

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान का मछुआरों की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण

2044. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान का देश में और विशेषतया कर्नाटक में मछुआरों की दशा के बारे में विस्तृत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस ढंग से किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एअर इण्डिया द्वारा प्रयोग किए जा रहे विमानों की संचालन लागत

2045. **श्री अमल दत्ता** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया द्वारा इस समय प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न विमानों की तुलनात्मक संचालन लागत कितनी है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक विमान में ईंधन की प्रति किलोमीटर खपत कितनी है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1986-87 में एयर इंडिया के पास विभिन्न वायुयानों की परिचालन लागत निम्न प्रकार है :—

वायुयान का प्रकार	परिचालन लागत (लाख रुपयों में)	परिचालन लागत प्रति औसत टन कि०मी० (रुपए)
बोइंग 707	2,627.00	7.43
बोइंग 747	53,847.00	4.50
ए 310-300	7,488.00	5.22
ए 300-बी 4	11,461.00	5.95
लीज पर माल वाहक वायुयान :		
डी०सी-8	3,977.00	3.11
बोइंग 747 एफ	4,978.00	2.23

(ख) प्रति सीट किलोमीटर ईंधन की खपत (ग्रामों में) के संदर्भ में ईंधन बचत के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वायुयान का प्रकार	प्रति सीट किलोमीटर (ग्राम) ईंधन खपत
ए 310-300	32.00
ए 300-बी 4	35.5
बी 747-200	37.7

दूरदर्शन द्वारा फीचर फिल्मों का चयन

2046. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन प्रसारण के लिए फीचर फिल्मों के चयन के लिए कौन मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या विगत में फिल्मों की लोकप्रिय श्रृंखला को एकाएक बन्द कर दिए जाने से दूरदर्शन के विरुद्ध जन आक्रोश उत्पन्न हुआ है;

(ग) क्या सरकार को लोकप्रिय फिल्मों का प्रदर्शन बन्द कर दिए जाने के विरुद्ध दर्शकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार दर्शकों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन पर न दिखाई गई कुछ लोकप्रिय फीचर फिल्मों को दिखाने के बारे में विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) फिल्मों का चयन निम्नलिखित मोटे मानदंडों के आधार पर किया जाता है :—

1. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त;
2. विषयात्मक मूल्य;
3. चलचित्रिकी मूल्य
4. मनोरंजन मूल्य;
5. परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्तता;
6. निर्माण का वर्ष।

हिंसा, गुंडागर्दी, मदिरापान, उग्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाली फिल्मों तथा किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय को बदनाम करने वाली फिल्मों से बचाया जा सकता है।

(ख) सरकार को इस प्रकार के किसी भी जन आक्रोश की जानकारी नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

झुंझुनू में टेलीविजन टावर की स्थापना

2047. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुंझुनू में टेलीविजन टावर स्थापित की जाने की मांग काफी समय से की जा रही है और इस कार्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है;

(ख) झुंझुनू में टेलीविजन टावर कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) झुंझुनू में प्रस्तावित 100 वाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को स्थापित करना योजना संसाधनों के वार्षिक आबंटन और आवश्यक ट्रांसमीटर उपकरणों की आपूर्ति के लिए स्वदेशी निर्माताओं द्वारा लिए जाने वाले समय पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

सिक्किम में टेलीविजन सेवा का विस्तार

2048. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम सरकार ने उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए कुछ जमीन उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) राज्य सरकार ने, लम्बे पत्राचार के बाद, गंगतोक में 1 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए चुनी गई भूमि के एक भाग का कब्जा मई, 1987 में दूरदर्शन को दिया था।

(ख) जबकि एस० ए० सी० एफ० ए० की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, सिविल निर्माण कार्य सौंपने के लिए प्रारंभिक कारंवाही शुरू कर दी गई है। कुछ उपकरणों की सप्लाई के लिए आर्डर भी निर्माताओं को दिए जा चुके हैं।

लक्ष्य की तुलना में मत्स्य उत्पादन

2049. श्री अमरसिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से अब तक क्षेत्रवार मछली उत्पादन के निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या निर्धारित किए गए लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि देश में तथा निर्यात करने के लिये मछलियों की मांग वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मांग को तथा निर्यात संबंधी दायित्व को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1985-86 से मछली उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार है :—

(लाख मीटरी टन में)

	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
1985-86	19.00	11.00	30.00	17.16	11.60	28.76
1986-87	18.50	12.50	31.00	16.82	12.34	29.16

अन्तर्देशीय मछली उत्पादन लक्ष्यानुसार बढ़ता रहा है। समुद्री मछली उत्पादन का लक्ष्य पिछड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की जितनी नौकायें चलाने का अनुमान था उससे कम संख्या में नौकाएं चली हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मांग और निर्यात की जरूरत को पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

समुद्री क्षेत्र :

(1) 5,000 परंपरागत मत्स्यन नौकाओं के मशीनीकरण द्वारा इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा समुद्र तट पर लग सकने वाली 200 उन्नत नौकाएं चलाने के लिए राज्यों को सहायता;

(2) वर्तमान योजना के अन्त तक संसाधन विशेष मत्स्यन नौकाओं में स्वदेशी, आयातित और चार्टर्ड नौकाओं के विवेकपूर्ण सम्मिश्रण से उनकी संख्या 500 तक बढ़कर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बेड़े को बड़ा करना;

(3) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली स्वदेश में बनी नौकाओं की लागत पर 33 प्रतिशत राजसहायता मुहैया करना;

(4) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाएं खरीदने के लिए 31-3-87 तक नौवहन विकास कोष समिति तथा उसके बाद भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण मुहैया करना;;

(5) मत्स्यन सर्वेक्षणों में वृद्धि और बड़ी और छोटी बन्दरगाहों पर मत्स्यन गोदियों का तथा छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर तट पर माल के रख-रखाव की सुविधाओं का निर्माण;

(6) मत्स्यन नौकाओं पर काम करने के लिए मत्स्यन कर्मियों को प्रशिक्षण;

(7) सक्रिय मछुआरों के लिये सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत अनुदान;

अन्तर्देशीय क्षेत्र :

(8) राज्यों में वाणिज्यिक आकार की 45 मत्स्य-बीज हैचरियों के निर्माण द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा;

(9) मछली पालन के विकास के लिये जिला स्तर पर अनेक मछली पालक विकास एजेन्सियों की स्थापना;

(10) समेकित खारा-पानी मत्स्य फार्मों, खारा-पानी मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों तथा समुद्र तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों और कुछेक थल क्षेत्र के राज्यों में मार्ग-दर्शी झींगा हैचरियों और फार्मों की स्थापना;

(11) चुनिन्दा केन्द्रों में जल-मल वाले मत्स्य फार्मों की स्थापना;

पाकिस्तान और बंगलादेश द्वारा उच्च शक्ति वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशन स्थापित करना

2050. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान और बंगलादेश की सीमा के साथ रहने वाले लोग भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम देखने की अपेक्षा उन देशों के बेहतर कार्यक्रम देखते हैं क्योंकि उन देशों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित किए गए है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों में सुधार करने का है ताकि वहां के लोग केवल भारतीय कार्यक्रमों को ही देखें; और

(ग) गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाले प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश और पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोग उन देशों से प्राप्त टी० वी० कार्यक्रम भी देखते हैं। ये भी रिपोर्ट हैं कि सीमा की दूसरी तरफ रहने वाले लोग भारतीय टी० वी० कार्यक्रम देखते हैं।

(ख) सातवीं योजना में देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार के लिए अग्रता दी गई है। दूरदर्शन कार्यक्रमों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इस दिशा में दूरदर्शन हमेशा कदम उठा रहा है।

(ग) सरकार गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिये विशेष महत्व देती है।

भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष के पुराने सेनानियों की जन्म शताब्दी मनाने के लिए कार्यक्रम

2051. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन ने 1889 में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के पुराने सेनानियों स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेन्द्र देव की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित शताब्दी समारोहों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों आचार्य नरेन्द्र देव की जन्म शताब्दी पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट करेंगे।

पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा व्यापक योजनाएं बनाई गई हैं जो संलग्न विवरण I और II में दी गई हैं।

विवरण-I

श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के संबंध में प्रस्तावित रेडियो कार्यक्रम

1. आकाशवाणी पंडित नेहरू के प्रसिद्ध भाषणों में से आडियो कैसेटों और एल० पी० रिकार्ड के रूप में कुछ चुनींदा उद्धरण रिलीज करेगा।

2. भारत और विदेशों में रहने वाले उनके निकट के सहयोगियों के साथ संस्मरणात्मक साक्षात्कारों की शृंखला की व्यवस्था की जाएगी।

3. पंडित नेहरू के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कार्यक्रम :

   1. स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू का योगदान;
   2. संविधान के बनाने में नेहरू का योगदान;
   3. राष्ट्रीय एकता के लिए नेहरू का योगदान;
   4. आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू का योगदान;
   5. शांति और अहिंसा के लिए नेहरू का योगदान;
   6. एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नेहरू का योगदान;
   7. गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए नेहरू का योगदान; और
   8. राष्ट्रमंडल को सशक्त बनाने में नेहरू का योगदान।

4. नेहरू :

   1. भविष्य दृष्टा के रूप में
   2. देशभक्त के रूप में
   3. लेखक के रूप में
   4. विचारक के रूप में
   5. मानववादी के रूप में
   6. प्रकृति के प्रेमी और पर्यावरण के रक्षक के रूप में
   7. खेल प्रेमी के रूप में
   8. अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में
   9. भाषाओं और संस्कृति के रक्षक के रूप में
   10. वक्ता के रूप में
   11. मंत्रियों के सहयोगी के रूप में
   12. बच्चों से स्नेह करने वाले के रूप में और
   13. संसदविद के रूप में।

5. नेहरू के ध्वनिचित्र :

   1. अमर युवा

   2. शास्वत: स्वप्नदृष्टा

   3. सार्वभौमिक शांतिसंस्थापक

   4. चाचा नेहरू

6. संगीत श्रद्धांजलि : विशेष रचनाओं पर आधारित सुगम और कोरल संगीत।

7. द लास्ट टेस्टामेंट।

8. कार्यक्रमों को आकल्पित करने के लिए नेहरू पर प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों साक्षात्कारों की संग्रहालयीय रिकार्डिंग को व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा।

विवरण-II

दूरदर्शन

पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित कार्यक्रमों की योजना है :—

(1) प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती केनेथ ग्रिफिथ द्वारा वर्णित, प्रस्तुत और निर्मित नेहरू से जुड़े स्थलों पर फिल्माई गई एक फिल्म।

(2) **एक छहमहाद्वीपीय अंतरिक्ष सेतु** : इस कार्यक्रम में छह महाद्वीपों के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और विद्वान इकट्ठे होंगे जो उपग्रहों के माध्यम से 6 चुनींदा स्थानों से जुड़े हुए 90 मिनट के सजीव टेली सम्मेलन में भाग लेंगे।

(3) **नेहरू जैसा मैंने देखा** : जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे पुरुषों और महिलाओं के संस्मरणों का कार्यक्रम जिन्होंने या तो पंडित जी के साथ काम किया अथवा व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनसे प्रभावित हुए। साक्षात्कारों को, समय और स्थान के सार को लाने के लिए उन स्थलों पर रिकार्ड किया जाएगा जो उनकी मुलाकातों या संस्थाओं से संबंधित रहे :

   कम से कम ½ घंटे के चार कार्यक्रमों का प्रस्ताव है।

(4) **दि लास्ट टेस्टामेंट** : प्रसिद्ध दस्तावेज को गीतात्मक रूप देते हुए एक रूपक।

(5) पंडित जी की "डिस्कवरी आफ इंडिया" पर आधारित श्याम बेनेगल द्वारा एक धारावाहिक।

(6) "जवाहरलाल नेहरू"। एम० वी० के० मूर्ति द्वारा जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट के लिए बनाई गई एक डाकुमेंट्री फिल्म।

(7) **आनन्द भवन** : एक डाकुमेंट्री फिल्म।

   स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों का महाकाव्य केन्द्र जिसने ऐसे कई निर्णय देखे हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित किया और ऐसे उतार चढ़ाव जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आनन्द भवन को गुजरना पड़ा।

मुनीरका म्यूनिसिपल वार्ड के निवासियों की शिकायतें

2052. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुनीरका म्युनिसिपल वार्ड के निवासियों ने अपनी रेजीडेन्ट वैल्फेयर एसोसिएशन के माध्यम से अपनी शिकायतों के बारे मे दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएशन ने मुनीरका में फ्लैटों के चारों ओर बाउन्ड्री दीवार बनाने, सड़कों को समतल करने, सड़कों पर रोशनी की स्थिति में सुधार करने और पानी की कमी को दूर करन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुनीरका स्थित फ्लैटों के निवासियों की शिकायत को दूर करने को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान जो इससे सम्बन्धित हैं, को निवासियों की इन शिकायतों को दूर करने के लिए कहा जा रहा है।

उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण

2053. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ उर्वरक संयत्रों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (घ) : जी हां। विवरण नीचे दिये गये हैं :—

	आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र का नाम	7वीं योजना में प्रावधान
1	2	3
1.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० ट्राम्बे-I के अमोनिया संयंत्र का पुनर्वास	38 करोड़ रुपये
2.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० अमोनिया, यूरिया, एन पी के एवं उपयोगिता संयंत्रों का आधुनिकीकरण	25 करोड़ रुपये

1	2	3
3.	हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर्स कार्पोरेशन लि० नाम रूप, दुर्गापुर तथा बरौनी एककों का पुनरुद्धार	60 करोड़ रुपये
4.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० अमोनिया एवं यूरिया संयत्र का आधुनिकीकरण तथा उद्योममंडल नवीकरण	23 करोड़ रुपये
5.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया	
	(I) रामागुण्डम एवं तालचर एककों का पुनर्वास	40 करोड़ रुपये
	(II) गोरखपुर संयंत्र का पुनर्वास एवं पुनरुद्धार	33 करोड़ रुपये
	(III) सिन्दरी स्थिति पावर संयंत्र का आधुनिकीकरण	50 करोड़ रुपये
6.	प्रोजेक्टस डेवलपमेंट इण्डिया लि० उत्प्रेरक आधुनिकीकरण	14.90 करोड़ रुपये
7.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० नांगल-I अमोनिया संयंत्र का आधुनिकीकरण	30.84 करोड़ रुपये
8.	इण्डियन फारमर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स कोओपरेटिव कांडला, कलोल तथा फूलपुर स्थित संयंत्रों के पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण हेतु परियोजना	7वीं योजना में कोई प्रावधान नहीं है तथापि विश्व बैंक विदेशी मुद्रा में 49.50 करोड़ रुपये का वित्त प्रबन्ध करने हेतु वचनबद्ध है।

अखिल भारतीय मछुआ आयोग का गठन

2054. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मछुआ समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनकी इन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देने हेतु एक अखिल भारतीय मछुआ आयोग गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक मछुआरे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता करने के लिए क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्र तथा राज्य सरकारें मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करने के लिए अन्तर्देशी तथा समुद्री मात्स्यकी क्षेत्रों में कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। अन्तर्देशी क्षेत्र में, मुख्य योजनाओं में मछली पालक विकास एजेन्सियों के माध्यम से गांव के टैंकों तथा तालाबों में गहन मछली पालन, मत्स्य बीज हैचरियों का विनिर्माण, जलाशयों में मात्स्यकी का विकास, खारे पानी में मछली पालन आदि शामिल हैं। समुद्री क्षेत्र में, मुख्य योजनाओं में मत्स्यन बन्दरगाहों तथा उतारने के केन्द्रों के निर्माण द्वारा मत्स्यन नौकाओं को माल उतारने तथा सम्भालने की सुविधाएं प्रदान करना, पारम्परिक मत्स्यन जलयानों में मोटर लगाना, तट पर लगने वाले जलयानों सहित यंत्रीकृत नौकाओं को आरम्भ करना, सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना तथा मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि जैसी मछुआरा कल्याण योजनायें शामिल हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा विमान किराए में कमी करना

2055. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों द्वारा किराये में अत्यधिक कमी किये जाने की जानकारी है जिसके कारण भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा को राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन विमान कंपनियों और ट्रैवल एजेन्सियों द्वारा इस प्रकार की हानिकारक व्यापारिक व्यवहार अपनाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है; कमी की राशि को पूरा करने के लिए उन्हें नकद राशि कहां से मिलती है जबकि भुगतान चैक द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ विमान कंपनियां एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया लेकर यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने पर फालतू किराया वापस कर देती हैं अथवा यदि कोई यात्री बीच में ही उत्तर जाये तो उसे निःशुल्क होटल और उसके गंतव्य स्थान के लिए परिवहन उपलब्ध कराते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार कम मूल्य किए जाने को समाप्त करने तथा उपयुक्त आचरण संहिता तैयार करके ट्रैवल एजेन्सियों के व्यापारिक लेन-देन पर निगरानी रखने तथा दोषी व्यक्तियों को सजा देने के बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) : विमान किरायों में कटौती करना गैर-कानूनी प्रक्रिया है। इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त किसी भी एयरलाइन के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। कटौती के इन तरीकों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। शिकायत मिलने पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा संबंधित एयरलाइनों को "समाप्त करो और छोड़ दो" आदेश जारी किये जाते हैं तथा "बार इंडिया" (एयरलाइन प्रतिनिधियों का बोर्ड) के माध्यम से सभी एयर लाइनों पर, केवल अनुमोदित किराए ही लेने पर जोर दिया जाता है।

मछली उद्योग के लिए दीर्घकालीन योजना

2056. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली उद्योग के संवर्धन के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों से प्रोटीन की सप्लाई में वृद्धि करना और अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर लोगों को सीधे रोजगार दिलाना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या प्रबंध व्यवस्था मछली पकड़ने, मछली पालने की गतिविधियों तथा मत्स्य संसाधन क्षेत्र में सुधार हो जाने के कारण जलवीय उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव उपयोग के लिए उपलब्ध कुल उत्पादन की प्रतिशतता में वृद्धि हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) समुद्री मात्स्यकी के संवर्धन के लिए बनाई गई मध्यावधि तथा दीर्घकालिक योजना की विस्तृत रूपरेखा नीचे दी गई है : —

— परम्परागत जलयानों का धीरे-धीरे मशीनीकरण करना, जिसमें सातवीं योजना के दौरान 5000 जलयानों का मशीनीकरण करने की योजना है।

— 1989-90 तक समुद्र के किनारे पर उतरने वाले 202 जलयानों को शुरू करने के साथ-साथ उन्नत मत्स्यन जलयानों को शुरू करना।

— गहन समुद्र मत्स्यन जलयानों के एक बृहत् बेड़े का निर्माण करना, जिसमें सातवीं योजना के अंत तक बेड़े की संख्या बढ़ाकर 500 करने की योजना है।

— मत्स्यन बन्दरगाहों और अवतरण केन्द्रों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके मछली पकड़ने के बाद होने वाली हानि को कम करना;

— समुद्री संसाधन सर्वेक्षण को बढ़ाना तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण देना;

(ग) जी हां।

(घ) जल-कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

— केन्द्रीय सरकार ने भावी जलकृषकों को टैंकों और तालाबों तथा खारे पानी के क्षेत्रों को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यक मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

— मत्स्य पालकों को मत्स्य पालक विकास एजेंसी कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रशिक्षण देना;

— सातवीं योजना के अन्त तक 2.25 लाख हैक्टेयर जल-क्षेत्र को गहन जलकृषि के अन्तर्गत लाने के लिए 1989-90 तक संचयी संख्या में 200 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की स्थापना करना;

— गहन मत्स्य पालन के लिए अच्छी किस्म के मत्स्य बीजों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए संचयी संख्या में 45 आधुनिक मत्स्य बीज हैचरियों का चालू करना;

— मार्गदर्शी मलजल-पोषित मत्स्य फार्मों की स्थापना करना;

— समेकित खारा पानी मत्स्य फार्म विकास परियोजना को क्रियान्वित करना, जिसमें खारे पानी के फार्मों तथा खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 5 मार्गदर्शी खारे पानी के फार्मों और 5 मार्गदर्शी झींगा बीज हैचरियों की स्थापना करना।

नारियल विकास बोर्ड द्वारा राज्यों को धन का वितरण

20·7. **डा० सुधीर राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड, कोचीन द्वारा पश्चिमी बंगाल को उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की तुलना में बहुत कम धनराशि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो नारीयल उगाने वाले राज्यों को धनराशि का समान रूप से वितरण करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। नारियल विकास बोर्ड द्वारा पश्चिम बंगाल को पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई थी। छठी योजना के दौरान 14.166 लाख रुपये के कुल प्रावधान में से राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 0.931 लाख रुपये ही था। राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय नारियल पौधशाला की स्थापना करने के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग भी नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के आवंटन में परिवर्तन

2058. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास माध्यम आय वर्ग/निम्न आय के फ्लैटों के आवंटन में परिवर्तन के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवंटन में शीघ्र परिवर्तन करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जो (I) 3 वर्ष (II) 2 वर्ष, (III) 1 वर्ष से अधिक समय से निपटान हेतु लम्बित पड़े हैं और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है - जो तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं तथा उनको निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में मंजिल/इलाके के परिवर्तन के 44 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं, जिनमें से 7 निम्न आय वर्ग के तथा 37 मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के लिए हैं ।

(ख) तथा (ग) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग
3 वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य
2 वर्ष से अधिक	2	17
1 वर्ष से अधिक	5	20

ये मामले फ्लैटों की अनुपलब्धता के कारण लम्बित हैं ।

शिमला और दिल्ली के मध्य यात्रा के लिए रियायती किराया

2059. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार की इस मांग पर कोई निर्णय लिया है कि शिमला और दिल्ली के मध्य यात्रा करने के लिए वर्तमान किरायों को कम करके रियायती हवाई किराये लिए जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

शिमला और कुल्लू के बीच वायुदूत सेवा

2060. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत ने शिमला और कुल्लू के बीच एक सीधी उड़ान सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ान किस तारीख से आरम्भ किए जाने की संभावना है तथा इसका समय क्या होगा, यह उड़ान कितना समय लेगी तथा इसका किराया कितना होगा; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसे शिमला और मनाली में पर्यटन मौसम की समाप्ति से पूर्व आरम्भ किया जाए ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) वायुयान उपलब्ध होने और परिचालनों के आर्थिक रूप से साध्य होने की स्थिति में, वायुदूत की अपनी शीतकालीन अनुसूची 1987-88 में, कुल्लू और शिमला के बीच हवाई सेवा उपलब्ध कराने की योजना है। तथापि, अभी उड़ान विवरण तथा सेक्टर किराये का हिसाब नहीं लगाया गया है।

प्राकृतिक विपदाओं के लिए वित्तीय सहायता

2061. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में अप्रैल और मई, 1987 के महीनों में अत्यधिक वर्षा, तूफान, ओला वृष्टि आदि के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के कारण उन्हें कोई वित्तीय राहत मंजूर तथा वितरित की गई है;

(ख) क्या पंजाब के मामले में प्रत्येक किसान को कुछ राहत मुआवजा दिया गया है तथा हिमाचल प्रदेश में किसानों को देने से मना किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पंजाब में प्रत्येक किसान को कितनी धनराशि राहत के रूप में दी गई है तथा हिमाचल प्रदेश में न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जिस प्रकार पंजाब के मामले में राहत दी गई है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक (प्रभावित) किसान को राहत दी जायेगी; और

(ङ) केन्द्रीय दल ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फसलों और सम्पत्ति को हुई कुल कितनी राशि की क्षति का अनुमान लगाया है तथा राहत के लिए कितनी वित्तीय सहायता की सिफारिश की है और वस्तुत: इन दो राज्यों के मामले में अलग-अलग कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ङ) केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल प्रदेश के लिए व्यय की अधिकतम सीमा के रूप में 9.36 करोड़ रुपये की राहत सम्बन्धी सहायता मंजूर की गई है जबकि राज्य सरकार द्वारा 65.74 करोड़ रुपये की मांग की गई। असामयिक वर्षा के कारण गेहूं की फसल को हुई हानियों से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर पंजाब सरकार को कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ी कामगारों को आवास ऋण के रूप में मंजूर की गई धनराशि

2062. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, देश में बीड़ी कामगारों को आवास ऋण के रूप में राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष में अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में कल्याण आयुक्त "अपना मकान स्वयं बनाओ" योजना के अधीन बीड़ी कर्मचारों के लिए ऋण मंजूर करने के लिए सक्षम हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक मंजूर किए गए ऋण की राशि संबंधी ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

यद्यपि वर्ष 1987-88 के बजट अनुमान में 12,40,000/- रु० की राशि की व्यवस्था की गई है, लेकिन राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

विवरण

"अपना मकान स्वयं बनाओ" योजना के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकारों के लिए मंजूर किये गये ऋण

क्रमांक	राज्य	वर्ष	ऋण की राशि (रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1984-85	10,800
		1985-86	4,500
		1986-87	900
2.	उड़ीसा	1984-85	21,600
3.	पश्चिम बंगाल	1984-85	1,890
		1985-86	1,710
4.	मध्य प्रदेश	1984-85	43,200
		1986-87	4,000
5.	उत्तर प्रदेश	1984-85	1,15,200
6.	महाराष्ट्र	1985-86	39,600
7.	केरल	1985-86	1,82,000
		1986-87	8,000*
8.	कर्नाटक	1984-85	600
		1985-86	1,200
		1986-87	8,000*

*अनंतिम

माहे में दूरदर्शन ट्रांसमीटर का निर्माण

2064. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री माहे में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने के बारे में 4 मई, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8908 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माहे में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसमीटर की क्षमता कितनी होगी और यह किस प्रकार का होगा; और

(ख) उक्त ट्रांसमीटर के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सातवीं योजना के अन्तर्गत माहे में 2 × 10 वाट का एक मानवरहित सौर ऊर्जा दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है ।

(ख) वर्तमान संकेत के अनुसार इस ट्रांसमीटर के 1988-89 में चालू हो जाने की उम्मीद है ।

[हिन्दी]

सहायक श्रम आयुक्त दिल्ली के कार्यालय में लम्बित मामले

2065. **श्री राजकुमार राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक श्रम आयुक्त, दिल्ली-1, डलहौजी रोड, नई दिल्ली के कार्यालय में मार्च, 1987 तक कितने मामले विचाराधीन पड़े थे;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों को निपटाने में हुये विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 182 ।

(ख) इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) कार्य भार से निपटने हेतु दो सहायक श्रमायुक्त (के०) पर्याप्त नहीं थे । इसलिए संघ शासिक क्षेत्र दिल्ली के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के०) के अधीन एक नये क्षेत्र का सृजन किया गया है ।

विवरण

		लम्बित मामले
1.	बैंकिंग उद्योग	84
2.	डाक एवं तार	16
3.	बीमा कंपनी	4
4.	अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	5
5.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	21
6.	भारतीय तेल शोधक, मथुरा	31
7.	भारतीय खाद्य निगम	4
8.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	3

9.	केन्द्रीय वेयरहाउस निगम	3
10.	रक्षा प्रतिष्ठान	6
12.	रेलवे	5
	कुल :	182

[अनुवाद]

कलकत्ता के लिए विकास योजना

2066. **श्री चित्त महाता** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के मेयर ने कलकत्ता के विकास के लिये एक व्यापक योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना में 1827 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मौजूदा अवसंरचनाओं के संवर्धन और शहर में नई अवसंरचना की व्यवस्था पर विचार किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ बस्तियों में जलपूर्ति प्रणाली का विकास, मलनिर्यास और स्वच्छता विकास, शरणार्थी कालोनियों का विकास, बस्तियों के रहन-सहन की स्थितियों में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंध और सड़क परिवहन/समुचित यातायात व्यवस्थाएं, पार्क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाएं और भवनों का अनुरक्षण घटक भी शामिल हैं।

(ग) इस परियोजना की जांच की जा रही है।

वायुदूत द्वारा घर तक कूरियर सेवा प्रारंभ करना

2067. **श्री पी० एम० सईद** :क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि फीडर विमान सेवा वायुदूत की घर तक अपनी कूरियर सेवा प्रारंभ करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका डाक तार सेवाओं पर कोई असर पड़ेगा;

(ग) क्या यह फीडर विमान सेवा संचार मंत्रालय के समन्वय से अपनी कूरियर सेवा की योजना को कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हाँ। योजनाओं के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) यद्यपि प्रस्तावित योजना से डाक व तार सेवाओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो संचार मंत्रालय से परामर्श किया जाएगा।

(घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

गृह निर्माण को एक उद्योग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव

2068. **श्री जी० आई० पटेल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गृह निर्माण को एक उद्योग के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) "आवास" को "उद्योग" के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है परन्तु अन्तिम दृष्टिकोण अभी लिया जाना है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवास निर्माण के लिए ऋण

2069. **श्री जी० आई० पटेल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवास की बहुत अधिक कमी है;

(ख) सरकार ने आवास की बढ़ती जा रही कमी को दूर करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसमें वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को बड़े पैमाने पर शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय ऋण निर्माण संगठन के अनुमानों के अनुसार, 1985 में मकानों की 247 लाख रिहायशी एकक थीं।

(ख) से (घ) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है। आवास के लिये वित्त व्यवस्था जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा हुडको से भी उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त, आवासीय वित्त व्यवस्था आसानी से उपलब्ध कराने के लिये, एक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की जा रही है।

कपास उत्पादन के संबंध में विचार गोष्ठी

2070. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कपास उत्पादन के संबंध में सम्पूर्ण अध्ययन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि विशेषज्ञों से कपास की नई किस्मों का पता लगाने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कपास और कपास की ओटाई के संबंध में हाल ही में बम्बई में कोई विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में हुई बातचीत का मुख्य ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कपास उत्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उसकी समस्याओं और सभावनाओं पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है। अनुसंधान में, क्षेत्रीय बैठकों में प्रत्येक वर्ष स्थानीय समस्याओं पर बातचीत की जाती है तथा दो वर्षों में एक बार सामान्य स्थिति की समीक्षा की जाती है।

(ख) कृषि विशेषज्ञों द्वारा कपास की नई किस्मों का विकास करना एक नियमित प्रक्रिया है।

संकर किस्मों तथा लम्बे रेशे वाली एवं उच्च कोटि की कपास की किस्मों के विकास में असाधारण नतीजे प्राप्त करने के बाद अब मध्यम दर्जे के रेशे वाली कपास में भी उसी तरह के नतीजे प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। कीट-व्याधि रोधी किस्मों के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।

(ग) जी हां, श्रीमान, कपास के उत्पादन और ओटाई पर 3 जुलाई, 1987 को बम्बई में एक सेमीनार आयोजित किया गया था।

(घ) चर्चा के मुख्य विषय ये थे—

(i) भारतीय ओटाई एवं प्रेसिंग इन्डस्ट्री को आधुनिक बनाना और

(ii) कपास उत्पादन की पूर्व सूचना देने के काम में सुधार लाना।

पुराने ओटाई एवं पेराई मिलों की स्थिति सुधारने के लिए वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण कोष के गठन का प्रस्ताव है।

पूर्व सूचना पद्धति में सुधार लाने के लिए दूरस्थ संवेदन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों से फायदा उठाने का प्रस्ताव है।

आयरलैंड से मक्खन का आयात करना

2071. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल, 1987 में आयरलैंड से मक्खन की भारी मात्रा का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि यह मक्खन रेडियोधर्मिता से गंभीर रूप से प्रदूषित था;

(ग) इस मक्खन की खरीद किस एजेंसी के माध्यम से की गई और उपयोग के लिए इसे किसे सप्लाई किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिलिफाइंस, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे बहुत से अन्य देशों को भी इस किस्म का मक्खन सप्लाई किया गया था और उन देशों में इन खेपों को नष्ट कर दिया गया था;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या इस संबंध में कोई विरोध प्रकट किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेरी निगम ने मक्खन की सीमित मात्रा प्राप्त की थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस मक्खन की सप्लाई आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के लिए उपहार के रूप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने की थी। इस मक्खन का उपयोग विभिन्न डेरियों द्वारा तरल दूध बनाने में पुनः सम्मिश्रण के लिए किया जाता है।

(घ) सरकार का ध्यान दुग्ध उत्पादों से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है।

(ङ) और (च) भारतीय डेरी निगम ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सलाह दी है कि वे यूरोपीय देशों से स्प्रेटा दुग्ध-चूर्ण, बटर आयल और व्हाईट बटर भेजते समय इनका परीक्षण सुनिश्चित करें और इनके साथ एक प्रमाण-पत्र होना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि ये जिन्स रेडियोधर्मिता के हानिकारक स्तर से मुक्त हैं।

वायुदूत की इंजीनियरिंग कार्यशाला

2072. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुदूत अब दिल्ली में अपनी इंजीनियरी बेल को सुदृढ़ करने और अपने हवाई जहाजों की मरम्मत के लिए अधिक समय तक रोके न रखने के लिए सभी प्रमुख परिचालन नगरों में इंजीनियरी कार्यशाला की व्यवस्था करने पर ध्यान दे रहा है।

(ख) यदि हां, तो किन-किन अन्य केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) इस इंजीनियरी कार्यशाला से वायुदूत सेवा किस सीमा तक सहायता मिली है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और मद्रास में डोर्नियर विमानों के लिए, दिल्ली, बम्बई और हैदराबाद में एच एल-748 विमानों के लिए और कलकत्ता में एफ-27 विमान के लिए सीमित मरम्मत और लाइन के रखरखाव की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन स्टेशनों पर विमानों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाओं में सुधार से, वायुदूत को अपने विमान बेड़े को उड़ान योग्य बनाए रखने में सहायता मिली है।

समाज के कमजोर वर्गों तक लाभ पहुंचाना

2073. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :

श्रीमती बसव राजेश्वरी :

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुग्ध तथा पोल्ट्री उत्पादों के अत्यधिक उत्पादन से प्राप्त लाभों को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए कोई योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस प्रकार आरम्भ की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) इससे समाज के कमजोर वर्गों को कितना लाभ मिलेगा;

(घ) योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कुल कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ङ) इन योजनाओ को किन-किन राज्यो में प्रारम्भ किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कुक्कुट संबंधी उत्पादों के अत्यधिक उत्पादन से प्राप्त लाभों को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिये नई योजनाएं शुरू की गई हैं, परन्तु विशेष रूप से डेरी क्षेत्र में कोई नई योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं। तथापि, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को शहरी मार्किट के साथ सीधा जोड़ना है, ताकि दूध और दुग्ध उत्पादों पर खर्च किये गये उपभोक्ता के रुपयों के अधिक सम्भव अंश को पुन: ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के पास वापिस पहुंचाया जा सके।

(ख) मुर्गी पालन क्षेत्र की योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) शीतागारों में पूंजी निवेश पर ब्याज की विशिष्ट दर उपलब्ध करना;

(2) अण्डों और कुक्कुटों के विपणन और आहार की सप्लाई को कारगर बनाने के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर को कुक्कुट पालन निगमों/संघों और इसी प्रकार के अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना; और

(3) निर्धन ग्रामीणों के लाभ के लिये बैकयार्ड कुक्कुट पालन उत्पादन एककों की स्थापना करना और पिछड़े आदिवासी और दूर दराज के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित योजनाएं निम्ने के लिये सहायता देंगी :—

(1) अण्डों और कुक्कुट उत्पादों के मूल्य को स्थिर करना, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा।

(2) समुचित मूल्य पर बढ़िया आहार के लिये कुक्कुट पालकों विशेषकर छोटे उत्पादकों की भारी मांग को पूरा करना और उन्हें लाभकारी मूल्यों पर सुनिश्चित केन्द्र उपलब्ध कराना।

(3) महिला लाभानुभोगियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे और उन्हें प्रतिमाह 50 रुपये की आय होगी।

(घ) और (ङ) पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अभी तक 24.875 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। अन्य राज्यों से प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्तता

2074. **श्री ए० एन० नन्जे गौडा :**

श्री बी० एस० बसवराजू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निकाय बनाये जाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या हाल ही में नई दिल्ली में "मीडिया ट्रेंडस रोल आफ कम्युनिकेटर्स" पर एक दो दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ग) इस विचार गोष्ठी की क्या सिफारिशें थीं; और

(घ) इसमें की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) सरकार को "मीडिया ट्रेंडस रोल आफ कम्युनिकेशन" पर एक दो दिवसीय विचार गोष्ठी की समाचारपत्रों की रिपोर्टों के माध्यम से ही जानकारी हुई। इस विचारगोष्ठी के लिए मंत्रालय या निदेशालयों के किसी भी अधिकारी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। विचार गोष्ठी की विस्तृत सिफारिशों की सरकार को जानकारी नहीं है और नहीं वे अभी तक सरकार को उपलब्ध की गई हैं। इसलिए सिफारिशों पर कोई कारवाई करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, क्योंकि पर्यवेक्षी निकाय के रूप में संसद के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों का पहले ही पूरी कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है, इसलिए इनको स्वायत्त निकाय बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

राज्यों में पीने के पानी की कमी

2075. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बहुत से शहरों, कस्बों और गांवों को पीने के पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पानी की कमी वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इन राज्यों में पानी की कमी के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इन राज्यों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी की सूचना मिली है।

(ग) इस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता, अपर्याप्त वर्षा, पिछले दो वर्षों में अत्यधिक सूखे के कारण भू-जल स्रोतों की अपर्याप्त आपूर्ति, सतही जलाशयों में वाष्पीकरण की अत्यधिक हानि तथा पीने के प्रयोजन हेतु जल की मांग की अपेक्षा सिंचाई, उद्योगों आदि के लिए भू-जल के असंतुलित उपयोगों के कारण पीने के पानी की कमी हुई है।

(घ) और (ड) केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य सहायता के अलावा, सूखा राहत तथा पानी की कमी वाले राज्यों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए अग्रिम योजना तथा गैर-योजना वित्तीय सहायता के रूप में केन्द्रीय मदद दी जाती है। राज्य-सरकारों द्वारा टैंकरों के जरिये आपातिक आधार पर पीने के पानी की व्यवस्था, जहां व्यवहार्य हो, उथले ट्यूबवैलो की बोरिंग, पुराने खुले कुओं तथा ट्यूबवैलों आदि की मरम्मत आदि जैसे विशेष उपाय किए जाते हैं। सामान्य जल सप्लाई कार्यक्रमों में और अधिक तेजी लाई जाती है और अतिरिक्त क्षेत्रों और जनसंख्या को कवर करने के लिए विद्यमान जल वितरण में और बढ़ोत्तरी की जाती है। पानी इकट्ठा करने के गड्ढों का प्रयोग करके जल संरक्षण के उपाय भी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

काली बाड़ी मार्ग से झुग्गी वासियों को हटाना

2076. श्री राज कुमार राय : क्या शहरी विकास मंत्री काली बाड़ी मार्ग से झुग्गी वासियों को हटाने के बारे में 6 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न सख्या 5816 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली में टाइप-I और टाइप-II पी० एण्ड टी० क्वार्टरों के बीच बनी झुग्गी झोंपड़ियों के हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इन झुग्गी झोंपड़ियों से उत्पन्न गन्दगी के वातावरण से स्थानीय निवासियों का जीवन कष्टकारक हो गया है; और

(ग) सरकार का इन झुग्गी झोंपड़ियों को कब तक हटाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भूमि खाली करने के लिए कब्जेदारों को पहले ही कानूनी नोटिस दे दिए गए हैं। अब पुलिस की सहायता से अनधिकृत वासियों के प्रत्यक्ष निष्कासन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) यह सही है कि झुग्गी झोंपड़ी वासियों द्वारा अनधिकृत कब्जे के कारण इस क्षेत्र की दशा अस्वास्थ्यकर हो गई है।

(ग) ऐसे मामलों में समय सीमा नियत करना बहुत ही कठिन है। समस्या का मानवीय पक्ष भी ध्यान में रखा जाना होता है। तथापि, कानून के अनुबंधों के अनुसार अनधिकृत कब्जेदारों को हटाने के लिए प्रयास जारी हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानें

2077. **श्री राज कुमार राय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन रिपोर्टों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सामान्य पूल में सरकारी क्वाटरों का निर्माण

2078. **श्री राज कुमार राय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 में अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न टाइप के क्वार्टरों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और वे कहां-कहां बनाए जाएंगे;

(ख) विभिन्न टाइप के क्वार्टरों की प्रतीक्षा सूचियों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) बनाये जा रहे क्वार्टरों के आवंटन के पश्चात् प्रतीक्षा सूची की क्या स्थिति होगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में बहु-मंजिला इमारतों का निर्माण

2079. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री मानिक रेड्डी :

श्री सुभाष यादव :

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बहु-मंजिला इमारतों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनेक 15 मीटर से ऊंची बहु-मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं जिसमें राष्ट्रीय संहिता का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में 298 गगनचुम्बी भवन हैं।

(ख) और (ग) अब निर्माणाधीन ऐसे भवनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

निर्माणाधीन भवनों की सूची

क्र० सं०	प्लाट सं०	जिला केन्द्र
1	2	3
1.	6	जनकपुरी
2.	7	जनकपुरी
3.	8	जनकपुरी
4.	9	जनकपुरी
5.	10	जनकपुरी
6.	11	जनकपुरी
7.	12	जनकपुरी
8.	11	राजेन्द्र प्लेस
9.	58	कॉमर्शियल केन्द्र, सी-ब्लाक, जनकपुरी
10.	38	नेहरू प्लेस × न्यायालय आदेश के अधीन निर्माणाधीन है।
11.	नेहरू प्लेस होटल्स	(एक ब्लाक)
12.	भीकाजी कामा भवन	भीकाजी कामा प्लेस
सामूहिक आवास समितियों के भवन		
13.	दिल्ली	पटपड़गंज
14.	नरवाना	,,
15.	हदूना	,,
16.	अग्रसेन	,,
17.	आई० एफ० एस०	मयूर विहार
18.	यूनियन लॉ इन्स्टीच्यूट	कड़कड़डूमा
19.	ककातिया	पटपड़गंज
20.	देशबन्धु	,,
21.	सुप्रीम	मयूर विहार
22.	सैन्ट्रल गवर्नमेंट सर्वेन्ट	पटपड़गंज

1	2	3
23.	फ्रेन्ड्स	पटपड़गंज
24.	परिवार	,,
25.	मौर्य	,,
26.	मयूर ध्वज	,,
27.	इंजीनियर्स	,,
28.	नवनीति	,,
29.	नागार्जुन	खिल्ला
30.	कैपीटल	,,
31.	मिलन विहार	पटपड़गंज
32.	तक्ष्यशिला	,,
33.	गीतांजलि	कड़कड़डूमा
34.	रेलवे इम्प्लाईज	सी० बी० डी० शाहदरा
35.	कानूनगो	पटपड़गंज
36.	श्रीगणेश	,,
37.	राजधानी	,,
38.	विदिशा	,,
39.	न्यू दिल्ली अपार्टमेंट्स	,,
40.	विद्युत	,,
41.	फारमास्यूटीकल इम्प्लाईज	,,
42.	नवकुंज	,,
43.	मित्रदीप	,,
44.	वर्द्धमान	मयूर विहार
45.	सरस्वती कुंज	पटपड़गंज
46.	विवेक	योजना विहार
47.	शिखा	पटपड़गंज
48.	आशीर्वाद	,,
49.	साहू विकास	,,
50.	झूले लाल	प्रीतमपुरा

1	2	3
51.	राजस्थानी भवन निर्माण	प्रीतमपुरा
52.	विकास	,,
53.	मिलन	,,
54.	रंगरसायन	रोहिणी
55.	सुविधा	,,
56.	सेन्ट्रल दिल्ली	,,
57.	रॉयल	,,
58.	फारमर्स	,,
59.	सुनहरी बाग	,,
60.	श्री जगदम्बे	,,
61.	तालागंग	,,
62.	दिल्ली प्रदेश	,,
63.	आत्म बल्लभ	,,
64.	वीर	,,
65.	डी० एस० आई० डी० सी०	,,
66.	कृषि	बोडेला
67.	डाक्टर्स एडमिन०	,,
68.	लक्ष्मी विहार	,,
69.	जीवर ज्योति	प्रीतमपुरा
70.	अमृत	,,
71.	विनोबा	रोहिणी
72.	न्यू सरस्वती	,,
73.	भाग्य लक्ष्मी	,,
74.	आई० बी० टी०	,,
75.	वरुण विहार	,,
76.	न्यू आस्तिक	,,
77.	नव शक्ति	,,
78.	वीनस	रोहतक रोड

1	2	3
79.	एयरमेन सैलर्स	रोहिणी
80.	राज्य सभा सेक्रेटेरियट	प्रीतमपुरा
81.	दिल्ली सिटीजन्स	रोहिणी
82.	जूपीटर्स	बोडेला
83.	पंचवटी	,,
84.	दिल्ली चार्टर्ड एकान्ट०	प्रीतमपुरा
85.	गालिब मेमोरियल	,,
86.	विरात	रोहतक रोड
87.	लॉइन्स	विकासपुरी बोडेला
88.	मॉडर्न	रोहिणी
89.	मधुवन	प्रीतमपुरा
90.	16, बाराखम्बा रोड	
91.	17, ,,	
92.	19, ,,	
93.	21, ,,	
94.	22, ,,	
95.	28, ,,	
96.	9, ,,	
97.	14, के० जी० मार्ग	
98.	15, ,,	
99.	22, ,,	
100.	13, टालस्टॉय मार्ग	
101.	15-17, टाल्स्टाय मार्ग	
102.	भारत होटल्स, बाराखम्बा लेन	
103.	एस० टी० सी० ऑफिस बिल्डिंग, जनपथ	
104.	नेशनल आरकाइट्स बिल्डिंग, जनपथ	
105.	इन्टरनेशनल लॉ सैन्टर, भगवानदास रोड	
106.	एम० ई० एस० क्वाटर्स, कोपरनिक्स मार्ग	

1	2
107.	आई० ई० एन० एस० बिल्डिंग रफी मार्ग
108.	डाक-तार भवन, लिंक रोड
109.	ए० आई० आई० एम० एस० कैम्पस में एम० एस० बिल्डिंग
110.	सफदरजंग हॉस्पीटल कैम्पस में एम० एस० बिल्डिंग
111.	आई० बी० कम्प्लैक्स (स्टाफ क्वार्टर्स), एस० पी० मार्ग
112.	मेडीकल सुपरइंटेंडेंट, सर गंगाराम हॉस्पीटल, राजेन्द्र नगर
113.	5, बहादुरशाह मार्ग
114.	मैसर्स एलाइड कन्स्ट्रक्शन कं०, 2, फ्लैटिड फैक्ट्री, ओल्ड रोहतक रोड
115.	मै० टावर हाइट बिल्डर्स प्रा० लि०, ए-2/2, नानीवाला बाग, नई दिल्ली।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

2080. श्री टी० बशीर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने के बारे में केरल के लोगों द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र सहित किसी भी अंतर्देशीय विमान क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं समझती।

अफ्रीका, दक्षिण अमरीका और पूर्वी देशों को एयर इंडिया की उड़ानें

2081. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने पर्यटकों की बढ़ती हुई आवागमन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यूरोप और ब्रिटेन की अपनी निर्धारित उड़ानों में वृद्धि की है (इकानॉमिक टाइम्स, 9 जुलाई, 1987); और

(ख) क्या अफ्रीका, दक्षिण अमरीका और सुदूर पूर्व के देशों के साथ यातायात और संचार व्यवस्था का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि एयर इंडिया ने जापान के लिए तीव्रतर उड़ानें आरंभ कर दी हैं, एयर-इंडिया ने भारत-अफ्रीका मार्ग पर ए-310 विमान की नई तकनीक आरंभ की है। एयर इंडिया ने दक्षिण अमेरिका से भारत के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ एक संयुक्त अभियान आरंभ किया है।

लक्षद्वीप में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

2082. श्री पी० एम० सईद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लक्षद्वीप में एक पूर्ण विकसित आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी केन्द्र कम्प्लैक्स का किस स्थान पर निर्माण किया जाएगा;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आकाशवाणी केन्द्र कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) आकाशवाणी की स्वीकृति 7वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षद्वीप द्वीप समूह में कावारत्ती में 2×10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर टाइप-I (आर) स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं तथा स्टाफ क्वार्टरों से युक्त एक नए आकाशवाणी केन्द्र को स्थापित करने की स्कीम शामिल है। स्कीम के चालू होने का निश्चित समय लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रशासन द्वारा भूमि का कब्जा दिये जाने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों की अदायगी

2083. श्री कुंवर राम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हिन्दुस्तान समाचार" नई दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन की बकाया धनराशि और उपदान की अदायगी के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) सरकार ने "हिन्दुस्तान समाचार" के प्रबन्धकों से कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) कर्मचारियों को उनके वेतन आदि कब से नहीं दिये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भविष्य निधि राशि की वसूली के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) नवम्बर, 1985 तक की अवधि के लिये बकाया राशि की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कारंवाई शुरू की गई है।

(ii) मार्च, 1980 से मार्च, 1983 तक की अवधि की बकाया राशि के लिये कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले दायर करने की कार्रवाई शुरू की गई है; और

(iii) 4/81 से 7/83 तक की अवधि के लिये कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गये अंशदान की अदायगी न करने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें दायर की गई हैं।

प्रेस वित्त निगम की स्थापना

2084. **श्री कुंवर राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस वित्त निगम स्थापित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) छोटे समाचार पत्रों की समस्याएं दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) द्वितीय प्रेस आयोग ने समाचार पत्र विकास आयोग के गठन की सिफारिश की थी न कि प्रेस वित्त निगम की। समुचित विचार करने के बाद सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

लघु समाचारपत्रों को दी जाने वाली सुविधाएं

(क) समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

इस समय लघु समाचारपत्रों को अखबारी कागज के आबंटन आदि के मामले में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(1) 2000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन करते समय सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं है;

(2) 300 मी० टन से कम की वार्षिक हकदारी वाले समाचारपत्रों को आयातित अखबारी कागज भागों में या एक ही बार में प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है;

(3) शीटफेड मशीन पर मुद्रित होने वाले समाचारपत्रों को रीलों की शीटों में बदलने के लिये उनकी हकदारी का 5 प्रतिशत अतिरिक्त अखबारी कागज दिया जाता है;

(4) 5000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचारपत्रों को, अखबारी कागज की उनकी हकदारी की गणना करते समय निःशुल्क वितरित, बिना बिकी वापस या मुद्रित परन्तु न तो बिकी और न ही निःशुल्क वितरित की गई प्रतियों का 10 से

20 प्रतिशत तक एलाउंस दिया जाता है तथा 5000 प्रतियों और 10,000 प्रतियों के बीच की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों को 10 से 15 प्रतिशत तक एलाउंस दिया जाता है। अन्यों के मामले में, यह प्रतिशतता केवल 5 से 10 तक है;

(5) लघु समाचारपत्रों द्वारा आयातित अखबारी कागज पर सीमा शुल्क को 550/ रुपये प्रति मीट्रिक टन है, बिल्कुल नहीं देना होता।

(6) 50 टन की वार्षिक हकदारी वाले समाचारपत्रों को तिमाही आबंटनों पर अखबारी कागज की समूची मात्रा एक या दो किश्तों में लेने की अनुमति दी जाती है।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

भारत सरकार की मौजूदा विज्ञापन नीति के अन्तर्गत, भाषायी समाचारपत्रों आदि को सामान्य रूप से तथा "लघु" समाचारपत्रों को विशेष रूप से निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं :—

(1) बिक्रीत प्रसार संख्या की सामान्य पात्रता प्रति अंक 1000 प्रतियां हैं। तथापि, निम्नलिखित के मामले में छूट अनुज्ञेय है :—

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाएं, जिनकी बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक हो;

(ख) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े, सीमावर्ती या दूरवर्ती क्षेत्रों में अथवा आदिवासी भाषाओं मे प्रकाशित होने वाले या मुख्य रूप से आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत पत्रिकाएं, जिनकी न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रति अंक हो।

(2) मुद्रण स्थान के मामले में भी आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्यतया आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को छूट अनुज्ञेय है।

(3) 200 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सनदी लेखाकार, आदि से प्रसार संख्या का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट है।

(4) विज्ञापनों दरों को नियत करने के मामले में दरों की समानता है अर्थात अंग्रेजी समाचारपत्रों तथा भाषायी समाचारपत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता तथापि, 10,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले भाषायी पत्र/पत्रिकाओं को अंग्रेजी के इसी प्रकार के पत्र/पत्रिकाओं की तुलना में उच्च बुनियादी दर मिलती है। विपणन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल बड़ी संख्या में लघु पत्र/पत्रिकाएं इस श्रेणी में आती हैं।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

लघु समाचारपत्रों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने की अपनी नीति के अनुसरण में, पत्र सूचना कार्यालय उन्हें अनेक विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। समाचार रिलीजों और लेखों जैसी अपनी सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यह अन्य प्रकार की समाचार सेवाएं यथा

साइंस डाइजेस्ट, कृषि न्यूज लेटर (कृषि पत्रिका), इबोनोइड ब्लाक, चर्बा (केवल उर्दू के लिए) और फोटो सप्लाई करता रहा है।

समाचार सेवाएं :

लघु समाचारपत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक सेवाएं चालू की गई हैं। विज्ञान, आर्थिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास को कवर करते हुए सरल और कैप्सूल रूप में गहन कहानियां तैयार करके उन्हें देश की सभी मुख्य भाषाओं में सप्लाई किया जाता है। मुख्यतः लघु समाचारपत्रों के लिए अभिप्रेत एक साप्ताहिक समाचार डाइजेस्ट ग्रामीण पत्र सेवा 1977 में हिन्दी में आरंभ की गई थी।

फोटो सेवाएं :

पत्र सूचना कार्यालय लघु समाचारपत्रों को सचित्र फोटो लेख और इबोनोइड ब्लाक भी सप्लाई करता है। चर्बा सेवाएं, जिनमें उर्दू लिथो प्रिंट में उपयोग के लिए जिंक ब्लाक होते हैं, बहुत लोकप्रिय हो गई हैं।

विशिष्ट सेवा सैल :

पत्र सूचना कार्यालय ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रतिनिधित्व के साथ मुख्यालय में एक विशिष्ट सेवा सैल स्थापित किया है। इस सैल को क्षेत्र आधारित विकास कहानियां तैयार करने तथा उन्हें भाषायी समाचारपत्रों को उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है। स्थानीय संगत फोटो, मानचित्र और इबोनोइड ब्लाक उपलब्ध करने पर अधिक जोर दिया जाता है।

प्रेस दल :

प्रेस के प्रतिनिधियों को देश के विभिन्न भागों में चल रही विकासीय गतिविधियों की प्रारंभिक जानकारी कराने के विचार से प्रेस दलों को केन्द्रीय सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में ले जाना पत्र सूचना कार्यालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार के विशिष्ट अध्ययन के लिए जल्दी-जल्दी चुनींदा परियोजनाओं पर ले जाया जाता है। भाषायी और लघु समाचारपत्रों को इन प्रायोजित दौरों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

प्रत्यायन

लघु समाचारपत्रों को अधिक सुविधाएं देने के लिए प्रत्यायन नियमों को उदार बनाया गया है नियमों के अनुसार, केवल 5000 से अधिक प्रतियों की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्र ही प्रत्यायन के लिए पात्र हैं। तथापि, लघु समाचारपत्रों की सहायता करने के लिए इस शर्त में ढील दी गई है और अब दो या अधिक लघु समाचारपत्र मिलकर सांझे संवाददाता के प्रत्यायन की मांग कर सकते हैं। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारपत्रों तथा पहाड़ी या पिछड़े क्षेत्रों या सूचना और संचार की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। पत्र सूचना कार्यालय की वितरण सूची में अब बड़ी संख्या में लघु समाचारपत्रों के नाम तथा उनकी ओर से प्रत्यायित संवाददाताओं के नाम शामिल हैं।

विविध :

पहले लघु समाचारपत्रों को ऋण और अग्रिम धनराशि प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। अब इन लघु समाचार-पत्र यूनिटों, जो लघु औद्योगिक यूनिटों के लिए निर्धारित निवेश मानदंड को पूरा करती हैं, को अग्रता दी जाती है और वे अन्य लघु औद्योगिक यूनिटों को आमतौर से उपलब्ध ब्याज की दरों, आदि में रियायत के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

नारियल विकास बोर्ड का पुनर्गठन

2085. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड का पुनर्गठन करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

2086. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मालापुरम और कासरगोडा में प्रस्तावित दूरदर्शन ट्रांसमीटर कब चालू हो जायेंगे ;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) केरल में मालापुरम और कासरगोडा में 100 वाट के एक-एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर के वर्ष 1987-88 के दौरान स्थापित तथा चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने कासरगोडा में दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लिए एक भवन का निर्माण किया है तथा मालापुरम में दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लिए पहले से ही निर्मित आवास की पेशकश की है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवार

2087. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से, इसके आरम्भ से लेकर 31 मार्च, 1887 तक, राज्य-वार कितने परिवारों को लाभ हुआ है;

(ख) उनमें से कितने परिवारों को 31 मार्च, 1987 तक, राज्य-वार गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया; और

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य-वार, नये और पुराने कितने परिवारों को सहायता प्रदान की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके आरम्भ होने से लेकर 31 मार्च, 1987 तक सहायता प्राप्त परिवारों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग ने अक्तूबर, 1985 से 29 प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों की मार्फत कार्यक्रम का मासिक समवर्ती मूल्यांकन शुरू किया है। अक्तूबर, 1985 से सितम्बर, 1986 तक की अवधि के लिए 12 महीनों के समवर्ती मूल्यांकन की एक समेकित रिपोर्ट संकलित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 52 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों ने 3500 रुपये की गरीबी की रेखा को पार किया था और 12 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों ने 6400 रुपये की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर लिया था। समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्ष के अनुसार विभिन्न राज्यों के लिए प्रतिशत को लागू करने पर, जिन लोगों ने 31 मार्च, 1987 को गरीबी की रेखा को पार कर लिया है, उनकी कुल संख्या का हिसाब लगाया गया है और संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ऊपर उल्लेख की गई समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति लोक सभा पुस्तकालय में संदर्भ प्रयोजनों के लिए रखी गई है।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दिये जाने वाले पुराने तथा नये परिवारों को दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1980-81 से 1986-87 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार (संख्या)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1980-87 के दौरान सहायता प्राप्त कुल परिवार
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1649758
2.	असम	426503
3.	बिहार	2879425
4.	गुजरात	1000239
5.	हरियाणा	580208
6.	हिमाचल प्रदेश	285738
7.	जम्मू तथा कश्मीर	242051
8.	कर्नाटक	1009170

1	2	3
9.	केरल	744754
10.	मध्य प्रदेश	2039166
11.	महाराष्ट्र	1390807
12.	मणिपुर	52309
13.	मेघालय	42944
14.	नागालैंड	59736
15.	उड़ीसा	1303060
16.	पंजाब	560309
17.	राजस्थान	1015051
18.	सिक्किम	14874
19.	तमिलनाडु	1864535
20.	त्रिपुरा	82350
21.	उत्तर प्रदेश	4679625
22.	प० बंगाल	1248324
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3908
24.	अरुणाचल प्रदेश	69038
25.	चण्डीगढ़	1442
26.	दादर व नगर हवेली	3423
27.	दिल्ली	23371
28.	गोआ दमन व दीव	46832
29.	लक्षदीप	2508
30.	मिजोरम	23554
31.	पांडिचेरी	25662
	अखिल भारत	23370674

विवरण-II

सहायता प्राप्त परिवार और समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर आंके गए गरीबी की रेखा को पार करने वाले परिवार

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1980-87 के दौरान सहायता प्राप्त कुल परिवार	3500 रुपये की गरीबी की रेखा को पार करने वाले अनुमानित परिवार
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1649758	984576
2.	असम	426603	323929
3.	बिहार	2879425	1435681
4.	गुजरात	1000239	397395
5.	हरियाणा	580208	239336
6.	हिमाचल प्रदेश	285738	157384
7.	जम्मू और कश्मीर	242051	131579
8.	कर्नाटक	1009170	389641
9.	केरल	744754	396507
10.	मध्य प्रदेश	2039166	839729
11.	महाराष्ट्र	1390807	711259
12.	मणिपुर	52309	7334
13.	मेघालय	42944	22447
14.	नागालैंड	59736	—
15.	उड़ीसा	1303060	223996
16.	पंजाब	560309	510442
17.	राजस्थान	1015051	679272
18.	सिक्किम	14874	5950
19.	तमिलनाडु	1864535	781613
20.	त्रिपुरा	82350	53042
21.	उत्तर प्रदेश	4679625	2825089

1	2	3	4
22.	पश्चिम बंगाल	1248324	735138
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3908	1975
24.	अरुणाचल प्रदेश	69088	34898
25.	चण्डीगढ़	1442	729
26.	दादरा व नगर हवेली	3423	1730
27.	दिल्ली	23371	11814
28.	गोवा, दमन और दीव	46832	23674
29.	लक्षद्वीप	2508	1263
30.	मिजोरम	23554	11907
31.	पांडिचेरी	25662	12972
	अखिल भारत	23370674	12164436*

* अखिल भारत और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के योग में अन्तर अनुमान लगाने सम्बन्धी कुछेक त्रुटियों के कारण हैं।

विवरण-III

वर्ष 1987-88 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पुराने तथा नये लाभार्थियों के लिए भौतिक लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1987-88 के लिए भौतिक लक्ष्य (संख्या में)		
		पुराना लक्ष्य	नया लक्ष्य	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	200000	73909	273909
2.	अरुणाचल प्रदेश	7000	11860	18860
3.	असम	53300	27956	81256
4.	बिहार	400000	136427	536427
5.	गुजरात	125000	22421	147421
6.	हरियाणा	45000	4438	49438

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	25000	2930	27930
8.	जम्मू तथा कश्मीर	27000	10745	37745
9.	कर्नाटक	115000	46238	161239
10.	केरल	100000	15419	115419
11.	मध्य प्रदेश	300000	84078	384078
12.	महाराष्ट्र	200000	76970	276 70
13.	मणिपुर	5150	2591	7741
14.	मेघालय	4000	5718	9718
15.	मिजोरम	1935	5433	7368
16.	नागालैंड	8000	2720	10720
17.	उड़ीसा	157800	50880	208680
18.	पंजाब	52000	3158	55158
19.	राजस्थान	166000	32162	198162
20.	सिक्किम	1475	552	2017
21.	तमिलनाडु	200000	69380	269380
22.	त्रिपुरा	9075	1587	10662
23.	उत्तर प्रदेश	600000	166063	766063
24.	पश्चिम बंगाल	101340	138334	239674
25.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	80	1560	1640
26.	चण्डीगढ़	210	215	425
27.	दादरा व नगर हवेली	250	195	445
28.	दिल्ली	2875	163	3038
29.	गोवा दमन व दीव	4825	1427	6252
30.	लक्षद्वीप	200	1500	1700
31.	पांडिचेरी	2000	280	2280
	अखिल भारत	2914515	997300	3911815

दूरदर्शन संवाददाताओं की नियुक्ति

2088. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री विजय कुमार यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार दूरदर्शन संवाददाताओं की नियुक्ति सीधी भर्ती से करने का है और दूरदर्शन कर्मचारियों में उनके इस पद के लिए दावों को वंचित किये जाने के कारण इस प्रस्ताव के विरोध में असंतोष बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संगठन के भीतर से इस पद के लिए योग्य प्रतिभावान कर्मचारियों का चयन करने हेतु कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सेवारत दूरदर्शन संवाददाताओं की पदोन्नति के अवसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दूरदर्शन ने कलाकारों को सर्वथा कान्ट्रैक्ट आधार पर लगाने के लिए टी० वी० समाचार संवाददाताओं, टी० वी० सहायक समाचार संवाददाताओं और टी० वी० सहायक समाचार संपादकों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए है। इन भर्तियों के विरुद्ध दूरदर्शन में कार्यरत स्टाफ से अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) निर्णय पिछले अनुभव और दूरदर्शन समाचारों की आवश्यकताओं पर भी आधारित है। दूरदर्शन के मौजूदा कार्मिक विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी उम्मीदवारी पर अन्य उम्मीदवारियों के साथ विचार किया जायेगा और वे सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट के हकदार हैं।

(ङ) दूरदर्शन के वर्तमान न्यूज स्टाफ में केन्द्रीय सूचना सेवा (जिससे समूह "क" को भारतीय सूचना सेवा समूह "क" का नाम कर दिया गया है) के व्यक्तियो और दूरदर्शन के प्रोड्यूसर होते है। केन्द्रीय सूचना सेवा के व्यक्तियों को उनके अपने संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं और समूह "क" के प्रोड्यूसरों को प्रस्तावित भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा में शामिल किया जायेगा जिसकी पदोन्नति की अपनी पद्धति होगी।

दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के गोदामों में निर्यात सामान की निकासी में विलम्ब

2089. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के गोदामों में निर्यात सामान की निकासी में विलम्ब होने के परिणाम-स्वरूप विदेशी बाजार की हानि के अलावा सामान की हानि/क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सामान की निकासी में विलम्ब होने के कारण अनुमानतः कितने सामान की हानि/क्षति हुई और इसके परिणाम स्वरूप निर्यातकों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है;

(ग) एयर इंडिया के गोदामों में एक महीने के भीतर निकासी न होने की वजह से अनुमानतः कितना सामान जमा हो जाता है; और

(घ) निर्यात सामान की निकासी सामान्य अवधि के भीतर सुनिश्चित करने और हवाई अड्डे पर गोदाम में जमा होने वाले सामान, जिसके कारण हानि/क्षति होती है सामान जमा न होने देने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) दिल्ली विमान क्षेत्र पर एयर इंडिया का कोई गोदाम नहीं है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण निर्यात माल स्वीकार करती है इसका भण्डारण करता है तथा पुष्टिकृत भार तथा स्थान के आधार पर वे इसे विमान में लादने के लिए एयर इंडिया को सौंप देता है। पिछले वस्त्र निर्यात मौसम में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के माध्यम से वस्त्र निर्यात में वृद्धि के कारण वहां काफी माल जमा हो गया था। खराब पैकिंग के कारण, इस अवधि में माल को हुए नुकसान का पता चला था। विमान मे माल लादने में हुई देरी के कारण विदेशी व्यापार में हानि के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पिछले एक वर्ष में निर्यात किये जाने वाले माल के गुम होने/नुकसान होने का कोई मामला एयर इंडिया को सूचित नहीं किया गया है। एयर इंडिया का दिल्ली में कोई गोदाम नहीं है, अत: प्रश्न नहीं है।

निर्यात माल के संचालन का निरीक्षण करने के लिए नागर विमानन के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक सेल का गठन किया गया है। जब कभी भी आवश्यक होगा, जमा माल की निकासी करने के लिए एयर इंडिया तथा अन्य विदेशी विमान कंपनियों को अतिरिक्त क्षेत्रीय उड़ानें की अनुमति दी गई है। माल के भंडारण के लिए एक नया कार्गो भवन चालू किया गया है।

"अधिक चावल पैदा करो" कार्यक्रम

2090. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अधिक चावल पैदा करो" कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके प्रारम्भ से राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और क्या कुछ राज्यों में कुछ धनराशि का उपयोग नहीं किया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप धान की खेती और उत्पादन में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो धान की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में और इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) "अधिक चावल उगाओ कार्यक्रम" के नाम से कोई योजना/कार्यक्रम विद्यमान नहीं है। तथापि, चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दो कार्यक्रम हैं :—

(1) "पूर्वी राज्यों में चावल का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम"। चावल का उत्पादन बढ़ाने का यह मुख्य कार्यक्रम है और इसे 1984 से छह पूर्वी राज्यों अर्थात् असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दी गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(2) "चावल का मिनिकिट व नर्सरी कार्यक्रम" इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) क्रम संख्या (1) पर दिये गये उपरोक्त कार्यक्रम के संबंध में उपयोग की गई/उपयोग न की गई राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है। आवंटित निधि का कुछ कम उपयोग हो पाया है क्योंकि उन वर्षों के दौरान राज्य इतनी ही अनुदान राशि की व्यवस्था नहीं कर पाये थे। क्रम संख्या (2) पर दिया गया कार्यक्रम पुनः संवितरण के आधार पर है।

(ग) चावल कार्यक्रमों से धान की खेती और उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। छह पूर्वी राज्यों में, जहां "चावल का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम" क्रियान्वित किया जा रहा है, धान के क्षेत्र, उपज और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1984-85 और 1985-86 के दौरान इन छह राज्यों में उत्पादन का क्षेत्र और उपज दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम (1984-85 से 1987-88 तक)

(लाख रुपयों में)

राज्य	1984-85			1985-86			1986-87			1987-88	
	केन्द्रीय हिस्सा	निर्मुक्त राशि	1-4-85 को राज्य के पास शेष राशि	केन्द्रीय हिस्सा	निर्मुक्त राशि	1-4-86 को राज्य के पास शेष राशि	केन्द्रीय हिस्सा	निर्मुक्त राशि	1-4-87 को राज्य के पास शेष राशि	केन्द्रीय हिस्सा	निर्मुक्त राशि
असम	48.95	48.95	0.05	135.00	135.00	1.00	185.00	184.00	9.80	185.00	175.50
बिहार	98.70	98.70	98.70	84.96 (पिछले वर्ष के बाकी शेष से प्राधिकृत)	शून्य	16.72	590.00	573.28	75.00	590.00	515.00
मध्य प्रदेश	86.40	86.40	0.356	200.00	200.00	26.225	200.00	79.579	44.175	200.00	200.00*
उड़ीसा	66.01	66.01	10.58	126.00	126.00	45.990	126.00	90.59	14.94	315.00	300.00
उत्तर प्रदेश	100.00	100.00	शून्य	420.60	420.60	89.135	509.90	410.765	117.28	510.00	403.09
प० बंगाल	100.00	100.00	12.53	335.00	335.00	20.72	350.00	329.28	15.11	350.00	335.98
कुल	500.06	500.06	122.216	1301.56	1216.60	199.790	1960.90	1677.494	246.005	2150.00	1929.63

(*1985-86 और 1986-87 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय को पूरा करने के लिए 80.021 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई थी)

विवरण-II

चावल का मिनीकिट व सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम राज्यवार व वर्षवार वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	38.60	44.08	44.71	30.46	11.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.03	—	0.11
3.	असम	46.10	43.99	51.06	60.00	10.94
4.	बिहार	72.36	74.62	80.60	22.91	11.99
5.	गोवा	2.09	4.11	3.34	2.60	0.32
6.	गुजरात	15.05	9.47	4.93	1.09	1.01
7.	हरियाणा	2.54	1.61	0.08	0.09	0.04
8.	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.06	0.04	0.09	0.20
9.	जम्मू और कश्मीर	0.07	—	0.06	0.05	—
10.	कर्नाटक	13.75	13.17	15.71	8.60	4.96
11.	केरल	12.14	12.19	10.12	8.01	3.45
12.	मध्य प्रदेश	27.29	26.35	65.86	40.16	26.33
13.	महाराष्ट्र	21.26	23.00	26.24	14.20	0.11
14.	मणिपुर	9.59	5.20	6.25	—	1.37

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	—	0.20	0.04	0.05	—
16.	मिजोरम	—	0.18	—	—	—
17.	नागालैंड	—	0.44	—	—	—
18.	उड़ीसा	175.39	72.57	50.92	41.68	22.02
19.	पंजाब	—	—	0.003	0.60	0.92
20.	राजस्थान	—	0.09	—	—	0.09
21.	सिक्किम	3.42	3.14	5.02	1.55	0.23
22.	तमिलनाडु	0.42	37.07	35.50	13.02	11.17
23.	त्रिपुरा	2.31	3.96	2.24	6.05	0.44
24.	उत्तर प्रदेश	25.53	32.24	45.04	34.64	7.82
25.	पश्चिम बंगाल	41.37	38.17	43.38	32.76	3.78
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.07	—	—	0.07	—
27.	दमन व द्वीव	—	—	—	—	—
28.	पांडिचेरी	3.97	1.41	3.82	3.52	0.56
29.	डी० एन० के० परियोजना	0.47	0.52	1.34	0.34	0.30
	योग—	508.84	447.84	470.093	321.54	119.57

विवरण-III

राज्य	1984-85 क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	1984-85 उत्पादन (लाख मीटरी टन)	1984-85 उपज (कि०ग्रा०/हेक्टेयर)	1985-86 क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	1985-86 उत्पादन (लाख मीटरी टन)	1985-86 उपज (कि०ग्रा०/हेक्टेयर)
1. असम	23.25	24.38	1049	24.64	28.47	1155
2. बिहार	51.73	53.77	1039	53.84	60.75	1128
3. मध्य प्रदेश	49.57	37.61	759	49.61	57.99	1161
4. उड़ीसा	43.04	41.72	969	43.70	52.02	1190
5. उत्तर प्रदेश	55.06	71.57	1300	55.10	81.98	1488
6. पश्चिम बंगाल	51.98	80.93	1557	50.37	78.34	1555
छह राज्यों का योग	274.63	309.98	1128	277.26	359.15	1295
अखिल भारत	411.59	583.36	1417	409.12	641.53	1568

अखबारी कागज के आबंटन की नीति

2091. **श्री सोमनाथ रथ :**

डा० वी० वेंकटेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 की अखबारी कागज के आबंटन सम्बन्धी नीति (सार्वजनिक सूचना सं० 1-पी० आर० एन० पी०/86) के अन्तर्गत नये प्रकाशित छोटे समाचारपत्रों को पूरे वर्ष अधिक कीमत पर स्वदेशी अखबारी कागज खरीदने के लिये बाध्य किया गया है जबकि यही आयातित किस्म का अखबारी कागज कम मूल्य पर खुले बाजार में उपलब्ध है बड़े समाचार पत्रों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) क्या अखबारी कागज सम्बन्धी नई नीति पत्रकारों द्वारा कम पूंजी से प्रकाशित किये जाने वाले छोटे समाचार पत्रों के विकास के लिये अवरोधक है और उन बड़े उद्योगपतियों के अनुकूल है जिनका प्रैस पर नियंत्रण है; और

(ग) क्या देश में छोटे समाचार पत्रों की अभिवृद्धि को बढ़ावा देने के लिये सरकार का वर्तमान नीति में संशोधन करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दिनांक 13-11-1985 को घोषित वर्ष 1986-88 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति, जिसकी प्रति 13-11-1986 को सभा की मेज पर रखी गयी थी, के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक नए आवेदक को पहले 12 महीनों के लिए विदेशी अखबारी कागज आबंटित किया जाता है। सभी श्रेणियों के समाचारपत्रों को आयातित अखबारी कागज का आबंटन उक्त नीति के अनुसार किया जाता है। समाचार पत्रों को अखबारी कागज के आबंटन में कोई भेदभाव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मौजूदा नीति में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र को कृषि विकास के लिए वित्तीय सहायता

2092. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को कृषि विकास योजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि विकास स्कीमों सहित राज्य प्लान योजना के लिए संशोधित गाडगिल फारमूले के अन्तर्गत दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में है और इसका क्षेत्र-वान आवंटन नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार को वार्षिक योजना 1985-86 के लिये

401.48 करोड़ रुपये और 1986-87 के लिये 454.01 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई। कुल केन्द्रीय सहायाता का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

मद	1985-86	1986-87
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	230.80	251.91
2. विदेशी सहायता से चलने वाली परियोजनायें	98.54	89.67
3. प्राकृतिक आपदाओं के लिये अग्रिम प्लान सहायता	55·34	93.45
4. पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	7.29	8.26
5. आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	9.51	10.72
कुल (1 से 5)	401.48	454.01

धान के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता

2093. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, मनीला के बीच पूर्वी भारत में, वर्षा पर आश्रित धान की खेती के विकास के बारे में मिलकर अनुसंधान करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हृ, तो इसकी प्रमुख विशेताएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान 1 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला के बीच पूर्वी भारत में बारानी चावल उत्पादन के विकास हेतु सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम के लिए एक समझौते पर दिनांक 20 जून, 1987 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) इसकी प्रमुख विशेषताओं को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूर्वी भारत में बारानी चावल उत्पादन के विकास हेतु सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम

यह सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम 2½ वर्ष के लिए अनुसंधान कार्यक्रम होगा (1-7-87 से 31-12-89) जिसे कृषि अनुसंधान परिषद (भा० कृ० अ० प०) तथा अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान (अ० चा० अ० सं०) द्वारा संयुक्त रूप से हाथ में लिया जायेगा और जिसमें निम्नलिखित होगा :

(क) चावल पर्यावरण विश्लेषण

(ख) उप जातीय सुधार :

(ग) बारानी चावल फसल प्रबन्ध !

(घ) बारानी फसल पद्धति !

(ङ) प्रशिक्षण !

(च) फसल के कटाई के बाद प्रौद्योगिकी !

कार्य की योजना

नीचे लिखी किस्मों की चावल की खेती के लिए कार्य योजना अनुसंधानपरक होगी और फार्म पर ही उनके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का मूल्यांकर किया जायेगा।

		अगुवाई वाले केन्द्र
1. बारानी उपराऊं	—	उपराऊं चावल अनुसंधान केन्द्र, भा० कृ० अ० प० हजारीबाग, बिहार।
2. बारानी तराऊं सतही जल	—	असम कृषि विश्वविद्यालय चावल अनुसंधान केन्द्र, तीताबर, असम।
3. बाहरानी गहरा पानी	—	नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गहरे पानी का चावल अनुसंधान केन्द्र, घाघरा घाट (उ० प्र०)
4. बारानी तराऊं सतही जल		चिनसुरा चावल अनुसंधान केन्द्र पश्चिम बंगाल।

उपरोक्त 4 अगुवाई वाले केन्द्र तथा पूर्वी उ० प्र० तथा पूर्वी म० प्र० सहित पूर्वी राज्यों में 11 उपकेन्द्र, अनुसंधान कार्यक्रम को हाथ में लेंगे।

समझौते में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा कुल 14.59 लाख रु० की निधि प्रदान की गई है। जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा रिलीज की जायेगी की प्रतिभूति के नकद रूप में की जायेगी और भा० कृ० अ० प० को यह राशि अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के सम्पर्क अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

कार्यक्रम का निष्पादन तथा कार्यान्वयन

यह कार्यक्रम भा० कृ० अ० प० के तत्वाधान में अमल में लाया जायेगा। कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय प्राप्त सभी अनुसंधान सामग्री को भा० कृ० अ० प० निर्बाध रूप से इस्तेमाल कर सकेगी। भारतीय कृषि विकास निधि को दी जाने वाली रिपोर्ट तथा अन्य सामग्री भा० कृ० अ० प० तथा अ० चा० अ० सं० के बीच हुए समझौते की शर्तों के मुताबिक तैयार की जायेगी।

यह समझौता 31 दिसम्बर, 1987 तक लागू रहेगा बशर्ते कि समझौते को दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से अवधि से पहले समाप्त न कर दिया जाये अथवा उस तिथि से आगे जारी रखा जाये।

उर्वरक उद्योग सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

2094. श्री बाला साहिब विखे पाटिल

डा० वी० वेंकटेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग से सम्बन्धित सरकार की नीति में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जहां तक देश की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, नीति में यह परिवर्तन किस रूप में लाभदायक होगा ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

असम को उर्वरकों का आवंटन

2095. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान असम को उवरकों की विभिन्न किस्मों का कोई आवंटन किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आवंटन राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उर्वरकों की मांग पोषक तत्वों के रूप में आंकी जाती है। 1985-86 और 1986-87 के वर्षों के दौरान असम में केन्द्र द्वारा आबंटित उर्वरक पोषक तत्व उर्वरकों को उपलब्ध की गई कुल मात्रा और उनकी खपत के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं—

("000 मीटरी टन एन + पी + के)

वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया आवंटन	कुल उपलब्धता	कुल खपत
1985-86	22 07	57.13	16.74
1986-87	22.80	56.39	17.65 (अनुमानित)

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि राज्य की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरक का नियतन पूर्णतया पर्याप्त था।

[हिन्दी]

छोटे और सीमान्त स्तर के मछुआरों के लिए योजना

2096. श्री छीतू भाई गामित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पालन उद्योग में लगे छोटे और सीमान्त स्तर के मछुआरों की आय में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) अब तक यह योजना कौन-कौन से राज्यों में कार्यान्वित की गई है,

(ग) जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई अथवा ऋण दिया गया, उनकी राज्यवार संख्या कितनी है, और

(ग) इस योजना से लाभान्वित हुये व्यक्तियों की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हुई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मछली पालन में जुटे छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए अब तक देश भर में 184 मछली पालक विकास एजेंसियां खोली गई हैं ये मछली पालक विकास एजेंसियां मछली पालकों को वित्तीय, तकनीकी और विस्तार सम्बन्धी सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं। वित्तीय सहायता ताल-विकास के लिए राज सहायता तथा पहले वर्ष के आदानों और संस्थागत वित्त के जरिए ऋण के रूप में होती है। इसके अलावा, ये मछली पालक विकास एजेंसियां चुनिंदा मछली पालकों को मछली पालन की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित मछली पालकों का एक संवर्ग भी तैयार करती हैं।

(ख) मछली पालक विकास एजेंसी कार्यक्रम निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया गया है, अर्थात्-आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजथान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मत्स्यन कार्य में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां

2097. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े व्यापारिक घरानों का ब्यौरा क्या है जिनके पास मत्स्यन पोत हैं,

(ख) वे किन-किन तटों पर कार्यरत हैं,

(ग) इन मत्स्यन पोतों का छोटे मछुआरों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है,

(घ) क्या यह सच है कि छोटे मछुआरों ने इन मत्स्यन पोतों द्वारा हमारे समुद्र में मछली पकड़ने के विरुद्ध शिकायत की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी समस्या हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) वे दोनों तटों पर से कार्य करते हैं।

(ग) गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के अलावा मुख्य भूमि में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा या तो उचित कानून बनाकर या कार्यकारी आदेश जारी करके पारम्परिक जलयानों यांत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिये मत्स्यन क्षेत्रों को सीमांकित किया गया है। इसके अनुसार उन मत्स्यन क्षेत्रों में, जो पारम्परिक और यांत्रीकृत क्षेत्र के लिए सीमांकित किये गए हैं, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों का प्रचालन निषिद्ध है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मात्स्यकी उद्योग में विविधता लाना

2098. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मात्स्यकी उद्योग में विविधता लाने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार विविध समुद्री उत्पादों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने हाल ही में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बहुउद्देशीय जलयानों को चलाना बन्द कर दिया है। आगे से, गैर-झींगा संसाधनों का अवशोषण करने के लिए केवल संसाधन विशिष्ट जलयानों को अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दक्षिण दिल्ली में पपन कला परियोजना

2099. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में दक्षिण पश्चिम दिल्ली में पपन कला परियोजा नाम से एक परियोजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण के पास पंजीकृत सभी 1,500 सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि आवंटित करने के लिए 2000 हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजा में पंजीकृत सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि आबंटित करने में विलम्ब किए जाने के कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण आबंटन की योजनायें कब शुरू करेगा और भूमि का प्रति वर्ग गज मूल्य क्या होगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पप्पनकलां क्षेत्र में लगभग 4,600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। यह भूमि प्राथमिक रूप से 1983 में पंजीकृत 1500 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को आवंटन के लिए उदिदष्ट है। यह योजना दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान इत्यादि जैसे भूमि विकास करने वाले विभिन्न सरकारी अभिकरणों के परामर्श से तैयार की जा रही हैं। जैसे ही इस योजना का अनुमोदन हो जाता है, वैसे ही इन समितियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें भूमि के आबंटन हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्रों में एक विज्ञापन जारी किया जायेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण इसे पूरा करने के लिए तथा संभव प्रयास कर रहा है। इस योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तथा कार्यान्वित के लिए तैयार हो जाने के बाद ही भूमि की वास्तविक बिक्री लागत ज्ञात होगी।

दिल्ली में आवास की कमी दूर करने हेतु योजनायें

2100. श्री डी० पी० जडेजा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में आवास की आवश्यकता पर अधिक ध्यान देने के संदर्भ में आवास की कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजधानी में विशेषतः सहकारी सामूहिक आवास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु क्या योजनायें बनाई गई है और इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण को क्या कार्य सौंपा गया है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी में पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियों की आवश्यकताओं को कब तक पूरी करने जा रहा है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I, II, तथा III में दी गई है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण-IV में दी गई सूचना के अनुसार।

विवरण

राजधानी में आवास की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बना गई योजनाओं की सूची।

1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय तथा स्व-वित्त पोषित योजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सामूहिक आवास।
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित तथा बेचे गये प्लाटों पर निजी क्षेत्र द्वारा आवास।
3. विश्वविद्यालय, कालेज, हास्पीटल आदि जैसे बड़े संगठनों द्वारा आवास।
4. पुलिस आवास।
5. सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा विकसित प्लाटों पर आवास।
6. सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा सामूहिक आवास।

7. अपने कर्मचारियों के लिए आवास।

8. पुनर्वास कालोनियों में सेवाओं का उन्नयन।

9. अनधिकृत कालोनियों में उन्हें विकसित करके आवास को रहने योग्य बनाना।

10. शहरी तथा ग्रामीण ग्रामों में विकास करके आवास को जीवन योग्य बनाना।

11. चयनित मलिन क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार।

12. झुग्गी क्लस्टरों में पर्यावरणीय सुधार।

13. स्थल तथा सेवा।

14. मलिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवास।

15. विकलांगों के लिए आवास।

16. सामुदायिक सेवा का कार्मिकों के लिए आवास।

17. भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास।

18. सफाई कर्मचारियों, मल ढोने वालों तथा धोबियों के लिए आवास।

19. मलिन बस्ती क्षेत्रों के परिवारों क पुनः बसाने के लिए आवास।

20. रैन बसेरे।

विवरण II

लोक निर्माण विभाग दिल्ली प्रशासन केवल दिल्ली प्रशासन के स्टाफ के लिए मकानों का निर्माण करता है। हाल ही में निम्नलिखित योजनाओं को पूरा किया गया है :—

1. तिमारपुर में 712 क्वार्टर (टाइप-सी) के 680 तथा टाइप-डी के 321

2. निम्नलिखित योजनायें हस्तगत हैं :—

(क) अशोक बिहार, दिल्ली के निकट नीमड़ी कालोनी में 375 क्वार्टर (225 टाइप-11 के तथा 150 टाइप-111 के), यह कार्य प्रगति पर है।

(ख) तिमारपुर रिहायशी कालोनी में 90 क्वार्टरों(टाइप-11) की योजना बनाई गई है। यह कार्य अभी आरम्भ किया जाना है।

(ग) शाली मार व्यय में एक भू-खण्ड पर विभिन्न टाइपों के 750 क्वार्टरों की योजना बनाई गई है। निर्माण कार्य अभी आरंभ किया जाना है। विस्तृत विन्यास नक्शे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

3. शहरी विकास मंत्रालय (निर्माण विभाग) द्वारा सातवीं योजना अवधि के लिए 135 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है और इस राशि से सरकारी कर्मचारियों के लिए लगभग 15000 क्वार्टरों का निर्माण किया जा सकेगा।

विवरण III

नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने कर्मचारियों के लिए सभी श्रेणियों अर्थात् टाइप—I, II, III, IV तथा V की कई आवास योजनायें आरम्भ की है। 80 स्टाफ क्वार्टरों का कार्य वर्ष 1987-88 में

पूरा हो गया था और लगभग 350 मकानों के लिए वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान नई योजनायें आरम्भ की गई। पिछले वर्ष लगभग 215 लाख रु9 व्यय किये गये थे और जारी/नई योजनाओं के लिए योजना कार्यों के अन्तर्गत 261 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विवरण IV

1970 से सहकारी ग्रुप आवास के आधार पर आवास गति विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक सुविधारित नीति रही है। सहकारी ग्रुप आवास में तेजी लाने के लिए इन समितियों को भूमि पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित की जाती है। संस्थानों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इन समितियों को सरकारी तथा उर्द्ध सरकारी संगठन आसान शर्तों पर ऋण मंजूर कर रहे हैं। इन समितियों को ऋण मंजूर करने के अलावा सरकार योजना निधियों के अन्तर्गत अंश पूंजी अंशदान मुहैया करती है और बाजार उद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी गारन्टी बाण्ड को चलाने के लिए उन्हें प्राधिकृत भी करती है। केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जो इन समितियोंके सदस्य हैं वे फ्लैटों की निर्माण लागत के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अन्तिम नियमों के अंतर्गत भी ऋण ले सकते हैं।

इन समितियों को विकसित भूमि उपलब्ध कराने के लिए उत्तरवाई अभिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण है। 1983 से पूर्व पंजीकृत 586 ग्रुप आवास समितियों में से 517 समितियों को भूमि का आवंटन कर दिया गया है। शेष 69 समितियां या तो निलम्बित हैं या उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि के आवंटन के लिए नही कहा है जब 1983 के बाद पंजीकृत 1415 समितियों में से सरकारी समितियों के पंजीकौर ने 1220 समितियों को भूमि के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण से सिफारिश की है। इन समितियों को आवंटन हेतु भूमि दक्षिण दिल्ली में पालम गांव के निकट पुण्नकलां से परिचित परिसर में अर्जित की गई है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा दिल्ली जलपूर्ति एवं मल निर्यास संस्थान इत्यादि जैसे भूमि विकास कार्य पर लगे विभिन्न सरकारी अभिकरणों के परामर्श से इस योजना को तैयार किया जा रहा है। जैसे इस योजना को अन्तिमरूप दे दिया जाता है और उप राज्यपाल द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है वैसे ही इन समितियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। तथापि इसके लिए इस स्तर पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

सेब विकास निधि की स्थापना

2101. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक सेब विकास निधि की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय सेब विकास निधि की स्थापना करने का सरकार के पास कोई विधिवत प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्रों तथा दूरदर्शन केन्द्रों का मूल्यांकन

2102. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी आकाशवाणी केन्द्रों तथा दूरदर्शन केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए एक मध्य कालीन सातवीं योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फल विपणन के लिए विपणन आसूचना केन्द्रों की स्थापना

2103. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फल विपणन के लिए विपणन आसूचना केन्द्र स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं,

(ग) किन स्थानों का चयन किया गया है तथा इसके चयन के लिए क्या मापदंड रखा गया है, और

(घ) इसकी स्थापना में क्या प्रगति हुई है :

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) फलों अर्थात् आम, केला, नीबू, सेब तथा अंगूर और सब्जियों जैसे आलू, प्याज, टमाटर, बंदगोभी, फूल गोभी, बैंगन, मटर तथा भिण्डी के लिए विपणन आसूचना सेवा के लिए भारत में 20 केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये केन्द्र इस योजना के तहत कवर किए गए फलों तथा सब्जियों के सम्बन्ध में उनके महत्व को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तावित किए गए हैं।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि इसके क्रियान्वयन के लिए मंजूरी शीघ्र ही जारी की जाएगी।

विवरण

फलों तथा सब्जियों के लिए प्रस्तावित विपणन आसूचना केन्द्र

क्रम सं०	राज्य का नाम	विपणन आसूचना केन्द्र के लिए स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा	गोहाटी
3.	बिहार	पटना

1	2	3
4.	गुजरात	अहमदाबाद
5.	हरियाणा	चंडीगढ़
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
7.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर/जम्मू
8.	कर्नाटक	बंगलौर
9.	केरल	त्रिवेंद्रम/कोचीन
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल
11.	महाराष्ट्र	बम्बई
12.	महाराष्ट्र	नागपुर
13.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
14.	पंजाब	जलंधर
15.	राजस्थान	जयपुर
16.	सिक्किम	गंगटोक
17.	तमिलनाडु	मद्रास
18.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
19.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
20.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली

टिप्पणी : उपर्युक्त बताए गए स्थान अस्थाई हैं और सीमावर्ती मंडियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए संबंधीत राज्य सरकारों के परामर्श से मालूली समायोजना किया जा सकता है।

फलों की खेती के लिए बीमा योजना

2104. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फलों की खेती का बीमा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : (क) से (ग) सेब की फसल को वृहत फसल बीमा योजना में शामिल करने की एक स्कीम तैयार की गई थी लेकिन यह निर्णय लिया गया कि फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की गहराई से समीक्षा की जानी चाहिए और सेब की फसल को शामिल करने के प्रस्ताव को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। तदनुसार, वृहत फसल बीमा योजना के क्रियान्वतन के अध्ययन के लिए एक दल का गठन किया गया है।

सरकारी आवास के लिए लाइसेंस फीस की वसूली

2105. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने कर्मचारी को आवंटित किए गए आवास के टाईप के अनुसार सरकारी आवास के लिए समान दर पर लाइसेंस फीस वसूल किए जाने की सिफारिश की है और यह दर देश भर में समान रूप से लागू होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई; और

(ग) सरकारी आवास के विभिन्न वर्गों के लिए लाइसेंस फीस की दरें क्या हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के तहत सामान्य पूल में उपलब्ध आवास और अन्य सभी मंत्रालयों/सरकार के विभागों के अन्तर्गत आवासों के लिए लाइसेंस फीस की समान दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया जिनमें निम्न स्तर और अवर्गीकृत आवास और रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा कार्मिकों के आवास और रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन आवास शामिल नहीं हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	वास का टाइप	रिहायश क्षेत्रफल की सीमा (वर्ग मीटर में)	निर्धारित की गई लाइसेंस फीस की फ्लैट पर (रुपयों में)	टिप्पणी
1	2	3		5
1.	ए	30 तक	10	दो क्वार्टरों से अधिक के लिए शौचालय सुविधाओं वाले क्वार्टर
2.	ए	30 तक	15	दो क्वार्टरों के लिए शौचालय सुविधाओं वाले क्वार्टर
3.	ए	30 तक	25	300 वर्ग फीट से कम कुर्सी क्षेत्र वाले पुराने क्वार्टर
4.	ए	30 तक	35	300 वर्ग फुट से अधिक कुर्सी क्षेत्रफल वाले क्वार्टर
5.	बी	26.5	35	350 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल वाले टाइप बी के वे क्वार्टर जिन्हें अब टाइप ए में पुन: कि या ।

1	2	3	4	5
6.	बी	32 से 40	60	
7.	बी	41 से 50	75	
8.	सी	34.5	60	त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत टाइप सी के क्वार्टर जिनका कुर्सी क्षेत्रफल 425 वर्ग फुट है जिन्हें अब टाइप-बी पुनः वर्गीकृत किया गया।
9.	सी	44 से 55	85	
10.	सी	56 से 65	105	
11.	डी	59 से 75	115	
12.	डी	76 से 91.5	145	
13.	ई	106 तक	185	
14.	ई	106 से ऊपर	210	
15.	ई-I	159.5 तक	260	
16.	ई-I	159.5 से ऊपर	300	
17.	ई-II	189.5 से 224.5 तक	350	
18.	ई-III	243 से 350	500	
19.	ई-III	350.5 से 522 तक	600	
होस्टल वास				
20.	एक कमरा	21.5 से 30.5 तक	65	
21.	एक कमरा	30.5 से 39.5 तक	90	
22.	दो कमरे	47.5 से 60.0 तक	125	

उन सर्वेन्ट क्वार्टरों तथा गैराजों, जो निर्मित वास/होस्टल के स्वतंत्र रूप से आवंटित हैं, के लिए निम्नलिखित फ्लैट दरों का वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

I. सर्वेन्ट क्वार्टरस् 10/- रुपये प्रतिमाह

II. गैराज 5/- रुपये प्रतिमाह

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले भूमिहीन श्रमिक परिवार

2106. **श्री जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिसके कम से कम एक सदस्य को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में 100 दिन काम मिला है;

(ख) इस कार्य के अन्तर्गत किस प्रकार के काम दिए जाते हैं और क्या इस कार्यक्रम से इन परिवारों को स्थायी लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर कितना व्यय किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का दोहरा उद्देश्य टिकाऊ स्वरूप की ग्रामीण परि-सम्पत्तियों का सृजन करके ग्रामीण भूमिहीन लोगों को गैर-कृषि अवधि के दौरान मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। रोजगार सृजन के साथ-साथ बीस सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से सम्बद्ध कार्यों जैसे ग्रामीण सड़कों, पेयजल टयूबवैलों, प्राथमिक स्कूल भवनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए मकानों का निर्माण किया जाता है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन की प्रगति की निगरानी सृजित किए गए रोजगार के श्रम दिनों के रूप में की जाती है क्योंकि प्रशासनिक जटिलताओं और वित्तीय कठिनाईयों के कारण रोजगार की गारंटी के प्रावधान को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित किए गए रोजगार के श्रम दिनों की संख्या और किया गया खर्च विवरण-I तथा II में अलग-अलग दर्शाये गए है।

विवरण-I

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख श्रम दिन) (अनन्तिम)

क्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88 (3-8-87 की स्थिति)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	217.55	224.49	299.83	48.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	...	1.12	1.30	0.06
3.	असम	35.66	22.32	40.81	13.98

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	336.52	232.73	328.66	56.12
5.	गुजरात	83.72	70.62	79.63	18.29
6.	हरियाणा	7.90	15.18	17.12	1.25
7.	हिमाचल प्रदेश	17.93	15.85	19.11	2.40
8.	जम्मू व कश्मीर	11-07	8.59	18.55	0.18
9.	कर्नाटक	178.44	188.29	160.46	28.42
10.	केरल	49.98	76.99	113.72	13.24
11.	मध्य प्रदेश	232.18	194.24	278.83	25.50
12.	महाराष्ट्र	327.69	230.27	222.44	40 31
13.	मणिपुर	5.46	0.47	1.45	0.64
14.	मेघालय	0.23	2.02	2.77	0.79
15.	मिजोरम	2.82	1.06	12.04	0.16
16.	नागालैण्ड	2.80	2.56	3.01	0.50
17.	उड़ीसा	73.22	121.29	175.94	19.89
18,	पंजाब	20.95	20.69	18.02	2.41
19.	राजस्थान	67.68	64.27	152.26	19.82
20.	सिक्किम	0.43	1.67	2.89	0.83
21.	तमिलनाडु	311.74	288.45	320.39	23.30
22.	त्रिपुरा	8.47	12.09	8.62	0.11
23.	उत्तर प्रदेश	505.62	468.25	527.61	64.04
24.	पश्चिम बंगाल	72.83	110.64	219.74	37.23
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	...	0.29	0.76	0.13
26.	चण्डीगढ़	0.31	0.24	0.89	...
27.	दादरा व नगर हवेली	...	0.31	0.59	0.18
28.	दिल्ली	2.20	0.32	0.36	0.21
29.	गोवा, दमन व दीव	2.51	1.99	2.24	0.87
30.	लक्षद्वीप	0.65	0.84	1.05	0.19
31.	पाण्डिचेरी	1.54	0.75	1.22	0.29
	अखिल भारत	2576.10	2379.79	3031.51	419.77

विवरण II

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए खर्च के राज्य/संघशासित क्षेत्रवार ब्यौरा

(अनन्तिम)

(लाख रुपये में)

क्रम	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88 (3-8-87 की स्थिति)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4474.13	5037.18	7080.68	1076.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	16.00	24.11	1.31
3.	असम	761.40	452.98	1301.44	282.35
4.	बिहार	4279.25	4658.26	8385.88	1654.40
5.	गुजरात	1522.22	1512.63	1872.96	379.02
6.	हरियाणा	352.53	522.47	642.63	65.20
7.	हिमाचल प्रदेश	227.88	227.30	348.62	50.40
8.	जम्मू और कश्मीर	213.80	160.98	409.88	1.44
9.	कर्नाटक	1850.76	2336.82	2081.02	399.05
10.	केरल	1712.46	2076.00	3263.48	230.20
11.	मध्य प्रदेश	2511.39	2878.68	4348.20	394.95
12.	महाराष्ट्र	3829.72	3790.03	3411.90	526.25
13.	मणिपुर	82.45	24.72	40.12	11.61
14.	मेघालय	6.38	46.23	67.12	17.64
15.	मिजोरम	34.27	15.24	272.80	4.90
16.	नागालैंड	65.00	70.70	90.42	7.50
17.	उड़ीसा	982.16	1719.98	2781.77	368 89
18.	पंजाब	575.00	583.30	789.32	117.21
19.	राजस्थान	970.12	1107.56	2475.92	264.51
20.	सिक्किम	10.18	40.14	65.58	16.15

1	2	3	4	5	6
21.	तमिलनाडु	5674.34	4354.34	5728.79	417.26
22.	त्रिपुरा	131.22	183.58	232.05	3.66
23.	उत्तर प्रदेश	6546.90	9412.84	11749.82	2235.96
24.	पश्चिम बंगाल	945.00	2133.43	4637.06	706.72
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3.22	6.63	17.40	1.18
26.	चण्डीगढ़	4.47	11.22	1.61	—
27.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	9.44	20.79	2.29
28.	दिल्ली	5.83	10.82	14.29	1.47
29.	गोवा, दमन और दीव	43.78	48.33	58.79	20.91
30.	लक्षद्वीप	10.39	13.27	16.33	3.65
31.	पाण्डिचेरी	16.90	44.41	42.08	8.15
	अखिल भारत	37853.15	43506.51	62772.86	9270.60

तिलहन अनुसंधान निदेशालय के कार्यकरण में सुधार

2107. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के कार्यकरण में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हेतु अपेक्षित भूमि आबंटित की है; और

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में निदेशालय को किस जगह भूमि आबंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग मे राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना के दौरान इसे अतिरिक्त मानवशक्ति, संरचना आधार तथा अन्य सुविधाओं के साथ सुदृढ़ किया गया है। इस प्रकार आगे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अस्थायी तौर पर हैदराबाद के नजदीक तिलहन अनुसंधान निदेशालय को भूमि देना स्वीकार कर लिया है।

(ग) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान, निदेशालय को दी गई भूमि आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के राजेन्द्रनगर कैम्पस में स्थित है।

आंध्र प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र

2108. श्री बी० तुलसीराम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वर्ष 1987, 1988 और 1989 में किन-किन स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में महबूब नगर में यह केन्द्र स्थापित करने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में कोई नया कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का इस समय प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए कोई अतिरिक्त निधि प्रदान नहीं की गई।

[हिन्दी]

एसोसिएटेड एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट फाउन्डेशन द्वारा बीजों की सप्लाई

2109. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सरफराज अहमद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसिएटेड एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट फाउन्डेशन के केन्द्रीय राज्य बीज एजेन्सियों से किस दर पर बीज खरीदे थे और किसानों को ये किस दर पर सप्लाई किए गए,

(ख) क्या इन दोनों मूल्यों के बीच कोई बड़ा अन्तर था, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एसोसिएटेड एग्रीकल्चरल डेवेलपमेन्ट फाउन्डेशन द्वारा केन्द्रीय राज्य बीज एजेंसियों से खरीदे गए बीज की दर और किसानों को ये बीज सप्लाई करने की दर नीचे दी गई है :—

केन्द्रीय राज्य एजेंसियों के नाम	बीज की प्रकार/किस्म	अधिप्राप्ति दर (रुपये प्रति किलो ग्राम में)	बिक्री दर (रुपये/कि०ग्राम)
राष्ट्रीय बीज निगम	फूल गोभी आई०जे०	125	125
	बैंगन पी० के०	90	90
	लौकी पी०एस०पी०एल०	45	45
	टमाटर	175	175

1	2	3	4
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कटराइन	फूल गोभी पी०एस० बी०-1	1500	1500
	फूल गोभी के-1	720	720
	बन्द गोभी जी०ए०	375	375
	किसानों की सेवा करने के रूप में बीज की बिक्री उसी दर पर की गई जिस दर पर उसकी खरीद की गई थी।		

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान तेलुगु फिल्मों की बिक्री

2110. श्री बी० तुलसीराम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले दिल्ली में हुए फिल्म समारोह के दौरान कुल कितनी तेलुगु फिल्मों की बिक्री की गई;

(ख) क्या बेची गई तेलुगु फिल्मों की संख्या नगण्य थी; और

(ग) यदि हां, तो बेची गई फिल्मों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ग) जनवरी, 1987 में नई दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान किसी तेलुगु फिल्म की बिक्री नहीं हुई थी।

(ग) यद्यपि 14 हिन्दी और 7 बंगला फिल्मों की खरीद के लिए पेशकश प्राप्त हुई थी, वास्तव में अब तक बिक्री फिल्मों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) तरंग	हिन्दी
(2) देवशिशु	,,
(3) मैसी साहब	,,
(4) नाचे मयूरी	,,
(5) मिर्च मसाला	,,
(6) तवायफ	
(7) नाम	,,

उर्वरकों के तुलनात्मक मूल्य

2111. श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पड़ोसी देशों और विकसित देशों में उर्वरक का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है,

(ख) क्या भारत में उर्वरकों का मूल्य पड़ोसी और विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) उर्वरकों के मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में और इसके कुछ पड़ोसी तथा विकसित देशों में उर्वरक की प्रति किलोग्राम एन० की (1984-85) कीमत विवरण में दी गई है।

(ग) उर्वरकों की कीमतें पहले से ही बहुत अधिक राजसहायता प्राप्त है।

विवरण

1984-85 में विभिन्न देशों में किसानों द्वारा एक किलोग्राम एन० खरीदने के लिए अमरीकी डालरों में दी गई कीमत

देश	एन० की प्रति किलोग्राम कीमत अमरीकी डालरों में
अफगानिस्तान	0.344
बंगला देश	0.389
भारत	0.393
श्री लंका	0.244
जापान	0.704
पाकिस्तान	0.367
कनाडा	0.541
अमरीका	0.520

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में "कोल्ड वाटर फिशरीज" सम्बन्धी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

2112. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश पिथौरागढ़ जिले में चम्पावात भीमताल में "कोल्ड वाटर फिशरीज" से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना को अन्तिम स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी समितियां

2113. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रही सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है,

(ख) उपयुक्त में से ऐसी सहकारी समितियों की राज्यवार, संख्या कितनी है जो काम नहीं कर रही है, और

(ग) इन्हें फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : (क) 30 जून, 1981 को देश में सभी प्रकार की 3.26 लाख ऐसी सहकारी सोसायटियां थीं जिनके बारे में नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ख) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित सहकारी सोसायटियों के विकास और सुदृढ़ीकरण की कार्यनीति इस इस प्रकार है : —

(1) ऐसी प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों का व्यापक विकास जो व्यावहारिक बहुउद्देशीय यूनिटों के रूप में कार्य कर सकें।

(2) विशेषकर गरीब वर्गों में ऋण-प्रवाह के विस्तार, आदानों की सप्लाई और सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संस्थाओं की नीतियों और प्रक्रियाओं को फिर से निर्धारित करना।

(3) कम विकसित राज्यों, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए विशेष सहकारी कार्यक्रम शुरू करना।

(4) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ करना ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केन्द्रीय भूमिका निभा सकें।

(5) संचालनात्मक कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रबन्ध को बढ़ावा देना और प्रभावी प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करना।

साथ ही, 1985 में हुए राज्य सहकारिता मन्त्रियों के सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदृढ़ करने के उपाय सुझाये गये। राज्य सरकारों को इस सम्मेलन में अन्तिम रूप दिए गए उपायों की इस अनुरोध के साथ सिफारिश की गई है कि उन पर अनुवर्ती कार्यवाही शीघ्र करने के लिए कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार की जाये।

विवरण

30-6-1981 की स्थिति के अनुसार सहकारी समितियों तथा काम न करने वाली सहकारी समितियों की राज्यवार कुल संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहकारी समितियों की संख्या	
		कुल	इनमें से काम नहीं कर रही समितियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	38,244	10,685
2.	असम	10,493	4,391
3.	बिहार	18,331	4,808
4.	गुजरात	32,233	3,449
5.	हरियाणा	8,072	2,330
6.	हिमाचल प्रदेश	3,368	345
7.	जम्मू व कश्मीर	1,728	201
8.	कर्नाटक	18,205	4,009
9.	केरल	9,322	1,243
10.	मध्य प्रदेश	12,260	2,668
11.	महाराष्ट्र	60,315	4,603
12.	मणिपुर	2,223	1,016
13.	मेघालय	627	111
14.	नागालैंड	434	224
15.	उड़ीसा	5,072	1,152
16.	पंजाब	16,981	3,615
17.	राजस्थान	15,919	5,551
18.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19.	तमिलनाडू	22,400	5,206
20.	त्रिपुरा	907	385
21.	उत्तर प्रदेश	27,050	9,946
22.	पश्चिम बंगाल	21,039	5,022

1	2	3	4
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	246	92
24.	अरूणाचल प्रदेश	91	27
25.	चण्डीगढ़	418	121
26.	दादरा नगर हवेली	37	10
27.	दिल्ली	2,501	765
28.	गोवा, दमन व दीव	464	166
29.	लक्षद्वीप	35	3
30.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
31.	पांडिचेरी	292	6
	अखिल भारत	3,26,327	72,050

[अनुवाद]

समुद्र में मछुआरों की मौत

2114. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष समुद्र से मछली पकड़ते हुए बहुत से मछुआरे मर जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मरे मछुआरों की राज्यवार संख्या कितनी है, और

(ग) समुद्र में मरने वाले मछुआरों की संख्या में कमी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूखा और बीमारियों का काली मिर्च के उत्पादन पर पड़ा प्रभाव

2115. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में इदुकी में काली मिर्च का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है,

(ख) क्या सूखा और बीमारी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) फसल वर्ष 1985-86 के दौरान केरल के इडुक्की जिले में काली मिर्च का उत्पादन

2537 मीटरी टन था, जबकि फसल वर्ष 1984-85 के दौरान यह उत्पादन 1778 मीटरी टन था। राज्य में इस फसल का बड़ी मात्रा में उत्पादन इडुक्की जिले में किया जाता है।

(ग) केरल और अन्य राज्यों में काली मिर्च के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से चालू योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं स्वीकृत की गई हैं :—

(1) काली मिर्च की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की जड़युक्त कलमों का उत्पादन और वितरण;

(2) कलो मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आदर्श बगीचों की स्थापना;

(3) काली मिर्च के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लघु और सीमान्त किसानों को आदान किटों और स्प्रेयरों का वितरण;

(4) काली मिर्च का खेतों में प्रदर्शन।

इसके अलावा सुझाई गई पैकेज पद्धतियों को अपनाकर काली मिर्च की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए केरल में काली मिर्च के बगीचों को पुन: स्थापना करने को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए 143.0 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 1987-88 के दौरान 0.75 लाख रुपये की लागत से केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर में संकर काली मिर्च (पानीयूर-1) के लिए केन्द्रीय नर्सरियों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना मंजूर की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पानीयूर-1 काली मिर्च की 1.5 लाख जड़युक्त कलमों का उत्पादन और वितरण किए जाने का लक्ष्य है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग का कार्यचालन

2116. डा० ए० के० पटेल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार कृषि लागत और मूल्य आयोग औद्योगिक श्रमिकों और कृषि श्रमिकों में रहन-सहन के स्तर में और औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में किए गए पूंजी निवेश पर मिलने वाले प्रतिशत लाभ के बीच समानता लाने के लिए कार्य करता है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : यह आयोग विभिन्न कृषि जिंसों के मूल्य नीति और उससे संबंधित मूल्य-तन्त्र को सिफारिश करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है :—

(1) उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने और राष्ट्रीय जरूरतों के अनुरूप उत्पादन के स्वरूप का विकास करने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता।

(2) भूमि, जल और अन्य उत्पादन साधनों के युक्तिसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

(3) शेष अर्थ व्यवस्था विशेषकर रहन-सहन के स्तर, मजदूरी के स्तर, औद्योगिक लागत तन्त्र आदि पर मूल्य नीति के सम्भावित प्रभाव।

इस आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार इसके लिए यह अनिवार्य है कि यह अपनी सिफारिशें अर्थ व्यवस्था की सारी जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित और समेकित मूल्य तन्त्र तैयार करने की दृष्टि से करे।

जहां तक कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों के बीच समानता बनाये रखने का सम्बन्ध है, उल्लेखनीय है कि यह आयोग कृषि जिंसों के लिए मूल्य नीति तथा तत्सम्बन्धित मूल्य तंत्र की सिफारिश करते वक्त अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार में आने वाले परिवर्तनों की समीक्षा भी करता है। तदनुसार, यह आयोग मूल्य नीति सम्बन्धी सिफारिशें करते समय किसान द्वारा अपने घर तथा खेत में खपत के लिए खरीदी गई जिंसों के मूल्यों और उसके द्वारा बाजार में बेचे गए उत्पादन के लिए उसे मिलने वाले मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखता है।

समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सप्लाई

2117. डा० ए० के० पटेल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 में 40,000 से अधिक और 1987-88 में 50,500 समस्याग्रस्त गांवों को पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाना था;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक राज्य-वार क्या प्रगति हुई है; और

(ग) 1987-88 के बाद समस्याग्रस्त गांवों की राज्य-वार अनुमानित संख्या क्या होगी ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) वर्ष 1986-87 में, 35930 समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी थी। वास्तविक उपलब्धि 48,350 गांवों की थी। वर्ष 1987-88 में, आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति किए गए गांवों सहित 50,570 समस्याग्रस्त गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कवर किए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या 1986-87 के दौरान	1987-88 के दौरान (जून 87 तक)	1987-88 के पश्चात समस्याग्रस्त गांवों की संख्या (अनुमानित)
1.	आंध्र प्रदेश	2644	1058	—
2.	असम	1608	194	1643
3.	बिहार	3239	61	1721
4.	गुजरात	1002	149	3012
5.	हरियाणा	480	90	804
6.	हिमाचल प्रदेश	500	102	1952

1	2	3	4	5
7.	जम्मू तथा कश्मीर	445	28	1952
8.	कर्नाटक	4244	434	1606
9.	केरल	100	18	—
10.	मध्य प्रदेश	3730	1560	7118
11.	महाराष्ट्र	6483	1783	33612
12.	मणिपुर	170	31	309
13.	मेघालय	450	6	2248
14.	नागालैंड	38	0	406
15.	उड़ीसा	2936	477	4875
16.	पंजाब	180	37	8138
17.	राजस्थान	1871	725	2024
18.	सिक्किम	38	8	—
19.	तमिलनाडु	3837	923	—
20.	त्रिपुरा	690	16	933
21.	उत्तर प्रदेश	11997	1697	13416
22.	पश्चिम बंगाल	1375	361	5937
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	39	5	—
24.	अरूणाचल प्रदेश	165	3	—
25.	गोवा दमन व दीव	—	—	—
26.	लक्षद्वीप	—	—	—
27.	मिजोरम	70	7	360
28.	पांडिचेरी	19	—	—
	योग	48350	9774	90144

* आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति किए गए गांवों सहित

बंगलौर हवाई अड्डे पर रिमोट कन्ट्रोल एयर ग्राउन्ड सिस्टम

2118. श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री जी० एस० बसवराजू :

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बंगलौर हवाई अड्डे पर 2 करोड़ रुपए की लागत से रिमोट कन्ट्रोल एयर ग्राउण्ड सिस्टम शुरू करने के लिए योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित होने और पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है और परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) अति उच्चावृत्ति रेडियो टेलीफोनी (वी०एच०एफ०-आर०टी) पर विमान चालक से नियंत्रक तक सीधा सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने "रिमोट कन्ट्रोल एयर ग्राउन्ड (आर०सी०ए०जी०) पद्धति की बंगलौर में स्थापना की है। त्रिवेन्द्रम-बंगलौर और मद्रास-बंगलौर सर्किट पहले से ही, क्रमश: 31 मार्च, 1986 से और 14 जून, 1987 से प्रचलन में है। लगभग 6 लाख रुपये के उपकरण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 5.41 लाख रुपए का व्यय प्रति वर्ष, दूर-संचार विभाग से किराए पर लिए गए "वायस ग्रेड स्पीच सर्किटों" के किराए पर लिया जा रहा है।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग 737 पट्टे पर लेना

2119. श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने अपनी क्षमता की कमी, जिसके कारण उसे यात्रियों को ले जाने में असमर्थता व्यक्त करनी पड़ती थी, को पूरा करने के लिए 4 बोइंग 737 और एक एयर बस 300 पट्टे पर लेने की योजना बनाई है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की गई है, और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा इन बोइंग विमानों को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है और इससे यात्री ढुलाई क्षमता की कमी को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइन्स ने 1987-88 के दौरान एक एयरबस और 4बी-737 विमान पट्टे पर लेने के लिए एयरबस इण्डस्ट्रीज के साथ कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यदि इस पर निर्णय हो जाता है, तो इण्डियन एयरलाइन्स पट्टे पर लिए गए अतिरिक्त विमानों से 1987-88 के लिए अनुमानित यातायात आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी।

राजस्थान में शुष्क भूमि खेती

2120. श्री शांति धारीवाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शुष्क भूमि के अन्तर्गत ऐसा कितना क्षेत्र है जहां दालों और तिलहनों का उत्पादन किया जाता है,

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य राजस्थान में शुष्क भूमि पर खेती करने वाले कृषकों के लिए लाभप्रद है,

(ग) क्या राजस्थान में शुष्क भूमि पर खेती करने वाले किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन तथा अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राजस्थान में 1984-85 के दौरान बारानी खेती के अन्तर्गत दलहनों तथा तिलहनों के तहत कुल क्षेत्र क्रमशः 31.19 और 12.63 लाख हैक्टेयर था।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जल विभाजक के आधार पर देश में बारानी खेती के विकास के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना—वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम 1986-87 से सातवीं योजना को शेष अवधि के लिए 16 राज्यों में शुरू की गई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। सातवीं योजना के चार वर्षों (1986-87 से 1989-90) की अवधि के लिए राजस्थान राज्य को 24 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें बराबर-बराबर हिस्सा देंगी। इस परियोजना के अन्तर्गत उन्नत औजारों तथा उपस्करों, प्रशिक्षण, अपनाए जाने के लिए परीक्षण, फसल पद्धति आरम्भ करने के लिए भूमि तथा आर्द्रता प्रबन्ध पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान में शुष्क भूमि पर खेती की योजना

2121. श्री शान्ति धारीवाल :

श्री विष्णु मोदी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शुष्क भूमि खेती के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र है,

(ख) भारत सरकार शुष्क भूमि खेती के विकास के लिए राज्य को कितनी वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में शुष्क भूमि विकास योजना के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र लाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के दौरान राजस्थान राज्य में शुष्क भूमि की खेती के अन्तर्गत कुल निवल असिंचित क्षेत्र 120.1 लाख हैक्टेयर था।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक राजस्थान राज्य सहित

16 राज्यों में वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय अंशदान के रूप में सालाना 3 करोड़ रुपये की परिव्यय की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने योजना के पहले वर्ष 1986-87 के दौरान 2369 हैक्टेयर कवर करने के लिए धनराशि मंजूर की है।

कोटा हवाई अड्डे का विकास

2122. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा हवाई अड्डा, जो अभी उपेक्षित स्थिति में है, का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह हवाई अड्डा कोटा, बूंदी और झालवाड़ जैसे रमणीय प्राकृतिक क्षेत्रों की ओर पर्यटकों को कितना आकर्षित कर सकेगा ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) निधियों की उपलब्धता के आधार पर सातवीं योजना अवधि के दौरान कोटा विमानक्षेत्र पर (1) टर्मिनल भवन के विस्तार तथा सुधार; (2) धावनपथ पर पुन: फर्श बिछाने और (3) सुरक्षा दीवार के निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि कोटा विमान क्षेत्र के विकास से इस क्षेत्र में यात्री यातायात के प्रवाह में काफी वृद्धि होगी। कोटा, बूंदी और झालवाड़ क्षेत्र में पर्यटक प्रवाह की सीमा के आकलन के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

नागर विमानन विभाग में हरिजनों/आदिवासियों की नियुक्ति

2123. **श्री रामभगत पासवान** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन विभाग में श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार के पदों पर कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) नियुक्त किए गए कर्मचारियों में हरिजनों तथा आदिवासियों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में कितने प्रतिशत हरिजन तथा आदिवासी व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं; और

(घ) क्या संविधान में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए किए गए आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) नागर विमानन मंत्रालय (मुख्य) में नियुक्त अधिकारियों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान हरिजनों और आदिवासियों तथा उनका प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

पद की श्रेणी	नियुक्त अधिकारियों की संख्या	संख्या अनु० जाति	संख्या अनु० जनजाति	प्रतिशत अनु० जाति	प्रतिशत अनु० जनजाति
1984					
श्रेणी 1	2	—	—	—	—
श्रेणी 2	7	—	—	—	—
श्रेणी 3	62	9	3	14.5	4.8
श्रेणी 4	6	3	—	50	—
1985					
श्रेणी 1	8	—	1	—	12.5
श्रेणी 2	43	7	—	16.2	—
श्रेणी 3	34	7	3	20.6	—
श्रेणी 4	4	3	—	75	—
1986					
श्रेणी 1	2	—	—	—	—
श्रेणी 2	2	—	—	—	—
श्रेणी 3	27	4	3	14.8	11
श्रेणी 4	11	3	—	27	—

(घ) श्रेणी 1, 2 तथा 3 के ग्रेड में नियुक्तियां कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से तथा श्रेणी 4 के ग्रेड में रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं। आरक्षण नीति के, कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का मंत्रालय अनुपालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

निर्माण कार्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा नये और कम व्यय वाले तरीकों का प्रयोग करना

2124. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि सरकारी एजेन्सियों द्वारा किए जाने वाले कम से कम दस प्रतिशत आवास निर्माण में नए एवं कम लागत वाले तरीके प्रयोग किये जाएगें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे अनिवार्य करने के लिए सरकारी एजेंसियों को कोई मार्गनिर्देश दिए गए हैं ;

(ग) इस योजन के अन्तर्गत कौन से नए उपायों पर विचार किया गया है और इनसे कितनी बचत होने की आशा है ; और

(घ) क्या यह मार्ग निर्देश गैर-सरकारी क्षेत्र में किए जाने वाले निर्माण पर भी स्वैच्छिक रूप से लागू होंगे;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) मई, 1987 में आयोजित आवास मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि राज्य आवास प्राधिकरणों को कम से कम अपने 10% आवास निर्माण कार्यक्रमों में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन आदि तैयार की गई सामग्रियों तथा तकनीकियों का उपयोग करें।

(ख) आवास राज्य का विषय है, आवास मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई है ।

(ग) निर्माण की लागत कम करने के लिये कई नई और उन्नत तकनीकियों तथा तीव्र निर्माण प्रक्रियाये तैयार की गई हैं जिनमें सीमेंट, इस्पात तथा इमारती लकड़ी जैसे दुर्लभ भवन निर्माण सामग्रियों में बचत हो सके । विभिन्न निर्माण विभागों, राज्य आवास बोर्डों तथा अन्यों द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की प्रयोगात्मक आवास योजनाओं के अन्तर्गत आरम्भ की गई प्रयोगात्मक आवास परियोजनओं में उनका इस्तेमाल करके उपयुक्त तकनीकियों के स्थल परीक्षण भी किये गये हैं । इन नवीन निर्माण तकनीकियों तथा सामग्रियों को अपनाने से निर्माण लागत में 15 प्रतिशत तक की बचत की जा सकती है ।

(घ) यह निजी क्षेत्र द्वारा नई तकनीकियों को स्वीकार करने पर निर्भर करता है ।

मछली पकड़ने के काम में लगे विदेशी मत्स्य पोत

2251. **श्री आर० एस० माने** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट के दूरवर्ती क्षेत्र में इस समय मछली पकड़ने वाले चार्टर्ड पोतों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या हमारे समुद्री संसाधनों के कम होने का एक कारण इन पोतों की मौजूदगी है,

(ग) क्या सरकार इन सभी विदेशी चार्टर्ड मत्स्य पोतों को समुद्र तट से और अधिक दूर रखने को तैयार है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय पश्चिमी तट से दूर के जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाले भाड़े पर लिए गए विदेशी मत्स्यन जलयानों की संख्या 30 है ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

(घ) भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का विनियम) नियम, 1982 के अन्तर्गत सामान्य नियम के रूप में भाड़े पर लिए गए मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयान पश्चिमी तट पर 24 समुद्री मील के परे मछली पकड़ने में लगाना अपेक्षित हैं। इसके अलावा उन्हें गुजरात-महाराष्ट्र तट और केरल तमिलनाडु तट से दूर कुछ क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए भी निषेध किया गया है।

बाल फिल्मों का निर्माण

2126. श्री के० वी० थामस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1986 में कितनी फिल्में बनाई गई हैं;

(ख) उनमें से कितनी बाल फिल्में हैं; और

(ग) क्या बाल-फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक बाल फिल्मोंत्सव आयोजित किया जायेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा रखे गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 1986 के दौरान 840 फीचर फिल्मों तथा 1428 लघु फिल्मों को प्रमीणीकृत किया गया था। इनमें से, बाल फीचर फिल्में केवल 3 और लघु बाल बाल फिल्में केवल 4 थीं।

(ग) 5वां अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह, 1987 भुवनेश्वर में 14 नवम्बर से 23 नवम्बर, 1987 तक आयोजित होना है। यह समारोह द्विवार्षिक है तथा इसे इन्टरनेशनल फैडरेशन आफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन (एफ० आई० ए० पी० एफ०) द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

मछली पकड़ने के जाल का निर्माण करने संबंधी परियोजना रिपोर्ट

2127. श्री ए० चार्ल्स : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत मछली पकड़ने वाले जाल का निर्माण करने वाले एकक और स्टर्न ट्रालर्स सहित स्किवड जिंगिग वेसल्स के बारे में केरल सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की है,

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जापान से सहायक अनुदान के अन्तर्गत मछली पकड़ने वाले जाल का निर्माण करने वाले एकक का आयात करने के संबंध में केरल सरकार से हाल ही में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। केरल सरकार से जापानी सहायक अनुदान के अन्तर्गत या तो स्किवड जिगर्स के लिये अथवा स्टर्न ट्रालर्स के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस प्रस्ताव में मत्स्यफेड नेट-कम्पलैक्स का विस्तार करने के लिये मछली का जाल बनाने वाली 15 मशीनों, एक रंगाई मशीन, और एक सेन्ट्री-फ्यूगल सेपेरेटर का आयात करने का विचार है।

(ग) इस परियोजना के बजट प्रावधान के बारे में राज्य सरकार की टिप्पणी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

दीव में टी० वी० ट्रांसमीटर का निर्माण

2129. श्री शांताराम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीव में टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) ट्रांसमीटर टावर के निर्माण के लिए कब स्वीकृति दी गई थी;

(ग) ट्रांसमीटर टावर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या निर्माण के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ङ) कार्य प्रारम्भ करने और स्थान के चयन में विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(च) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दीव में प्रस्तावित 2×10 वाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर का उपयोग करने के लिए एक बने बनाए आवास का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है तथा ट्रांसमीटर और संबंधित सहायक उपकरणों के लिए आर्डर निर्माताओं को दे दिए गए हैं।

(ख) इस स्कीम को औपचारिक रूप से मार्च, 1986 में अनुमोदित किया गया था।

(ग) मौजूदा संकेतों के अनुसार, टावर का निर्माण कार्य, निर्माताओं द्वारा उपकरणों की समय पर सप्लाई के अधीन रहते हुए, 1988-89 में पूरा हो जाने की उम्मीद है।

(घ) जी, हां।

(ङ) दूरदर्शन की सातवीं योजना में देश में बड़ी संख्या में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की व्यवस्था है। अत: इन स्कीमों को कार्यान्वित करने का काम संसाधनों की उपलब्धता तथा उपकरणों की सप्लाई में निर्माताओं द्वारा किए जाने वाले समय, आदि पर निर्भर करते हुए केवल चरणबद्ध ढंग से ही हाथ में लिया जा सकता है।

(च)*

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित गीतों के गायकों को अदा की जाने वाली राशि

2130. श्री शांता राम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

*सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री ने प्रश्न के (च) भाग का उत्तर देते हुए, जो कि गलती से मुख्य उत्तर में छूट गया था, 24-8-87 को सदन में एक शुद्धि करने वाला वक्तव्य दिया। उत्तर इस प्रकार है :

(च) 2×10 वाट के एक टी० वी० ट्रांसमी० को स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग 31,00 लाख रुपए है।'

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जाने वाले फिल्मी गीतों के ग्रामोफोन रिकार्ड के गायकों को आकाशवाणी द्वारा रायल्टी के रूप में कोई राशि अदा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो अदायगी की दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गायकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी को रायल्टी की ऐसी कोई राशि अदा की जाती है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लता मंगेशकर, किशोर कुमार आशा भोंसले को वर्ष-वार कितनी राशि दी गई थी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। आकाशवाणी उन ग्रामोफोन कम्पनियों और फिल्म निर्माताओं को रायल्टी देता है, जिनके पास निष्पादन अधिकार होते हैं।

(घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए "शून्य"।

दीव हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी की मरम्मत

2131. **श्री शांता राम नायक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के दीव हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यह कार्य कब समाप्त होगा और यह हवाई अड्डा यातायात के लिए कब तक खोला जायेगा; और

(ग) हवाई पट्टी की मरम्मत और हवाई अड्डे पर अन्य कार्यों पर कितना धन खर्च होगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दीव विमान क्षेत्र भारतीय वायु सेना का है। दमन और दीव के संघ शासित प्रशासन ने 32 लाख रुपए (लगभग) की लागत से धावनपथ की स्थिति सुधारने का कार्य तथा विमान यातायात नियंत्रण भवन के पुनः निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, विमान पट्टी के परिचालनों के लिए 1988 के दौरान उपलब्ध हो जाने की आशा है।

पर्यटक आकर्षण स्थानों के लिए मिनी विमान सेवा

2132. **श्री एन० डेनिस** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के लिये मिनी विमान सेवा चलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) तमिलनाडु में ऐसी मिनी विमान सेवा किन-किन स्थानों के लिए उपलब्ध कराई जायेगी; और

(ग) क्या महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र कन्याकुमारी के लिए मिनी विमान उपलब्ध कराई जायेगी?

नागर विमानन के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) 'मिनी' विमान सेवा की कोई योजना नहीं है। तथापि, हवाई टैक्सी सेवा का अनुमोदन कर दिया गया है। नागर विमानन के महानिदेशक ने दिनांक 14 नवम्बर, 1986 के ए० आई० सी० संख्या 26/1986 में हवाई टैक्सी परिचालनों के लिए मार्ग दर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। हवाई टैक्सी का प्रयोग केवल नागर विमानन महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्राधिकृत विमान क्षेत्रों से ही किया जाएगा।

[हिन्दी]

हैलीकाप्टरों की खरीद

2133. **श्री निर्मल खत्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के लिए समाचार एकत्र करने के लिए हैलीकाप्टरों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इनका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन ने प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) हैलीकाप्टरों को प्राप्त कर लिए जाने पर दूरदर्शन द्वारा इसका उपयोग हवाई समाचार कवरेज और दृश्यों के माध्यम से तीव्र सूचना साधन के लिए किए जाने की परिकल्पना है।

दूध और मांस का उत्पादन

2134. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मवेशियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें भैंसों, गायों, बैलों और बकरियों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चारे की कमी के कारण दूध और मांस की मात्रा में धीरे-धीरे कमी आ रही है, और

(ग) यदि हां, तो चारे की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1982 की पशुधन गणना के परिणामों के अनुसार विभिन्न वर्गों में मवेशियों की संख्या निम्न प्रकार है :

(1) गोपशु	1924.53 लाख
बैल	610.45 लाख
गाय	586.83 लाख
(2) भैंस	697.84 लाख
बकरियां	952.53 लाख

(ख) और (ग) देश में उत्पादित दूध और मांस की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई है। तथापि देश में चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक उपाय प्रारम्भ किए गए हैं—

(1) अधिक उपज देने वाली तथा पोषक चारे की किस्मों के बीजों और रोपण सामग्री का उत्पादन/वितरण;

(2) विस्तार और प्रशिक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक चारा उत्पादन/संरक्षण के संबंध में प्रौद्योगिकी का अन्तरण;

(3) मिनिकिट का वितरण/किसानों के खेतों में प्रदर्शन के आयोजन के माध्यम से अच्छे किस्म चारे के उत्पादन को लोकप्रिय बनाना;

(4) चारे का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अनुसंधान के माध्यम से चारे को अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना।

[अनुवाद]

धान की खेती

2135. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अन्य भागों प्रायोगिक खेती के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से मणिपुर में उपलब्ध धान की विभिन्न किस्मों के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इस बारे में सर्वेक्षण करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मणिपुर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों से लगभग 7774 चावल की किस्मों का संचयन किया गया है। किए गए संचयन का मूल्यांकन किया गया है और इनके कृषि-वानस्पतिक विशेषता संबंधी प्रयोगात्मक कार्य किया जा रहा है। कम अन्वेषण किये गये क्षेत्रों में कुछ अधिक छान-बीन आयोजित किए जाने के लिए प्रस्ताव किए गए हैं।

प्रादेशिक भाषाओं में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण

2136 श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषाओं में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रादेशिक भाषाओं में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन धारावाहिकों को मंजूरी

2137. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन के पास कितने धारावाहिक मंजूरी हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ ऐसे धारावाहिकों को जो छ: माह से एक वर्ष पूर्व मंजूरी हेतु प्रस्तुत किए गए थे, अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है जबकि कुछ को अविलम्ब मंजूरी दे दी गई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के पांजा) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा टी० वी० धारावाहिकों के लिए प्राप्त कुल 495 प्रस्तावों में से 64 प्रस्ताव अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित हैं। ये सभी प्रस्ताव प्रात: कालीन प्रेषण के लिए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। ज्यादातर प्रस्ताव अधूरा ब्यौरा होने के कारण लम्बित हैं अधूरे ब्यौरे के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करने हेतु सम्बन्धित निर्माताओं से पहले ही कह दिया गया है।

[हिन्दी]

कानपुर में गैस रिसाव के कारण हुई मृत्यु

2138. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी दवाइयां तैयार करने वाले उर्वरक कारखाने से द्रव्य मोनोगोटोफिन के रिसाव के कारण कानपुर में परयरपुर में 15 जुलाई, 1987 को कुछ श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो मरने वाले और घायल लोगों की संख्या कितनी है और इस प्रकार के उर्वरक कारखानों में गैस रिसाव को रोकने के लिए किये गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके आस पास के क्षेत्रों में कारखानों से गैस रिसाव को रोकने के लिए गत दो वर्षों के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह लोक सभा के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कर्मचारियों की सेवायें बहाल करना

2139. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री विजय कुमार यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बर्खास्त किए गए उन 326 कर्मचारियों की सेवायें

बहाल करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं, जो पिछले तीन वर्षों से अथवा इससे अधिक समय से काम कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी मांगों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सद्भावना के रूप में, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ऐसे छटनी किए गए कर्मचारियों, जिन्होंने लगातार 4 वर्ष की सेवा की थी, को पुन: रोजगार देने पर सहमत हो गया है। उनके बारे में सत्यापन लगभग पूर्ण हो गया है। 14 पात्र कर्मचारियों को रोजगार की पेशकश की गई है, शेष को निगम की भारत भर में अवस्थित भिन्न-भिन्न परियोजनाओं में यथा समय खपा लिया जाएगा।

गुजरात में आहूपाडांग में दूरदर्शन रिले केन्द्र

2140. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में आहूपाडांग में दूरदर्शन रिले केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आहूपाडांग में दूरदर्शन रिले केन्द्र कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य का संकेत दूरदर्शन की सातवीं योजना के अन्तर्गत गुजरात के डांग जिले में अहवा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित 100 वाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की ओर है (क्योंकि "आहूपाडांग" नामक कोई स्थान नहीं है)। इस केन्द्र के लिए भवन का निर्माण कार्य लगभग समाप्ति पर है। निर्माताओं को ट्रांसमीटर तथा सम्बन्धित सहायक उपकरणों के लिए क्रयादेश दे दिए गए हैं। अहवा में प्रस्तावित दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1987-88 के दौरान स्थापित तथा चालू हो जाने की उम्मीद है।

दिल्ली में सब्जियों के दामों में वृद्धि

2141. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :
श्री महेन्द्र सिंह :
डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सब्जियों के दामों में हुई भारी वृद्धि की जानकारी है जिसके कारण उन्हें खरीदना आम आदमी सामर्थ्य से बाहर हो गया है,

(ख) यदि हां, तो सब्जियों के दामों में इस आश्चर्यजनक वृद्धि के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति को सामान्य बनाने और सब्जियों के दामों को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली में मुख्य सब्जियों की कीमतों में सामान्यतया जुलाई, 1987 के दूसरे सप्ताह से वृद्धि दिखाई दी है। दिल्ली में मुख्य सब्जियों की खुदरा कीमतें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कीमतों में इस वृद्धि के कारण मौसम सम्बन्धी घटक तथा सूखे की परिस्थितियां हैं।

(ग) दिल्ली में सब्जियों, विशेषकर आलू तथा प्याज की कीमतें नियंत्रण में रखने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित को निर्देश दिये हैं कि वे आलू और प्याज के पर्याप्त भंडार खुदरा वितरण के लिए सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार के माध्यम से निर्मुक्त करें। सुपर बाजार को निर्देश दिये गए हैं कि वे इन जिन्सों की बिक्री दिल्ली में अपनी सभी शाखाओं से करें।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भी अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्याज और आलुओं की बिक्री कर रहा है।

विवरण

दिल्ली में सब्जियों की खुदरा कीमतें (रुपए प्रति किलोग्राम)

किस्म	वर्ष	अप्रैल	मई	जून	शुक्रवार को समाप्त सप्ताह (जुलाई)			
		को समाप्त महीना			3/7	10/7	17/7	24/7
आलू	1985	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50
	1986	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	1987	2.00	2.25	2.50	2.50	3.00	3.50	3.50
प्याज	1985	2.00	2.00	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00
	1986	2.00	1.50	1.20	1.20	1.50	2.00	2.50
	1987	2.75	2.25	2.50	3.00	4.00	4.50	4.50
टमाटर	1985	3.00	2.00	3.00	6.00	7.00	8.00	8.00
	1986	4.00	2.80	5.40	6.00	6.00	6.00	6.00
	1987	2.00	2.50	4.00	5.00	10.00	12.00	14.00
भिण्डी	1985	7.00	2.40	3.60	6.00	7.50	6.00	5.40
	1986	6.00	6.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.50
	1987	4.00	2.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00
बैंगन	1985	1.60	1.80	2.20	2.20	2.40	2.80	2.50
	1986	2.00	2.00	2.20	2.20	2.40	2.40	2.40
	1987	1.25	2.00	2.50	2.00	3.00	3.00	300

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर जबर्दस्ती कब्जा किया जाना

2142. श्री कुंवर राम : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे फ्लैटों की संख्या कितनी है जिन पर लोगों ने जबर्दस्ती कब्जा किया हुआ है; और

(ख) उन्हें खाली कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 92

(ख) पुलिस की सहायता से ये फ्लैट खाली कराए जा रहे हैं।

औसत से कम वर्षा वाले जिले

2143. श्री कुंवर राम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने जिलों में 31 जुलाई की स्थिति के अनुसार औसत से कम वर्षा हुई;

(ख) बिहार में किन-किन जिलों में औसत वर्षा से कम वर्षा हुई;

(ग) उन जिलों में किसानों को उनकी धान की फसलों को हुई क्षति के लिए मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(घ) सूखा प्रभावित जिलों को राहत देने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 29 जुलाई, 1987 को उनके द्वारा प्रबोधन किए गए 384 जिलों में से 251 जिलों में वर्तमान दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा हुई।

चालू मानसून के दौराम 5 अगस्त, 1987 की स्थिति के अनुसार पांच जिलों अर्थात् संथाल परगना-दुमका, चाइबासा, गोपालगंज तथा सिवान में सामान्य से कम वर्षा हुई।

(ग) और (घ) बिहार राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृभको द्वारा यूरिया और अमोनिया उर्वरकों का उत्पादन

2144. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृभको ने इस वर्ष यूरिया और अमोनिया उर्वरकों का रिकार्ड उत्पादन किया है; यदि हां, तो उसका राज्यवार वितरण कितना किया गया है;

(ख) देश के अन्य उर्वरक यूनिटों/संयंत्रों में विभिन्न किस्म के उर्वरकों के उत्पादन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की खपत सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किसानों की उर्वरक की मांग कितनी है;

(घ) क्या 10 हजार से अधिक उर्वरक का भण्डार वफसं गोदामों में पड़ा हुआ है; और

(ङ) क्या सरकार ने उर्वरकों के फालतू भंडार के बावजूद सोवियत संघ से इसके आयात का फैसला किया है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस आयातित उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे और प्रत्येक राज्य उर्वरक की कितनी मात्रा का इस्तेमाल करेगा; उनके आयात का औचित्य क्या है और इनके आयात पर खर्च किए जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) सहकारिता वर्ष 1986-87 के दौरान, कृभको ने 14.10 लाख टन यूरिया तथा 8.32 लाख टन अमोनिया का उत्पादन करके क्रमश: 97.1% तथा 93.4% का उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त किया। कृभकों द्वारा उत्पादित यूरिया के राज्यवार प्रेषण नीचे दिए गए हैं :—

राज्य का नाम	मात्रा (000 मी०टन).
उत्तर प्रदेश	341.9
पंजाब	336.6
हरियाणा	161.8
गुजरात	165.0
मध्य प्रदेश	116.1
राजस्थान	53.3
महाराष्ट्र	165.7
आंध्र प्रदेश	28.5
कर्नाटक	21.4
जम्मू और कश्मीर	3.6
पश्चिम बंगाल	5.2
बिहार	1.9

(ख) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान कृभको को छोड़कर अन्य उर्वरक एककों/संयंत्रों द्वारा देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के विवरण।

उत्पाद का नाम		1985-86 मात्रा 000 मी० टन	1986-87 मात्रा 000 मी० टन
1. यूरिया		7192	8318.7
2. अमोनियम सल्फेट		520	540.4
3. सी ए एन		381	388.4
4. अमोनियम क्लोराइड		104	91.5
5. डी ए पी		893	1537.1
6. एन पी के	16:20:0	60	71.0
7. ,,	20:20:0	452	505.8
8. ,,	15;15:15	265	264.6

1	2	3	4	5
9.	एन पी के	20.7:20.7:0	250	298.0
10.	,,	28:28:0	289	259.2
11.	,,	14:35:14	22	15.0
12.	,,	14:28:14	23	21.2
13.	,,	19:19:19	187	173.7
14.	,,	17:17:17	509	572.3
15.	,,	16:26:26	291	259.2
16.	,,	12:32:16	598	383.2
17.	एस एस पी		2117	1927.0
18.	टी एस पी (मसूरी फासफेट)		—	120.0

(ग) विभिन्न राज्यों की उर्वरकों की अपेक्षाओं को पूर्णत: स्वदेशी उत्पादन तथा आयातित उर्वरकों के आवंटनों से पूरा किया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान न्यूट्रिट्स के रूप में उर्वरकों की अनुमानित खपत नीचे दी गई है :—

		खपत (लाख टन)
	1985-86	1986-87
नाइट्रोजन	58.16	59.29
फास्फेट्स	20.67	21.40
पोटाश	8.54	9.33
	87.37	90.02

(घ) उर्वरकों की उपलब्धता मांग से अधिक है तथा खरीफ 1987 के दौरान न्यूट्रिएंटस की कुल उपलब्धता 7.4 मिलियन टन होने की सम्भावना है जबकि आकलित कुल अपेक्षा 4.5 मिलियन टन न्यूट्रिएंटस है।

(ङ) करार बाध्यताओं को पूर्ण करने के लिए चालू वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान यू० एस० एस० आर० से यूरिया की कुछ मात्रा का आयात किया जा सकता है। तथापि, यथा सम्भव आयातित भंडारों को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी भंडार उपलब्ध है। उर्वरकों के आयात पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण आयातित उर्वरकों की मात्रा तथा मूल्य के द्वारा किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में आयातित सामग्री की खपत की वास्तविक मात्रा मौसम परिस्थितियों तथा स्वदेशी उर्वरकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास योजना के
अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को सहायता

2145. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से छोटे और मझौले कस्बों को छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास योजना के अन्तर्गत सहायता देने के लिए चुना गया है; और

(ख) अब तक इस कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को एक-एक शहर का आबंटन किया गया था। कशमप्ती (शिमला) को छठी योजना में मंजूरी दी गई और सातवीं पंचवर्षीय योजना ने मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में मण्डी शहर के लिए एक परियोजना रिपोर्ट भेजी है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) निम्नलिखित विवरणानुसार 34.78 लाख रुपये

(i) 15.00 लाख रुपये 30-3-81 को

(ii) 13.12 लाख रुपये 8-3-83 को

(iii) 6.66 लाख रुपये 25-3-85 को

इस परियोजना में रिहायशी प्लाटों, दुकानों के लिए वाणिज्यिक प्लाटों, फ्लैटेड फैक्टरियां, पार्क तथा निलामी प्लेटफार्म इत्यादि जैसे घटक शामिल हैं।

[अनुवाद]

बाल श्रम सम्बन्धी सर्वेक्षण

2146. श्री रणजीतसिंह गायकवाड़ : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड की वित्तीय सहायता से स्वयं-सेवी और अर्ध-सरकारी एजेन्सियों द्वारा बाल श्रम के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष रहे एवं राज्यों में बाल श्रमिकों के कल्याण के बारे में दिए गए सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एयर इण्डिया की क्षेत्रवार आय

2147. श्री अमल दत्ता : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया को खाड़ी क्षेत्र से कितनी सकल आय हुई और एयर इण्डिया द्वारा वर्ष 1986-87 में कितने यात्री लाए ले जाए गये; और

(ख) अन्य क्षेत्रों में कितने यात्री लाए ले जाए गये और उनसे कितनी सकल आय हुई ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के दौरान अपने गल्फ और अन्य सैक्टरों पर एयर इण्डिया द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या और अर्जित कुल राजस्व निम्न प्रकार है :—

मार्ग	वाहित यात्री	अर्जित राजस्व
(1) भारत-गल्फ-भारत मार्ग	810583	239.42 करोड़ रुपए
(2) अन्य मार्ग	1003614	334.61 करोड़ रुपए

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा आरम्भ की गई हवाई अड्डा परियोजनाएं

2148. श्री अमल दत्ता : क्या नागर विमानन मंत्री हवाई अड्डों के विकास के बारे में 12 मार्च, 1987 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 2498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरम्भ की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है और उनके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कलकत्ता हवाई अड्डे पर नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल तथा बम्बई हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के तीसरे माड्यूल की परियोजना रिपोर्टों को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है और उन्हें सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। बम्बई हवाई अड्डे पर स्थानीय टर्मिनल के आशोधन व विस्तार के लिए ठेकेदारों की पूर्व-योग्यताओं का अनुमोदन हो चुका है तथा वर्ष के दौरान कार्य के शुरू होने की सम्भावना है।

मद्रास हवाई अड्डे पर नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्पलेक्स का कार्य प्रगति पर है तथा 31-3-89 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। लक्ष्यद्वीप में आगाती हवाई अड्डे का भी कार्य शुरू हो गया है।

(ख) संशोधित परियोजनाओं तथा उनके लिए वार्षिक योजना 1937-88 में किए गए प्रावधान के अनुसार उपरोक्त परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत नीचे दर्शाई गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	वार्षिक योजना प्रावधान 87-88
1. नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल, कलकत्ता हवाई अड्डा	23.13	2.00
2. अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल का तीसरा माड्यूल, बम्बई हवाई अड्डा	44.37	0.50

3.	बम्बई हवाई अड्डे पर स्थानीय टर्मिनल का आशोधन और विस्तार	9.70	2.00
4.	मद्रास हवाई अड्डे पर नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल	9.84	3.97
5.	आगाती हवाई अड्डा परियोजना, लक्ष्यद्वीप	7.20	3.50

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातितों के उम्मीदवार

2149. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने देश में राज्यवार गत एक वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : उपलब्ध सूचना जन गणना, 1981 पर आधारित राज्य-वार शिक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से सम्बन्धित है, जो भारत की जनगणना पुस्तक, 1981, के भाग-II ख (II) और भाग-II ख (III) में दी गई है। जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक के वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित (मैट्रिकुलेट और इससे ऊपर) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बारे सूचना (नवीनतम उपलब्ध) संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा राज्य-वार शिक्षित (मैट्रिक और इससे ऊपर) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में किए गए पंजीकरणों की संख्या

(हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13.6	2.2
2.	अरुणाचल प्रदेश*	—	—
3.	असम	6.5	11.2
4.	बिहार	26.5	13.9
5.	गुजरात	7.5	6.1
6.	हरियाणा	11.4	@
7.	हिमाचल प्रदेश	5.6	1.1

1	2	3	4
8.	जम्मू व कश्मीर	0.8	@
9.	कर्नाटक	7.4	0.7
10.	केरल	15.1	0.7
11.	मध्य प्रदेश	17.6	11.8
12.	महाराष्ट्र	37.5	8.5
13.	मणिपुर	0.1	3.4
14.	मेघालय	@	2.0
15.	मिजोरम	—	5.0
16.	नागालैण्ड	0.2	3.8
17.	उड़ीसा	6 6	3.9
18.	पंजाब	21.5	@
19.	राजस्थान	9.6	5.1
20.	सिक्किम*	—	—
21.	तमिलनाडु	42.5	0.5
22.	त्रिपुरा	0.2	0.1
23.	उत्तर प्रदेश	63.0	1.0
24.	पश्चिम बंगाल	10.8	2.9
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	0.1
26.	चण्डीगढ़	1.7	@
27.	दादर व नागर हवेली**	—	—
28.	दिल्ली	12.5	1.0
29.	गोवा	0.1	@
30.	लक्षद्वीप	उ०न०	उ०न०
31.	पाण्डिचेरी	0.4	@
32.	दमन व दीव*	—	—
	अखिल भारत जोड़ :	318.8	84.9

टिप्पणी —1. *इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है। परन्तु आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

3. @ 50 से कम

4. उ०न० उपलब्ध नहीं

कम वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश के रबी की फसल को नुकसान

2150. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्षा न होने के कारण वर्ष 1987 की रबी की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है,

(ख) क्या सरकार ने नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण दल भेजा है, और

(ग) क्या राहत कार्य आरम्भ होने की आशा है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

पीतमपुरा में दूरदर्शन टावर का निर्माण

2151. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी दिल्ली के पीतमपुरा क्षेत्र में एक दूरदर्शन टावर का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) उक्त टावर से क्या फायदा होने की आशा है और इससे किन किन क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होगा;

(घ) 1 अगस्त, 1987 की स्थिति के अनुसार इस टावर के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या यह सच है कि इस टावर पर एक रेस्तरां का निर्माण किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, इसके निर्माण में कितनी लागत आएगी और इस रेस्तरां तक पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) उत्तरी दिल्ली में रिंग रोड पर स्थित पीतमपुरा में एक टी०वी० टावर निर्माणाधीन है।

(ख) इस टावर का उपयोग 2 चैनलों तथा एक एफ०एम० रेडियो ट्रांसमीटर के लिए उच्च शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटरों के एन्टेना लगाने के लिए करने की परिकल्पना है।

(ग) टी०वी० प्रेषण द्वारा कवर किए जाने वाला मौजूदा 30,700 वर्ग कि०मी० से बढ़कर 61,500 वर्ग कि०मी० और जनसंख्या का कवरेज मौजूदा 190.60 लाख से बढ़कर 294.74 लाख हो जाने की उम्मीद है।

(घ) टावर का आर०सी०सी० निर्माण कार्य 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है और

लगभग पूर्ण हो गया है। 67 मीटर ऊंचे स्टील के मस्तूल (जिसे टावर पूरा करने के लिए आर०सी० सी० निर्माण के ऊपर लगाया जाएगा) का निर्माण भी कार्यशाला में प्रगति पर है।

(ङ) और (च) टावर के आर०सी०सी० निर्माण में इस समय केवल सात लाख रुपए की लागत का प्रावधान किया गया है ताकि यदि भविष्य में रेस्टोरेंट चालू करने का निश्चय किया गया तो सिविल इंजीनियरी के दृष्टिकोण से इसे बनाना संभव हो। यदि कभी रेस्टोरेंट बनाया गया तो इस समय एक समय में 96 व्यक्ति बैठ सकेंगे। लोगों को ऊपर ले जाने के लिए लिफ्टें होंगी।

पीतमपुरा, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में सीलन आ जाना

2152. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या शहरी विकास मन्त्री पीतमपुरा, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में सीलन आ जाने के बारे में 4 मई, 1987 के अकारांकित प्रश्न संख्या 8923 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शालीमार बाग में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कैम्प आफिस में पीतमपुरा के निवासियों ने अपने फ्लैटों में डब्ल्यू० सी० के पाइपों से भारी सीलन आ जाने की शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों ने किस सीमा तक सीलन आ जाने के बारे में बताया है;

(ग) क्या उक्त इलाके में गलियों तथा पार्कों के रख-रखाव की स्थिति बहुत खराब है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी रख-रखाव सम्बन्धी कार्य को देखने के लिए नियमित रूप से कालोनी के भीतरी भाग का दौरा करते हैं; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1987 के दौरान किए गए दौरों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। आबंटन की प्रारम्भिक अवस्था में डब्ल्यू०सी० पाइपों के रुक जाने के कारण फ्लैटों में सीलन का पता चला था। निवासियों द्वारा स्थल पर नियुक्त स्टाफ के ध्यान में लाए जाने पर इसे ठीक कर दिया गया था।

(ग) और (घ) वीथियों तथा पार्कों की सफाई तथा अनुरक्षण नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसका स्टाफ एक माह में 20 दौरे करता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का निरीक्षण दौरा

2153. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का निरीक्षण दौरा के बारे में 4 मई, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8922 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने मार्च, 1987 में शालीमार बाग में दिल्ली विकास प्राधिकरण की कुछ बनी हुई यूनिटों का दिल्ली विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के दौरे से पहले दो बार निरीक्षण दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां के निवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का शिकायतों का ज्ञापन दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ज्ञापन के प्रत्येक मद पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों की कालोनी के भीतरी भाग का दौरा नहीं किया; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उपराज्यपाल ने 26-11-85 तथा 8-11-86 को दौरा किया था।

(ग) इस कालोनी के प्रधान द्वारा 26-11-85 को निरीक्षण के समय ज्ञापन दिया था।

(घ) और (ङ) शिकायतें (क) बाहर दिवारी बनाने (ख) गैराज मुहैया कराने (ग) स्वच्छता की मदों का अनुरक्षण और (घ) यमुना नहर के ऊपर पुल का निर्माण।

बाहर दिवारी का आंकलन निवासियों की ऐसोसिएशन को उनकी पुष्टि के लिए भेजे गए थे क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। गैराजों का निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पुल का निर्माण करना हरियाणा शासन का विषय है। स्वच्छता से सम्बन्धित शिकायतों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ध्यान दिया गया है।

(च) जी, नहीं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने इस कालोनी के भीतरी भाग का दौरा किया था।

(छ) उपयुक्त (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का रख-रखाव

श्री प्रताप राव बी० भोसले : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के रख-रखाव के बारे में 4 मई, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8921 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसके द्वारा निर्मित कालोनी में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त कालोनी के रख-रखाव के दायित्व को दिल्ली नगर निगम को सौंपने में किन-किन औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है;

(ख) इस इलाके का जहां फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है और उन्हें नागरिक सुविधायें

प्रदान करने के लिए दिल्ली नगर निगम को सौंपा जाना है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा देख-रेख किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आज की तरीख में वे कौन-कौन सी कालोनियां हैं जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उन्हें नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली नगर निगम को सौंपा जाना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जलपूर्ति, सड़क, बरसाती नालों, अन्दरूनी सीवरों, पार्कों आदि जैसे आधारभूत अर्द्ध संरचना दिल्ली नगर निगम के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार मुहैया की जाती है। दिल्ली नगर निगम केवल पानी के कनेक्शन देता है और सीवरों तथा बरसाती नालों की निकासी के लिए प्रबन्ध करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की निर्मित कालोनियों के अनुरक्षण का कार्य अन्तरित करने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें उनके द्वारा अनुमोदित किए गए मापदण्डों के अनुसार सुविधाएं मुहैया की हुई हों दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुरक्षण के अन्तिम रूप से कालोनियां सम्भालने से पूर्व उनके द्वारा अभाव प्रभार, यदि कोई हों, का दावा किया जाता है और सही पाए जाने पर भुगतान किया जाता है। दिल्ली नगर निगम को कालोनियां सौंपने के कार्य में दो अभिकरणों के बीच कई औपचारिकताएं पूरी किए जाने कारण काफी समय लगता है।

(ख) चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण की गई कालोनियां दिल्ली नगर निगम को सौंपने में समय लगता है, अत: दिल्ली नगर निगम द्वारा कालोनियां सम्भालने के समय तक निवासियों को कठिनाइयों से बचाने और समुचित स्वच्छता और अनुरक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से कालोनी का अनुरक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण करता है।

(ग) ऐसी कोई कालोनी नहीं है जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट पूर्ण हो गए हैं और सुविधाएं मुहैया करने के लिए दिल्ली नगर निगम की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसी कालोनियों की संख्या संलग्न (विवरण) में दिए गए अनुसार 307 है जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और जलमल निर्यास, सड़क बरसाती नालों आदि की व्यवस्था कर दी है तथा जो अभी दिल्ली नगर निगम को सौंपी जानी है।

विवरण

उन 180 कालोनियों/आवास पाकिटों की सूची जिनमें सेवाएं अभी भी दिल्ली नगर निगम को अन्तरित की जाती है।

क०सं० **कालोनी का नाम**

कालकाजी

1. 163 मध्यम आय वर्ग मकान पाकिट ए-13
2. 210 मध्यम आय वर्ग के मकान
3. पाकेट ए-14 में निम्न आय वर्ग के 306 मकान
4. पाकेट ए-11 में निम्न आय वर्ग 192 मकान

5. गोविन्दपुरी पाकेट-ए के बीच 90 फुट चौड़ी सड़क
6. कालकाजी, क्षेत्र एफ-9-17 में बरसाती पानी तथा विद्युत की परिधीय लाइनें
7. 1096 जनता फ्लैट

साकेत

8. एच ब्लाक में स्वपित्त पोषित योजना के 2 कमरे वाले 152, 3 बिस्तरे वाले 152 तथा 68 सर्वेन्ट क्वार्टर
9. 104 मध्यम आय वर्ग रिहायशी एकक ई-ब्लाक
10. एन ब्लाक में स्ववित्त पोषित योजना के 2 बिस्तर वाले 32, 1 बिस्तर वाले 160 तथा 6 सर्वेन्ट क्वार्टर
11. एल०एस०सी० ब्लाक "जे"
12. 392 जनता फ्लैट
13. साकेत में 368 सी०एस०पी०
14. गीतांजलि पंचशील पार्क के 80 फुट चौड़ी सड़क

बसन्त बिहार

15. बसन्त लोक में सामुदायिक केन्द्र
16. बसन्त बिहार ब्लाक सी में एल०एस०सी०
17. बसन्त बिहार ब्लाक ए में सी०एस०सी० 1
18. बसन्त बिहार ब्लाक ए में सी०एस०सी० 2
19. बसन्त बिहार ब्लाक सी में एल०एस०सी०
20. बसन्त बिहार ब्लाक ई में सी०एस०सी०
21. बसन्त गांव में सामुदायिक केन्द्र

बोडेला

22. पाकेट जे०जी-2 में 300 जनता मकान
23. पाकेट जे०जी-1 में निम्न आय वर्ग के 384 मकान
24. के०जी-1 में मध्यम आय वर्ग के 237 मकान
25. पाकेट जे०जी-2 में 360 जनता
26. जी०जी० 2 में मध्यम आय वर्ग के 228
27. एम०जी० 1 में मध्यम आय वर्ग के 120
28. के०जी० 2 में मध्यम आय वर्ग के 72 तथा निम्न आय वर्ग के 176
29. एफ०जी० 1 में निम्न आय वर्ग के 294
30. पाकेट के०जी० 1 में माध्यम आय वर्ग के 141 मकान

31. पाकेट के०जी० 1 में मध्यम आय वर्ग के 120 मकान
32. के०जी० 2 में निम्न आय वर्ग के 468 मकान
33. ब्लाक ए में आर्थिक दृष्टि कमजोर वर्ग के लिए 1180 मकान
34. पाकेट के०जी० 3 में 182 जनता मकान
35. रिहायशी योजना

शालीमार बाग

36. शालीमार बाग (गांव)
37. शालीमार बाग के पाकेट एस (ग्रुप 1) में 240 जनता मकानों का निर्माण
38. शालीमार बाग के ब्लाक बी पाकेट एस (ग्रुप 2) में 240 जनता मकानों का निर्माण
39. शालीमार बाग के ब्लाक ए पाकेट सी में 134 जनता मकानों का निर्माण
40. शालीमार बाग के ब्लाक बी पाकेट एच में 450 जनता मकानों का निर्माण
41. शालीमार बाग ब्लाक बी पाकेट के-I में 270 जनता मकानों का निर्माण
42. शालीमार बाग ब्लाक ए, पाकेट सी में निम्न आय वर्ग के 168 तथा मध्यम आय वर्ग के 294 मकान

सफदरजंग

43. नवीन निकेतन, ऊषा निकेतन में मध्यम आय वर्ग के 279 मकान तथा सी-7, सी-4 फ्लैट
44. सामुदायिक केन्द्र
45. सी०एस०सी० ब्लाक बी-II
46. एल०एस०सी० ब्लाक एन (सी-6)
47. सी-3 सफदरजंग विकास क्षेत्र

ग्रेटर कैलाश

48. सड़क संख्या 14 और ग्रेटर कैलाश-II को मिलाने वाली 80 फुट चौड़ी सड़क
49. ईस्ट आफ कैलाश में ब्लाक ए, सी०एस०सी०
50. ईस्ट आफ कैलाश में सामुदायिक केन्द्र
51. ईस्ट आफ कैलाश में एस०एस०सी०/सी०एस०सी० ब्लाक सी
52. ईस्ट आफ कैलाश के ब्लाक बी में सी०एस०सी०
53. ईस्ट आफ कैलाश में सी०एस०सी० ब्लाक डी
54. ईस्ट आफ कैलाश में सी०एस०सी० ब्लाक ई

राजोरी गार्डन

55. राजोरी गार्डन जी-8 क्षेत्र पाकेट एफ में निम्न आय वर्ग के 256 मकान
56. राजोरी गार्डन जी-8 क्षेत्र पाकेट जी में निम्न आय वर्ग के 696 मकान

57. राजोरी गार्डन जी-8 क्षेत्र पाकेट जे में जनता वर्ग के 432 मकान
58. राजोरी गार्डन जी-8 क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के 1440 रिहायशी एकक
59. हरि नगर को मिलाते हुए सड़क से राजोरी गार्डन बेरी वाल बाग को परिधीय जलपूर्ति सेवायें

पश्चिमपुरी

60. पश्चिमपुरी पाकेट ए-5 में जनता वर्ग के 594 मकान (रिहायशी प्लाट)
61. पश्चिमपुरी ब्लाक ए-2 में निम्न आय वर्ग के 264 रिहायशी एकक
62. पश्चिमपुरी ब्लाक ए-2 में मध्यम आय वर्ग 585 मकान
63. पश्चिमपुरी पाकेट ए-6
64. पश्चिमपुरी विस्तार

जनकपुरी

65. पाकेट ए-1/बी में निम्न आय वर्ग के 40 रिहायशी एकक
66. पाकेट ए-4/सी में निम्न आय वर्ग के 48 रिहायशी एकक
67. पाकेट सी-4/बी में निम्न आय वर्ग के 40 रिहायशी एकक
68. पाकेट सी-4/बी में निम्न आय वर्ग के 56 रिहायशी एकक
69. पाकेट डी 1/सी में निम्न आय वर्ग के 120 रिहायशी एकक
70. जेल रोड पर निम्न आय वर्ग के 112 रिहायशी एकक
71. लारेंस रोड, पाकेट बी-2 में मध्यम आय वर्ग 288 फ्लैट
72. गुरू नानक पुरा में सुविधाजनक विपणन केन्द्र
73. मदनगीर में जनता वर्ग के 1794 मकान
74. मदनगीर में आर०एस०पी० तथा जनता फ्लैट
75. तारा अपार्टमैंट (अलकनन्दा) के समक्ष नाले की निकासी (तुगलकाबाद एक्सटें०)
76. पीतमपुरा भाग 1 के एच-4 तथा एच-5 में जलपूर्ति योजना
77. पीतमपुरा में एच-5 भाग
78. पीतमपुरा पूर्वी पाकेट एच में जनता वर्ग के 144 मकान
79. जी०टी० करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र
80. तुरकमान गेट 418 (स्लम टेनामेंट) आवास कम्पलेक्स
81. मूलचन्द विपणन केन्द्र
82. एन्ड्रयूस गंज में मुख्य नाला
83. किंगज्वेकैंप योजना—विकास योजना (160 वर्ग गज तथा 80 वर्ग के प्लाट)
84. शान्ति निकेतन—शान्ति निकेतन में सी०एस०सी०
85. आनन्द लोक—आनन्द लोक में सी०एस०सी०
86. आनन्द निकेतन में सी०एस०सी०

87. वैस्ट एण्ड—वैस्ट एण्ड में सी०एस०सी०

88. गुलमोहर पार्क—गुलमोहर पार्क में सी०एस०सी०

89. शाहपुर जट—शाहपुर जट में सी०एस०सी०

90. गीतांजली— गीतांजली में सी०एस०सी०

91. नवजीवन बिहार—नवजीवन बिहार में सी०एस०सी०

92. यमुनापुरी—यमुनापुरी ब्लाक बी सी

त्रिलोकपुरी

93. त्रिलोकपुरी पाकेट II में 233 फ्लैटों के आन्तरिक विकास सहित ग्रुप आवास योजना के मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के 1440 रिहायशी एकक

94. त्रिलोकपुरी पाकेट 1 तथा 2 में ग्रुप आवास योजना के मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के 2088 रिहायशी एकक

95. मयूर बिहार चरण-2

मस्जिद मोठ

96. मस्जिदमोठ गांव

97. सी०एस०सी० मस्जिद मोठ चरण-2

रामपुरा

98. ग्रुप आवास योजना (जनता, निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग नई पद्धति)

99. फ्रेन्डस कालोनी में सामुदायिक केन्द्र

न्यू फ्रेन्डस कालोनी

100. न्यू फ्रेन्डस कालोनी में एस०एस०सी०

101. न्यू फ्रेन्डस कालोनी स्थल-I पर सी०एस०सी०

102. न्यू फ्रेन्डस कालोनी स्थल सं० 4 पर सी०एस०सी०

अशोक बिहार

103. अशोक बिहार चरण-I ब्लाक एच में निम्न आय वर्ग के 168 रिहायशी एकक

104. चरण-3 में निम्न आय वर्ग के 188 तथा मध्यम आय वर्ग के 188 फ्लैट।

105. कोसमोकोलिटन कालोनी में सी०एस०सी०

106. सर्वोदय एन्कलेव में सी०एस०सी

107. एम०एम०टी०सी०/एस०टी०सी० कालोनी में सी०एस०सी०

108. हेमकुटं—हेमकुटं में सी०एस०सी०

109. हेमकुटं में 16 सी०एस०पी०

110. ई०पी०डी०पी० में सी०एस०सी०

111. मालवीय नगर प्लाट जे में सी०एस०सी०

नीति बाग

112. नीति बाग में सी०एस०सी०

113. नीति बाग में श्रेणी-2 के स्वावित्त पोषित योजना के श्रेणी-2 के 28 तथा 14 फ्लैट

114. चिराग एन्कलेव में सी०एस०पी० के 12

115. सनवाल नगर

116. प्रसाद नगर में मध्यम आय वर्ग के 352

117. राजेन्द्र प्लेस

118. बेगमपुर (गांव)

119. शाहीपुर

120. गांव केशोपुर

121. गांव तितारपुर

122. मुनीरका गांव

123. खजाराबाद गांव

124. राजवाड़ा

125. पिरन गढ़ी

126. शकरपुर गांव

127. चौखण्डी गांव

128. तेहखण्ड

129. खामपुर

130. मोहमदपुर

131. टोडापुर गांव

132. मांगलराय गांव

133. झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास कालोनी सुल्तानपुरी

134. तिहाड़ गांव

135. झुग्गी झोंपड़ी कालोनी मंगोलपुरी

136. सन्त नगर

137. भरत नगर

138. गढ़ी झरिया मरिया

मलिन बस्ती विभाग से सम्बन्धित योजना

झुग्गी झोंपड़ियां कालोनियां (निर्मित टैनामेंट्स)

139. गढ़ी में 384 टैनामेंट्स

140. कालकाजी में 1248 टैनामेंट्स

141. कालकाजी में 1096 जनता फ्लैट

142. आर०जी० रोड में 1000 टेनामेंट्स

143. रणजीत चैम्बर में 496 टेनामेंट्स

144. सीलमपुर में 628 टेनामेंट्स

मलिन बस्ती पुनर्वास कालोनियां (निर्मित टेनामेंट)

145. झिलमिल ताहिरपुर में 1190 टेनामेंट

146. अंधा मुगल में 296 टेनामेंट

147. ब्रह्मपुरी में 120 टेनामेंट

148. रतन नगर (मोती नगर) में 40 टेनामेंट

149. रेंगरपुरा में 60 टेनामेंट

150. अहाता किदार में 168 टेनामेंट

151. पन्त नगर (जंगपुरा) में 420 टेनामेंट

152. नेहरू नगर (किलोकड़ी) में 834 टेनामेंट

153. अमृतकोर पुरी में 164 टेनामेंट

सामुदायिक सुविधायें वैयक्तिक क्वार्टर

154. श्रीनिवासपुरी में 32 सी०एस०पी० क्वार्टर

155. किदवई नगर में 40 सी०एस०पी० क्वार्टर

156. पूर्वी विनय नगर में 24 सी०एस०पी० क्वार्टर

157. मेन विनय नगर में 40 सी०एस०सी० क्वार्टर

158. मोती बाग में 40 सी०एस०सी० क्वार्टर

159. सराय रोहिल्ला में 1020 टेनामेंट

ट्रांजिट कैम्प

160. अन्धा मुगल में 24 टेनामेंट

161. बाग अन्धा में 72 टेनामेंट

162. पदमनगर में 72 टेनामेंट

163. न्यू मोती नगर में 120 टेनामेंट

164. बालवे वर्ड रोड में 92 टेनामेंट

165. माता सुन्दरी रोड में 400 टेनामेंट

166. न्यू मोती नगर (औद्योगिक क्षेत्र) में 1556 टेनामेंट

167. जी०टी० रोड शाहदरा में 392 टेनामेंट

168. रणजीत नगर में 1536 टेनामेंट

169. कोडार बस्ती में 72 टेनामेंट

170. हुजेना बस्ती में 80 टेनामेंट
171. सराय क्यू (सब्जी मण्डी) में 96 टेनामेंट
172. अजमेरी गेट में 96 टेनामेंट
173. कटरा शीश महल (दिल्ली गेट) में 96 टेनामेंट

सफाई वालों के लिए टेनामेंट्स

174. नजफगढ़ रोड में सफाई वालों के लिए 224 टेनामेंट
175. संगम पार्क में सफाई वालों के लिए 1024 टेनामेंट
176. रणजीत नगर में सफाई वालों के लिए 384 टेनामेंट
177. तिलक नगर में सफाई वालों के लिए 235 टेनामेंट
178. गढ़ी गांव में सफाई वालों के लिए 320 टेनामेंट
179. मादीपुर में सफाई वालों के लिए 640 टेनामेंट
180. जहांगीर पुर में सफाई वालों के लिए 456 टेनामेंट

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कालोनियों में विकसित किए गए 127 आवास पाकेटों की सूची (सेवायें अभी सौंपी जानी है)

क०सं०　　　कालोनी का नाम

1. मयूर विहार, चरण-1, पाकेट 1 से 4
2. दिलशाद गार्डन में विभिन्न सामूहिक आवास पाकेट
3. मयूर विहार चरण 2, पाकेट ए बी सी
4. जोन ई-8 से ई-12 में प्लाटिड सामूहिक आवास समितियां।
5. गाजिपुर में 926 जनता मकान।
6. नन्द नगरी में 1026 मकान (एल०आई०जी०)
7. मानसरोवर पार्क में 672 एम०आई०जी० मकान।
8. शास्त्री पार्क में 300 जनता मकान।
9. निर्माण बिहार में 40 एम०आई०जी० मकान।
10. नन्द नगरी में 960 एम०आई०जी० मकान।
11. नन्द नगरी में 240 एम०आई०जी० मकान।
12. झिलमिल में 816 एल०आई०जी० मकान।
13. 120 सी०एस०पी० आनन्द विहार।
14. 48 सी०एस०पी० प्रिय दर्शनी विहार।
15. जाफराबाद में 256 एल०आई०जी० मकान।
16. पीतमपुरा पाकेट क्यू (यू) में 816/756 एल०आई०जी० रिहायशी एककों का निर्माण।

17. मोतिया खान स्वावित्त पोषित योजना श्रेणी-2 के 312, 240 मकानों का निर्माण।
18. सावन पार्क के नजदीक अशोक विहार में 168 सी०एस०पी० जनता मकानों का निर्माण।
19. पाकेट ए-2, ग्रुप बी लारेंस रोड में 192/156 एल०आई०जी० रिहायशी एककों का निर्माण।
20. पीतमपुरा पाकेट एफ (पी) में 104/156 जनता मकानों का निर्माण।
21. पीतमपुरा, पाकेट पी (डी) में 480 एल०आई०जी०मकानों का निर्माण।
22. पीतमपुरा, पाकेट एन (पी) में 480 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण।
23. पीतमपुरा, पाकेट एल (पी) में 384 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण।
24. पीतमपुरा, पाकेट एम (यू) में 288 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण।
25. पीतमपुरा, पाकेट एन (यू) में 312 जनता मकानों का निर्माण।
26. पीतमपुरा, पाकेट ई (यू) में 162 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण।
27. पीतमपुरा, पाकेट आर (यू) में 504 एम०आई०जी० मकानों का निर्माण।
28. पीतमपुरा, पाकेट ई (डी) में 252 एम०आई०जी० मकानों का निर्माण।
29. पीतमपुरा, पाकेट क्यू (यू) में 160 एम०आई०जी० मकानों का निर्माण।
30. पीतमपुरा, पाकेट जे (डी) में स्वविस्त पोषित योजना के 296 मकानों का निर्माण।
31. पीतमपुरा, पाकेट ए (पी) में 560 एम०आई०जी० मकानों का निर्माण।
32. अशोक विहार चरण 1, ब्लाक जे में 192 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण।
33. अशोक विहार, 144 एम आई जी मकानों का निर्माण।
34. शालीमार बाग, पाकेट डब्ल्यू ब्लाक बी में स्वविस्त पोषित योजना के 480 मकानों का निर्माण
35. ब्लाक सी, पाकेट बी, शालीमार बाग में 208 एम आई जी मकानों का निर्माण
36. ब्लाक बी, पाकेट बो, शालीमार बाहें में 342 एल आई जी मकानों का निर्माण
37. ब्लाक ए, पाकेट सी 2 शालीमार बाग में 88 एल आई जी और 144 एम आई जी मकानों का निर्माण
38. शालीमार बाग, पाकेट यू और वी में 688 एम आई जी मकानों का निर्माण
39. शालीमार बाग, ग्रुप सी पाकेट सी में 624 एम आई जी मकानों का निर्माण
40. शालीमार बाग, ग्रुप बी पाकेट डी में 240 एम आई जी मकानों का निर्माण
41. अशोक विहार चरण 3 में स्वविस्त पोषित योजना के अन्तर्गत 180 मकानों और 144 स्कूटर गैरजों का निर्माण
42. पीतमपुरा, पाकेट एस (डी) में स्वविस्त पोषित योजना के 512 मकानों का निर्माण
43. शालीमार बाग, ब्लाक बी पाकेट-I में 168 एल आई जी मकानों का निर्माण
44. गौतम नगर में स्वविस्त पोषित योजना के फ्लैट (52)
45. साकेत में स्वविस्त पोषित योजना के फ्लैट (196)
46. कालकाजी एक्सटें० ए-4 में स्वविस्त पोषित योजना के फ्लैट (272)
47. अलकनन्दा, पाकेट ए में स्वविस्त पोषित योजना के फ्लैट (448)
48. कालकाजी एक्सटें०, पाकेट ए-9 में एम आई जी फ्लैट (222)

49. पाकेट जी साकेत में स्ववित्त पोषित योजना के मकान (66)
50. अलकनन्दा, पाकेट डी में स्ववित्त पोषित योजना के 416 मकान
51. किशनगढ़ सैक्टर ए में स्ववित्त पोषित योजना के मकान (384)
52. स्ववित्त पोषित योजना वैस्ट आफ कम्यूनिटी सैन्टर, कालकाजी, ग्रुप 1, 2 और 3 (मन्दाकिनी एन्कलेव)
53. अलकनन्दा में स्ववित्त पोषित योजना, पाकेट बी और सी ग्रुप 1, 2 और 3 (गंगोत्री एन्कलेव)
54. कालकाजी एक्सटॅ० पाकेट ए-3 में एल आई जी मकान ।
55. ग्रेटर कैलाश पार्ट I (कैलाश कुंज) में स्ववित्त पोषित योजना
56. जी ब्लाक, हायर सेकण्डरी स्कूल, कालकाजी के सामने स्ववित्त पोषित योजना
57. देशबन्धु गुप्ता कालेज के नजदीक कालकाजी (देशबन्धु अपार्टमेंट) स्ववित्त पोषित योजना
58. साकेत में स्ववित्त पोषित योजना (मालवीय नगर एक्सटॅ०)
59. स्ववित्त पोषित योजना, ईस्ट आफ कैलाश पाकेट ए और बी (माउंट कैलाश)
60. बाहरी रिंग रोड, कालकाजी में स्ववित्त पोषित योजना
61. सिद्धार्थ एक्सटेंशन पाकेट बी, ग्रुप 1 में स्ववित्त पोषित योजना के 160 मकान
62. किलोकड़ी पाकेट सी ग्रुप 8 में स्ववित्त पोषित योजना के 144 मकान (केवल 40 रिहायशी एकक)
63. किलोकड़ी ग्रुप 9 में स्ववित्त पोषित योजना के 264 मकान (केवल 120 रिहायशी एकक)
6 . पाकेट बी और सी अलकनन्दा, ग्रुप 4 में स्ववित्त पोषित योजना के 48 मकान
65. किलोकड़ी पाकेट सी, ग्रुप 6 में स्ववित्त पोषित योजना, श्रेणी-II के 240 मकान (केवल 56 रिहायशी एकक)
66. कालू सराय में स्ववित्त पोषित योजना श्रेणी-II के 196 मकान
67. किलोकड़ी, पाकेट ए में 192 एल०आई०जी० मकान
68. मदनपुर खादर में 58 जनता मकान
69 कालू सराय में 56 सी०एस०पी०
70. अलकनन्दा, सामुदायिक केन्द्र के पश्चिम में स्ववित्त पोषित योजना के 36 मकान
71. जे०जे० कालोनी टिगरी, मदनगीर में 320 जनता मकान
72. दक्षिणपुरी, मदनगीर में 262 जनता मकान
73. मदनपुर खादर (सरिता विहार) पाकेट एम और एन में 808 जनता मकान
74. खिरकी, ग्रुप 1 में 240 जनता रिहायशी एकक
75. खिरकी, ग्रुप II में 248 जनता रिहायशी एकक
76. एम०बी० रोड, साकेत में 686 ई०डब्ल्यू०एस० मकान (केवल 656)
77. किलोकड़ी (सिद्धार्थ एक्सटेंशन), पाकेट बी में 48 स्ववित्त पोषित योजना के मकान
78. पाकेट सी, ग्रुप 1, किलोकड़ी (सिद्धार्थ एक्सटेंशन) में स्ववित्त पोषित योजना के 120 मकान

79. न्यू फ्रेंड्स कालोनी में सी०एस०ई०
80. शालीमार बाग, ब्लाक ए, पाकेट डी
81. बोडेला, ए०जी० I, एम०आई०जी०
82. बोडेला, डी०सी० II, स्ववित्त पोषित योजना
83. गुलाबी बाग, स्ववित्त पोषित योजना, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग
84. पाकेट बी जी III, जी 17 एरिया, पश्चिम बिहार में 304/288 एल० आई० जी० मकानों का निर्माण
85. सी II ए/15, जनकपुरी में 48 एम०आई०जी० मकानों का निर्माण
86. सी-एच/9, जनकपुरी में 57 एम०आई०जी० मकानों का निर्माण
87. सी/11 सी, जनकपुरी में 36 एम०आई०जी० मकानों का निर्माण
88. सी 3 और सी 5 ए, जनकपुरी में 96 एम०आई०जी० मकानों का निर्माण
89. पाकेट बी, जी II, जी 17 एरिया, पश्चिम बिहार में 160 एल०आई०जी० रिहायशी एककों का निर्माण
90. पाकेट बी, जी 5, जी 17 एरिया, पश्चिम बिहार में 304 एल०आई०जी० रिहायशी एककों का निर्माण
91. पाकेट बी, जी 5ए, जी 17 एरिया, पश्चिम बिहार में 208 एल०आई०जी० रिहायशी एककों का निर्माण
92. पश्चिम बिहार 598 जनता रिहायशी एककों का निर्माण
93. पाकेट ए II, पश्चिम बिहार में 384 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण
94. पश्चिम बिहार में 160 एम०आई०जी० रिहायशी एककों का निर्माण
95. पश्चिम बिहार में स्ववित्त पोषित योजना के 450 रिहायशी एककों का निर्माण
96. सुखदेव बिहार में स्ववित्त पोषित योजना के 504 रिहायशी एककों का निर्माण
97. सुखदेव बिहार में स्ववित्त पोषित योजना के 15 रिहायशी एककों की एक अतिरिक्त ब्लाक का निर्माण
98. डी I बी, जनकपुरी में स्ववित्त पोषित योजना 99 मकान
99. पाकेट जे, जी III, विकासपुरी में 792 जनता मकान
100. पाकेट ए, विकासपुरी एक्सटेंशन में 320 एम०आई०जी० मकान
101. पाकेट बी, विकासपुरी एक्सटेंशन में 224 स्ववित्त पोषित योजना मकान
102. पाकेट सी, राजौरी गार्डन में स्ववित्त पोषित योजना के 400 मकान
103. पाकेट सी 4/एफ, जनकपुरी में 20 एल०आई०जी० मकान
104. पाकेट सी 4/ई, जनकपुरी में 60 एल०आई०जी० मकान
105. पाकेट सी 4/सी, जनकपुरी में 72 एल०आई०जी० मकान
106. पाकेट सी 4/ई जनकपुरी में 84 निम्न आय वर्ग
107. पाकेट सी 4/ई जनकपुरी में 48 निम्न आय वर्ग

108. पाकेट सी 4/सी, जनकपुरी में 48 निम्न आय वर्ग
109. पाकेट डी 1 सी जनकपुरी में 120 निम्न आय वर्ग 80 मध्यम वर्ग
110. पाकेट डी 1 जनकपुरी में 84 निम्न आय वर्ग
111. पाकेट डी 2 ए जनकपुरी 256 निम्न आय वर्ग
112. पाकेट डी 2 ए जनकपुरी में 144 निम्न आय वर्ग
113. पाकेट एफ जी-8 क्षेत्र राजौरी गार्डन में 120 मध्यम आय वर्ग
114. भारत सरकार मुद्रणालय मायापुरी के सामने 216 निम्न आय वर्ग
115. पाकेट ए०जी० 1 बोडेला में 384 मध्यम आय वर्ग
116. पाकेट ए०जी० 1 बोडेला में 237 मध्यम आय वर्ग
117. पाकेट ए०जी० 1 बोडेला में 264 मध्यम आय वर्ग
118. डी० 1 बी जनकपुरी में 24 स्ववित्त पोषित योजना
119. महावीर नगर में 72 स्ववित्त पोषित योजना
120. राजौरी गार्डन में 80 स्ववित्त पोषित योजना
121. रघुवीर नगर में 24 एल०सी०एच०
122. रघुवीर नगर में 168 एल०सी०एच०
123. पाकेट 12 सी/2 सी जनकपुरी में 24 मध्यम आय वर्ग
124. बी०ई० ब्लाक जनकपुरी में 192 स्ववित्त पोषित योजना
125. बादीपुर में 360/252 निम्न आय वर्ग रिहायशी एककों का निर्माण
126. पश्चिमपुरी में 1092 जनता आवासों समूह 1 तथा 2 का निर्माण
127. पश्चिमपुरी में 273 स्ववित्त पोषित श्रेणी II का निर्माण

न्यू पैटर्न "हुडको" स्कीम, 1979 के अन्तर्गत प्राथमिकता सूची

2135. **श्री प्रताप राव बी० भोसले :** क्या शहरी विकास मन्त्री न्यू पैटर्न "हुडको" स्कीम, 1979 के अन्तर्गत प्राथमिकता सूची के बारे में 13 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता नम्बरों की स्थिति दर्शाने वाला ड्रा जो जून-जुलाई, 1987 में निकाला गया था, मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) न्यू पैटर्न "हुडको" स्कीम के अन्तर्गत अब तक प्रत्येक श्रेणी में क्षेत्रवार कितने फ्लैट आबंटित किए गए हैं;

(घ) पंजीकृत लोगों को प्राथमिकता सूची बिक्री के लिए उपलब्ध कराने में कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या जून-जुलाई, 1987 में निकाले गये पिछले ड्रा में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित करने के बाद आबंटित रजिस्ट्रेशन नम्बरों को उसमें शामिल नहीं किया गया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या अपनी श्रेणी में परिवर्तन करवाने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता नम्बर आबंटित किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा जनता श्रेणियों के 6000 फ्लैटों के आबंटन के लिए जून, 1987 में लाटरी निकाली गई थी और लाटरी में निकाले गए प्राथमिकता नम्बरों की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। आबंटन के परिणामों को विकास सदन के "डी" ब्लाक के केन्द्रीय कक्ष में भी प्रदर्शित किया गया था।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) यह मुद्रण की प्रक्रिया में है।

(ङ) और (च) परिवर्तन कर्ताओं को अग्रता सूची के अन्त में वरिष्ठता दी जाती है। इसलिए, उनके नाम अन्तिम लाटरी में शामिल नहीं किए गए थे। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के परिवर्तन कर्ताओं के मामले में, यहां तक एम०आई०जी०/एन०पी० का सम्बन्ध है सभी पंजीकरण नम्बरों को शामिल कर लिया गया है।

(छ) और (ज) परिवर्तन कर्ताओं के प्राथमिकता नम्बर निर्धारित करने से सम्बन्धित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विवरण

न्यू पैटर्न स्कीम के अन्तर्गत आबंटित किए गए फ्लैटों की कालोनी वार और श्रेणी वार सूची।

क्रम०सं०	योजना का नाम	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता
1	2	3	4	5
1.	राजौरी गार्डन	97	670	424
2.	विकास पुरी	2643	1751	2424
3.	अवन्तिका	—	—	2169
4.	अशोक विहार	—	—	117
5.	जनकपुरी	150	833	—
6.	रामपुरा	96	303	307
7.	दिलशाद गार्डन	4006	1930	2557
8.	नन्द नगरी	942	1000	2015
9.	पीतमपुरा	556	2320	898
10.	शालीमार बाग	514	1027	974
11.	लारेंस रोड	—	461	—

1	2	3	4	5
12.	त्रिलोकपुरी	1252	1358	546
13.	रोहिणी	1265	1776	1506
14.	पश्चिमपुरी	—	1080	2009
15.	प्रियदर्शनी विहार	—	—	48
16.	शास्त्री पार्क	—	—	232
17.	मान सरोवर पार्क	330	328	—
18.	निर्माण विहार	30	—	—
19.	झिलमिल	—	795	—
20.	जाफराबाद	—	254	—
21.	मादीपुर	—	215	—
22.	मायापुरी	—	44	—
23.	गाजीपुर	—	—	1016
24.	सरिता विहार	—	—	966
25.	बदरपुर	—	—	786
26.	दक्षिण पुरी	—	—	822
27.	तिगरी	—	—	382
28.	खिरकी	—	—	384
29.	विभिन्न कालोनियों में रद्द किए गए रिक्त फ्लैट	—	—	676
30.	लारेंस रोड (आबंटी)	—	—	907
31.	कालकाजी (आबंटी)	—	304	—
32.	आनन्द विहार	—	—	112
33.	मदनपुर खादर	—	—	58
34.	चिल्ला गांव	—	—	312
35.	टोडापुर	—	—	50
36.	खिरकी	—	—	133
		11881	16440	22383

वर्ष 1987-88 के दौरान भूमिहीन मजदूरों के आवास के लिए आवंटित की गई धनराशि

2156. श्री सी० सम्बु : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के आवास की योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या यह योजना आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश में इस योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास-स्थल एवं निर्माण सहायता की योजना हेतु चालू वर्ष अर्थात् 1987-88 के दौरान 113.23 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त किये गये बन्धक श्रमिकों के लिए आवास निर्माण हेतु इन्दिरा आवास योजना नामक भी एक योजना है जिसके लिए 1987-88 के दौरान 124 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। दोनों योजनाओं पर वस्तुत: खर्च की गई राशि इस अवस्था में उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। दोनों ही योजनाएं आन्ध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1987-88 के दौरान आंध्र प्रदेश की इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत नियत की गई राशि निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये में)
आवास-स्थल एवं निर्माण सहायता	53.80
इन्दिरा आवास योजना	11.90

खाद्य तेल का आयात और वितरण

2157. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लूसा (कोआपरेटिव लीग आफ युनाइटेड स्टेट्स) खाद्य तेल परियोजना के अन्तर्गत भारी मात्रा में खाद्य तेल रियायती दर पर प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो गत दो वर्षों के आयात का ब्यौरा क्या है,

(ख) उक्त अवधि के लिए राज्यों को राज्य-वार, वर्ष-वार और श्रेणीवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तथा वनस्पति निर्माताओं, व्यापारियों को कितना खाद्य तेल जारी किया गया और उसका औसत बिक्री मूल्य कितना था,

(ग) क्या "क्लूसा" परियोजना में निर्धारित लक्ष्य में वर्ष 1977 के बाद के वर्षों में खाद्य तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी गत पांच वर्षों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार का इस तेल को सीधे उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए केवल सार्वजिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने का विचार है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड उपहार तेल के रूप में खाद्य तेल 'क्लूसा' के माध्यम से प्राप्त कर रहा है और 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान प्राप्त हुई मात्रा क्रमशः 3350 तथा 17765 मीटरी टन थी।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया खाद्य तेल राज्य तेल संघों के जरिए वास्तविक उपभोक्ताओं में वितरत किया जाता है। संघों के लिए मूल्य का निर्धारण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य संघों द्वारा किया जाता है तथा उपभोक्ताओं के लिए राज्य संघों द्वारा उपहार रूप तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वनस्पति विनिर्माताओं और व्यापारियों के लिए नहीं होता।

उपहार रूपी आयातित तेल की मात्रा, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बड़ी मात्रा में आयात किए जाने वाले तेल की तुलना में बहुत थोड़ी होती है।

राज्य संघों को उपहार रूपी तेल का वितरण आवश्यकता और संघों की तेल को उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना के अंतर्गत किए गए प्रयास किसान स्तर पर खाद्य तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। वैसे, तिलहनों की उत्पादकता और उत्पादन अधिकांशतया मौसम की स्थितियों और उत्पादन पर असर करने वाले अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं।

(घ) और (ङ) इस समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पास अपना उपहार रूपी तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिल्मों और धारावाहिकों का चयन

2158. **श्री आर० एम० भोये :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन फिल्मों और प्रायोजित धारावाहिकों का ठीक तरह से चयन न किए जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और सरकार ने इसके बारे में क्या कदम उठाये हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा प्रशंसात्मक और कभी कभार आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं।

(ग) धारावाहिकों और फीचर फिल्मों के चयन में उद्देश्यपरकता लाने के लिए उनके चयन संबंधी प्रक्रिया में संस्थागत एवं संगठनात्मक परिवर्तन किए हैं। धारावाहिकों के चयन के लिए एक तीन स्तरीय प्रणाली है जिसमें प्राथमिक समिति, चयन समिति और अपील समिति शामिल है। अन्तिम दो समितियों में गैर सरकारी सदस्य होते हैं। दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों को संदर्भ संख्या दी गई और उसकी पावती भेजी गई। अधिकारियों की प्राथमिक समिति प्रस्तावों को जांच करती है और अपनी सिफारिशों को दूरदर्शन महानिदेशक को प्रस्तुत करती है। प्राथमिक समिति

की सिफारिशों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाता है। प्राथमिक समिति द्वारा रद्द किए जाने वाले मामले में अपील की जा सकती है जिसपर चयन समिति द्वारा किया जाता है । चयन समिति द्वारा रद्द किए जाने पर वृहत समिति जिसमें उन दो गैर सरकारी सदस्यों, जिन्होंने इसको शुरू में जांच की थी के अतिरिक्त दो और गैर सरकारी सदस्य शामिल होते हैं, द्वारा निर्णय की पुनरीक्षा की जाती है । फिल्मों के चयन संबंधी समिति में भी प्रख्यात गैर सरकारी सदस्य होते है !

भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास हेतु धनराशि का आवंटन

2159. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धन राशि आवंटित की गई थी और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या यह योजना महाराष्ट्र राज्य में भी कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र राज्य में इस योजना के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की गई है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सातवीं पंच वर्षीय योजना में ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल एवं निर्माण सहायता की योजना के लिए 576.90 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है । सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान इस योजना पर 245.10 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा ग्रामीण क्षेत्र के मुक्त किए गए बन्धक श्रमिकों के लिए आवास निर्माण हेतु इन्दिरा आवास योजना नामक एक योजना है जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के एक अंग के रूप में सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रवृत्त की गई थी। योजना के अन्तर्गत धन का नियतन वर्ष दर वर्ष आधार पर किया जाता है । सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, इस योजना पर 195.04 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है ।

(ख) और (ग) जी, हां। दोनों योजनाएं महाराष्ट्र राज्य में चालू हैं । महाराष्ट्र में दोनों योजनाओं के लिए नियत की गई राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

राशि करोड़ रुपयों में

योजना का नाम	सातवीं योजना परिव्यय	1985-86	1986-87	1987-88
आवास-स्थल एवं निर्माण सहायता	50.00	2.50	4.50	5.66
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए इन्दिरा आवास योजना	—	7.91	9.91	9.91

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा धार्मिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय का नियतन

2160. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान धार्मिक महत्व के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना समय नियत किया गया; और

(ख) ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एo केo पांजा) (क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए धार्मिक महत्व के कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय संजाल पर समय का कोई नियत चंक आवंटित नहीं करते ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1986 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

2161. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1986 को देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1986 के दौरान रोजगार कार्यालयों को कितने रिक्त स्थानों के बारे में अधिसूचित किया गया;

(ग) इन रिक्त स्थानों के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने आवेदन-कर्त्ताओं क प्रायोजित किया गया; और

(घ) वर्ष 1986 के दौरान कितने रिक्त स्थानों को भरा गया ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीo एo संगमा) : (क) 31-12-1986 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, 301.31 लाख थी।

(ख) 6.23 लाख ।

(ग) 1986 के दौरान, 53.13 लाख आवेदक प्रायोजित किए गए थे।

(घ) 3.51 लाख ।

मन्त्रियों के आवासों पर फर्नीचर व साज-समान पर खर्च की गई धनराशि

2162. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य के सरकारी आवास में फर्नीचर और साज-सामान पर 1985-86 और 1986-87 के दौरान अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च हुई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में स्वीटजरलैंड की सहायता से चलने वाली डेयरी विकास योजना

2163. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वीटजरलैण्ड सरकार की सहायता से केरल में एक डेयरी विकास योजना की अनुमति दे दी है,

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए स्वीटरजलैंड सरकार के साथ किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं, और

(ग) यदि हां, तो उक्त समझौते और विकास योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्षद्वीप के लिए आकाशवाणी केन्द्र

2164. **श्री टी० बशीर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्षद्वीप के लिए प्रस्तावत्ति रेडियो स्टेशन कोचीन में बनाया जाएगा;

(ख) क्या यह सच है कि मूल प्रस्ताव में इसे लक्षद्वीप में स्थापित किया जाना था; और

(ग) यदि हां, तो स्थान बदलने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां। इसकी स्थापना कवारती में की जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल को विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता

2165. **श्री टी० बशीर** :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के छः उत्तरी जिलों में वन श्रमिको को विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधिकारियों और भारत सरकार द्वारा किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिनांक 9 जुलाई, 1987 को "केरल में वानिकी तथा आदिवासी क्षेत्र विकास" नामक परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच परिचालन योजना पर हुए

समझौते के तहत विश्व खाद्य कार्यक्रम निम्नलिखित जिन्सों की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है।

	मात्रा (मीटरी टन)
चावल	14,010
वनस्पति तेल	1,401
दलहन	1,401

भाड़ा शुल्क तथा अन्य खर्चों सहित इन जिन्सों का कुल मूल्य 78.9 लाख अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता का उपयोग केरल के छः जिलों, अर्थात् कन्नानोर, केसारगोडे' विनाड, कोजीकोड़े, मलारपुरम और पालघाट में पांच वर्षों की अवधि के दौरान किया जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम सम्बन्धी खाद्य राशन वानिकी मजदूरों, जो स्वेच्छा से अपनी मजदूरी का एक भाग छोड़ देते हैं, को मजदूरों, अनुपूरक के रूप में राजसहायता के आधार पर दी जाएगी। अर्जित निधि का उपयोग क्षेत्र में वनरोपण तथा कल्याण सम्बन्धी कार्यकलापो के लिए किया जाएगा।

भूमिहीन परिवारों को भूमि स्थलों का आवंटन

2166. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1986-87 के अंत तक भूमिहीन मजदूरों को गृह निर्माण के लिए भूमि स्थलों तथा निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को, कितने भूमि स्थलों का आवंटन किया गया;

(ख) अभी कितने भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए भूमि स्थलों की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है; और

(ग) इस बारे में किए गए सर्वेक्षण का ब्योरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल एवं निर्माण सहायता के आवंटन की योजना के अन्तर्गत 148.47 लाख परिवारों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 1986-87 के अन्त तक आवास स्थल मुहैया कर दिए हैं।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय होने के नाते, आवास स्थल एवं निर्माण सहायता की योजना सहित सभी सामाजिक आवास योजनाओं कार्यान्वियन राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है। तथापि, छठी योजना दस्तावेज के अनुसार, मार्च, 1975 तक आवास सहायता के जरूरतमन्द पात्र परिवारों की संख्या लगभग 145 लाख थी। 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान आवास स्थल मुहैया किए गए परिवारों की संख्या क्रमशः 9.11 लाख तथा 8.03 लाख थी।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया का विलय

2168. **श्री सी० सम्भु** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विलय का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विलय का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

ओंगोल आन्ध्र प्रदेश में हवाई अड्डा

2169. **श्री सी० सम्बु** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओंगोल, आन्ध्र प्रदेश में एक छोटा हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय डेरी निगम द्वारा रिहायशी आवास के किराये पर व्यय

2170. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी निगम ने रिहायशी आवास के किराये पर भारी धनराशि खर्च की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस खर्च को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कालीकट हवाई अड्डे को अन्य हवाई अड्डों से जोड़ना

2171. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 1987 से हवाई अड्डों की क्षमता और उनकी संख्या में वृद्धि की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कौन-कौन से हवाई अड्डों से कालीकट हवाई अड्डे को जोड़े जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जैसे ही कालीकट हवाई अड्डा परिचालन के लिए उपलब्ध हो जाएगा, वैसे ही इंडियन एयरलाइन्स कालीकट को बम्बई और मद्रास से जोड़ने के बारे में विचार करेगा।

विवरण

क्षमता में बढ़ोतरी/नई हवाई सेवायें

(1) इण्डियन एयरलाइंस

क्षमता में बढ़ोतरी :

1. हैदराबाद-पूणे-अहमदाबाद	बी-737 उड़ान सप्ताह में दो बार
2. बम्बई-कोयम्बतूर-बम्बई	प्रति सप्ताह 7 बी-737 के स्थान पर 11 बी-737
3. दिल्ली-लखनऊ-इलाहाबाद-गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली	3 बी-737 उड़ानों दिल्ली-लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-लखनऊ-दिल्ली और 4 बी-737 उड़ानों दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-पटना-लखनऊ दिल्ली के स्थान पर 4 बी-737 उड़ानें ।
4. बम्बई.अहमदाबाद-अमृतसर-श्रीनगर	प्रति सप्ताह 2 उड़ानों के स्थान पर 3 बी-737 उड़ाने ।
5. दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ोदरा-दिल्ली	4 बी-737 दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ोदरा-दिल्ली और 3 दिल्ली-बड़ोदरा-दिल्ली उड़ानों के स्थान पर प्रति सप्ताह 7 बी-737 उड़ानें ।
6. कलकत्ता-भुवनेश्वर-नागपुर-बम्बई	प्रति सप्ताह 3 उड़ानों के स्थान पर 4 बी-737 उड़ानें ।
7. दिल्ली-भोपाल-नागपुर	दिल्ली-नागपुर की 7 उड़ानों के स्थान पर प्रति सप्ताह 7 बी-737 उड़ानें ।
8. कलकत्ता-अगरतला	प्रति सप्ताह 13 टर्मिनेटर और 4 ट्रांसिट उड़ानों के स्थान पर 14 बी-737 टर्मिनेटर और 4 ट्रांस्टि उड़ानें ।
9. दिल्ली-लेह) चंडीगढ़-लेह	दिल्ली-चंडीगढ़-लेह के स्थान पर बी 737 द्वारा सप्ताह में दो बार टर्मिनेटर सेवायें ।
10. दिल्ली-पटना-गुवाहाटी	दिल्ली-गुवाहाटी के स्थान पर प्रति सप्ताह बी-737 उड़ानें ।
11. मद्रास-बंगलोर-त्रिवेन्द्रम (5) हैदराबाद-बंगलोर-त्रिवेन्द्रम (2)	प्रति सप्ताह 7 बी-737 मद्रास-त्रिची-त्रिवेन्द्रम और 7 एच. एस. 748 सेवा बंगलोर-त्रिवेन्द्रम-बंगलोर उड़ानों के स्थान पर 7 बी-737 ।
12. मद्रास-त्रिची मदुरै-मद्रास	7 बी-737 मद्रास-मुदैरे-मद्रास और मद्रास-त्रिची-त्रिवेन्द्रम उड़ानों के स्थान पर प्रति सप्ताह 11 बी-737 सेवायें ।

13. मद्रास-बंगलौर	24 बी-737 और 1 एयरबस उड़ान के स्थान पर प्रति सप्ताह 28 बी-737 और 1 एयरबस उड़ान।
14. बम्बई-पुणे-बम्बई	32 एच. एस.-748 उड़ानों के स्थान पर प्रति सप्ताह 7 बी-737 तथा 21 एच. एस.-748 उड़ानें।
15. हैदराबाद-विजयवाड़ा	7 ट्रांसिट उड़ानों के स्थान पर प्रति सप्ताह 4 टर्मिनटर और 7 ट्रांसिट एच. एस.-748 उड़ानें।
16. गुवाहाटी-अगरतला	7 एफ-27 उड़ानों के स्थान पर प्रति सप्ताह 11 एफ-27 उड़ानें।
17. त्रिवेन्द्रम-माले	प्रति सप्ताह 2 बी-737 उड़ानों के स्थान पर प्रति सप्ताह 3 बी-737 उड़ानें।
18. कलकत्ता-वाराणसी-गोरखपुर	3 एफ-27 उड़ानों (कलकत्ता-गोरखपुर-कलकत्ता) के स्थान पर प्रति सप्ताह 4 एफ-27 उड़ानें।
नई हवाई सेवाये :	
अहमदाबाद-पुणे	बी-737 (अहमदाबाद-पुणे-हैदराबाद) सेवायें सप्ताह में तीन बार।
दिल्ली-पुणे-दिल्ली (पुन: शुरू)	प्रतिदिन बी-737।
भोपाल-नागपुर	प्रतिदिन बी-737 (दिल्ली-भोपाल-नागपुर)
त्रिची-मदुरै	11 बी-737 उड़ानें प्रति सप्ताह (मद्रास-त्रिची-मदुरै-मद्रास)।
हैदराबाद-त्रिवेन्द्र	बी-737 सप्ताह में दो बार (हैदराबाद-बंगलौर-त्रिवेन्द्रम)।
गुवाहाटी-सिल्चर	एफ-27 सप्ताह में तीन बार।
इलाहाबाद-गोरखपुर	4 बी-737 उड़ानें प्रति सप्ताह (दिल्ली-लखनऊ-इलाहाबाद-गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली)।
वाराणसी-गोरखपुर (पुन: शुरू)	4 एफ.-27 उड़ानें प्रति सप्ताह (कलकत्ता-वाराणसी-गोखपुर-कलकत्ता)।
बंगलौर-बेलगांव	एच. एस.-748 सप्ताह में 3 बार।
मद्रास-सिंगापुर-मद्रास	4 जून, 1987 से एयरबस द्वारा सप्ताह में एक बार।

(2) **वायुदूत :**

जून, 1987 से नेवेली को प्रति सप्ताह छ: उड़ानों के आधार पर मद्रास से जोड़ दिया गया है।

(3) एयर इण्डिया।

क्षमता में बढ़ोतरी

दिनांक 25 जून, 1987 को सरकार ने, भारत/दुबई मार्गों पर, प्रत्येक दिशा में क्षमता हक-दारी को स्थाई आधार पर प्रति सप्ताह 2500 से 2750 स्थान किए जाने के लिए भारत/अमिरात के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय का कार्यकरण

2172. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय के कर्मचारी सरकारी कॉलोनियों के निवासियों की शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं करते हैं ;

(ख) सरकारी कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्रों, संसद सदस्यों के फ्लैटों/बंगलों अथवा सरकारी भवनों में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार ठहराने और उनके कार्यकरण में कुशलता लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या रामकृष्णपुरम में कुछ विद्युत पूछताछ कार्यालयों में जुलाई, 1987 के प्रथम सप्ताह के दौरान दर्ज की गई शिकायतों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकारी कालोनियों के निवासियों की शिकायतों पर सामान्यत: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय द्वारा शीघ्र ध्यान दिया जाता है। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों की मौजूदा हड़ताल के कारण, आवंटितियों की शिकायतों पर ध्यान देने में बिलम्ब होने के कुछ मामले हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि शिकायतों को शीघ्र निपटाया जाये और आवंटितियों को कम से कम असुविधा हो।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए उत्तरदायी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूछताछ कार्यालयों में दर्ज शिकायतों को शीघ्र निपटाया जाय विद्यमान पद्धति में जांच और प्रतिजांच की व्यवस्था है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में समुद्री उत्पाद क्षमता का उपयोग

2173. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की समुद्री उत्पाद क्षमता कुल कितनी है,

(ख) उक्त राज्य में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है,

(ग) समुद्र संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए कौन से विशेष कार्यक्रम और योजनायें शुरू की गई हैं, और

(घ) इन योजनाओं और कार्यक्रमों के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल की वार्षिक समुद्री-मछली की क्षमता 10 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है ।

(ख) इस राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान समुद्री मछली की इस क्षमता में से औसत संग्रहण 3·36 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष रही है ।

(ग) राज्य सरकार मात्स्यकी विकास के लिये एक विशेष कार्यक्रम के रूप में एक समेकित मार्गदर्शी परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । इस योजना का मुख्य अंग है—मछुआरों को रियायती दरों पर मत्स्यन उपकरण सप्लाई करना । राज्य सरकार का गहरे समुद्र में मत्स्यन की एक योजना को कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें केरल तट से दूर गहरे समुद्र के मछली संसाधनों का लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी मत्स्यन नौकाओं का आयात और डोरी मत्स्यन आरम्भ करना शामिल है । इसके अलावा भारत सरकार तट पर लग सकने वाली उन्नत नौकाओं का प्रपालन तथा केरल में परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें भी कार्यान्वित कर रही है ।

(घ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं किया गया है । मात्स्यकी विकास के लिए समेकित मार्गदर्शी परियोजना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है । पहले चरण में मछुआरों में 221 आऊट बोर्ड इन्जिन, 149 देशी नौकायें और 29103 किलोग्राम गियर वितरित किए गए हैं । परम्परागत नौकाओं के मोटरीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मोटरीकरण के लिए 1000 स्वदेशी नौकायें अनुमोदित की गई हैं । इनमें से 100 परंपरागत नौकाओं के 1986-87 तथा 300 परम्परागत नौकाओं के 1987-88 के दौरान मोटरीकरण के लिए मंजूरी जारी की जा चुकी है । तट पर लग सकने वाली उन्नत नौकाओं का प्रचालन शुरू करने की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने 1985-86 के दौरान 17 नौकाओं के लिए मंजूरी दी है ।

दुकानों के आवंटितियों को मालिकाना अधिकार देना

2174. **डा. गौरीशंकर राजहंस :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका और संपदा निदेशालय द्वारा पिछले कुछ समय पूर्व निर्मित कि ओस्क के आवंटितियों को मालिकाना अधिकार दे दिये हैं; यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है और अंतरण पत्र के नियम और शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या आई० एन० ए० मार्किट और लोदी कालोनी में मेहरचन्द खन्ना मार्किट के दुकानदार भी अपनी दुकानों के संबंध में मालिकाना अधिकारों की मांग कर रहे हैं : और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उनकी मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की आशा है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) उनके अनुरोध को स्वीकार करना सम्पदा निदेशालय द्वारा सम्भव नहीं पाया गया है ।

लक्षद्वीप हवाई अड्डे का निर्माण

2175. श्री के. प्रधानी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लक्षदीप में हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है :

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

नागर विमानन के मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर):(क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 7·20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लक्षदीप में अगत्ती पर एक हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है। परियोजना पर कार्य निष्पादन भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे के मार्च, 1988 के अन्त तक परिचालन योग्य बन जाने की आशा है।

बिहार को पानी की सप्लाई के लिए सहायता

2176. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने चालू वित्त वर्ष में, राज्य में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने गाँव शामिल किये जायेंगे; और

(ग) इस कार्य के लिये केन्द्र सरकार ने उस राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) (क) और (ख) : चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1987-88 के दौरान बिहार सरकार से भारत सरकार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति और सहायता के लिये अभी तक कोइ योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 153 समस्याग्रस्त गांवों (पहले से आंशिक रूप से कवर किये गये 119 गांवों सहित) को 11·14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वच्छ पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 1986-87 में प्रस्तुत की गई तीन ग्रामीण जल सप्लाई योजनायें त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल, 1987 के दौरान स्वीकृत की गई थी। बिहार के लिये, 1987-88 हेतु त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सहित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत 3400 समस्याग्रस्त गांवों को कवर करने का लक्ष्य है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की निधियों की पहली किस्त के रूप में बिहार को 14·99 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को सप्लाई किया गया खाद्यान्न

2177. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :
श्री यू० एच० पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 1984 से 31 जुलाई, 1987 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को कई प्रकार के खाद्यान्नों की सप्लाई की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात ने सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त सप्लाई की मांग की है अथवा आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) खाद्यान्न की कितनी मात्रा मंजूर की गई तथा दिसम्बर, 1987 के अन्त तक दे दी जायेगी।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : जी हां, राज्यों को गेहूं तथा चावल सप्लाई किये गये हैं।

(ख) 1 जनवरी, 1984 से 31 जुलाई, 1987 तक खाद्यान्नों की राज्यवार रिलीज की गई मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) (घ) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार ने राज्य में चल रही सूखे की स्थिति की वजह से अपने 37,530 मीटरी टन खाद्यान्नों के सामान्य अंश के अलावा 50,000 मीटरी टन अतिरिक्त खाद्यान्नों की मात्रा के लिये अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने अभी तक खाद्यान्नों की केवल लगभग 10,000 मीटरी टन मात्रा के उपयोग की सूचना दे दी है। इस सन्दर्भ में अतिरिक्त खाद्यान्नों के लिये उनका अनुरोध असामयिक है।

विवरण

1 जनवरी 84 से 31 जुलाई 1987 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज किए गए खाद्यान्नों (गेहूं तथा चावल) की राज्य-वार स्थिति

(मीटरी टनों में)

क्रम० संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1983-84 (जन० से मार्च) 84 तक गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	90	90
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	16895	—	16895
5.	गुजरात	—	—	—
6.	हरियाणा	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—
9.	कर्नाटक	—	—	—
10.	केरल	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	6500	4000	10500
12.	महाराष्ट्र	—	—	—
13.	मणिपुर	—	—	—
14.	मेघालय	—	—	—

1	2	3	4	5
15.	मिजोरम	—	—	—
16.	नागालैंड	—	—	—
17.	उड़ीसा	—	—	—
18.	पंजाब	1145	—	1145
19.	राजस्थान	2825	—	—
20.	सिक्किम	—	—	—
21.	तमिलनाडु	—	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	22930	—	22930
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	12960	—	12960
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	125	125
26.	चण्डीगढ़	—	—	—
27.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—
28.	दिल्ली	30	—	30
29.	गोवा, दमन और दीव	—	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	80	80
31.	पाण्डिचेरी	—	125	125
	योग	63285	5170	68455

(मीटरी टनों में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1984-85			1985-86		
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
1	2	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	—	22964	22964	49600	18300	67900
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	400	400	—	160	160
3.	असम	—	5723	5723	10850	4000	14850
4.	बिहार	43000	—	43000	103150	—	103150
5.	गुजरात	8533	—	8533	23700	—	23700
6.	हरियाणा	1666	—	1666	5450	—	5450
7.	हिमाचल प्रदेश	1280	—	1280	2300	—	2300
8.	जम्मू और कश्मीर	—	2138	2138	10250	1600	11850
9.	कर्नाटक	—	20294	20294	23600	15700	39300
10.	केरल	—	13028	13028	23150	6700	29850
11.	मध्य प्रदेश	12000	7850	19850	64200	5000	69200
12.	महाराष्ट्र	25100	—	25100	10550	—	10550
13.	मणिपुर	—	300	300	—	230	230
14.	मेघालय	—	304	304	—	260	260
15.	मिजोरम	—	180	180	—	90	90
16.	नागालैंड	—	430	430	550	150	700

1	2	5	7	8	9	10	11
17.	उड़ीसा	—	17111	17111	22700	3000	35700
18.	पंजाब	—	—	—	6950	—	6950
19.	राजस्थान	6110	—	6110	202600	—	202600
20.	सिक्किम	—	350	350	400	190	590
21.	तमिलनाडु	—	33401	33401	44800	24500	69300
22.	उत्तर प्रदेश	47036	2500	49536	199800	50	199850
23.	त्रिपुरा	—	1594	1594	6700	700	7400
24.	पश्चिम बंगाल	33251	—	33251	52900	—	52900
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	260	260	—	165	165
26.	चण्डीगढ़	35	—	35	35	—	35
27.	दादरा व नगर हवेली	—	150	150	97	200	297
28.	दिल्ली	40	—	40	60	—	60
29.	गोवा, दमन और दीव	—	135	135	—	118	118
30.	लक्षद्वीप	—	71	71	—	30	50
31.	पाण्डिचेरी	—	275	275	—	175	175
	योग	178051	129458	307509	864392	91338	955730

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1986-87			1987-88 (प्रथम दो तिहाई)		
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
1	2	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	60280	60280	120560	24357	24358	48715
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	780	780	—	380	380
3.	असम	5020	5020	10040	5115	5115	10230
4.	बिहार	220942	3058	224000	72045	—	72045
5.	गुजरात	99420	—	99420	18765	—	18765
6.	हरियाणा	9320	—	9320	5285	—	5285
7.	हिमाचल प्रदेश	3000	3000	6000	1535	1535	3070
8.	जम्मू व कश्मीर	9350	23050	32400	1885	1885	3770
9.	कर्नाटक	41448	41449	82897	11750	11750	23500
10.	केरल	18840	18840	37680	9600	9600	19200
11.	मध्य प्रदेश	197630	30330	227960	309000	12290	42290
12.	महाराष्ट्र	11450	—	11450	11200	—	11200
13.	मणिपुर	—	1080	1080	—	500	500
14.	मेघालय	—	760	760	—	715	715
15.	मिजोरम	—	780	780	—	380	380
16.	नागालैण्ड	—	1220	1220	—	555	555

1	2	12	13	14	15	16	17
17.	उड़ीसा	22020	22020	44040	11222	11223	22445
18,	पंजाब	9920	—	9920	5645	—	5645
19.	राजस्थान	238800	—	238800	22095	—	22095
20.	सिक्किम	200	862	1062	—	370	370
21.	तमिलनाडु	47400	47400	94800	20078	20077	40155
22.	उत्तर प्रदेश	276340	—	276340	84738	16067	100805
23.	त्रिपुरा	820	820	1640	—	1505	1505
24.	पश्चिम बंगाल	75340	—	75340	32080	10800	42880
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	780	780	—	715	715
26.	चण्डीगढ़	220	—	220	260	—	260
27.	दादरा व नगर हवेली	200	200	400	—	370	370
28.	दिल्ली	350	—	350	390	—	390
29.	गोवा, दमन व दीव	—	900	900	—	835	835
30.	लक्षद्वीप	—	360	360	—	215	215
31.	पाण्डिचेरी	—	780	780	—	715	715
	योग	1348310	263769	1612079	368045	131955	500000

[हिन्दी]

लोगों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी कीटनाशी दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध

*2178. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कीटनाशी दवाइयों से लोगों की मृत्यु भी होती है;

(ख) क्या बी० एच० सी० सोडियम साईनाइड, डिल्ड्रिन जैसी औषधियों का भारत जैसे विकासशील देशों में अभी भी उपयोग किया जा रहा है, जबकि विकसित देशों में इन पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध है;

(ग) क्या सरकार ने कभी यह अनुमान लगाया है कि देश में इन कीटनाशकी दवाइयों से कितने लोगों कों मृत्यु हो रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन कीटनाशी दवाइयों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाने का है, जो मानव उपभोग के लिए खतरनाक है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार को सूचना में नहीं आई है ।

(ख) बी० एच० सी०, सोडियम साइनाइड और डाइलड्रिन कीटनाशी दवाएं हैं, न कि औषधि । कुछ विकसित देशों ने बी० एच० सी०, सोडियम साइनाइड और डाइड्रिन (डाइलड्रिन नाम का कोई उपनाम नहीं है) सहित कुछ कीटनाशी दवाओं के उपयोग पर रोक या प्रतिबन्ध लगाया है । भारत में सोडियम साइनाइड का सीमित मात्रा में उपयोग करने के लिए स्वीकृति दी गई है, जबकि डाइलड्रिन का मरू क्षेत्रों में टिड्डी का नियन्त्रण करने के लिए भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाह और निदेशक, टिड्डी नियन्त्रण द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अनुमति दी गई है । तथापि बी० एच० सी० का उपयोग करने की अनुमति है ।

(ग) यद्यपि, कीटनाशी अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है तथापि राज्य सरकारों ने व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण किया है जिनको अपनी जानकारी में आने वाली विषाक्तीकरण को सभी घटनाओं की सूचना देनी होती है ।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशी दवा के विषाक्तीकरण के कारण हुई मृत्यु को निम्न रिपोर्ट प्राप्त हुई :—

1984	—शून्य
1985	—अल्मूनियम फासफाइड के दुर्घटनावश अन्तर्ग्रहण के कारण हरियाणा में एक व्यक्ति की मौत ।
1986	—पंजाब में छ: मौतें, आत्महत्या के प्रयोजन के लिए कृमिनाशी दवा का अन्तर्ग्रहण करने के कारण दो को और दुर्घटनावश चार की (जिसकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है) ।

—क्लोरोपाइरिफोस के खाद्य तेल के साथ सम्मिश्रण होने के कारण गुजरात में छ: मौतें।

तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान बी० एच० सी०, सोडियम साइनाइड और डाइलड्रिन के कारण मौत होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) कीटनाशी दवा मानव उपभोग के लिए नहीं होती है। ये दवा जहरीली होती है और मानव जाति को हानि पहुंचा सकती हैं, अगर इनका विवेकपूर्वक और समुचित देखभाल से उपयोग नहीं किया जाता। कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग करने के बारे में विस्तृत हिदायतें निर्धारित की गई हैं। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति द्वारा विभिन्न प्रकार की कीटनाशी दवाओं के उपयोग का निरन्तर प्रबोधन किया जाता है। तदनुसार, इस समिति ने दो कीटनाशी दवाओं का आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाया है, 18 को रजिस्टर नहीं किया है और देश में तीन कीटनाशी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया है। केन्द्रीय सरकार ने उन कीटनाशी दवाओं की जांच करने के लिए डा० एस० एन० बैनर्जी की अध्यक्षता में पहले ही एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिन पर या तो प्रतिबन्ध लगा हुआ है अथवा अन्य देशों में उपयोग के लिए रोक लगी हुई है परन्तु उनका भारत में उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम

*2179. श्रीकांत दत्त :

श्री नरसिंहराज वाडियर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1987-92 की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय जल विभाजक कार्यक्रम प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक वर्षा सिंचित खेती के लिए राष्ट्रीय जलविभाजक विकास कार्यक्रम की एक केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना आरम्भ की है।

(ख) से (घ) इस योजना के अन्तर्गत, 30.00 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष केन्द्रीय हिस्से के रूप में निर्धारित की गई है। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. भूमि तथा आर्द्रता प्रबन्ध, बारानी बागवानी, सहित फसल पद्धतियों को आरम्भ करना, चारा उत्पादन तथा फार्म वानिकी।

2. आकस्मिकता बीज भण्डारण और पौद तथा घास बीजों/स्लिपों की सप्लाई।

3. प्रशिक्षण।

4. अनुकूली अनुसंधान क्रियाकलाप,

5. सर्वेक्षण उपस्कारों का प्रावधान तथा नए औजारों का तैयार किया जाना; और

6. फील्ड मैन्युअल तैयार करना, आदि।

"टेलीटेक्स्ट" का प्रारम्भ

*2180. श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीटेक्स्ट प्रारम्भ करने का निर्णय कब किया गया और इसने कार्य कब प्रारम्भ किया;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या टेलीटेक्स्ट के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की दो कम्पनियों की दो प्रणालियों पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो दोनों प्रणालियों में से किसे स्वीकार किया गया तथा इसके क्या कारण थे और क्या स्वीकार की गई प्रणाली दोनों में से सस्ती थी;

(ङ) कितने मामलों में टेलीटेक्स्ट के लिए विदेशी पुर्जे आयात किए गए और उनका मूल्य कितना है; और

(च) इसके कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) टेलीटेक्स्ट सेवा शुरू करने का निर्णय अप्रैल, 1984 में लिया था तथा दिल्ली में यह सेवा नवम्बर, 1985 में शुरू की गई थी।

(ख) टेलीटेक्स्ट सेवा पर अब तक लगभग 130·62 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय हुआ है।

(ग) और (घ) तीन प्रणालियों अर्थात् फ्रेंच, ब्रिटिश तथा जापानी, की तकनीकी रूप से आत्म निर्भरता तथा मितव्ययता के विस्तृत अध्ययन के बाद यह पाया गया कि फ्रेंच प्रणाली दूरदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे अधिक अनुकूल थी, इसलिए उसका चयन किया गया।

(ङ) दिल्ली में टेलीटेक्स्ट सेवा शुरू करने के लिए अपेक्षित उपकरणों पर लगभग 53·83 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा के अंश सहित 115·43 लाख रुपए खर्च हुए।

(च) उपकरण संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-87 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1983-84 के खाद्यान्न उत्पादन के बराबर था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ और 1987-88 में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) किन राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है और उनमें से कितने राज्य सूखे से प्रभावित हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सभी राज्यों से फसल वर्ष 1986-87 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, विभिन्न राज्यों आदि से अभी तक उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर फसल वर्ष 1986-87 के लिए खाद्यान्नों का अखिल-भारतीय उत्पादन फिलहाल 1490 से 1500 लाख मीटरी टन के बीच आंका गया है जबकि 1983-84 के दौरान यह उत्पादन 1524 लाख मीटरी टन था।

1987-88 में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के संबंध में किये जा रहे विभिन्न उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(1) सिंचित और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि करना;

(2) उन्नत प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक, उपकरण, पौध संरक्षण रसायन और ऋण जैसे कृषि आदानों की समय पर और पर्याप्त सप्लाई;

(3) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाना और अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत लक्षित क्षेत्र को कवर करने के लिए विभिन्न प्रकार के बीजों, अर्थात् प्रजनक बीज, आधारी बीज और प्रमाणीकृत बीज का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करना;

(4) पूर्वी राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, छोटे और सीमान्त किसान कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा साथ-साथ समवर्ती प्रबोधन;

(5) पनधारा प्रबन्ध के आधार पर वर्षा सिंचित फार्म प्रौद्योगिकी का प्रसार;

(6) अपर्याप्त वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए आकस्मिक योजना सहित सूखा न पड़ने वाले उपाय करना;

(7) दोहरी, बहुविध और अन्त: फसल पद्धति के जरिए फसल की गहनता में वृद्धि करना;

(8) लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और किसानों को पर्याप्त विपणन सहायता उपलब्ध कराना।

(ग) चूंकि कुछ राज्यों से खाद्यान्न उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: उन राज्यों के नाम बताना सम्भव नहीं है जहां 1985-86 की तुलना में 1986-87 के दौरान खाद्यान्न उत्पन्न में वृद्धि हुई।

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फसल वर्ष 1986-87 के दौरान सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है :—आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा और पांडिचेरी।

बैंकिंग उद्योग के लिए त्रिपक्षीय पैनल स्थापित करना

2182. श्री सत्येन्द्र नरायण सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग के लिए एक त्रिपक्षीय पैनल स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकिंग क्षेत्र में सभी यूनियनों और अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) औद्योगिक समिति के गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

राजस्थान में गरीबी निवारण कार्यक्रम

2183. श्री शांति धारीवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान विभिन्न गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए राजस्थान को कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितने लोगों को इसका लाभ मिला ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तीन मुख्य गरीबी निवारण कार्यक्रम हैं । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 (आज तक) के दौरान राजस्थान को क्रमशः 33.85 करोड़ रुपये, 45.62 करोड़ रुपये और 24.24 करोड़ रुपये की निधियां स्वीकृत की गई हैं ।

(ख) सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित ग्रामीण रोजगार की निगरानी करती है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार और लाभान्वित लोगों की संख्या का ब्योरा नीचे दर्शाया गया है :—

संख्या	योजना	1985-86	1986-87
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या	140,503	164,472
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास कार्यक्रम (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना) के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या	4,542	8,331
3.	ग्रामी युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना-के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या	13,544	13,039

4.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित श्रमदिवस (लाख श्रमदिवस)	562,13	1081,89

"सहकारी समितियों के लिए मत्स्यन परमिट"

2184. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सहकारी संस्थाओं ने विदेशी मत्स्यन नौकाएं किराये पर लेने के लिए परमिट हेतु आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं का ब्यौरा और पूर्ववृत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) नई चार्टर नीति के अन्तर्गत जिन सहकारी समितियों ने परमिटों के लिए आवेदन किया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

नई चार्टर नीति के अन्तर्गत जिन सहकारी समितियों ने परमिटों हेतु आवेदन किया है उनका ब्यौरा

क्रम संख्या	सहकारी समिति का नाम व पता	पंजीकरण की तीथि	निदेशकों के नाम	वर्तमान/भावी कार्यकलाप
1	2	3	4	5
			सर्वश्री	
1.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विकास समिति लिमिटेड, 12 मीना बाग, नई दिल्ली-110001.	5-9-1986	1. एच० हनुमथपा 2. बी० पी० सिकन्दर 3. ज्ञानेन्द्र प्रसाद बर्मन 4. ए० जी० कृष्णा 5. नरतत राम बरबाड़ 6. गंगाराम 7. आर० पी० सुमन 8. मल्लिकार्जुन खारडे 9. अमर सिंह धनक 10. बी० एम० जगदीश	कृषि आदानों का वितरण शत-प्रतिशत निर्यातान्मुखी फार्म की स्थापना, ग्रुप हाऊसिंग तथा समेकित गहन समुद्र मत्स्यन ।

1	2	3	4	5
			सदस्यों	
2.	तटीय मछुवा विकास सहकारी समिति लिमिटेड, 2-18-8, माधवनगर, काकीनाड़ा-533003 (आन्ध्र प्रदेश)	3-2-1983	1. एम० जे० अप्पा राव 2. मल्लाडी स्वामी 3. कुल्लू स्वामी 4. कारे नौइह 5. चौ० सत्यम 6. कररी रघु 7. के० गोपाल कृष्ण	यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं का परिचालन तथा मछुवारों को मछली पकड़ने तथा जाल बनाने की तकनीकों का प्रशिक्षण देना। गहन समुद्र मत्स्यन क्षेत्र में प्रवेश करना।
3.	केल्ला मंडलम धान संसाधान सहकारी समिति लिमिटेड, येलूरापाडू-534236 जिला—पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)	5-7-1986	1. स्यापराजु नरसिम्हा राजू 2. डा० एम० सूर्यामणिकम 3. वेजस्ना नरसिम्हा राजू 4. मटीना अंजनेया राजू 5. वी० सुभाष चन्द्र बोस	धान का अधिप्राप्ति एवं परिसंस्करण तथा चावल और इसके उपोत्पादों की बिक्री। अब गहन समुद्र मत्स्यन में प्रवेश करना। समेकित गहन समुद्र मत्स्यन।
4.	श्री विशाखा गहन समुद्र मत्स्यन तकनीनी-तन्त्र सहकारी विपणन समिति लिमिटेड, 15-14-17 बी. कृष्णा नगर, विशाखापटनम-530002.	12-7-1986	1. एन० वेंकटेश्वरलु 2. जी० च० कृष्णा 3. एम मुसालैय्या 4. पी० प्रसाद राव 5. ए० सत्यनन्दराव	

1	2	3	4	5
			सर्वश्री	
5.	विशाखा मछुवा सहकारी विपणन समिति लिमिटेड, 10-4-19/1, ट्रेवलर्स बंगला रोड, विशाखापटनम-530003	12-10-1977	1. वील्लू अपाला राजू 2. चिनैया 3. एम० राजेश्वर राव 4. कसारापु मजन्ना 5. वासुपल्ली अप्पा राव 6. टेइडू येल्लान्ना	समेकित गहन समुद्र मत्स्यन
6.	मेफिनो मछुवा सहकारी समिति लिमिटेड, 10-4-19/11, ट्रेवलर्स बंगलो, विशाखापटनम-530003	19-7-1987	1. आर० बाबू राव 2. श्रीमती रत्ना कुमारी 3. आर० डी० प्रसाद 4. जोगा राव 5. एन० सथीराजू	समेकित गहन समुद्र मत्स्यन

खाद्य पदार्थों का परिरक्षण

2185. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिरक्षित भोजन पर विकरण के सम्बन्ध में और उपभोक्ताओं को सूक्ष्म जैविक अथवा कीटों से कम प्रदूषित, रसायन अथवा कीटनाशक दवाओं से रहित और अधिक दिनों तक खाने योग्य खाद्य पदार्थ प्रदान करने के मार्गोपाय ढूंढने के लिए कोई अध्ययन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 5000 कि० मी० भारतीय तटरेखा में जीव जन्तुओं से प्राप्त होने वाला प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और उनके परिरक्षण की सुविधाओं के इस समय अपर्याप्त होने के कारण समुद्र से पकड़ी जाने वाली मछलियों को खराब होने से नहीं बचाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। पशु तथा समुद्री उत्पादों सहित खाद्य सामग्रियों का किरणन द्वारा संरक्षण करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने खाद्य उत्पादों के किरणन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रबोधन एजेंसी गठित की है।

(ग) और (घ) भारत को अपने एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 45 लाख मीटरी टन समुद्री उत्पादन की पैदावार करने की क्षमता है। मौजूदा स्थिति के अनुसार, 2004.55 मीटरी टन मछली की प्रशीतन क्षमता वाले लगभग 280 प्रशीतन संयंत्र तथा 35,413.00 मीटरी टन मछली प्रति दिन की क्षमता वाले लगभग 307 शीतागार विद्यमान हैं।

"जर्मप्लाज्म" की तस्करी रोकने के लिए कदम"

2186. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से "जर्मप्लाजम" की विकसित देशों को तस्करी किए जाने से रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) वनस्पतियों की उपयोगिता का पता लगाने के लिए उनकी एक सूची तैयार किए जाने के किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि देश से बाहर के देशों को "जर्मप्लाजम" की तस्करी हो रही है। तथापि, देश में आमतौर पर तस्करी—विरोधी अभियान तेज किया गया है।

(ख) देश की वनस्पति की विविधता की जानकारी रखने तथा संरक्षण करने की दृष्टि से वनस्पति का सर्वेक्षण करने तथा इसकी सूची तैयार करने की जिम्मेदारी पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की है। अब तक देश के लगभग 60 प्रतिशत का सर्वेक्षण किया गया है। इस क्षेत्र के आधे का श्रेणीकरण और वर्गिक संबंधी अध्ययन हो चुका है। यह कार्य तेजी से किया जा रहा है।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, बहुत गम्भीर बात हुई है। अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध का एक वरिष्ठ अधिकार सी० आई० ए० को वर्गीकृत कागजात सप्लाई करते हुए पकड़ा गया, बर्खास्त किया गया, तथा जेल में डाला गया...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे ववशयन दे दीजिए या कोई दूसरा मेशन दे दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : मैं चाहता हूं कि माननी गृह मंत्री सदन में वक्तव्य दें। सारा सदन यह जानने को इच्छुक है कि वास्तव में क्या हुआ है। बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए कृपया माननीय मंत्रीजी को बुलाइए। गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया है कि मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

मैं इसे देख लूंगा...(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि सी० आई० ए० की घुसपैंट प्रशासन की हमारे महत्वपूर्ण स्कंधों में हो गई है और प्रो० दंडवते सहमत होंगे...(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं उनका समर्थन करता हूं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। आप लिखकर दे दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, उसका समर्थन करने अलावा मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि देश में सारी विश्वविद्यालय शिक्षा ठप्प हो चुकी है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : 13 तारीख को कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं इसे 13 तारीख को ले तो रहा हूँ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस बारे में क्या कर रही है। आप इसे लम्बे हृदय तक नहीं खींच सकते क्योंकि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, बहुत हो चुका। मैं कह चुका हूं कि हम इसे 13 तारीख को लेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (कटवा) : महोदय, उनकी कुछ मांगें बहुत जायज हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं 13 तारीख निश्चित कर चुका हूं। मैं एक-एक करके सुनूंगा... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस ठीक है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले रहें हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हम इसे 13 तारीख को ले रहे हैं।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। इसे कल या परसों क्यों नहीं लेते ? ...(व्यवधान) 13 तक बहुत देर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या मजाक है ? आप क्या कर रहे हैं ? आप बिना वजह शोर मचा रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कर चुका हूं। मैं इस ओर ध्यान दे चुका हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बस यही कहना है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : इसका मतलब है कि 13 तारीख तक अध्यापकों की हड़ताल सम्बन्धी स्थिति वही की वही बनी रहेगी।

श्री सुरेश कुरुप : 13 तक बहुत देर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे 13 तारीख के लिए निश्चित कर चुका हूं। हम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल कर चुके हैं और सदन इस बारे में सहमत है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, दिल्ली में बच्चों के माता-पिता चिंतित हैं क्यों कि आतंकवादियों ने इस आशय का पत्र भेजा है कि वे 5 हजार बच्चों को मार डालेंगे। यह बहुत गम्भीर मामला है और हम बहुत अधिक चिंतित हैं। गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे उठाने का यह तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए। यह किया जा चुका है ..(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, मैं चुपचाप खड़ा हूं लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री अजय मुशरान : महोदय, जबलपुर में अक्सर तेजाब फेंकने की घटनाएं घटती हैं। मैं इस बात को प्रधान मंत्री के ध्यान में ला चुका हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का विषय है यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। मैं यहां कुछ नहीं कर सकता।

श्री अजय मुशरान : भोपाल और अन्य स्थानों में घटनाएं घटी हैं और गृह मंत्री को वक्तव्य देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : कर्नल मुशरान, यह राज्य का मामला है, केन्द्र सरकार का नहीं।

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैं कभी नहीं बोलता। आप मुझे बोलने का कभी मौका नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह केन्द्र सरकार का विषय है तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री अजय मुशरान : महोदय, यह केन्द्रीय विषय है। भारतीय दंड संहिता में उपबन्ध करने की जरूरत है। गृह मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं अनुमति नहीं है।... **(व्यवधान)**

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

यह तरीका नहीं है। जी नहीं, एकदम नहीं... **(व्यवधान)**

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : आपका काम हाउस चलाना है, बिगाड़ना नहीं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैं आपके सदन का एक सदस्य हूं।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है मुशरान साहब, आप गड़बड़ कर रहे हैं मुफ्त की। यह स्टेट गवर्नमेंट का सबजेक्ट है।

श्री अजय मुशरान : ऐसा नही है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

श्री अजय मुशरान : लिख कर दिया है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है। मैंने नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे बस इतना कहना है। मुझसे सभा में उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जाती। कुछ नहीं... **(व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान : मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा है। मैंने उनसे बात की है। **(व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान : गृह मंत्री द्वारा तत्काल वक्तव्य दिये जाने की जरूरत है। **(व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान : यह राज्य का विषय नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान : भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए तथा इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

— — — —

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (पंजीकरण सदस्यता, निदेश तथा प्रबन्ध विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1987

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (पंजीकरण, सदस्यता, निदेश तथा प्रबन्ध विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1987, जो 12 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 566(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4578/87]

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (उपदान) संशोधन विनियम, 1986

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 37 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (उपदान) संशोधन विनियम, 1986 जो 27 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी० ई० आर० एस०/आई० आर०/115/1/82-खण्ड छ: प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4579/87]

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को उर्वरकों के घरेलू निर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरकों की सप्लाई की मात्रा के बारे में दिए गए आदेश की अधिसूचना और उत्तर-प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम के वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 647 (अ), जो 7 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 अप्रैल, 1987 से 30 सितम्बर, 1987 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्डों को उर्वरकों के घरेलू निर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरकों की सप्लाई की मात्रा के बारे में आदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4580/87]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, लखनऊ के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम सीमित, लखनऊ का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4581/87]

(3) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

———

वित्तीय समिति—एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं "वित्तीय समितियां (1986-87)—एक समीक्षा" हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

———

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1987-88

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं पंजाब राज्य के संबंध में वर्ष 1987-88 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

समिति के लिए निर्वाचन

पशु कल्याण बोर्ड

[अनुवाद]

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, उक्त अधिनियम, के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से प्रारम्भ होने वाली अगली अवधि के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

कार्य मंत्रणा समिति

39वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 39 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) आपने पारित करा लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। किन्तु अब सदस्यों से अपने सुझाव कार्य मन्त्रणा समिति को देने के लिए क्यों नहीं कहते, जहां इन पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान काफी शोर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैटर्स अण्डर रूल 377 / श्री के० कुन्जम्बू।

(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा तो 377 में भी नहीं आया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझे समझा देंगे कि यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है तो मैं एडमिट कर लूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : ठीक है महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर नहीं, तो माफी मांगनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : ठीक है महोदय।

— ——

12.08 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) केरल में एक तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के० कुन्हम्बू (अडूर) : नियम 377 के अन्तर्गत, मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

केरल में इस महीनों से बिजली की कटौती की जाएगी, क्योंकि इसके जलाशयों में पानी पर्याप्त नहीं है। मानसून के न आने के कारण इसके सरोवरों में पर्याप्त पानी नहीं भरा।

इससे गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। यह राज्य पूरी तरह से पन बिजली पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में बिजली में कटौती करने से, जो कि केरल के इतिहास में अभूतपूर्व है, राज्य के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिस राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ऐसा होने पर उसकी आर्थिक दशा बिगड़ जाएगी।

इस स्थिति का सामना करने के दो तरीके हैं। एक तो कुछ समय के लिए पड़ोसी राज्यों से बिजली की आपूर्ति की जाए। दूसरे राज्य में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाए। यदि हमें केरल राज्य को बचाना है तो यहां तापीय विद्युत् संयंत्र लगाना आवश्यक है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि केरल में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जायें।

(दो) मैसूर आदि के लिए कन्नड कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य दे रहा हूं।

मैं सभा का ध्यान मैसूर, कुर्ग और दक्षिण कनारा जिलों के लिए कन्नड़ में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैसूर शहर कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और यह राज्य की पुरानी राजधानी भी रही है। यह नगर न केवल इस राज्य को अपितु पूरे राष्ट्र को कला और साहित्य में सर्वाधिक योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है।

इस समय मैसूर में कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगा हुआ है और यहां उपग्रह के माध्यम से दिल्ली से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

बंगलौर दूरदर्शन का 10 किलोवाट का उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर मैसूर नगर से जो बंगलौर से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते। इसलिए मैसूर नगर, कुर्ग और मंगलौर के लिए कन्नड़ कार्यक्रम दिखाने के लिए बंगलौर और मैसूर के बीच माइक्रोवेव सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

मैसूर और बंगलौर के बीच पहले ही से माइक्रोवेव सुविधायें है। नई दिल्ली और मद्रास के बीच जो माइक्रोवेव लाइन है, वह मैसूर नगर से होकर गुजरती है।

मंगलौर और बंगलौर के बीच जो माइक्रोवेव लाइन है वह रात 8.40 बजे तक अर्थात् राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होने तक वाली होगी। मद्रास और बंगलौर के दूरदर्शन केन्द्र राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 8.40 बजे दिल्ली से सम्बद्ध हो जायेंगे।

अत: मैसूर, कुर्ग और मंगलौर में माइक्रोवेव ग्रहण करने वाले उपकरण लगाने से और इन केन्द्रों को बंगलौर दूरदर्शन से जोड़ने से इन स्थानों पर बंगलौर दूरदर्शन से कन्नड़ के कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकते है। उपरोक्त सभी स्थानों पर पहले ही से कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए गए हैं और इससे राजकोष पर और बोझ नहीं पड़ेगा। मैसूर, कुर्ग और बंगलौर के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को बंगलौर दूरदर्शन से जोड़े जाने से कर्नाटक के आठ जिलों के लोग कन्नड़ कार्यक्रम देख सकते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करें।

12.10 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

(तीन) दिल्ली को बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ थर्मल पावर में 200 मेगावाट बिजली बनती है और बदरपुर थर्मल से 450 मेगावाट बिजली बनती है। डेढ़ सौ मेगावाट संगरौली से हम बिजली लेते हैं। बिजली का खर्चा एक हजार 44 मेगावाट है, जिससे कि बिजली की कमी पड़ जाती है और आठ घण्टे या दस घण्टे तक बिजली बन्द रहती है, मिलती नहीं है। दिल्ली में फैक्ट्रियों तथा रिहायशी मकानों के बिजली के कनैक्शन्स बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए या तो इन्द्रप्रस्थ थर्मल पावर में बिजली बढ़ाने की व्यवस्था की जाए या बदरपुर थर्मल पावर से 750 मेगावाट बिजली बनाई जाए। जिससे कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके।

[अनुवाद]

(चार) नए डाकघर खोलने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की आवश्यकता

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नये डाकघर खोलने पर सामान्य प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप संचार मंत्रालय ग्राम पंचायतों के

मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण कस्बों में डाकघर खोलने की उचित मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है इससे लोगों में निराशा और असंतोष है। एक ग्राम पंचायत के लोगों को डाक सम्बन्धी सामग्री के लिए दूसरे ग्राम पंचायत में जाना सुविधाजनक नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर न होते पर देश में डाक घरों की अधिकता की बात नहीं कहीं जा सकती। स्वतन्त्रता की चालीसवीं वर्ष गांठ पर देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में एक डाक घर तथा एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की आवश्यकता पर अधिक जोर देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मामले पर फिर से विचार करके इस आम प्रतिबन्ध को उठा ले ताकि चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उन घरनों पर डाक घरों की सुविधा दी जा सके जहां इनकी आवश्यकता है।

(पांच) बिहार के मिथिला क्षेत्र में पैदा होने वाले आमों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्वादिष्ट आम बहुत ही कम कीमत पर मिलते हैं।

विदेशों में, खासतौर पर खाड़ी के देशों में, आमों के निर्यात की काफी गुंजाइश है। पिछले ढाई वर्षों से हम केन्द्रीय सरकार से आग्रह करते आ रहे हैं कि मिथिला क्षेत्र से खाड़ी के क्षेत्रों को आम निर्यात करने की सम्भावनों का पता लगाया जाये। सरकार ने अनेक वायदे किये परन्तु इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है।

मिथिला क्षेत्र में फल उत्पादक इस बात से उत्साहित हैं कि उनके द्वारा उगाये गये फलों का विदेशों में निर्यात किया जा सकता है तथा उन्हें लाभकारी कीमत भी मिल सकती है।

वर्तमान में फल उत्पादक बकत है और वैज्ञानिक ढंग से आम की खेती नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें इसके बदले में कोई कीमन नहीं मिलने वाली है। यदि उन्हें स्थायी बाजार का भरोसा हो तो वे आम की बहुत ही अच्छी किस्म की मांग होगी। जरूरत उनका सही मार्ग दर्शन करने की है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में पर्याप्त रूचि लें तथा मिथिला क्षेत्रों में आमों के निर्यात के लिए प्रयास करें।

(छः) पुरी और नई दिल्ली के बीच एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, दिल्ली और उड़ीसा के बीच उपलब्ध रेल सेवायें पर्याप्त नहीं है। 175/176 नीलाचल एक्सप्रेस, जो पुरी/भुवनेश्वर को नई दिल्ली से जोड़ती है, सप्ताह में तीन दिन चलती है। इससे गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में 36 घंटे का समय लगता है। लेकिन यह हमेशा ही तीन से चार घन्टे देरी से आती है। एक और ट्रेन 77/78 उत्कल एक्सप्रेस आगरा, कटनी तथा बिलासपुर होते हुए 42 घन्टे में पुरी पहुंचती है। 77/78 उत्कल एक्सप्रेस दैनिक गाड़ी शुरू करने के बाद 143/144 कालिंग एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है।

915/916 न्यू नीलाचल एक्सप्रेस को, जिसका नाम बाद में पुरी एक्सप्रेस रखा गया था, अभी

तक सुपर फास्ट नहीं बनाया गया है। यह गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में 25 घन्टे लगाती है। लम्बी, उबाऊ तथा थकाने वाली यात्रा के कारण मुसाफिरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

रेलवे ने पुरी तथा दिल्ली के बीच सुपर फास्ट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। अब धीरे-धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तथा स्थान भी हमेशा भरा रहता है तथा बहुत से यात्रियों को किसी भी तरफ का रिजेंशन नहीं मिल पाता है।

चूंकि दक्षिण पूर्व रेलवे इस वर्ष भुवनेश्वर में अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है इसलिए इस असवर पर नई दिल्ली और पुरी के बीच सुपर फास्ट गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। यह गाड़ी 24 घन्टे में गन्तव्य स्थान पर पहुंच जानी चाहिये। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और इस लाईन पर यातायात भी बढ़ेगा।

मेरा आपसे अनुरोध है कि पुरी और नई दिल्ली के बीच अविलम्ब एक सुपर फास्ट गाड़ी चलायी जाये।

(सात) आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सिंचाई के लिए कुओं के भीतर बाहर लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दपुर) : महोदय, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लगभग 55 हजार कुएं हैं जो सभी सूख गए हैं। कुओं में किये गये बोर से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। यदि सभी कुओं में ऐसी व्यवस्था कर दी जाये तो लोगों की कठिनाईयां काफी कम हो सकती है। इस प्रकार बोर लगाने पर 5 हजार रुपये की लागत आती है और यदि केन्द्र सरकार 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दे तो 10 हजार कुओं में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे 20 हजार परिवारों को बचाया जा सकेगा।

अत: केन्द्रीय सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस जिले में बार-बार पड़ने वाले अकाल से लोगों को बचाने के लिये 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दे।

(आठ) उत्तरी बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, प्रधानमंत्री जी ने उत्तरी बंगाल एवं दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों की अपने पिछली यात्रा के समय यह आश्वासन दिया था कि उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जायेगी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दौरा करना था, जहां विशेष वित्तीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है। किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसी बीच अलग दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के लिए चलाये गये आंदोलन के फलस्वरूप करोड़ों रुपयों की सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हो चुका है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हू कि वह समस्या पर गम्भीरता से विचार करे और उत्तरी बंगाल के औद्योगिक विकास और साथ ही दार्जिलिंग में सार्वजनिक सम्पति की हुई हानि की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के लिये मंजूरी दे।

———

12.19 म० प०

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक

[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 6 अगस्त 1987 को श्री जनार्दन पुजारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर अब हम और आगे विचार करेंगे।

[हिन्दी]

अब डा० गौरी शंकर राजहंस बोलेंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे इस बारे में दो, तीन बातें ही कहनी हैं।

आप ने जो इस बिल में वलनरएबिल एरियाज के बारे में कहा है, आप के यहां जिन ब्योरोक्रेट्स ने इसे ड्राफ्ट किया है, उन्हें शायद पता नहीं है कि वलनरएबिल एरियाज इस देश में स्मगलिंग के कौन कौन से हैं। आप कोस्टल एरियाज की बात करते हैं। कोस्टल एरिया से ज्यादा वलनरएबिल एरिया भारत और नेपाल का बोर्डर है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश को छूता है। शायद लोगों को पता ही नहीं है कि वहां क्या होता है। 6 बजे शाम के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि बिहार और नेपाल के बोर्डर पर खड़ा हो सके। सब की आंखों के सामने नेपाल से गांजा, चरस, हशिश का ट्रक आता है और सब की मिली-भगत है। नेपाल के बोर्डर से लेकर कलकत्ता तक मिली-भगत है।

सब को पता है कि पर उन स्मगलर्स को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती। क्योंकि उनके पास डेडलिंग आर्म्स हैं जिनसे वे एक मिनट में दसियों आदमियों का सफाया कर देंगे। सब का हिस्सा बटा हुआ है इसलिए किसी को कोई चिन्ता नहीं है।

इस बारे में कई बार प्रश्न उठाये गये। उनके उत्तर में यही कहा गया कि इण्डिया और नेपाल का बार्डर इतना खुला हुआ है कि चीज को वहां रोका नहीं जा सकता, वहां स्मगलिंग को रोका नहीं जा सकता। इस देश में स्मगलिंग से नारकोटिक्स का आना बिल्कुल बन्द किया जा सकता है यदि बिल पावर हो। यदि बिल पावर न हो तो कुछ नहीं हो सकता। सब की आंखों के सामने स्मगलिंग होता है और आप कहते हैं कि इसे रोका नहीं जा सकता। यह बड़े आश्चर्य की बात है।

आप फौरन न्यूज पेपर्स को पढ़िये, पार्लियमेंट की लाइब्रेरी में। सभी में हमारा मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि भारत तो नारकोटिक्स का हैवन बन गया है। हिन्दुस्तान में नारकोटिक्स गुड्स दो तरफ से स्मगल्ड होकर आ रहा है। एक तो नेपाल के बार्डर से आ रहा है। नेपाल में बर्मा से और थाईलैंड से आता है। दूसरी तरफ वेस्टर्न बार्डर से आ रहा है—पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहा है। यहां से सारे योरोप और अमेरिका के मार्किट में जा रहा है।

मैं आपसे एक छोटी-सी बात कहता हूं। हमारे कुछ साथियों ने उस दिन भी कहा था कि स्मगलर कोई कोस्टल एरिया में बैठा नहीं रहता है। अगर कोई स्मगलर है तो वह एयर कंडीशंड कमरों में, दिल्ली और दूसरी जगहों में बैठा होता है और उसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि कौन कहां से आप्रेट करता है। आप सर्वे करा लीजिए—साऊथ दिल्ली में एक से एक स्मगलर भरे हुए

[श्री गौरी शंकर राजहंस]

हैं। आपने देखा होगा। मैंने नोटिस किया है एक आदमी को जिसके पास पांच साल पहले खाने को नसीब नहीं होता था, आज वह चार मंजिले महल को बना कर बैठा हुआ है। उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। वहां लोग आपस में चर्चा करते हैं कि यह नारकोटिक्स का धंधा करके बनाया है। दूसरे लोग कहते हैं कि चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी जान सुरक्षित नहीं है।

किसी भी देश की इकोनोमी को नारकोटिक्स बर्बाद कर सकता है। मैं आपको बताऊं, एक बार पाकिस्तान के जनरल जिया ने कहा था कि मुझे हिन्दुस्तान को लड़ाई लड़कर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना नारकोटिक्स गुड्स स्मगल्ड करा दूंगा कि वह तबाह हो जाएगा। चाहे किसी पाकिस्तानी लीडर ने इसे मजाक में कहा हो लेकिन यह बात सही है। आज यह हो रहा है। यह हमारी इकोनोमी को बर्बाद कर रहा है।

आज अपने देश में जगह जगह स्मगल्ड गुड्स मिलते हैं। पहले कोई विदेश जाता था तो उससे कहा जाता था कि वहां से कोई इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स ले आना। आज विदेश जाने वाले से इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स की कोई बात नहीं करता है क्योंकि यहां के बाजारों में सस्ते से सस्ते दाम पर इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स अवेलेबल हैं। आपकी आंखों के सामने स्मगल्ड गुड्स बिक रहा है और सरकार यह बिल बना रही है।

हमें दूसरे देशों से सबक सीखना चाहिए। लैटिन अमेरिका के देश स्मगल्ड गुड्स के कारण बर्बाद हो गये। वहां इतना ज्यादा गुड्स सस्ते दामों पर मिलने लगा कि उनकी इकोनोमी तहस-नहस हो गई। अपने देश में आज नेपाल के बार्डर पर जापान और कोरिया का कीमती से कीमती कपड़ा पानी के भाव पर मिलता है।

फिर वहां से सब जगह जाता है। देश की टैक्सटाइल इंडस्ट्री अगले 4-5 साल में बहुत मुसीबत में पड़ने वाली है। अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है। आप टैक्सटाइल इंडस्ट्री वालों से पूछिए कि स्मगल्ड गुड्स ने उनको कितना नुकसान पहुंचाया है। अभी सूखा पड़ा है और काटन की हालत खराब है इससे टैक्सटाइल गुड्स के दाम बढ़ेंगे, स्मगल्ड गुड्स सस्ती दर पर लोगों को मिल जाएगी तो यहां के कपड़े को कौन पूछेगा। यह समस्या उतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप समझते हैं। अभी आपने एक साल के बजाए दो साल का डिटेंशन कर दिया, 1990 तक करेंगे, लेकिन यह जो स्मगलिंग करने वाले हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ, देश की इकानमी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं, यह सोचना हमारे बियांड दी माइंड है। एक ऐसा वक्त आएगा जब आप चाह कर भी इन स्मगलर्स के ऊपर एक्शन नहीं ले सकेंगे। साल दो साल के डिटेंशन से क्या होगा, जिन्हें जेल की हालत का पता है वे यह जानते हैं कि जेल की क्या हालत है। सब जानते हैं कि स्मगलर्स को जेलों में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, शोभराज को कौन सी सुविधा जेल में नहीं मिली, यह सब को पता है और कितने शोभराज इस देश में हैं, एक नहीं है। जो आदमी सारी सुविधाएं जेल में प्राप्त कर सकता है, उसके डिटेंशन का कोई अर्थ नहीं है। स्मगलिंग पर दूसरे देशों में रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होता है, लेकिन अपने देश में स्मगलर एक लार्ड की तरह जेल में रहता है। मैं चाहता हूं कि फिर से सोचकर एक कांप्रीहेंसिव कानून बनाया जाए और अगले सेशन में लाया जाए। बरमरेबल एरियाज की डेफीनेशन भी आप बदलिए नहीं तो यह स्मगलिंग आपको तबाह करके रख देगा।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आजादी के दिनों में यह भावना लोगों में फैलाई जाती थी

कि आप विदेशी सामान का इस्तेमाल न कीजिए, क्योंकि उससे देश की इकानमी बरबाद हो जाएगी। आज कहीं कोई किसी स्तर पर इस बात को कहता है कि अपने देश का सामान व्यवहार करो ? कोई नहीं कहता कि विदेश से लाए गए सामान को व्यवहार में मत लाओ। वर्ल्ड इकानमी को आप लीजिए, संसार में हर देश प्रोटेक्शनिज्म को अपना रहा है, अपना सामान दूसरे देश में बेचेंगे लेकिन दूसरे देश का सामान नहीं लेंगे। आज जापान और अमरीका की लड़ाई क्या है, जबकि दोनों सगे भाई हैं। जापान कहता है कि हम अपना सामान तो अमरीका में बेचेंगे लेकिन अमरीका का सामान अपने यहां नहीं लाने देंगे। केवल अमरीका या जापान ही नहीं बल्कि सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं सब यही कह रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड का सामान अपने यहां नही लायेंगे, तो यह थर्ड वर्ल्ड अपना सामान कहां बेचेगा। आज थर्ड वर्ल्ड के देश इंटरनेशनल डैट से गुजर रहे हैं, यह डैट भयानक रूप धारण कर रहा है, यह इसी कारण धारण कर रहा है। यह बड़ी पेचीदा समस्या है, बड़ी ही काम्प्लीकेटेड समस्या है। हमने अपनी पीठ ठोक ली यह कहकर कि हम इंटरनेशनल डैट से बचे हुए हैं, लेटिन अमरीकन, अफ्रीकन कंट्रीज इंटरनेशनल डैट में पड़ गए हैं, यह सोचकर हमने अपने आपको शाबाशी दे दी, लेकिन बहुत दिनों तक हम यह शाबाशी अपने को नही दे पाएंगे। हमारे यहां भी वह वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, साल दो-चार साल में जबकि हम फारेन डैट से दब जाएंगे और इन सब बातों की जड़ है स्मगलिंग। इस स्मगलिंग को आप रोक सकते हैं। कौन नहीं जानता है कि आज जो टेररिस्ट एक्टीविटीज हैं उनके पीछे न.रकोटिक्स स्मगलिंग का हाथ है। यह स्मगलिंग हमको बरबाद कर देगी और आप देखते रह जायेंगे। आप कुछ नहीं कर सकेंगे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि स्मगलिंग पर आप पूरा जोरदार प्रहार कीजिए और पहली चीज मन्त्री महोदय इसी सत्र में यह करें कि अगले सत्र तक वे दिल्ली में स्मगल्ड गुड्स नहीं बिकने देंगे, उन पर रोक लगायेंगे, तब कहीं जाकर कुछ बात होगी। आज स्मगल्ड गुड्स सरे आम बिकती हैं, क्या हम लोग उनको रोक सकते हैं।

मैं मन्त्री जी से एक और बात कहना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दें कि जो लोग स्मगल्ड गुड्स का व्यवहार करते हैं, इसके लिए एक हाउस टू हाउस पाश कालोनीज का सर्वे कराइए और जो लोग स्मगल्ड गुड्स व्यवहार करते हैं, उनका नाम अखबार में निकलवाइए।

जिससे सफेद पोश लोगों की सच्ची तस्वीर लोगों के सामने आए। दिल्ली में बहुत ज्यादा पैसा है, उसमें आधे से ज्यादा पैसा स्मगल्ड गुड्स पर है। आप ग्रीन चैनल से लोगों को आने देते हैं। ग्रीन चैनल से फ्री-फोर्थ स्मगल्ड गुड्स आता है। आप बिना नोटिस दिए हुए उसको बन्द कर दीजिए और सबके सूटकेस की तलाशी लीजिए। फिर देखिए, उसमें क्या निकलता है। इन गाड फादर्स से लड़ने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर आप में स्ट्रांग विल पावर है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलीकारा) : महोदय, हमारे देश में तस्करी काफी ज्यादा हो रही है। इस विषय में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि राजनीतिज्ञों अफसरों तथा तस्करों के बीच एक काफी मजबूत सांठ गांठ है। सरकार को इस सांठ गांठ को तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, राजनैतिक दखल, जो इसमें है उसे समाप्त करना होगा, अन्यथा इस समस्या को सही ढंग से सुलझाया नहीं जा सकता। अपराध की दुनिया में आमतौर पर जो घटनाएं होती रहती हैं औरजिनके बारे में

[श्री तम्पन थामस]

हम समाचार-पत्रों में पढ़ते रहते हैं, हत्याएं, दंगे और इसी प्रकार की अन्य घटनाएं किसी न किसी रूप में बड़े पदों पर आसीन व्यक्तियों से सम्बन्धित होती हैं। यह विधेयक जो यहां पर लाया गया है वह इस समस्या को इंचमात्र भी नहीं छूता है। यदि सरकार तस्करी की समस्या को सुलझाना चाहती है तो उन्हें बड़े लोगों के खिलाफ सात कदम उठाने चाहिएं, उन बड़े लोगों के विरुद्ध जो ऊंचे पदों पर हैं तथा देश भर में तस्करी की गतिविधियों को उकसाते रहते हैं। यह सभी को मालूम है कि यदि बम्बई के इतिहास को देखा जाए, जिन लोगों को तस्कर कहा जाता है, तस्कर के नाम से जाने जाते हैं वे राजनैतिक दल तथा सामाजिक संगठनों को चला रहे हैं। हमें यह भी मालूम है कि वे कुछ दलों को चला रहे हैं तथा सामाजिक एवं धर्मार्थ संगठनों को चला रहे हैं। यह एक बहुत ही बड़ा जाल है। किसी न किसी रूप में इस तरह के लोगों द्वारा उनका प्रभाव डलवाने के लिए कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं।

कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी तन्त्र वहां जाकर इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। उनका अपना साम्राज्य है। खास तौर पर तटीय क्षेत्रों में। इसके पीछे जो व्यक्ति है, तस्करी गतिविधियों का जो सरगना है वह कहीं और ही होगा उसे कोई भी नहीं छू सकता। उसे पुलिस, सरकार, राजनीतिज्ञों की शरण मिल रही होती है तथा उसकी छवि या तो समाज सुधारक की होगी या किसी हस्पताल को चलाने वाला या फिर किसी सोसाइटी को चलाने वाले की होगी। अन्ततः जो उसकी अपनी चीजें होंगी वे नीचे से नीचे तक पहुंच जाएगी। यदि सरकार गम्भीर रूप में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन करवाए तो यह देखा जा सकता है कि भुग्गियों में, गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति तथा जिनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं उनके द्वारा तस्कर की गई चीजों की बिक्री कराई जाती है। इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यदि सरकार इस समस्या को एकदम समाप्त करना चाहती है तो उसे उन बड़े लोगों को पकड़ना चाहिए जो लोग देश के पैसे से इस तरह का कार्य कर रहे हैं, सरकार को इन लोगों को पकड़ना चाहिए। यदि आप 1975 के बाद से अभी तक कोफेपोसा के कार्यान्वयन को देखें तो पायेंगे कि इसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में बड़े या धनी-मानी लोग बहुत ही कम हैं। यह संख्या 4 या इसके आसपास ही है। कोई व्यक्ति जो कि दो या तीन साड़ियां या इसी तरह की कुछ चीज ला रहा है या दो एक सोने के बिस्कुट ले आता है तो उसे आप पकड़ लेते हैं। चूंकि सरकार इस कार्य में असफल रही है, इसलिए ये गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसमें आतंकवादियों द्वारा की जा रही गतिविधियां भी शामिल हैं जो कि देश में बहुत जोर पर हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के साथ गांजा या अन्य वस्तुओं की तस्करी करना लोगों के लिए बहुत आसान है। शोभराज का मामला सर्वविदित है। क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई अध्ययन किया गया है, इस बारे में कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों का इन मामलों में कितना हाथ है। दुर्भाग्यवश सरकार ने इन सब मामलों से अपनी आंखें मूंद रखी हैं। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तस्करी, विशेषकर नशीले पदार्थों की तस्करी के कार्य में लगे हैं। मलयेशिया में सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए मृत्यु दण्ड जैसा कड़ा दण्ड रखा है। थाईलैंड में भी इसी प्रकार की सजा है। किन्तु मैं हत्या सहित किसी भी अपराध के लिए मृत्यु दण्ड के पक्ष में नहीं हूं। मेरा विचार है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। मेरा निवेदन केवल यही है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

जबकि भारत में इसके तटवर्ती क्षेत्रों, इसके आन्तरिक क्षेत्रों में तस्करों के अड्डे हैं और देश भर में उनकी शाखाएं फैली हैं, सरकार किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती। यह बड़े दुःख की बात है कि स्विस बेंक के खातों में अब 13,00 करोड़ रुपये की राशि जमा है जो कि भारतीय मूल के लोगों द्वारा जमा कराई गई है। यदि विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम और तस्करी निवारण अधिनियम का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया होता तो वहां पर इतना अधिक धन जमा नहीं हो पाता।

मुझे जिनेवा में हाल ही में एक अनुभव हुआ जहां मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए गया था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अधिकारी ने मुझे एक शाम रात्रिभोज दिया। मैंने उसे बताया कि मैं सरकारी खर्च पर आया हूं और यह मेरे लिए बहुत कम है। मेरे पास कोई धन नहीं है। यदि आप मुझे रात्रिभोज देते हैं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। सरकारी यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता अत्यन्त सीमित है। तब उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई। तीन वर्ष पूर्व कोई पहली बार आया। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय रुपया बदला जा सकता है। अगली बार जब वह आए तो नोटों से भरा हुआ एक सूटकेस लाए और स्विस बेंक में जमा करा दिया। उसने कहा "परेशानी की कोई बात नहीं। स्विस बेंक भारतीय मुद्रा स्वीकार करता है।" यह पहली सूचना थी जो मुझे इस जून में जिनेवा में मिली जहां मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भाग लेने गया था। मुझे हैरानी हुई। यहां पर, जब आप विदेश जाते हैं तो 20 डालर लेने के लिए आपको उतनी ही मुद्रा अदा करनी पड़ती है। यदि लोगों के उन देशों में सम्पर्क हैं तो वह भारतीय रुपया रख सकते हैं। वह सीधे स्विस बेंक जाकर भारतीय रुपया जमा करा सकते हैं। यह मेरे लिए नई बात थी। किन्तु, विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार यदि आप मुद्रा तबदील करना चाहते हैं तो आपको रिजर्व बेंक से मंजूरी लेनी होगी। स्विटजरलेंड में भारतीयों द्वारा 1,300 करोड़ रुपये जमा कराए गये हैं। और यह उचित समय है जब माननीय मंत्री श्री पुजारी जी संशोधन करना चाहते हैं या कानून को और अधिक कड़ा बनाना चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन तमाम वर्षों में क्या हुआ है?

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया है। उन्होंने बताया है कि इस देश में कुल काला धन 76,000 करोड़ रुपये है। सरकार ने एक समिति भी नियुक्त की थी और पिछले सत्र में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। गैर-सरकारी तौर पर यह राशि 35,000 करोड़ रुपये है और इसका अधिकांश भाग तस्करी के माध्यम से आता है। तस्करी कार्य राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और तस्करों की सांठ गांठ से होते हैं। यदि आप इसे हमेशा के लिए समाप्त नहीं करते, और इस प्रक्रिया में बड़े तस्करों को नहीं पकड़ते, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरे राज्य में एक प्रणाली चलती है जिसे 'पाइप मनी' कहा जाता है। यह ऐसा धन होता है जो यदि विदेशों में अदा किया जाए, तो उस मुद्रा के मूल्य का तीन गुना राज्य के इस भाग में रहने वाले उनके सम्बन्धियों को अदा किया जाता है। यह धन पाइप माध्य से आता है, उचित माध्यम से नहीं आता। इस प्रकार की बातें हो रही हैं और सरकार ने इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

इसलिए, एक अधिक कड़े कानून, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके, की आवश्यकता है। यह वक्त की मांग है। मैं नहीं समझता कि कुछ छोटे गिरोहों को एक या दो वर्ष के लिए जेल में डाल देने से यह समस्या हल हो जायेगी। मैं एक सुझाव देता हूं। इस मामले में सबसे अच्छा तरीका यह है जो केरल सरकार द्वारा अपनाया गया है। मुझे इस पर गर्व है। जिन लोगों का

[श्री ताम्पन थामस]

रहन सहन अपने साधनों से अधिक है उनकी जांच होगी और वे लोग न्यायालय में जवाब देह होंगे।

महोदय, यदि हमारे राजनीतिज्ञों, अफसरों, समाज में सम्मानित लोगों की जांच की जाती है और यदि उन लोगों का रहन-सहन अपने साधनों की तुलना में ऊंचा है और यदि कोई ऐसा कानून है जो उन पर मुकद्दमा चलाने की अनुमति देता है तो उस स्थिति में उनके दिमाग में एक भय रहेगा।

मुझे इस बात का गर्व है कि केरल में इस मामले में कुछ किया गया है। हाल ही में विधान सभा में इस समस्या के प्रति सरकार के रवैये की प्रशंसा की गई है। राजनीतिज्ञों या अधिकारियों को धन दिए बिना जब स्थानान्तरण होता है, जब कोई सिफारिश लेकर सचिवालय की ओर नहीं भागता है—ये सब बातें समाप्त हो गई हैं। भूतपूर्व मंत्री के निजी सचिव सहित बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अभियोग पत्र दिया गया।

सबसे बड़ी बात जिसके द्वारा सरकार इस समस्या को हल कर सकती है यह है कि यदि कोई अपने साधनों से अधिक व्यय कर रहा है तो वह जवाबदेह होगा, उसे गिरफ्तार किया जायेगा, जेल में डाला जाएगा और सजा दी जाएगी। यदि इस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक द्वारा इस समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण संशोधन विधेयक, 1987 का समर्थन करता हूं। यह एक सरल सा विधेयक है जिसमें केवल दो उपबन्ध हैं। साधारण होते हुए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। यह सरल इस प्रकार से है कि इस अधिनियम की धारा 9 में एक उपबन्ध है जिसके तहत तस्करी की अधिकता वाले क्षेत्रों में तस्करों को दो वर्ष के लिए नजरबन्द किया जा सकता है। देश में अन्य साधनों पर यह अवधि एक वर्ष है : किन्तु इन क्षेत्रों में—जिनकी अधिनियम में भी व्याख्या की गई है—यह दो वर्ष है और यह अवधि 31-7-1987 को व्ययगत होने जा रही है। इसलिए 2 जुलाई को एक अध्यादेश जारी किया गया था और यह विधेयक उस अध्यादेश को निरस्त करने के उद्देश्य से तथा इस उपबन्ध का और तीन वर्ष अर्थात् 31 जुलाई, 1990 तक लागू करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

इस उपबन्ध में आपत्तिजनक क्या है? जहां तक मैंने सुना है, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है और एक को छोड़कर सभी ने इसका समर्थन किया है। केवल एक सदस्य श्री अमलदत्ता ने इस विधेयक का विरोध किया है। पिछले वक्ता ने भी इस शर्त पर इसका समर्थन किया है कि इसे और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जरूरत के मुकाबले यह कम कठोर है। पिछले वक्ता ने भी एक प्रकार से इसका समर्थन किया है। श्री अमल दत्त ही एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। मेरा विचार है कि यदि सरकार कभी यह कहे कि "सूरज पूर्व में उदय होता है" तो श्री अमल दत्त एक ऐसे सदस्य है जो यह कहेंगे कि सूरज पूर्व से नहीं निकलता। इसमें आपत्ति जनक क्या है?

विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जारी किए गए अध्यादेश की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार ने प्रतीक्षा क्यों नहीं की क्योंकि संसद का सत्र 27 जुलाई से आरंभ होने वाला था और सरकार को अध्यादेश जारी करने की क्या जल्दी थी। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, कि 31 जुलाई तक हम

इस सदन में क्या कार्य कर सकते थे। उस स्थिति में, इस प्रकार की परिस्थितियों में क्या गारंटी थी? यदि अध्यादेश जारी नहीं किया जाता और सरकार ने यह विधेयक पास करने के लिए संसद में बहस के लिए प्रतीक्षा की होती, तो क्या होता? यह निष्फल हो जाता। इस प्रकार सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना बिल्कुल न्यायोचित था और धारा 9 (i) के उपबन्ध के अनुसार तस्करी की अधिकता वाले क्षेत्रों में तस्करों की नजरबन्दी की अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष किया गया है।

महोदय, दूसरा संशोधन, परिणामी है। अब, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। इस प्रकार गोवा तथा दमनदीव को पृथक पृथक रखना होगा।

जहां तक इस विधेयक के महत्व का सम्बन्ध है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव है। यह बात सर्वविदित है कि तस्कर देश भर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। तस्कर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में यह एक तथ्य है कि तस्करों और कालाबाजारियों द्वारा देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। इसलिए इस वर्ग के साथ बड़ी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। मैं अपने पिछले वक्ता से सहमत हूं कि स्थिति की आवश्यकता को देखते हुए इस अधिनियम के उपबन्ध कमजोर हैं। इसके साथ बड़ी निर्ममता से निपटे जाने की जरूरत है। सोना, वस्त्र और नशीले पदार्थों के रूप में इस देश में प्रतिवर्ष लगभग 1300 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की तस्करी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशी बैंकों में काफी धन जमा कराया गया है। यदि धन भारत से इस प्रकार जाता है तो क्या हम विदेशी मुद्रा संरक्षण की बात कर सकते हैं। किन्तु, महोदय, अन्धकार में एक आशा की किरण है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को स्विटजरलैंड भेजा गया था और वापस आकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। हाल ही में वित्त मन्त्री श्री तिवारी ने सभा पटल पर एक वक्तव्य दिया कि काले धन का पता लगाने के लिए स्विस सरकार के साथ सीधे सम्पर्क किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए काले धन का पता लगाने और इन अपराधियों के साथ कड़ाई से निपटने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं।

जहां तक काले धन का सम्बन्ध है, मैं तस्करी विरोधी गतिविधियों को तेज करने के लिए सरकार और वित्त मंत्रालय को बधाई देता हूं। वास्तव में, प्रतिदिन जब हम अखबार खोलते हैं तो हमें सोना, हशीश, नशीले पदार्थों आदि के पकड़े जाने के समाचारों का पता चलता है। वित्त मंत्रालय के प्रवर्तक निदेशालय द्वारा 'आपरेशन राना' और 'आपरेशन बर्मा बाजार' नामक दो बड़े अभियान चलाए गए जिनके अच्छे परिणाम निकले हैं।

मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहूंगा। 1985 में 196 करोड़ रुपये मूल्य के माल पकड़े गए थे। 1986 में यह बढ़कर 217 करोड़ रुपये हो गए। फिर 1985 में 973 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया जबकि 1986 में यह संख्या 1078 थी।

इसके अतिरिक्त पश्चिमी तट पर 107.78 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया था। पूर्वतट में इसका मूल्य 43.49 करोड़ रुपये का था। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी तटों को "संवेदनशील क्षेत्र" की परिभाषा के अधीन ठीक ही रखा है।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि अब समय आ गया है जब उन्हें पूरे देश को एक क्षेत्र जैसा मानना चाहिए। वे पूर्वतट और पश्चिम तट या तटीय राज्य और गैर तटीय राज्य के बीच

[श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही]

अन्तर क्यों करते हैं जब कि हमारा अनुभव बिल्कुल भिन्न है। तस्करी तो तस्करी ही है। देश के किसी भी स्थान में किये जाने वाले अपराध समान रूप से एक अपराध है। तस्करी का मार्ग, विशेष रूप से दवाइयों की तस्करी का मार्ग अफगानिस्तान से पाकिस्तान-अमृतसर-दिल्ली-उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश-बम्बई-कोचीन आदि हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया से यह बर्मा-नेपाल-बिहार-दिल्ली-कलकत्ता आदि हैं। इस प्रयोजन के लिए पूरे देश को संवेदनशील समझना चाहिए और तस्करी में सम्बद्ध लोगों को समान सजा होनी चाहिए। भारत से दवाइयों के लिए लेन-देन का मुख्य अड्डा 'गोल्डन ट्रंगल' एक बड़ा आवाजाही केन्द्र बनता जा रहा है। हमारे देश में दवाइयां केवल पाकिस्तान से नहीं आती बल्कि नेपाल और श्रीलंका से भी आती हैं। पश्चिमी क्षेत्र में अधिक आतंकवाद का धन्धा करने वालों के जरिये पता चल जायेगा—यह महत्वपूर्ण है। दो घटनाएं साथ-साथ घटित होती मालूम दे रही है—भारत में आंतरिक अस्थिरता और आतंकवाद के लिए दवाइयों का इस्तेमाल। वास्तव में आतंकवाद को औषध व्यापार से अलग नहीं किया जा सकता हैं यह व्यापार बहुत खतरनाक है कुछ तस्करी की जांच में कार्यरत पुलिस तथा सुरक्षाकर्मियों की तस्करों के साथ सांठ-गांठ भी है।

हाल ही में, एक समाचार था। दिल्ली में एक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री सुभाष वासन को कुख्यात हशीश तस्करों के साथ कथित रूप से सम्बद्ध होने के कारण नोकरी से बर्खास्त कर दिया। यह मजिस्ट्रेट हैं तो पुलिस और सीमाशुल्क लोगों के बारे में क्या कहा जाये। अत: इस पर कठोर रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसके लिए कठोर उपाय किये जाने चाहिए।

मैं अब यहां रखे गये उद्देश्यों और कारणों के विवरण की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गये निषिद्ध पदार्थों के आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि संवेदनशील क्षेत्रों में तस्करी की समस्या किसी तरह से कम नहीं हुई है। अत: ऐसी स्थिति में आप कठोर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे है। मैं आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करूंगा। श्रीमन इस गम्भीर खतरे पर गहराई से विचार किया जाए। तस्कर हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं हमें उनके शिकंजे से छुटकारा पाना है। हमें जितनी जल्दी सम्भव हो सके देश में इस समानान्तर अर्थव्यवस्था के प्रभाव से मुक्त होना है। इसलिए मैं मन्त्री जी से इस पर गम्भीर रूप से विचार करने और सदन के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करूंगा।

श्री के० आर० नटराजन (डिंडिगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण गतिविधियां (संशोधन) विधेयक, 1987 का समर्थन करता हूं। तस्करी की पूर्णतया निन्दा करनी चाहिए और इसे समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती।

लेकिन देखा गया है कि कुख्यात तस्कर तो बचकर साफ निकल जाता है उनके नौकरों और संवाहकों को नजरबन्द कर लिया जाता है और उन्हें सजा दी जाती है। कुख्यात अपराधियों और तस्करों का पता लगाने के लिए कुछ शक्तिशाली एजेन्सियां होनी चाहिए। उन्हें बचकर निकलने नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें नजरबन्द किया जाना चाहिए तथा सजा दी जानी चाहिए।

निवारक नजरबन्दी विधि नियम के प्रतिकूल है। ब्रिटिशकाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा उसकी

भर्त्सना की गई थी। लेकिन कुछ परिस्थितियों के अधीन यह आवश्यक हो जाता है और इसे तस्करों पर लगाया जाना चाहिए। यहां अगर निवारक नजरबन्दी लागू नहीं की जाती तो नियमित गुप्तचर एजेन्सियां अपराधियों को न्यायालय के समक्ष सजा दिलाने के लिए अपेक्षित साक्ष्य नहीं ले सकती।

इस संशोधित विधेयक में संवेदनशील क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत-नेपाल जैसे क्षेत्र भारत-पाकिस्तान क्षेत्र और भारत-तिब्बत क्षेत्र और कुछ अन्य क्षेत्र भी इस स्पष्टीकरण में शामिल किये जाने चाहिए।

फिर भी यह एक बहुत अच्छा संशोधन है और इसे वास्तविक तस्करों के विरुद्ध ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री यू० एच० पटेल (बलसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी संशोधन विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह जो तस्करी दिनों दिन बढ़ती जा रही है यह देश के अर्थ तंत्र को बरबाद कर रही है। तस्करी रोकने के लिए यह जो संशोधन विधेयग लाया गया है, अगर इससे भी बड़ा संशोधन विधेयक लाया जाता तो यह देश के लिए बहुव लाभकारी सिद्ध होता।

तस्करी रोकने के लिए जो अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें बहुत अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिन-जिन इलाकों में यह तस्करी बहुत अधिक होती है वहां पर बड़े-बड़े और अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और इन अधिकारियों को आधुनिक साधन भी मुहैया कराये जाने चाहिएं।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि जो तस्करी करते हुए पकड़े जाएं, उनका सारा माल जब्त कर लेना चाहिए और जो ज्यादा गुनाहगार हों उन पर गोली से प्रहार करना चाहिए क्योंकि यह देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं और देश के अर्थ तंत्र को बरबाद कर रहे हैं। तस्करी रोकने के लिए ऐसे कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए जो कि तस्करी करने वाले दूसरे लोगों को सबक सिखा सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

12.59 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.14 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चौदह मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक 1987

[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह विधेयक बहुत व्यापक नहीं है। अधिनियम में पहले से ही किसी व्यक्ति को दो वर्ष तक नजरबन्द रखने का उपबन्ध है और यह संशोधन इस अवधि को आगे तीन वर्ष तक बढ़ाने के लिए इस धारा के उपबन्धों को जारी रखने के लिए लाया गया है। यह बाद में भी किया जा सकता है।

यहां पर उद्देश्यों और कारणों का विवरण बहुत रुचिकर है। उद्देश्यों और कारणों का यह विवरण वास्तव में शंकाओं का एक दर्पण है जिस पर यह सरकार इस समय विचार कर रही है। मैंने सरकार की ओर से कभी ऐसा विवरण नहीं देखा है। सरकार द्वारा इसकी अवधि बढ़ाने का कारण यह दिया गया है कि "गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में निषिद्ध माल पकड़ने सम्बन्धी "आंकड़े के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में तस्करी में किसी प्रकार से कमी नहीं आई है। कृपया इन शब्दों पर ध्यान दें "किसी भी प्रकार से।" लेकिन उद्देश्यों और कारणों के अगले ही वाक्य में यह कहा गया है तथापि इस धारा के तहत दो वर्षों की नजरबंदी की लम्बी अवधि का तस्करों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और यह प्रावधान अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में तस्करी गतिविधियों को रोकने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। क्या आपने कभी ऐसी शंका देखी है पहले यह कहा गया है कि पहले तीन वर्षों के दौरान तस्करी कम नहीं हुई है और अगले ही वाक्य में कहा गया है कि इस उपबन्ध का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया गया है। जैसा कि मैंने अभी कहा है— वास्तव में यह एक शंका का दर्पण है जिस पर सरकार विचार कर रही है और इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की हेरा-फेरी हो रही है।

मैं यह जानना चाहूंगी कि 1974 में लाए गए 'कोफेपोसा' अधिनियम को वास्तव में क्या सफलता प्राप्त हुई है। न केवल तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि हुई बल्कि बड़े-बड़े तस्करों को भी यदा कदा ही पकड़ा गया है। इस 'कोफेपोसा' अधिनियम को दस वर्ष से पहले बहुत उत्साह से लाया गया था। लेकिन क्या मंत्री महोदय कम से कम कुछ तस्कर सरगनों के नाम बता सकते हैं; जो इस अधि-नियम के कारण गिरफ्तार किए गग थे क्या ऐसी ही स्थिति है कि सरकार या प्रशासन नहीं जानता कि तस्करी में सरगने व्यक्ति कौन हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने जो मुझसे पहले बोले थे ने ऐसी बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया है मेरे पास उन्हें दोहराने का समय नहीं है। लेकिन क्या आप हमें संतुष्ट कर सकते हैं कि तस्कर गतिविधियां समाप्त करने में इस अधिनियम ने सहायता की है मेरी राय में यह बिलकुल सहायक नहीं है। मैंने अपने माननीय मित्र श्री अमलदत्त से पूरी तरह सहमत हूं जिन्होंने कहा है इस प्रकार की निवारक नजरबंदी से सामान्य कानून और व्यवस्था तंत्र भी बहुत कम प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं और इसकी सक्रियता कम हुई है। प्रशासनिक तंत्र सत्ताधारी लोगों तस्करी गिरोह और चुनाव के लिए धन इकठ्ठा करने वाले गिरोह के बीच सुदृढ़ तथा अच्छा सम्पर्क स्थापित हो चुका है। इसलिए इसका दो वर्ष की अवधि बढ़ाने से कुछ नहीं होगा वास्तव में इससे तस्कर गति-विधियां नहीं रूकेंगो बहुत से कानून हैं जो पहले ही विद्यमान है। उन कानूनों के तहत लोगों को पकड़ने से आपको कौन रोकता है। आप तस्करों के सरगनों को पकड़ने का कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप केवल उन लोगों को पकड़ते हैं। जिनके पास इस समय कुछ निषिद्ध माल होता है। यदि वे रंगे हाथों पकड़े जाते है तो आप उन्हें पकड़ लेते हैं। साधारण कानूनों के तहत आप उन्हें सजा दे सकते हैं।

आपने कहा है कि यह 'कोफेपोसा' तस्करी गतिविधियों से संलग्न बड़े-बड़े तस्करों को पकड़ेगा

ऐसा आपने कभी नहीं किया अतः इस 'कोफेपोसा' का इरादा कोई लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है। तस्करी गतिविधियों से भी प्रमाणित हुआ है कि यह 'कोफेपोसा' उचित नहीं है।

हम सबको वास्तव में तस्करी गतिविधियों के बारे में चिन्ता है। नशीले पदार्थों की तस्करी हमारी युवा पीढ़ी को लुभाती है। हम इससे बहुत चिंतित हैं। हमने यह भी सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार का विधेयक—निवारक नजरबंदी या कुछ ऐसी बात से स्थिति में सुधार नहीं होगा।

इस निवारक नजरबंदी अधिनियम के अतिरिक्त आपके पास काफी कानूनी उपबन्ध हैं। यदि आप अपना संबंध तस्करी दुनिया से तोड़ दें और असलियत में तस्करों के सरगनों को पकड़े, आप उन्हें अपने विभिन्न कानूनों के अधीन कठोर कारावास दे सकते हैं। अभी श्री राजहंस द्वारा यह ठीक कहा गया था। इसके लिए हमें इस विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण गतिविधियों संबंधी अधिनियम की आवश्यकता नहीं है।

अतः मैं नहीं समझता कि इस अधिनियम के विस्तार के लिए स्थिति न्यायसंगत है। सिद्धांततः मैं इस निवारक नजरबंदी विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे खेद है। इन गतिविधियों का उन्मूलन करने के लिए—अकेले इसके उन्मूलन के लिए—लेकिन तस्करी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए भी, आपको अन्य तरीके अपनाने होंगे और आपको केवल तस्करों को पकड़ने के लिए नहीं अपितु तस्करों के सरगनों को पकड़ने में और अधिक कृत संकल्प बनना होगा।

इन शब्दों के साथ; मुझे खेद है, मैं इस विधेयक का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : आप कृपया मुझे दो मिनट बोलने के लिए अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नाम नहीं मिला है। आप कृपया बैठ जाइये।

कुमारी ममता बनर्जी : मैडम, आप कृपया मुझे बोलने के लिये कुछ मिनट दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : ठीक है, आप उन्हें कुछ मिनट दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कुमारी ममता बनर्जी।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सर, पुजारी जी जो यह कंजर्वेशन आफ फारन एक्सचेंज एण्ड प्रिवेंशन आफ स्मगलिंग एक्टीविटीज (अमेंडमेंट) बिल लाये हैं, इसको मैं हार्टेडली सपोर्ट करती हूं। आज देश में स्मगलिंग चल रहा है, देश में ब्लैक मनी भी जमा हो रही है। उसको रोकने के लिये यह बिल बहुत जरूरी है। यह तो है कि टोप में स्मगलिंग एक्टीविटीज को रोकने के लिये कानून बना है। यह कानून भी आप लाए हैं। बात यह है कि हम कानून को ठीक तरह से समझ नहीं रहे हैं।

जो लोग ब्लैक मनी जमा करता है, जो लोग स्मगलिंग करते हैं, वे लोग गवर्नमेंट को भी ट्रबल में डाल सकता है। वे लोग इतने पावरफुल हो गये हैं कि वे लोग पैरेलल गवर्नमेंट भी चला सकते हैं। ये लोग बहुत पावरफुल हो गये हैं।

आपने इसमें गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, दमण, दीप का नाम रखा है लेकिन इसमें इन्डो बंगला देश बार्डर, इन्डो पाकिस्तान बार्डर, इन्डो नेपाल बार्डर का नाम नहीं रखा है। इन

[कुमारी ममता बनर्जी]

बार्डरस से भी बहुत स्मगलिंग हो कर देश में गुड्स आ रहा है। इसको हम कैसे चैक आप करेंगे, इसको हमें देखना चाहिए। (व्यवधान) कानून तो है लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि कानून कितने हद तक काम कर सकता है। गवर्नमेंट के पास कोफपोशा है, फेरा का कानून है। इनकम टैक्स इवेडर्स के लिए भी गवर्नमेंट के पास कानून है। लेकिन खाली कानूनों से ही काम नहीं चलेगा। हम लोगों को भी देश की भलाई के लिए स्मगलिंग गुड्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए।

देश की भलाई के लिए स्मगलिंग गुड्स पर कंट्रोल करने के लिए यह बिल लाया गया है। एक बात और है कि कस्टम आफिसर्स और स्मगलर्स के बीच अच्छे रिलेसंस हैं। मैं यह नहीं कहती कि सारे कस्टम आफिसर्स इमानदार हैं या सारे कस्टम आफिसर्स बेईमान हैं, लेकिन यह भी सुना गया है कि जो अनएम्प्लायड यूथ बढ़ रहा है। फ्रास्ट्रेटेड हो रहा है, उसके ऊपर एक चक्कर चलाया जा रहा है। उनको बेंकाक, सिंगापुर आदि देशों में फ्री बोर्डिंग और लाजिंग देकर आने के समय थोड़ा सा स्मगलिंग गुड्स ले आने के लिए कहा जाता है और यहां पर कस्टम आफिसर्स को घूंस देकर वह सारा माल छुड़वा लिया जाता है।

[अनुवाद]

सभी सीमा-शुल्क अधिकारी बेइमान नहीं हैं और सभी सीमा-शुल्क अधिकारी इमानदार भी नहीं हैं।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहती हूं कि जो आनेस्ट कस्टम आफिसर्स हैं उनको रेवार्ड मिलना चाहिए और जो डिसआनेस्ट कस्टम आफिसर्स हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन आज बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अच्छा काम जो लोग करते हैं, चोरी पकड़ते हैं, उनको पनिशमेंट मिलता है, रेवार्ड नहीं मिलता। काफी पोलीटिकल एन्वाल्वमेंट हो गया है, आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो कस्टम आफिर्स आनेस्टली काम करते है, उनको इसेंटिव मिलना चाहिए, रेवार्ड मिलना चाहिए। देश में जो चैकपोस्ट हैं, उनको भी बढ़ाना चाहिए। चैकपोस्ट पर तैनात कस्टम आफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के संबंध भी इस तरह काम करने वालों के साथ अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं इस बिल का तो सपोर्ट करती हूं आप ज्यादा से ज्यादा कानन बनाना काफी नहीं हूं, भविष्य में देश की भलाई के लिये, देश की उन्नति के लिए इसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने और बहुत ही रचनात्मक सुझाव देने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। कुछ माननीय सदस्यों विशेषकर श्री व्यास, डा० राजहंस श्री तम्पन थामस, श्री पाणिग्रही, श्रीमती गीता मुखर्जी और कुमारी ममता बनर्जी ने बहुत अच्छे और रचनात्मक सुझाव दिए हैं। इसके साथ-साथ कुछ माननीय सदस्यों ने इस उपाय की आलोचना भी की है।

यह सरकार का मामला नहीं है कि सरकार इस देश में तस्करी गतिविधियों को पूर्णतया समाप्त करने में योग्य थी। जो बात यहां कही गई है, वह यह है कि हमें बहुत ही दृढ़ निश्चयी होना चाहिए

और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। कालाबाजारियों, तस्करों और आर्थिक अपराधियों द्वारा इस देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है और वे अत्यन्त शक्तिशाली हो गये हैं। इसलिये हमें विशेषकर सरगनों के खिलाफ जो इन चोरी-छिपी गतिविधियों के लिये जिम्मेदार हैं, कार्यवाही करनी होगी। मैं यहां माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें सख्त कार्यवाही करनी होगी। क्या सरकार इसे करने में योग्य थी, और क्या यह उपाय इन तस्करों विशेषकर इन सरगनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने में अधिकारियों की मदद करेगा, यह प्रश्न है।

यह कहा गया है कि सरकार पूर्णतया असफल हो गई है। क्या तथ्य इस तर्क को मजबूत करते हैं, या क्या यह उपाय इसके प्रयोजन को पूरा करने जा रहा है, यही हमें देखना होगा। वर्ष 1984 में 2345 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 3065 व्यक्ति वर्ष 1985 में गिरफ्तार किये गये थे। वर्ष 1987 में जून तक हम 1212 व्यक्ति गिरफ्तार कर सकें। वर्ष 1985 में 2141 व्यक्तियों पर मुकदमा चला। वर्ष 1986 में 2587 व्यक्तियों पर मुकदमा चला और जून 1987 तक 1483 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था।

वर्ष 1985 में, 805 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। वर्ष 1986 में 871 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और वर्ष 1987 में जून तक 457 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया।

वर्ष 1985 में व्यक्तियों को नजरबंद किया गया; वर्ष 1986 में 812 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया और जून 1987 तक 441 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया।

अन्य मुद्दा यह उठाया गया कि क्या बड़े आदमियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। विपक्षी माननीय सदस्य द्वारा जो तर्क दिया गया है, वह यह है कि हम केवल छोटे व्यक्तियों को ही पकड़ सके हैं। वर्ष 1983 में प्रत्येक जब्ती का औसतन मूल्य 13951 रुपये था, अब यह 49695 रुपये तक चला गया है। (व्यवधान)। जो कुछ हमने कहा है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। जहां तक इन तर्कों का संबंध है, हमने बड़े तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही की है। सभी के नाम यहां नहीं हैं। मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को ये नाम प्रस्तुत करूंगा क्योंकि यह एक लम्बी सूची है और यह ऐसा मामला नहीं है कि हमने केवल छोटे व्यक्तियों को ही पकड़ा है। यह आपकी इच्छा है और सरकार की भी इच्छा है कि हमें बड़े व्यक्तियों को अवश्य पकड़ना चाहिए। श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री अमलदत्त ने एक तर्क यह दिया है कि हमें बड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, और उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। इस समय विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण गतिविधियों अधिनियम के अधीन उन बड़े व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु एक उपाय है जो इन तस्करी गतिविधियों के पीछे होते हैं और जो कानून की गिरफ्त से बचने का प्रयास कर रहे हैं और वे कोई सम्पर्क नहीं प्रदर्शित करते हैं। इन व्यक्तियों को अपराधी सिद्ध करने के लिए हमें कार्यवाही करनी होगी। कभी-कभी ये बड़े तस्कर ऐसा व्यवहार करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मुकदमा विफल हो जाते हैं और यहां तक कि वे साक्षियों को जीतने का प्रयास करते है। अब, तुरन्त कार्यवाही करने के लिये, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हमें सामान्य कानून का इन्तजार नहीं करना चाहिए। इस धारणा में नहीं रहना चाहिये कि सामान्य कानून के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को रोकने के लिए यह एक कार्यवाही है, लेकिन सामान्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने को छोड़कर, हम निवारक उपाय, के रूप में तस्करी गतिविधियों को रोकने हेतु भी इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं।

[श्री जनार्दन पुजारी]

माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि इसमें कुछ खामियां हैं और हमें इन तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हमने राज्य सरकारों को अधिकार दिये हैं।

माननीय सदस्य श्री अमल दत्त और श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस बात का उल्लेख किया कि बड़े व्यक्ति नहीं पकड़े जाते तथा इस पद्धति में, प्रक्रिया में खामियां हैं। मैं उनको यह सुझाव देना चाहूंगा कि उनकी पश्चिमी बंगाल की सरकार बड़े व्यक्तियों को नजरबन्द क्यों नहीं कर सकती? आप इन तस्करों को नजरबन्द कर सकते हैं: मैं केवल पूछ रहा हूं। मैं इस पर आऊंगा। यदि आप चाहते हैं तो आप कार्यवाही कर सकते हैं। यदि आप यह महसूस करते हैं कि केन्द्रीय सरकार प्रभावशाली नहीं है तो हम आपको कार्यवाही करने से नहीं रोक रहे हैं। हम कहते हैं कि आप बहुत प्रभावशाली हैं और यदि आप यह महसूस करते हैं कि कुछ खामियां हैं तो आप कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : लेकिन यह विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण गतिविधियां अधिनियम के अन्तर्गत हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने हस्तक्षेप करने की मेरी आदत नहीं है। मैं आपका अत्यन्त सम्मान करता हूं और आप इस मद्दे को अन्त में उठा सकते हैं।

मेरी बात बहुत ही साधारण है। यदि आप यह महसूस करते हैं कि आप तस्करों का मुकाबला कर सकते हैं, और वे समाज के लिए खतरा है, यदि आप ऐसा सोचते हैं, हमने आपको मना नहीं किया है। आप निश्चित ही कार्यवाही कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य, श्री तम्पन थामस ने एक मुद्दा उठाया है। मैं इससे सहमत हूं। उन्होंने उल्लेख किया है कि हाल ही में केरल में, सरकार ने कार्यवाही की है। यह कैसे लागू होनी चाहिए, अलग बात है। अभी तक मैं प्रशंसा करता हूं कि यह एक अच्छी बात है। मैं उनके सुझाव की प्रशंसा करूंगा। जबकि आप यह कहते हैं कि आप कार्यवाही नहीं करना चाहते फिर भी अन्य लोग कार्यवाही कर रहे हैं। आप बताना नहीं चाहते। आप कार्यवाही क्यों नहीं चाहते। आप कार्यवाही क्यों नहीं करते? आपको कौन रोकता है? आखिरकार, आपकी मंशा बहुत अच्छी है।

श्री अमल दत्त : मैं कोई भी बात कहना नहीं चाहता।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप नहीं चाहते कि कोई कार्यवाही की जाये। मैं केवल आपको बताता हूं कि कृपया आलोचना न कीजिये। आलोचना करना आसान है लेकिन कार्यवाही करना कठिन है। लेकिन यहां मैं इस पक्ष के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि यदि आपको पता चलता है कि भारत-बंगला सीमा क्षेत्र में इस तस्करी गतिविधि को रोकने के लिए कार्यवाहियां की जानी हैं, तो मैं पश्चिमी-बंगाल के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वह इस अधिनियम का हवाला देते हुये कार्यवाही करें। (व्यवधान) उचित कार्यवाही करके हमें इस खतरे का अन्त करना चाहिए। (व्यवधान) मैं श्री अमल दत्त और श्रीमती गीता मुखर्जी······से अनुरोध कर रहा हूं। (व्यवधान)।

श्री अमल दत्त : आप मुझे बाद में बता सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपको उत्तर बाद में दूंगा। महोदय, हमें इस मामले में स्पष्ट होना चाहिए और अपने मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। हमें

यह कहना चाहिए कि देश गम्भीर कार्यवाही, तथा उस समस्या को समाप्त करने के मामले में सख्त कार्यवाही करना चाहता है। इस पक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने इसे बहुत ही स्पष्ट किया है कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए यदि इसकी जरूरत है तो आप सदन के सम्मुख कुछ संशोधन रख सकते हैं। हम इसका समर्थन करेंगे। इस पक्ष से कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस बात को रखा। लेकिन केवल पश्चिमी बंगाल के दो माननीय सदस्यों ने हमारी आलोचना की। जो हमें कहना पड़ा, उन्होंने इसकी आलोचना की। और जब हम यह कहते हैं कि आंकड़ों में पहले से ही कुछ वृद्धि हुई है तो वे कहते हैं कि यह मुद्रास्फीति के कारण हैं।

श्रीमति गीता मुखर्जी : यह सच है। यही सच्चाई है।

श्री जनार्दन पुजारी : आप जब भी कोई ठोस सुझाव रखते हैं, आपके प्रति अत्यधिक सम्मान के साथ, हम इसे स्वीकार करेंगे, और हम इस पर कार्यवाही भी करेंगे। यदि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम उन्हें स्वीकार करेंगे। मैंने यह भी कहा है कि मैंने पहले ही अपने विभाग को, उन पर पुनर्विचार करने के लिए और उन सभी सुझावों पर भी विचार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। हम इस पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच-पड़ताल करने जा रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम संशोधन भी लायेंगे। यह हमारी मंशा होनी चाहिए और हरेक की मंशा होनी चाहिए। मुख्य लक्ष्य इस खतरे को रोकने का है और हमें इन गतिविधियों को खत्म करना है।

श्री अमल दत्त : आपके दिमाग में किस प्रकार के तस्कर हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपको बताऊंगा। जो कर्मचारी, के बारे में कुछ लोगों ने बताया कि कुछ अधिकारी इन तस्करों से मिल गये हैं और उनमें से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, श्री पाणिग्रही और अन्य माननीय सदस्य ने विशेषकर एक बात रखी, कि जो भी कुशल अधिकारी हो, उसे पुरस्कार देना चाहिये और जहां तक अकुशल, भ्रष्ट अधिकारियों का संबंध है, हमें उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सदस्यों के फायदे के लिए, मैं बता सकता हूं कि राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के 17 अधिकारियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के 15 अधिकारियों को भी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था। हमारे माननीय मन्त्री श्री पी० चिदाम्बरम ने भी उन लोगों के विरुद्ध, जिनकी आय उनके साधनों से अधिक है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से कार्यवाही की है। इस मामले में भी हम अपने उत्तरदायित्व से जी नहीं चुरा रहे हैं। हम किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे।

इसके अलावा, मैं माननीय सदस्यों को बताता हूँ कि यदि उनके पास कोई सूचना है, तो वह आप हमें दे सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे और इसके बदले में हम पकड़े गए धन का 20 प्रतिशत आपको देंगे। यदि कोई व्यक्ति ठीक सूचना देता है और पकड़े गए माल की कीमत 10 करोड़ रुपये तक है···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वह संसद सदस्यों से कह रहे हैं कि सरकार को सूचना दें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास यदि कोई सूचना है तो वह उन्हें दे सकता है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने आपको केवल बताया है। यदि आप पुरस्कार नहीं चाहते, तो हम नहीं देंगे।

श्री अमल दत्त : आप कहते हैं, यदि आप कोई सूचना हमें देंगे तो हम आपको 20 प्रतिशत देंगे। यह क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि वह पुरस्कार है। यह एक कानून है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य पुरस्कार स्वीकार करता है अथवा नहीं, यह सदस्य पर छोड़ दिया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : दत्त जी, मैं आपको बताता हूं जब हम सदस्यों की कुछ परिलब्धियां बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन, प्रत्येक सदस्य उसको ले रहा है। यदि ऐसी बात है तो इससे तो देश को ही लाभ होगा। यदि वे कुछ विश्वस्त सूचना दे रहे हैं, तो उसके लिए पुरस्कार है और उसके लिए प्रक्रिया भी है। हमने अधिकारियों को पुरस्कार दिए हैं और यहां कि हमारे वित्त मंत्रियों ने कार्यक्रम में भाग लिया है और उन अधिकारियों को जिन्होंने अपना कार्य अच्छी प्रकार किया है पुरस्कार दिए हैं। और उनको ये पुरस्कार नकद दिए गए हैं।

उन माननीय सदस्यों से केवल एक अनुरोध, जिन्होंने यह कहा है कि स्विस बैंक में लगभग 1300 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है। मुझे मालूम नहीं किसने यह सूचना दी है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह बात गत छः महीनों से नियमित रूप से सुनता आ रहा हूं। कुछ माननीय सदस्य कुछ मुद्दे उठा रहे हैं और यहां तक कि भूतपूर्व वित्त मंत्री भी उनमें शामिल है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। श्री अमल दत्त जी यदि आपके पास कोई सूचना है तो वह आप हमें दीजिए और यदि हम कोई कार्यवाही न करें तो आप हमारी आलोचना कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : बिना कोई सूचना दिए आप सरकार की आलोचना न करते रहिए। यदि आपके पास कोई नाम है और किसी व्यक्ति का स्विस बैंक में खाता है तो कृपया उसके बारे में हमें बताइए। हम उस पर कार्यवाही करेंगे। केवल सरकार की आलोचना ही न करते रहिए। हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। मैं आपको 15 दिन का समय देता हूं। इस सदन से कोई सदस्य जिसमें हमारे विपक्षी सदस्य, जिसमें विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं* तथा कोई अन्य व्यक्ति सूचना दे सकता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त में किसी का नाम आने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : आपको विन चड्ढा और अजिताभ के नाम दिए गए हैं।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जनार्दन पुजारी : श्री तम्पन थामस, मैं आपको बताता हूं कि मुझे बहुत से गुमनाम पत्र मिले हैं उनसे यह कहा गया है कि कुछ विपक्षी सदस्यों के भी, जो अब यहां उपस्थित नहीं है, वहां खाते हैं। उन गुमनाम पत्रों के आधार पर क्या मैं यह कह सकता हूं कि सभी लोग भ्रष्ट हैं ? इसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। इसके लिए प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए···(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : आप इसकी जांच कीजिए। हम चुनौती स्वीकार करते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं केवल आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि, जो भी हो, हम राजनीतिक लोग हैं, आज आप विपक्ष में हैं, कल को आप सत्ता में आ सकते हैं, तो हमें देश में ऐसा आलम नहीं होने देना चाहिए कि सभी राजनीतिक लोग भ्रष्ट है। हमारे यहां माननीय अनुभवी सदस्य है। क्या उनके लिए कोई कह सकता है कि यह भ्रष्ट है ? यहां और एक और माननीय सदस्य हैं। क्या उनके लिए कोई कह सकता है कि वह भ्रष्ट है ? हमें सभी लोगों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप केवल आलोचना ही न करते रहिए। ऐसा करके, हम केवल अपने राजनीतिज्ञों का और अपनी प्रणाली का महत्व कम कर रहे हैं। ऐसा न कीजिए। यदि कोई दोषी व्यक्ति है और चाहे कोई भी क्यों न हो हमें उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। हमें उस बात पर दृढ़ रहना चाहिए। बल्कि हर समय यह कहते रहना कि 1300 करोड़ रुपए अथवा 5000 करोड़ रुपए वहां जाता है, हमें एक साथ बैठकर उसका पता लगाना चाहिए। मैं एक और अपील कर रहा हूं। आप कृपया संसदीय समिति में शामिल हो जाइये···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, पहले आप उनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए उसके बाद आप जो कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

श्री अमल दत्त : क्या उनको इस बात का पता लगाने का कोई अधिकार है कि कोई व्यक्ति विशेष जैसे 'क' 'ख' 'ग' का स्विस बैंकों में धन जमा है ? यदि वह ऐसा कहते हैं, तो हम उनको नाम बता सकते है। लेकिन उनको यह स्पष्ट रूप से और साफ-साफ कहना होगा कि उनको इसका पता लगाने का अधिकार है। सरकार की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि सरकार के पास अधिकार है तो उसको यह कहना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने बहुत ही उपयुक्त मुद्दा उठाया है। वह वकील हैं। मैं भी इसी व्यवसाय से सम्बद्ध हूं। उन्होंने कहा है कि स्विस बैंकों से सूचना प्राप्त करने के लिए सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, वह नाम नहीं देना चाहते। (**व्यवधान**) वह सभा के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। वह कहते हैं कि यदि अधिकार है और पता लगाने का कोई तरीका है, तों ऐसी स्थिति में वह सूचना दे सकते हैं यही उनका मामला है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं।

श्री अमल दत्त : मैंने कहा था कि मैं नाम दूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। अब, स्थिति क्या है ? जहां तक सरकार का भी सम्बन्ध है, सूचना प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कोई भी स्विस बैंकों से सूचना प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।

श्री तम्पन थामस : इसके लिए राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इसके लिए राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए, आपको, मुझे और सभी को एक साथ बैठना चाहिए और इस बात का पता

[श्री जनार्दन पुजारी]

लगाना चाहिए कि सूचना किस प्रकार प्राप्त कीजिए। सरकार भी इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, सरकार के पास भी अधिकार होना चाहिए। क्योंकि वहां गोपनीयता कानून लागू है, इसलिए वह हमें सूचना नहीं दे रहे हैं। इसलिए यहां हम भी कुछ उपायों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार उस नियम की बाधा को खत्म किया जाए और गुप्त खातों के बारे में सूचना प्राप्त की जाए। उस प्रयोजन के लिए, श्री अमल दत्त जी मैं केवल आपके एक साथ बैठने का अनुरोध कर रहा हूं। हमें उस समिति में सम्मिलित होना चाहिए। आपको भी उस समिति में सम्मिलित होना चाहिए। श्री अमल दत्त, श्रीमती गीता मुखर्जी, प्रो० मधु दंडवते कोई छोटे व्यक्ति नहीं है।

श्री अमल दत्त : उसका किस प्रकार पता लगाया जाएगा ? आपको उस तंत्र का पता लगाना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रश्न यही है कि उसका किस प्रकार पता लगाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर संसदीय समिति देगी। हमें एक साथ बैठकर उन लोगों के नामों का पता लगाना है चाहे वह सत्ता पक्ष के हैं अथवा विपक्ष के है अथवा किसी भी पक्ष के हों और फिर उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपसे केवल यही अनुरोध कर रहा हूं। हम एक साथ बैठकर कार्य करना चाहिए। हमें सभी आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार किसी व्यक्ति को माफ नहीं करेगी। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। जहाँ तक आर्थिक अपराधियों का सम्बन्ध है। हम किसी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे चाहे वह पुजारी सहित सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। यदि पुजारी को इसमें शामिल पाया गया, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसको भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि यदि पुजारी भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो आपको उसे भी माफ न करें। इस अनुरोध के साथ मैं इस वाद-विवाद को समाप्त कर रहा हूं।

श्री अमल दत्त : महोदय जब वह फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को लिखते हैं, तो उसका केवल एक व्यक्ति उत्तर देता है और वह कहता है कि उसका सम्पूर्ण खर्च* द्वारा वहन किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। आप इनके नामों का उल्लेख न कीजिए। मैं इनको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। प्रश्न यह है :

> "कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 और 3

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2 ओर 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को पारित किया जाए।"

महोदय, मैं माननीय सदस्य का उचित आदर करता हूं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नामों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूँ।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई सबूत मिलता है, चाहे वह 'क' 'ख' 'ग' कोई भी हो, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब अगली मद पर चर्चा करेंगे—मद संख्या 10 और 11 पर एक साथ चर्चा की जाएगी।

————

2.44 म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य—उपस्थित नहीं है, श्री सोमनाथ चटर्जी—उपस्थित नहीं है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : जी हां, मैं यहां हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चटर्जी का नाम पुकारा है। मेरे ख्याल में आपका नाम श्री चटर्जी नहीं है। आप मन्त्रों के नाम बता रहे हैं लेकिन आप स्वयं अपना नाम भूल रहे हैं। मुझे मेरे सामने अब यह समस्या आ रही है। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम पुकारा है और आप कह रहे हैं, "मैं यहां हूं।" इसका क्या अर्थ है ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, वह अन्यों के नाम बता रहे हैं जबकि उनका स्वयं अपना नाम याद नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं। श्री अमल दत्त। मेरे विचार से यह आपका नाम है। आप प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 9 जून, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा जारी राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, निवारक नजरबन्दी के अन्य सभी मामलों की तरह हम सिद्धान्त रूप में, किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से इस प्रकार वंचित करने के विरुद्ध है।

यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है मेरे मित्र श्री चिदम्बरम् जो एक विख्यात वकील हैं, निश्चित रूप से जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश और विशेष रूप से वे देश, जिनसे हमने प्रजातंत्र का आदर्श लिया है, निवारक नजरबन्दी कानूनों को वेय दृष्टि से देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंगलैंड में जब इस प्रकार का अधिनियम पास किया गया, तो न्यायालय में इसे चुनौती दी गई यह हाउस आफ लार्ड्स के बहुमत द्वारा केवल युद्ध के दौरान बरकरार रखा गया किन्तु उसके पश्चात नहीं। किन्तु उस मामले में अल्पमत का फैसला, जिसका अन्य देशों में और बाद में न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा समर्थन किया गया विभिन्न अवसरों पर उल्लेख किया गया है अर्थात कि युद्ध के समय भी कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाए बिना लोगों को उनकी स्वतन्त्रता से वंचित

नहीं किया जा सकता। भारत में ठीक यही हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से, केवल ढाई वर्षों को छोड़कर जब यहां जनता सरकार थी······(व्यवधान)।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : ओह !

श्री अमल दत्त : यह सच है। मैं क्या कर सकता हूं। अब आप कांग्रेस में हैं किन्तु आप हमेशा ही कांग्रेस में नहीं थे। उस समय आप भी इस कार्यवाही के विरुद्ध थे। यह हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासदी पूर्ण अन्त है जब हमने किसी दल, विचारधारा या अन्य किसी बात के बिना विदेशी सरकार के हाथों में इस प्रकार की ताकत की निंदा की। उसके पश्चात् हमारी सरकार सत्ता में आई। उन्होंने तुरन्त एक कानून बनाया जिसके द्वारा लोगों को मुकदमा चलाए बिना स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। वास्तव में निवारक नजरबन्दी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पुलिस या अधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं जितनी उसकी नजरबन्दी में दिलचस्पी है। एक बार सही प्रकार से आरोप लगाये जाने पर हो सकता है कि आरोप सही न हों। आरोप लगाने का तरीका कानून के अन्तर्गत कतिपय सिद्धांतों के अनुसार होता है जैसे कि न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आरोप न्यायालयों द्वारा व्याख्या किए गए कानून के अनुसार लगाये जाते हैं। तत्पश्चात किसी भी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए जेल में बन्द किया जा सकता है, यद्यपि विधि के एक निश्चित सीमा — एक वर्ष या दो वर्ष विनिर्दिष्ट है। मैं केवल यही कहूंगा। जब भी सरकार किसी व्यक्ति को जेल में बन्द करना चाहती है, तो यही करती है, जब उसे रिहा किया जाता है तो उसे तुरन्त एक और आदेश दिया जाता है और जेल में बन्द कर दिया जाता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जब लोगों को एक के बाद दूसरा आदेश तामील करके वर्षों तक स्वतन्त्रता से वंचित रखा गया। यह तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति जेल से आ रहा होता है या वास्तव में जेल से बाहर आ जाता है तथा थोड़े समय के भीतर रिहा किया जाने वाला होता है। वह इस प्रकार का अधिनियम है जो हमारे यहां बरसों से है।

अब प्रश्न अशांत क्षेत्रों के बारे में कतिपय विशेष उपबन्ध करने का है। अशांत क्षेत्रों में दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिये पुलिस द्वारा क्या किया जा रहा है? जब आप किसी व्यक्ति को निवारक नजरबन्दी के अन्तर्गत जेल में बन्द करते हैं, तो आप क्या कोई इससे बेहतर कार्य करते हैं। क्या वह व्यक्ति वास्तव में उन लोगों का सहयोगी है? चलो, एक क्षण के लिये हम यह मान भी लें कि वह वास्तव में दोषी है, वह वास्तव में आतंकवादी या विघटनकारी गतिविधियों में लगा हुआ है। तो वह लोग, जो उसके सहयोगी हैं और जिनकी सहायता से वह यह सब कर रहा है, विदेशों में होंगे। उन्हें जो वह करना चाहते हैं, करने की छूट होगी।

जब कभी पुलिस को निवारक नजरबन्दी की शक्ति प्राप्त होती है, तो किसी भी देश में, जहां पुलिस को इस प्रकार की शक्ति मिलती है, संसूचना समाप्त हो जाता है और यदि यह लम्बे अर्से तक जारी रहता है तो पुलिस आसूचना एजेन्सियां पूर्णतया निष्फल हो जाती है। हम अशांत क्षेत्र समस्या, पंजाब समस्या तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याएं जो हल नहीं कर पाये हैं, उसका एक कारण यह है कि आसूचना का नितांत अभाव है। आसूचना का अभाव इसलिए है, क्योंकि हमने काफी वर्षों से पुलिस

[श्री अमल दत्त]

को यह शक्ति दे रखी है। इतने अधिकारों के बावजूद आप उस व्यक्ति का पता नहीं लगा पाते जिसने अपराध किया है। तब आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह उसे यदि गिरफ्तार कर लेती है और अधिकार का दुरुपयोग करती है। वह भ्रष्ट हो चुकी है। इस अधिनियम में पुलिस भ्रष्ट है। भारत में ऐसा है। अब इस प्रकार की शक्ति हाथ में होने से, शक्ति के दुरुपयोग से भ्रष्टाचार आसान हो जाता है। हमने कई उदाहरण दिए हैं जो हमारी सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न जांच आयोगों के माध्यम से प्रकाश में आये हैं कि उन दिनों तथा आपातकाल में तथा उससे पहले जब 1972 और 1977 के बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार थी, इन शक्तियों का व्यापक रूप से दुरुपयोग हुआ है। मैं इस बात को विस्तार से नहीं कहूंगा कि वह सरकार किस प्रकार अस्तित्व में आयी। किन्तु, फिर भी सरकार ने कई मामलों में निवारक नजरबन्दी की शक्तियों का इस्तेमाल किया और कुछ मामलों की जांच आयोग द्वारा जांच की गई और प्रत्येक मामले में, घटना कब हुई और कहां हुई, कई प्रश्न थे। कोई व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है। वह 10 व्यक्तियों के नाम लेता है जो उस दुर्घटना में शामिल थे। पुलिस कई लोगों बल्कि सैकड़ों लोगों से पूछताछ करती है। यह एक ऐसी कार्यवाही है जिसे हम गलत मानते हैं। इसलिए यह एक ऐसी स्थिति है जो पुलिस द्वारा पैदा की जाती है जिसके भीतर वह जिसे चाहे दिखा सकते हैं। उसके पश्चात वह लोगों को थाने बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह अमुक वारदात में शामिल है, आपका नाम लिखवाया गया है और हमारे अपने स्रोत भी यही कहते हैं। अब यह स्रोत क्या हैं, पुलिस किसी को भी बताने को बाध्य नहीं हैं? जांच आयोग द्वारा की जा रही छानबीन में भी यह पता नहीं लगाया जा सका कि वह स्रोत क्या थे? पुलिस अपनी फाइल में लिखती है कि उनके स्रोतों के अनुसार यह व्यक्ति भी इस विशेष मामले में शामिल है और इसलिए वह उसे बताते हैं कि हमारे स्रोतों के अनुसार आप इस मामले में शामिल हैं और यदि हमें इतनी राशि नहीं देते तो हम आपको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। यह निवारक नजरबन्दी अधिनियम का आदेश है जो हम आप पर तामील करने जा रहे हैं। अतः वह व्यक्ति पैसा देता है और इससे मुक्त हो जाता है। यह तरीका है भ्रष्टाचार का और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, वे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा नही दे पाते। इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किन्तु सभी प्रकार के निवारक नजरबन्दी अधिनियम के संबंध में, जो लोग पुलिस को पैसा नहीं खिला सकते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो पुलिस को पैसा दे देते हैं वे छूट जाते हैं।

अब, यह अधिनियम यह कहता है कि पुलिस को लोगों को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये लोग, जिन्हें बन्द कर दिया जाता है, किसी भी समय अदालत में पेश किए जाते हैं। उन्हें केवल अनुसेवी नलाकार बोर्ड को संतुष्ट करना होता है। सलाहकार बोर्ड में आमतौर पर वे लोग होते हैं जो न्यायपालिका में रह चुके हों, जो अपनी सेवा के अन्त में होते हैं या सेवानिवृत हो चुके होते हैं। इस प्रकार ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम को जितने लम्बे समय तक सम्भव हो बनाए रखना चाहते हैं। उनके पास इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता है और इसलिए वे कार्यपालिका को खुश रखते हैं।

प्रो० जी० एम० रंगा : इसलिए, इन लोगों को भी शक की नजरों से देखा जाता है।

श्रीअमल दत्त : नहीं, वे संदिग्ध नहीं है। वे पुलिस के साथ सांठ-गांठ करते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रत्येक ?

श्री अमल दत्त : नहीं, आप कोई ऐसा न्यायाधीश ले सकते हैं जिसकी सेवा के अभी 10 वर्ष बाकी हों। ऐसे न्यायाधीश अधिक स्वतंत्र होंगे परन्तु ऐसा कभी नहीं किया जाता। एक न्यायाधीश आम तौर पर 25 वर्ष से अधिक समय न्यायापालिका की सेवा में रहता है। 15 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे निश्चित रूप से इतना अनुभव हो चुका होता है कि वह सलाह बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर सके। किन्तु आम तौर पर ऐसे न्यायाधीश को कभी नहीं लिया जाता। केवल 2 या 3 वर्ष की शेष सेवा वाले न्यायाधीश को ही लिया जाता है। जिस न्यायाधीश की 7 या 10 वर्ष की सेवा शेष होती है उसे कभी नहीं लिया जाता। आम तौर पर उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या बहुत जल्दी सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे सलाहकार बोर्ड में 3 वर्ष का कार्यकाल दिया जाता है। वह बहुत खुश होता है। वह कहेगा "मेरे अभी दो साल बाकी हैं और मुझे वेतन भी मिलेगा।" वास्तव में एक न्यायाधीश को जो कार्य करना होता है उसकी तुलना में उसे यहां कम काम करना होगा। इस प्रकार, इस तरीके से सरकार धन की ताकत से तथाकथित सलाहकार बोर्ड भी शिकायत प्राप्त कर लेती है जो सरकार उसे देती है और वह शिकायत प्राप्त कर लेती है और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : यह कहना एकअत्यन्त गम्भीर आरोप हैं कि सरकार न्यायाधीशों को पैसा देती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह वेतन की बात कर रहे हैं (व्यवधान)।

श्री अमल दत्त : ये लोग जिनका एक वर्ष शेष रहता है या जो सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं।

श्री0 पी० चिदम्बरम : क्या आपने यह कहा कि सरकार ने उनको धये दिया है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, जो न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड के सदस्य बनते हैं वे वेतन प्राप्त करते हैं।

श्री अमल दत्त : सलाहकार बोर्ड के सदस्य वे लोग होते हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : आप जो कुछ कह रहे हैं, स्पष्ट क्यों नहीं कहते ?

श्री अमल दत्त : आप सलाहकार बोर्ड के सदस्य, सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों में से ही क्यों चुनते हैं ? निश्चित रूप से इस बारे में कोई नीति होगी···।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप इससे इसे इन्कार करते हैं। क्या आपके पास धन की ताकत नहीं है। यही बात वह कहना चाहते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि आप ऐसा कहते हैं तो कहिए। कोई आरोप नहीं लगाइए।

श्री अमल दत्त : इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है। चिदम्बरम जी, आप यूं ही कोई निष्कर्ष नहीं निकालें। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आपको कभी भी ऐसा न्यायाधीश नहीं मिलेगा जिसकी 10 वर्ष की सेवा बाकी हो।

आप इस प्रकार का न्यायाधीश कभी भी नहीं लेंगे। आप तो केवल ऐसे ही न्यायाधीश को लेंगे जो या तो सेवानिवृत्त हो चुका है अथवा सेवानिवृत्त हो रहा है और तभी आप उसे अपने पैसे के बल पर फुसला सकेंगे। मैं इस बात को कार्यवाही वृतांत में रखूंगा। पैसे के बल से तात्पर्य यह है कि आपके पास वह शक्ति है जिसके आधार पर आप उसे सेवानिवृत्त आयु के बाद भी भुगतान करते रहेंगे। न्यायाधीश, यथा स्थिति 58 या 65 की आयु पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप उन्हें इसके बाद भी दो या 3 वर्ष आगे तक इनका वेतन अदा करते रहेंगे। अत: अधिकांश न्यायाधीशों के लिए जो सेवा में हैं और सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यह बहुत बड़ा आकर्षण है। क्या आप इससे इनकार करते हैं?

श्री पी० चिदम्बरम : नि:सन्देह मैं उस बात से इनकार करता हूं।

श्री अमल दत्त : ठीक है, आप इससे इनकार कीजिए। ऐसी स्थिति में आप ऐसे न्यायाधीशों के पास क्यों नहीं जाते जिनका सेवाकाल अभी 10 या 15 वर्ष से अधिक शेष रहता है? आप उनको कदापि नहीं लेते। अनुच्छेद 22 में जो भी संवैधानिक सुरक्षण उपलब्ध हैं, उन्हें सलाहकार बोर्ड के रूप में, इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करते हुए, सरकार द्वारा उन्हें पूरी तरह से निरर्थक बना दिया गया है। वह संवैधानिक सुरक्षण पूरी तरह से वापिस ले लिया जाता है। उनका परामर्शदाता बोर्ड बहुत ही आज्ञाकारी है। हमने रिकार्ड का अध्ययन किया है और यह देखा है कि कितने कमजोर साक्ष्य पर सलाहकार बोर्ड ने किसी व्यक्ति के नजरबन्दी आदेश की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक या उसी श्रेणी के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए आरोपों के आलावा उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। बस यही चाहिए। मूलत: निरीक्षक ही नजरबन्दी आदेश निकालता है और उस पर पुलिस अधीक्षक की सहमति ले लेता है। अंततोगत्वा वही पुलिस अधीक्षक जाता है और एक टिप्पणी दे देता है। उस टिप्पणी के आधार पर, नजरबन्दी आदेश की पुष्टि कर दी जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष तक के लिए जेल में बन्द कर दिया जाता है।

दूसरी ओर स्थिति यह है कि गुप्तचर एजेन्सी पूर्णत: बेकार हो गई है। किसी भी मामले में वे कार्य को क्षेत्रीय कर्मचारियों से आरम्भ करते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार से बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। किन्तु निरन्तर काम करते रहने से उन्होंने जो भी थोड़ी बहुत सक्षमता हासिल की भी है, उसी से वे काम लेते है, क्योंकि उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे जुर्म का पता लगाए, जुर्म करने के तरीके का पता लगायें, साक्ष्य प्राप्त करें आदि। इस प्रकार के कानूनों के रहते हुए और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से सरकार पंजाब में आतंकवादियों को अब दवा नहीं सकती है। उसके पास गुप्तचर एजेन्सी पर्याप्त नहीं है। यह स्थिति केवल पंजाब की नहीं अपितु किसी भी ऐसे राज्य हैं जहां नजरबन्दी निवारक कानून है और बहुत समय से लागू स्थिति यह है।

दूसरी ओर यह स्थिति है कि जो व्यक्ति हत्या करने का दोषी पाया गया है उसे एक वर्ष के लिए जेल में रखा जाता है और इस मामले में किसी व्यक्ति को दो वर्ष तक जेल में रखा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो देश के सामान्य कानून में यह निर्धारण किया गया है कि उसे लंबी अवधि के लिए जेल में रखा जायगा अथवा उसे मृत्यु दण्ड दिया जायगा। किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे कितने अपराधों का पता चल सका है श्री चिदम्बरम्, मुझे आशा है कि आप हमें कुछ आंकड़े दे सकेंगे कि कितने जुर्म किए गए हैं और वास्तव में कितने जुर्मों का पता चला है।

श्री पी० चिदम्बरम् : इस अधिनियम के अंतर्गत आप उन व्यक्तियों को नहीं ले सकते जिन पर हत्या का आरोप हो।

श्री अमल दत्त : यद्यपि आप के हाथ में यह अस्त्र है, तथापि इस अधिनियम के तहत कोई भी हत्यारा कारागार में बन्द नहीं किया जाता है किन्तु इस स्थान में किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : हमें मामला दीजिए।

श्री अमल दत्त : आप पुनः मुझसे जांच पड़ताल करने को कह रहे हैं जबकि श्री पुजारी हमें एक सूचना दाता बनाना चाहते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : चूंकि आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, अतः हवा में बात करने की बजाय हमें सूचना दीजिए।

श्री अमल दत्त : मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। आपको इन सभी बातों का पता है। जांच आयोगों को जिस जानकारी का पता चल गया है, मैं उस सारी जानकारी को न तो आपको दूंगा और न मैं ऐसा करने के लिए आपको समय दूंगा। किन्तु यदि आप श्री पुजारी की तरह हमारे साथ बैठने को तैयार हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और किस प्रकार की जानकारी पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और परामर्श बोर्ड द्वारा नजरबंदी आदेश की पुष्टि कर दी जाती है। ये सब खोखली बातें हैं। इस अधिनियम से सरकार को निरापद रूप से उसका दुरुपयोग करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राजनीति की दृष्टि से जिन लोगों को असुविधा होगी, वे अन्त तो गत्वा वे गलियों में शरीर तो मचायेंगे ही। उन्हें पकड़ कर बन्द कर देना बड़ा आसान है। लोग आयेंगे, हत्या करेंगे और भाग जायेंगे। वे उन लोगों को कदापि नहीं पकड़ पाते हैं। यदि वे इन अपराधियों को पकड़ पाते तो मैं समझता कि इस अधिनियम में कुछ दम है। वे ऐसा कभी नहीं करते। किन्तु हम जैसे लोगों को जो न्यायालयों और गलियों में प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे उन्हें पकड़ना और इस अधिनियम के अधीन जेल भेजना आसान है किन्तु उन लोगों को पकड़ना आसान नहीं, जो वास्तव में अपराध करते हैं। कोई भी वास्तविक आतंकवादी तब तक कारागार में नहीं डाला जा सकता जब तक कि वह स्वयं ही आत्म समर्पण न करे, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने का कोई तन्त्र नहीं है। यह इस प्रकार की स्थिति है जिसमें सरकार, विशेष स्थिति का और देश के एक विशेष भाग का लाभ उठाकर, मूल अधिनियम में ही दी गई शक्ति से अधिक शक्ति स्वयं ही प्राप्त करने की अनधिकार चेष्टा कर रही है। अतः इस प्रकार के अधिनियम को एक लोकतंत्र में कदापि सहन नहीं किया जा सकता है। स्वयं मूल अधिनियम ही हमारे लोकतंत्र

पर एक दाग है। हमारा लोकतंत्र जैसा भी है, सरकार को ये अतिरिक्त शक्तियां निश्चित रूप से प्रदान नहीं जा सकती हैं।

3.00 म० प०

इसलिए, मैं हर व्यक्ति से यह अपील करता हूं कि इस मामले में वह दल की बात से न बंधकर अपनी स्वतंत्र चेतना का अनुपालन करे, क्योंकि दलीय सचेतक से लोकतन्त्र अधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस अवसर पर उन्हें दलगत राजनीति से उठकर इस सभा में इस विधेयक को अस्वीकार करे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में, जहां तक यह पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

जैसा कि सभा का विदित है कि पंजाब और चण्डीगढ़ के लोगों को सामान्य जीवन को आतंकवादियों से निरन्तर खतरा है। आतंकवादियों ने निर्दोष व्यक्तियों को अपना सदस्य बनाया है और राज्य की शक्ति खतरे में हैं। यहां तक कि धार्मिक स्थलों, शिक्षा संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों को भी नहीं बख्शा गया है।

अनेक अवसरों पर माननीय सदस्य आतंकवाद पर नियन्त्रण पाने के लिए कठोर कदम उठाये जाने पर जोर देते रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1984 के उपबंध, जो 4 अप्रैल, 1984 से 3 अप्रैल, 1984 तक लागू रहे थे, उन्हें फिर से लागू किया जाये। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि आतंकवादियों से निपटने के लिए, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाली एजेंसियों और अधिक शक्तियाँ प्रदान की जायें। चूंकि ससद का सत्र नहीं चल रहा था और इसकी तत्काल आवश्यकता थी, अत: राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 राष्ट्रपति द्वारा 8 जून, 1987 को जारी किया गया। अप्रैल, 1984 से अप्रैल, 1986 की अवधि के दौरान पंजाब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के विक्षुब्ध क्षेत्रों के लिए जो उपबंध थे, इस अध्यादेश में नहीं उपबंध हैं।

इस विधेयक में पंजाब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के विक्षुब्ध क्षेत्रों में लागू करने के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है :—

(क) उस अधिकतम अवधि को दस दिन से पन्द्रह दिन तक बढ़ाना जिसके भीतर असाधारण परिस्थितियों में निरोध के आधार निरुद्ध व्यक्ति को संसूचित किए जा सकेंगे और उस अवधि को पन्द्रह दिन से बढ़ाकर बीस दिन करना जिस तक अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश राज्य सरकार के अनुमोदन से लागू रहेंगे;

(ख) कुछ मामलों में सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना व्यक्तियों को उनके निरोध

की तारीख से तीन मास से अधिक किन्तु छह मास से अनधिक अवधि के लिए निरोध में रखने का उपबंध करना और ऐसे मामलों में निरोध की दीर्घतर अधिकतम अवधि के लिए भी उपबन्ध करना; और

(ग) अधिनियम में आवश्यक परिणामिक संशोधन करना।

इस विधेयक के उपबंधों का इस्तेमाल केवल पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों के लिए तथा उन नजरबंद व्यक्तियों के लिए किया जायगा जो 8 जून, 1987 को अथवा उस तारीख से पहले नजरबंद किए जाते हैं ?

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उस विधेयक का मुख्य प्रयोजन पंजाब और चंदीगढ़ में आतंकवादियों के कुचकों को असफल करने के लिए प्राधिकारियों को सुविधा प्रदान करना है ?

हमने राज्य सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को इस अभ्यादेश के उपबंधों की सहायता लेने तथा अत्यधिक सावधानी पूर्वक कार्यवाही करने की सलाह प्रथक रूप से दे दी है।

मैं इस सम्माननीय सभा में माननीय सदस्यों से, निष्ठापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इसके सभी पहलुओं पर विचार करें और मुझे आशा और विश्वास है कि वे इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 जून, 1687 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

और

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में, जहां तक यह पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा करने से पूर्व में विधेयक की संवैधानिकता का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा जिसकी चर्चा इस विधेयक की पूरी स्थापना के समय की गई थी। उस समय मुझे मौका नहीं मिला था, क्योंकि मैंने इस विधेयक का विरोध करने के लिए नोटिस नहीं दिया था। लेकिन कुछ मुद्दे अनुत्तरित रह गए हैं और विधेयक में प्रस्तावित नई धारा 14 (क) की संवैधानिकता के बारे में काफी भ्रम बना हुआ है। महोदय, माननीय मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 22, खंड (7) का सहारा लिया है। खंड 7 संसद को निवारक नजरबंदी के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। और यह भी शक्ति देता है कि सलाहकार बोर्ड से उसका मत जाने बिना नजरबंद व्यक्तियों को तीन महीने से अधिक समय तक नजरबंद रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22, खंड (4) संसद की विधायी शक्तियों पर कुछ नियन्त्रण लगाता है। लेकिन

[श्री माधव रेड्डी]

ये नियन्त्रण अनुच्छेद 22, खंड (7) द्वारा वापस ले लिए गए हैं। लेकिन किस बारे में और किन मामलों में आप कर सकते हैं? संविधान का अनुच्छेद 22 स्पष्ट रूप से संसद को कानून बनाने के मामले में दो प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। पहली शक्ति खंड 4 के अन्तर्गत दी गई है जिसके द्वारा निवारक नजरबन्दी के लिए कानून बनाया जा सकता है और सलाहकार बोर्ड, आदि का गठन करना पड़ता है। और नजरबंदी की अधिकतम अवधि तीन महीने है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी पुष्टि न कर दे। उसी अनुच्छेद में खंड (7) में यह उल्लिखित है कि कुछ मामलों में इसका पालन करने की जरूरत नहीं है अर्थात् कुछ मामलों और कुछ हालातों में अनुच्छेद 22 के खंड 4 को नजर अंदाज किया जा सकता है। इस बारे में अनुच्छेद बहुत स्पष्ट है। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं और ऐसे मामले हैं जिनमें खंड (4) की उपेक्षा की जा सकती है तो खंड (4) की उपेक्षा की जा सकती है और खंड (7) के अन्तर्गत ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसमें समय सीमा की कोई बाधा न हों। खंड 4 में तीन माह की सीमा है। लेकिन खंड (7) के अन्तर्गत कोई सीमा नहीं है। लेकिन, कानून बनाते समय आप 6 महीने की सीमा निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि किन मामलों में आप ऐसा कर सकते हैं? आपने उल्लेख किया है "कुछ परिस्थितियों में" एक परिस्थिति तो यह हो सकती है कि विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किए गए पंजाब और चंडीगढ़ के संबंध में कानून बनाया जा सकता है। इस स्थिति में खंड 4 को नजरअंदाज करके कानून बनाया जा सकता है। लेकिन खंड 7 में यह भी उल्लिखित है "कुछ मामलों में।" वे "कुछ मामले कौन से हैं जिनमें आप नजरअंदाज कर सकते हैं? उनका उल्लेख नहीं किया गया है। धारा 14 (क) में पांच तरह के मामलों का उल्लेख किया गया है। लेकिन उनका उल्लेख तो मूल अधिनियम की धारा 3 में भी हैं। कोई नई बात नहीं है। मान लीजिए छठी तरह का मामला हों जिसमें आप कह सकते "आतंकवादी तथा विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम में परिभाषित आतंकवादी गतिविधियों के कारण नजरबंद व्यक्ति" तो इसे वैध बनाया जा सकता था। लेकिन आपने इस तरह नहीं कहा। मैं नहीं समझता कि आपका आधार मजबूत है और मैं माननीय मंत्री को इस आशावादिता से सहमत नहीं हूं कि उच्चतम न्यायालय में हम मामला जीत जायेंगे।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि पंजाब उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 14 (क) को रद्द कर दिया है। अपने उच्चतम न्यायालय मे जाकर एक आदेश ले लिया। इसका मतलब है कि मूल धारा 14 (क) लागू है। पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के बावजूद उच्चतम न्यायालय के रोक आदेश के कारण वह धारा लागू है······

श्री पी० चिदम्बरम : वह व्ययगत हो गया है। मुझे खेद है कि आपके बोलने में मैंने व्यवधान डाला। शुरू में वह धारा केवल एक वर्ष के लिए 5 अप्रैल 1984 से 4 अप्रैल 1985 तक के लिए थी। उसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ाई गई जो 4 अप्रैल, 1986 को समाप्त हो गई। इसलिए उच्चतम न्यायालय के रोक आदेश के बावजूद 4 अप्रैल, 1986 से धारा 14 (क) लागू नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं उनसे सहमत हूं और मैंने उन्हें यह भी बता दिया है कि अगर वह व्ययगत नहीं भी हुई तो इस विधेयक को पारित करने पर व्ययगत हो जाएगी, क्योंकि विधेयक में यह उल्लिखित है……

श्री पी० चिदम्बरम : खेद है कि दोबारा व्यवधान डाल रहा हूं। मूल धारा 14 (क) 5 अप्रैल, 1984 से 4 अप्रैल, 1986 तक अर्थात् दो साल के लिए थी। इस बीच, 9 दिसम्बर, 1985 को पंजाब उच्च न्यायालय ने उस धारा को रद्द कर दिया। लेकिन 20 दिसम्बर, 1985 को उच्चतम न्यायालय ने उस निर्णय के विरुद्ध रोक आदेश दे दिया। इसलिए आप सही है कि 20 दिसम्बर: 1985 से दो साल की मूल अवधि तक अर्थात् 4 अप्रैल, 1986 तक धारा 14 (क) लागू थी। लेकिन 4 अप्रैल, 1980 के बाद धारा 14 क लागू नहीं रही। इस धारा को हम अब 9 जून, 1987 को जारी अध्यादेश द्वारा एक साल के लिए 8 जून, 1988 तक के लिए लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह बात स्पष्ट हो गयी है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं उस बात को पूरी तरह से समझता हूं। मैं आपसे सहमत हूं। पर मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर इसकी अवधि समाप्त नहीं हुई होती तो भी वर्तमान विधेयक में यह उल्लिखित है कि पूर्व पारित संशोधन करने वाले सभी अधिनियम रद्द हो जायेंगे, अर्थात् मूल धारा 14 क आज लागू नहीं है। यह स्थिति है।

श्री पी० चिदम्बरम : 9 जून 1987 को जारी अध्यादेश के बाद यह लागू है।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह अलग बात है। उस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक को लाया जा रहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : इसलिए वह है।

श्री सी० माधव रेड्डी : वह मैं समझता हूं। लेकिन आप उच्चतम न्यायालय चले गए और रोक आदेश प्राप्त कर लिया और यह अमान्य हो गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कोई मामला नहीं है क्योंकि आज धारा 14 क लागू नहीं है। एक नई धारा आजकल लागू है। हम इस नई धारा को ला रहे हैं और आपने यह समझ लिया है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया तो आप इसमें संशोधन के लिए सदन के समक्ष पुनः आयेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं ? आपने यही कहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : अगर उच्चतम न्यायालय ने धारा 14 क में कोई कमी बताई है तो हमें संशोधन करना पड़ेगा। पर, जैसा यह है, हम नहीं समझते कि धारा 14 क) में कोई कमी है।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप ऐसा महसूस करते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं वही कह सकता हूं जो महसूस करता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी : और आप सदन के समक्ष एक संशोधन लाना चाहते हैं ताकि इसे अक्षम किया जा सके। उस दिन आपने कहा था कि यह वैधकारी विधेयक नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : क्योंकि वह जरूरी नहीं है। वह समाप्त हो गया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : आपके अनुसार यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे विरुद्ध गया और आपको सदन के समक्ष आना पड़े तो।

श्री पी० चिदम्बरम : यह तो हर कानून के साथ होता है। उच्चतम न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण कानून रद्द कर दिया और हमने संसद का सहारा लिया। भूमि कानूनों को रद्द कर दिया गया और हमने संसद विधानमंडल का सहारा लिया। अगर उच्चतम न्यायालय की धारा 14(क) में कुछ कमी लगी तो हम संसद का सहारा लेंगे। लेकिन हमें सलाह दी गई है कि धारा 14 क में कुछ कमी नहीं है इसलिए हम नहीं समझते कि धारा 14 क को रद्द किया जायेगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : लेकिन सिद्धांततः मेरा कहने का यह मतलब है कि यह वैधकारी विधेयक है। बहरहाल, विधेयक के बारे में मेरी यह व्याख्या है।

इस तरह के विधेयक की जरूरत और निवारक नजरबन्दी के सिद्धान्त की चर्चा करते समय मुझे निवारक निरोध अधिनियम की याद आ जाती है जिसकी इस सदन में हर साल चर्चा की जाती है। प्रो० रंगा जानते हैं कि श्री सरदार पटेल ने जब पहली बार इस विधेयक को प्रस्तुत किया था तो उन्होंने सदन में कहा था कि वह दो रात सो नहीं सके, क्योंकि उन्हें इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

संविधान ऐसा विधेयक पारित करने की अनुमति देता है, किन्तु उन दिनों प्रशासन और सरकार इस विधेयक के सम्बन्ध में अत्यन्त संवेदनशील थी और उन्होंने यह सुनिश्चित करने में बहुत सावधानी बरती कि इस विधेयक का दुरुपयोग न हो किन्तु आज क्या हो रहा है ? विगत में निवारक नजरबन्दी अधिनियम था जो बाद में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अवधि बन गए, केवल इसका नाम बदलता गया, इस सभा में प्रति वर्ष एक रिपोर्ट, सरकार द्वारा दी गई एक विशेष रिपोर्ट पर चर्चा होती थी जिसमें इस सदन से स्वीकृति मांगी जाती थी। उस रिपोर्ट में गत एक वर्ष के दौरान हुई बातों का वे उल्लेख करते थे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अथवा नजरबन्द किया गया है और कितने लोगों को रिहा किया गया और जांच तंत्र के सम्बन्ध में क्या स्थिति है और सलाहकार बोर्ड किस प्रकार कार्य करते हैं आदि। अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब तो इस प्रकार का कोई काम नहीं होता है। आज हम इस क़दर बेखबर हैं कि हम यह महसूस ही नहीं करते कि संसद को यह जानने की आवश्यकता है कि कितने लोग इस विशेष अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाये बिना नजरबन्द किए जा रहे हैं जो एक अत्यन्त कठोर अधिनियम है। यद्यपि संविधान हमें इसकी अनुमति देता है किन्तु यह एक ऐसा अधिनियम है जिस पर हमें अत्यन्त गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज भी जब हमारे पास संशोधन करने वाला विधेयक आता है, हमें नहीं मालूम कि पंजाब तथा अन्य स्थानों पर कितने लोगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया जाता है।

महोदय, अब जब विशेषकर यह विधेयक संसद के सामने आता है तो मैं महसूस करता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट देनी चाहिए कि गत एक वर्ष अथवा उस अवधि के

दौरान क्या हुआ है जब से यह अधिनियम लागू हुआ है ? यह बात कभी हमारी नोटिस में नहीं लाई गई।

दूसरा मैं नहीं समझता हूं कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता है। हमारे पास बहुत से ऐसे कानून थे जो गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब को दिए गए जैसे सेना विशेष शक्तियां अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसमें संशोधन किया जा रहा है, और विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, और फिर हाल ही का आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम आदि। बहुत सारे अधिनियम हमने पंजाब को दिए हैं। हमने पंजाब को श्री रिबोरो और राज्यपाल श्री रे दिए हैं। किन्तु, क्या हमने पंजाब को शान्ति दी है ? गत चार वर्षों में क्या हुआ जब यह सारे अधिनियम लागू थे, जब हम पंजाब में कार्यपालिका को पुलिस और सेना को इस प्रकार की सभी शक्तियां दे रहे हैं ? क्या हुआ है और हम पंजाब में शान्ति लाने में क्यों सफल नहीं हुए हैं ?

महोदय, हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला हिंसा से नहीं किया जा सकता है। इसका राजनीतिक तौर पर समाधान होना चाहिए। जब गत 12 मई को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो यह कहा गया कि संवैधानिक मशीनरी असफल हुई है, और कोई शान्ति, कोई कानून और व्यवस्था नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं और फिर जनता ने एक अभियान शुरू किया जिसे उन्होंने "शुद्धिकरण अभियान" की संज्ञा दे दी है और मांस, सिगरेट और शराब की दुकानों को आग लगाई जा रही है और वहां पर निर्वाचित सरकार है जो स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। इस प्रकार का पत्र राज्यपाल ने लिखा था जिसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की। महोदय, अब उससे क्या हुआ है ? 12 मई 1987 से क्या हुआ ? आज तक सभी प्रकार के से जो घटनाएं हुई, वह बहुत अधिक हैं, बहुत से और लोगों की हत्या हुई है, बहुत सी घटनाएं हुई हैं। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बात स्वीकार की गई है आपने कहा, "निरन्तर हत्याएं, निरंतर हिंसा और नृशंसताएं हो रही हैं—इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है, जिसका आशय यह है कि राष्ट्रपति शासन इस समस्या को सुलझाने में असफल रहा है। फिर राष्ट्रपति शासन का औचित्य कहां रहा ?

3.20 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो चिन्ताजनक हैं जिनसे यह पता चलता है कि 12 मई से गत तीन महीनों में आतंकवादियों द्वारा 439 व्यक्ति मारे गए, 356 घायल किए गए, और लूटमार के 355 मामले, हथियार छीनने के 137, जेवर छीने जाने के 81, वाहन छीने जाने के 131 मामले, शराब विक्रेताओं आदि के 59, राष्ट्र-विरोधी ध्वज फहराने आदि पर हमले के 77 और बम विस्फोट के घ आदि मामले हैं। इन आंकड़ों में वृद्धि हुई है। आज इन गतिविधियों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री दर्शन सिंह रागी ने प्रयास छोड़ दिए हैं; वह चले गए हैं; उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और अब वह चंडीगढ़ चले गये हैं। हमें यह आशा थी कि शायद वह आतंकवाद कम कर सकेंगे। किन्तु ऐसा नहीं हुआ है। हम सुनते हैं कि राज्यपाल ने शान्ति मार्च, सम्मेलन आदि आरंभ किये हैं। किन्तु

इन सबके बावजूद मैं समझता हूँ कि सरकार और जनता के बीच कोई संपर्क नहीं है। क्योंकि हमारा एकमात्र संपर्क लोकप्रिय सरकार के साथ था और वह बर्खास्त की गई थी। आज हम देखते हैं कि वहां की सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री सी० माधव रेड्डी : वह तो उन बातों से स्पष्ट है जो मैंने अभी बताई।

प्रो एन० जी० रंगा : लोग पंजाब से बाहर नहीं जा रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : हां, लोग पंजाब से बाहर नहीं जा रहे हैं। किन्तु पहले कितने लोग पंजाब से बाहर निकले? लालरू और सिरसा की हत्याओं के बारे में आप क्या कहते हैं? वह अभी भी हमारे दिमाग में बैठ गई हैं और आने वाले कई वर्षों तक हमारे राष्ट्र के मन में बैठ जाएंगी। जब पंजाब में लोकप्रिय सरकार थी उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

वहां की कार्यपालिका को अधिक शक्तियां देने का कोई और औचित्य नहीं है। यदि यह शक्तियां नहीं दी जाती हैं तो शान्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। आज नई राजनीतिक पहल की आवश्यकता है। एक ऐसी राजनीतिक पहल करने की जिससे अंत में वहां लोकप्रिय राजनीतिक शासन स्थापित हो। मुझे श्री बरनाला अथवा किसी और के लिए कुछ नहीं कहता है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि लोकप्रिय सरकार बहाल हो और यह सुनिश्चित किया जाये कि लोकप्रिय सरकार आतंकवादियों से मुकाबला करे न कि दिल्ली की केन्द्रीय सरकार से। दिल्ली पंजाब के आतंकवाद का मुकाबला क्यों करे? आप सारा आरोप अपने ऊपर क्यों लेंगे? आप वहां लोकप्रिय सरकार क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं; ऐसा किसी व्यक्ति अधिकार दिया जाए जिसको आज बहुमत प्राप्त है?

राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय जब प्रधानमंत्री ने इस सदन में यह घोषणा की कि वह थोड़े समय कुछ महीने ही रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य क्या था। मैं सरकार पर यह आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा हरियाणा चुनावों के लिए किया। किन्तु ऐसा ही कहा जाता था। जो कुछ भी हो, मेरा मुद्दा यह है कि जब उन्होंने इस सदन में स्पष्ट रूप से यह घोषित किया कि राष्ट्रपति शासन थोड़ी अवधि के लिए है, तब आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप अब पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोकप्रिय सरकार क्यों नहीं स्थापित कर रहे हैं?

मुझे इस विधेयक के संबंध में केवल आशंकाएं व्यक्त करनी हैं जो मैंने की हैं, और कुछ अधिक नहीं कहना है '

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : मैडम चेयर पर्सन, मैं नेशनल सिक्योरिटी (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1987 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा, इस महान सदन के समस्त सदस्यों को पता है, चाहे वे इधर से हों, या उधर से हों, कि आतंकवाद का मुकाबला किसी एक दल

से सम्बन्धित समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या का समाधान हमें पार्टी लेवल से ऊपर उठकर करना चाहिए।

मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कुछ चीजें इस प्रकार की कहीं कि वहां पर प्रैसीडेण्ट रूल क्यों हैं, और वहां पर पोपूलर गवर्नमेंट रेस्टोर क्यों नहीं की जाती ? मैं इस महान सदन के सामने यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां पर पोपूलर गवर्नमेंट रेस्टोर की गई, चुनाव कराये गये, उसके बाद जिनके साथ मैजोरिटी थी, उनको सरकार चलाने का मौका दिया, लेकिन उस समय आतंकवाद की समस्या ज्यादा बढ़ती चली गई और जब उस समस्या का समाधान दूसरा नजर नहीं आया तो केन्द्रीय सरकार को इंटरवीन करके वहां पर प्रैजीडेंट रूल लागू करना पड़ा। प्रैजीडेंट रूल के दौरान भी इस एक्ट का लोन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सरकार यह महसूस करती है कि जो प्रावधान वर्तमान एक्ट हैं, वह पूरे ढंग से प्रभावशाली नहीं हैं और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी को जिसने आतंकवाद का मुकाबला करना है, उसको ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, ज्यादा ताकत देने के लिए और उसको ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए वर्तमान अमेंडमैंटस पेश की गई हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए जो इस प्रकार के अमैंडमैंट लाये जाएं, उसमें सदन के सभी सदस्यों का फर्ज बनता है कि वह सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए साथ दें और जब कभी विरोधियों की तरफ से आलोचना की जाती है और वह अखबार, टी०वी० और रेडियो पर आती है तो उससे आतंकवादियों का हौसला बढ़ जाता है और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से वह आगे आना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामू वालिया जी को ज्यादा पता है, आप अखबारों में खबर पढ़ते हैं और वह मौके पर देखते हैं। हम उनके पड़ोसी हैं, आतंकवाद की बोछारें हरियाणा और दिल्ली में भी आती हैं। उसको उस लिहाज से देखिये। वहां अगर 3 महीने के बजाय 6 महीने की पावर दी जाये तो इससे लाभ होने वाला नहीं है। कोशिश यह की जा रही है कि किसी तरह इस समस्या का हल किया जाये और आतंकवाद को किसी न किसी तरीके से काबू किया जाये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ घटनाएं पहले पंजाब और चण्डीगढ़ में हुईं और उसके बाद दो घटनाएं हरियाणा में भी हुईं। हरियाणा के लोगों पर आतंकवादियों ने हमला किया, उनको मारा। हरियाणा सरकार ने उन आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय वहां के इन्नोसेंट लोगों को, जो कांग्रेस के हैं, उन पर मुकदमें चलाने शुरू कर दिये। आप इस चीज का जवाब दीजिए, वहां आपकी सरकार है ? अगर इसको प्रभावशाली नहीं बनाएंगे और फुल-प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया जाये जिससे वहां किसी इन्नोसैंट को तंग न किया जाये तो कैसे यह चीज रुकेगी ? यह अफसोस की बात है हरियाणा सरकार के लिए कि उन्होंने टैरेरिस्ट एक्ट का बहाना लेकर ऐसे भोले-भाले लोगों पर मुकदमें चलाये हैं, उन्हें हैरान किया है जिससे टैरेरिस्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह खुश होते हैं कि कैसे हम बच जाते हैं लेकिन जो भोले आदमी हैं, उन पर सरकार मुकदमा चलाती है। इसलिए उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस ढंग से अगर और भी तरमीम करने की जरूरत हो जिससे कि कोई आदमी इसका गलत ढंग से प्रयोग न करे तो वह करना चाहिए।

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

पंजाब में प्रेजीडेंट रूल है । अगर यह एक्टीविटीज बढ़ती रहीं तो इसका स्कोप हरियाणा और दिल्ली तक बढ़ाया जा सकता है और वहां इसका मिसयूज हो सकता है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर आतंकवाद की एक्टीविटीज को खुद देखे, सी०बी०आई० से इन्क्वायरी कराये और देखे कि किसी गलत आदमी को न पकड़ा जाये । इस समस्या को हल करने के लिए पहले भी सदन के सामने यह बातें आई हैं, सिक्योरिटी बैल्ट के बारे में, क्योंकि जब तक पीछे से किसी चीज को अन्दर आने का रास्ता बन्द नहीं करोगे तो वह चीज रुकेगी नहीं।

सारी समस्याएं बाहर से ही आती हैं और बाहर से ही इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है । इस प्रकार वह बाहर से ट्रेनिंग और हथियार लाकर यहां आक्रमण करते हैं और भले आदमियों के बीच आतंक फैलाते रहते हैं । वह समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे कि भले आदमी उनसे डरने लगें । अतः मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि सिक्योरिटी बैल्ट बनाई जाये और बार्डर एरियाज में यह सिक्योरिटी बैल्ट अवश्य ही बनाई जाये। इसके साथ ही इस सिक्योरिटी बैल्ट पर केन्द्रीय सरकार का सीधा नियंत्रण हो । एसी व्यवस्था होने के बाद ही आतंकवाद को रोका जा सकेगा और बाहर से हथियार वगैरह आने बन्द हो सकेंगे ।

श्री सैयद मसवूल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आप इसके लिए केन्द्र सरकार को कहें ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : भगवान कभी ऐसा मौका नहीं देगा जिस की वजह से आपको यह व्यवस्था करने के लिए कहना पड़े । मैं इस बारे में केन्द्र सरकार से ही आग्रह कर रहा हूं ।

आज सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम यह देखें कि यह आतंकवाद देश में सब जगह क्यों धीरे-धीरे फैल रहा है ? आखिर इसका क्या कारण है ? आतंकवादी किस कारण से लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं ? मेरे विचार में ऐसा इस कारण से है कि वह धर्म के नाम पर यह सब काम करते हैं और धर्म को आड़ लेकर साम्प्रदायिकता फैलाते हैं। आप चाहे मेरठ, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की घटनाओं को ले लें । यहां पर भी लोगों के अन्दर साम्प्रदायिक भावना फैलाई गई । यह आतंकवादी धर्म के नाम पर एक ऐसी अफीम साधारण आदमी को खिला देते हैं जिसे खाने के बाद साधारण आदमी कुछ और सोचता नही है । नतीजा यह होता है कि दंगे भड़क उठते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग अलग-अलग धर्मों में बंट जाते हैं ।

आतंकवाद पर काबू पाने के लिए प्रेस को भी अच्छा रोल अदा करना चाहिए । जरूरत इस बात की है । जरूरत इस बात की है कि प्रेस इस बारे में अच्छी तरह से सोच-विचार करे और जो सही तथ्य हों उन्हें ही प्रेस के जरिये लोगों के बीच में लाये । आम तौर पर यह देखा गया है कि जो बदमटी खबरें होती हैं उन्हें अखबार वाले पहले पृष्ठ पर और मोटे-मोटे अक्षरों में देते हैं और जो और महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उन्हें कहीं बीच में छोटे-छोटे अक्षरों में डाल देते हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि प्रेस इस बारे में खूब सोच-विचार करे।

जब से आतंकवाद की समस्यायें शुरू हुई हैं वह कुछ चीजों का सहारा लेकर ही शुरू हुई हैं—

चाहे वह एस०वाई०एल० केनाल का मामला हो, धर्म का मामला हो या दूसरा कोई मामला हो। इस बारे में हमारे मंत्री जी भी सब कुछ समझते होंगे। अतः मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

आपका जो वर्तमान कानून है, उसके अनुसार गिरफ्तार किये गये आदमियों को तीन महीने के अन्दर कारण बताना पड़ता है कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इस (संशोधन) विधेयक के द्वारा तीन महीने की जगह 6 महीने का समय दिया गया है।

देखने में यह भी आया है कि जिन के खिलाफ अदालतों में चालान जा चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कई सालों तक चलता रहा है और कोई भी उन आतंकवादियों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। इस बारे में कोई न कोई प्रावधान इस ऐक्ट में अवश्य किया जाये। इसके साथ ही जो इनवेस्टीगेशन करें, उसका भी कोई एक समय निर्धारित हो और निर्धारित समय के अन्दर ही मुकदमे का फैसला हो जाना चाहिए। जब समय पर और जल्दी फैसले नहीं होते तो भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और जो लोग इसमें मिले होते हैं उनको एनकैरेजमेंट मिलता है। इससे वह आगे जाकर डायरेक्शन दे देते हैं। ऐसा सब होने के बाद आतंकवाद बढ़ता ही जाता है। ऐसी सब व्यवस्थाएं होने के बाद आतंकवाद पर काबू पाया जा सकेगा और इसका अच्छा असर पड़ेगा।

यही मेरे इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव थे। इन सुझावों के साथ मैं इस नेशनल सिक्योरिटी (अमेंडमेंट) बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 का समर्थन करती हूं इस विधेयक को पारित करने के लिए यह बहुत उपयुक्त समय है। पिछले कुछ महीनों से पंजाब में तथा उसके आसपास क्षेत्रों में आतंकवादियों और उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसलिए हमारी सरकार ने इस विधेयक को पेश किया है।

महोदया, यद्यपि पूरे पंजाब को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित किया गया है, ऐसा लगता है कि आतंकवादियों की गतिविधियों को टोकने के लिए और कठोर कार्यवाही करनी आवश्यक है। इससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

महोदया मैं इस विधेयक का केवल इसलिए समर्थन नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं सत्ता रूढ़ पक्ष की हूं। मैं इस विधेयक का इसलिए समर्थन कर रही हूं क्योंकि हमें आतंकवादियों की गतिविधियों की समस्या के बारे में बहुत चिन्ता हुई है। विघटनकारी और संकीर्णतावादी ताकतें हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों द्वारा अस्थिरता देश में उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है और हमारे देश में आतंकवाद कैंसर की तरह फैल रहा है। वास्तव में इस समस्या का हल ढूंढ निकालने की नैतिक जिम्मेदारी अकेले राज्य सरकार अथवा केन्द्र में सत्तारूढ़ दल की ही नहीं अपितु यह जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। उन्हें अपने मस्तिष्क में भावनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दलगत भावना से ऊपर उठना चाहिए। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम इस समस्या का हल निकालें।

महोदया, हमें बहुत अधिक चिन्ता है और आज सुबह भी मैंने यह मामला उठाया है। दिल्ली

[कुमारी ममता बनर्जी]

में स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता बहुत चिन्तित हैं, क्योंकि कुछ स्कूलों को आतंकवादियों से पत्र प्राप्त हुए हैं, कि 15 अगस्त से पहले स्कूलों के 5,000 बच्चों को मारने की धमकी दी थी। मैं नहीं जानती कि ये पत्र कहां से आये हैं। लेकिन यह सच है कि माता-पिता बहुत चिन्तित हैं। मैं इस विधेयक का मानवतावादी आधार पर समर्थन करती हूं न कि किसी राजनैतिक उद्देश्यों से मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगी कि हमें इन आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने में सरकार का समर्थन करना होगा। अगर सरकार कठोर कार्यवाही करेगी तो हम उसका भी समर्थन करेंगे।

कुछ विरोधी सदस्यों ने इस मामले पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है और यह वास्तव में बहुत परेशान करने वाली बात है। हम जानते हैं कि विरोधी पक्ष आलोचना की दृष्टि से आलोचना में विश्वास करता है, लेकिन कम से कम कभी कभी उन्हें एक ठोस और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मुझे अपने भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मित्र श्री अमल दत्त को सुनकर हैरानी हुई है जबकि उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्रजातान्त्रिक गतिविधियों का गला घोटकर प्रजातन्त्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। मैं नहीं जानती कि उन्होंने ये बातें क्यों कही हैं। मैं आपको बता सकती हूं कि केवल केन्द्र स्तर पर प्रजातन्त्र अपनी परिभाषा के अनुसार कार्य कर रहा है अर्थात् जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार। महोदया, मैं आपको अपने राज्य में आने का निमन्त्रण देती हूं वहां आकर देखे प्रजातन्त्र कैसे कार्य कर रहा है। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि उस राज्य में प्रजातंत्र का अर्थ 'मार्क्सवादियों की मार्क्सवादियों के लिए और मार्क्सवादियों द्वारा चलाई गई सरकार हैं। मैं आपको अभी एक ठोस उदाहरण दूंगी। चुनावों के दौरान मैं अपने राज्य के कई गांवों में गयी। एक गांव में मैंने एक छोटे से दुकानदार से एक गिलास पानी देने को कहा, और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) लोगों ने दुकानदार को सरकार के नल-कूप का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, केवल इसलिए उसने मुझे पानी दिया। इस घटना का समाचार पत्रों में भी उल्लेख किया गया है। इस मामले में मैंने मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था।

उस पत्र में मैंने बताया कि मैं सतापक्ष का सदस्य हो सकती हूं, लेकिन क्या एक छोटे से दुकानदार से पानी के एक गिलास मांगने का मेरा अधिकार नहीं है ? क्या यह मेरा वैधानिक दावा नहीं है ? क्या यह मेरा कानूनी अधिकार नहीं हैं ? क्या यह मेरा प्रजातान्त्रिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार की बातें मेरे राज्य में हो रही हैं।

उसने सलाहकार समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में भी कुछ बातें कही। मैं आपको सूचना दे रही हूं कि मेरे राज्य में सरकार ने दो आयोग नियुक्त किये हैं, अर्थात् श्री शलील चौधरी और श्री अजय बासु आयोग। वे उच्च न्यायलय के सेवा निवृत्त न्यायधीश हैं।

धर्मपाल सिंह ने अभी जो कहा हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने शक्ति के दुरुपयोग के बारे में कहा है। हमें आतंकवाद की इस समस्या को हल करना चाहिए और सभी आतंकवादी गतिविधियों को तुरन्त रोकना चाहिए। इस समस्या के लिए हमें शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि सरकार द्वारा दी गई शक्तियों को कुछ प्रशासकों, राजनीतिज्ञों और कुछ अन्य

अधिकारियों द्वारा भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं सुझाव देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि साधारण व्यक्ति को सरकार की तरफ से न्याय मिलना चाहिए। सरकार का यह प्रयास हमारे देश के लोगों को यह दिखाने की कोशिश करना है कि वे आतंकवाद को समाप्त करने के मामले में बहुत गम्भीर हैं। यह भी सच है कि 25 जुलाई, 1987 के आसपास पंजाब में इन आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण 233 व्यक्ति, जिसमें 22 पुलिसवाले भी थे, मारे गये यह घटना केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि चण्डीगढ़, दिल्ली, आसाम और त्रिपुरा में भी हुई। ये आतंकवादी गतिविधियों दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। नौकरशाही और प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवतावादी आधार पर भी आप इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके हल करना चाहिए। मैं इससे अधिक कुछ और नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि हमारे पास विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आतंकवाद रोक अधिनियम और ऐसे अन्य अनेक अधिनियम भी है, लेकिन मुख्य बात उनके उचित क्रियांवयन की है। अगर हम इन अधिनियमों को उचित तरीके से लागू करें तो मुझे विश्वास है कि श्रीमती गांधी ने जो कहा था कि एक दिन यह सच हो जायेगा। उन्होंने कहा था कि हमें नये भारत में विश्वास है। हम इसे प्रगति के पथ पर बढ़ायें।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी विविध प्रकार की जनता को महसूस नहीं करना चाहिए कि वह उपेक्षित हैं क्योंकि उनकी उपेक्षा हमारे लिए एक सामूहिक क्षति है।

मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगी कि सरकार की आलोचना बहुत आसान है, लेकिन उस वास्तविक समस्या का समाधान करना आसान नहीं है। विपक्षी मित्र अनेक बातें कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता है।

[हिन्दी]

"नहीं है जिनको भरोसा
खुद अपने फनों पर।
वे ना खुदा के सहारों की बात करते हैं।

[अनुवाद]

हम वे लोग हैं जो समस्याओं का समाधान करते हैं। वे केवल सरकार को आलोचना करेंगे चुगली करेंगे। हम तुच्छ राजनीति में रुचि नहीं रखते, लेकिन हमारी रुचि केवल इस समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाने में है।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में एक लड़ाई पुलिस राज के खिलाफ थी। क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों को काफी समय तक हिरासत में रखते थे और कोई विचारण नहीं होता था। अतः, हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिक स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया और अनुच्छेद 21 और 22 में इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की गारन्टी देने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था है कि "किसी भी व्यक्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के सिवाय उसका जीवन और

[डा० सुधीर राय]

स्वतन्त्रता नहीं छीनी जाएगी।" अनुच्छेद 22 में उल्लेख है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये किसी भी व्यक्ति को उसकी नजरबन्दी के 24 घण्टों के अन्दर मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित करना पड़ेगा। उसे उसकी नजरबन्दी के कारणों की सूचना अवश्य मिलनी चाहिए। उसे अपनी इच्छा के वकील को रखने का हकदार है। लेकिन एक परन्तुक है जिसमें नजरबन्द व्यक्ति को तीन महीने के लिए नजरबन्दी में रखा जा सकता है जब तक उसका मामला सलाहकार समिति को नहीं सौंपा जाता।

मैं माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी का आभारी हूं कि उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल के शब्दों को याद करते हुए कहा है कि वह निवारक निरोध विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले दो दिन तक नहीं सो सके। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह निवारक नजरबन्दी हमेशा विरोधी नेताओं के विरुद्ध और पुनः जन आंदोलनों के नेताओं के विरुद्ध प्रयोग किया गया। श्री ए० के० गोपालन को जो एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी थे, ठीक इस निवारक निरोध अधिनियम के पारित होने के बाद, नजरबन्द किया गया। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, श्री ज्योति बसु को भी निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था। हम देखते हैं कि ऐसे असंख्य मामले हैं जहां विपक्ष के जन आन्दोलनों के और मजदूरों और किसानों के नेताओं को बिना किसी स्वतन्त्र और निष्पक्ष विचारण के नजरबन्द रखा गया था।

आलोचकों द्वारा यह बताया गया है कि स्वयं भारतीय संविधान में पहले से ही अड़चनें हैं। यदि हम अनुच्छेद 21 को पढ़ें तो इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि एक व्यक्ति के जीवन या स्वतन्त्रता को कानूनी प्रक्रियाओं द्वारा छीना जा सकता है। भारत में चूंकि हम विधायी प्रमुखता में विश्वास रखते हैं और संसदीय बहुमत से पारित किसी भी खराब कानून या जालिम कानून को समाप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 22 के अधीन, एक व्यक्ति को निवारक नजरबन्दी के अन्तर्गत नजरबन्द किया जा सकता है। हरेक वक्ता ने यह कहा कि सभ्य, लोकतान्त्रिक देशों में, ऐसा निवारक निरोध नहीं सुना गया है ग्रेट ब्रिटेन में, केवल द्वितीय विश्व युद्ध में बन्दी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को छीन लिया गया था। लेकिन युद्ध समाप्ति के फौरन बाद, बन्दी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को लागू कर दिया गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि सरकार के पास अनेक कठोर कानून है, उदाहरणार्थ, विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम आवश्यक सेवायें बनाए रखना अधिनियम, आदि। स्वतन्त्रता प्राप्ति से, 2½ वर्ष छोड़कर, वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने इस देश पर शासन किया और उन्होंने हमेशा विपक्ष को चुप करने और दबाने के लिए, इस निवारक नजरबन्दी का प्रयोग किया।

हम देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल में, हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह आवश्यक सेवायें बनाये रखना अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग नहीं करेगी, इसके बावजूद, पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापक हड़ताल पर हैं और उत्तर-प्रदेश सरकार ने धमकी दी है कि वह हड़ताली अध्यापकों के विरुद्ध आवश्यक सेवायें बनाये रखना अधिनियम का इस्तेमाल करेगी। इस प्रकार, एक छोटे से बहाने पर, आप ऐसे कठोर कानूनों के प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

चूंकि भारत में करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार हैं और दिन में दो जून का भोजन भी नहीं मिलता, जन आन्दोलनों की वृद्धि होना लाजमी है। हमें डर है कि ऐसे अधिनियमों का इस्तेमाल उनके विरुद्ध किया जाएगा। पहले भी जब कभी सरकार ने ऐसे कठोर, जन-विरोधी, अलोकतांत्रिक कानूनों को पारित करने का प्रयास किया, उन्होंने हमें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि ऐसे कानूनों का प्रयोग जन आंदोलनों के नेताओं के विरुद्ध और जनता की सच्ची लड़ाइयों के विरुद्ध कभी नहीं किया जायेगा लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसाकि मैंने बताया है, ये विपक्षी दल के कार्यकर्ता और विपक्षी नेता ही हैं जिन्हें आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, और आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबन्द किया गया था।

श्री अमल दत्त ने भी बताया है कि वर्ष 1970 मे आरम्भ होने वाले दशक के दौरान अनेक बेईमान पुलिस अधिकारी बहुत धन कमाते थे; वे अक्सर लोगों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द करते थे या वे लोगों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबन्द करने की धमकी देते थे और इस तरीके से उन्होंने धन कमाया। मैं श्री अमल दत्त के शब्दों को दोहराता हूं कि इन सलाहकार बाडों में से अधिकांश में सेवा निवृत्त न्यायाधीश होते हैं। हम सब जानते हैं कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए, न्यायाधीशों को पुन: नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दस वर्षों की सेवा के बाद पेंशन के रूप में पूरी वेतन बढ़ा सकते हैं लेकिन सेवा निवृत्त को नियुक्त न कीजिए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का हनन होता है।

पहले से ही अनेक अधिनियम हैं और इनका प्रयोग सरकार द्वारा किया गया था। जैसाकि श्री माधव रेड्डी ने बताया है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से अधिक से अधिक लोग गोली से मारे जा रहे हैं और वहां पूर्ण अराजकता है और आतंकवाद बढ़ रहा है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि समस्या का राजनैतिक समाधान हो, लोक प्रिय सरकार हो, व्यापक सहमति हो और इसके साथ-साथ गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि यदि आप पुलिस के हाथ में ऐसे कठोर कानून देते हैं तो वे अपना कार्य नहीं करेंगे, वे वास्तविक अपराधी को नहीं पकड़ेंगे, वे केवल संदेहात्मक व्यक्तियों को पकड़ेंगे। अतः, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि नजरबन्दी की अवधि बढ़ाना अच्छा नहीं है। यह अच्छा नहीं है कि उन्हें छह महीनों तक नजरबंद रखा जाये या उन्हें नजरबन्दी के कारणों की सूचना 15 दिन बाद दी जाये।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पर यह जो सुरक्षा अधिनियम में जो संशोधन पेश किया गया है, उस पर हमको भी बोलने का मौका दिया है। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। हमारे पक्ष के लोगों ने कहा है कि विरोधी दल आलोचना करता है। मैं समझता हूं कि शायद इस सदन का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए न चाहता हो। पूरा सदन चाहता है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। कई बार संशोधन आए और सदन ने एक स्वर से शासन को आश्वस्त कि आप जिस तरह

[श्री राम नगीना मिश्र]

से चाहें आतंकवाद की समाप्ति करें, हम आपके साथ हैं। हमें यह भी याद आता है कि सरहद की पांच किलो मीटर तक सील करने के लिए एक विधेयक आया था कि सरहद को सील कर दिया जाय। पूरे सदन ने एक मत से उसको स्वीकार किया। वह बिल पास हो गया लेकिन अमल में नहीं आया। अनेक ऐसे संशोधन आए लेकिन ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। जितने संशोधन पास किए हैं या जितने कानून में परिवर्तन करते हैं, आतंवाद दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या कारण है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मैं समझता हूं, पूरा सदन एक स्वर से आश्वस्त करना चाहता है कि जो भी अमेंडमेंट लाना चाहे ला दीजिये और पास करा दीजिये, किन्तु आतंकवाद को समाप्त करवा दीजिए। यह बीमारी केवल पंजाब में ही नहीं है, हर जगह फैल रही है। एक कारण तो यह है कि धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। आतंकवादी खासकर एक सम्प्रदाय को यानी हिन्दुओं को मारते हैं। जिससे देश में सांप्रदायिक दंगें वे सिखों को भी मारते हैं। सिखों में संत कहलाने वाले संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या भी आतंकवादियों ने ही की। आतंकवादी न हिन्दू हैं, न सिख हैं वह तो समाज विरोधी हैं। उन समाज विरोधियों का सफाया करने के लिए मैं समझता हूं हर आदमी तन, मन, धन से सरकार की मदद करना चाहता है। इसमें सरकार को कानून के अलावा सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लेना चाहिए। आतंकवादी हिन्दूओं को मारते है और कहते हैं कि हिन्दू हमारे विरोधी है। यह बात बिल्कुल गलत है। आज सिख सम्प्रदाय का कोई भी ग्रन्थ आप उठाकर देखें सब में हिन्दू संस्कृति का समावेश है। जब गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को दीवार में चुनवाया गया था तब उनसे कहा गया था तुम धर्म परिवर्तन करो या दीवार में चुनने के लिए तैयार हो जाओ। उन लड़कों ने अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया और उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया कि आपके लड़कों को दीवार में चुनवा दिया है तो उन्होंने कहा कि मेरे दो लड़के नहीं, लाखों लड़के देश में फैले हुए हैं। आज वही गुरु गोविंद सिंह जी हमारे नेता हैं, आदर्श हैं। इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि हिन्दुओं की रक्षा हो। आज वही इसका विनाश का कारण बन रहा है। मैं समझता हूं सिख धर्म के अनुयायी और हिन्दू धर्म के जो शंकराचार्य हैं इनका संयुक्त सम्मेलन हो और इस चीज का खात्मा किया जाना चाहिए। जो आतंकवाद को मिटाने का विरोध करे उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं आपको कुछ और भी परिवर्तन करना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं और पूजा स्थलों पर आतंकवादी को नहीं रहने देना चाहिए, उनको शस्त्रागार नहीं बनने देना चाहिए, अगर इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा तो आपके सारे संशोधन कारगर नहीं होंगे। आपको नियम बनाना चाहिए कि किसी भी धार्मिक स्थान में अस्त्र-शस्त्र नहीं रखे जायें, वहां पर आतंकवादियों को पनाह नहीं दी जानी चाहिए। यह आतंकवादी पंजाब या दिल्ली में नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर भी सक्रिय हो रहे हैं। यह बात सत्य है कि हमारी शक्ति को देखकर अमरीका और पाकिस्तान यह सोचते हैं कि सत्तर करोड़ की आबादी वाला यह मुल्क जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा, अगर यह इसी तरह बढ़ता गया तो विश्व में पहले नम्बर पर आ जायेगा। इसीलिए आज पाकिस्तान को शस्त्र मिल रहे हैं। और उनको इसके लिये पैसा भी दिया जा रहा है कि इसे आतंकवादियों को देकर हिन्दुस्तान में

आतंक फैलाओ। हमें वह दिन याद है जब इन्दिरा जी की हकूमत थी। गांवों में तब यह झूठा प्रचार कराया जाता था कि बच्चों को जो टीका लगाया जाता है इससे वह आगे चलकर नपुंसक हो जायेंगे। एक बार एक संत को गिरफ्तार किया गया तब उसके दाढ़ी नहीं थी, बाद में उसकी दाढ़ी गायब हो गई जब पूछा गया तो उसने कहा कि यह रामायण, गीता और कुरान में है। कुछ लोग धार्मिक रूप बनाकर कहते थे कि इन्दिरा जी 6 महीने राज्य करेंगी ; यह सब अमरीका और पाकिस्तान की चालें थीं। आज आप देखें तो क्या हो रहा है ? आप संशोधन की बात करते हैं। आज ऐसे प्रचार अमरीका और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं।

आज पाकिस्तान की तरफ से भी गलत प्रचार किया जा रहा है। कुछ लोग यहां भी कह रहे हैं कि इस सरकार में बैठे हुये लोग रुपया ले रहे हैं। कौन ऐसा प्रचार कर रहा है, वे लोग, जो कल तक हकूमत की कुर्सी पर बैठा करते थे, सरकार में सबसे बड़े औहदे पर थे, और आज वे भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उस वक्त उनकी भूख-हड़ताल कहां थी, जब वे सरकार में महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके हाथ में पावर थी। आज वे ही भूख-हड़ताल कर रहे हैं।

महोदया, इसमें कोई दो रायें नहीं कि हमारे देश में विदेशों द्वारा लाखों लाख और अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मेहरबानी करके मेरी बात सुनिये ! आप कल बोल सकते हैं।

———

4·00 म०प०

देश में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : महोदय, श्री गुप्त द्वारा अपना भाषण शुरू किए जाने से पहले मैं एक निवेदन करने हेतु एक मिनट का समय लूंगा। वे माननीय मंत्री द्वारा किए गए वक्तव्य पर आधारित सूखे की स्थिति पर चर्चा शुरू करने जा रहें हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि सूखा एक गम्भीर मामला है। परन्तु बंगाल. बिहार तथा असम में भारी बाढ़ आ रही है तथा इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने स्वयं असम का दौरा किया है। अत: मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह देश में बाढ़ की स्थिति पर एक वक्तव्य दें या सूखे की स्थिति के साथ-साथ बाढ़ की स्थिति पर भी चर्चा करने की अनुमति दें। यदि श्री गुप्त इस बात के लिए सहमत होते हैं तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे।

सभापति महोदया : मंत्री जी क्या कहते हैं, हमें यह भी सुनना चाहिए।

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : महोदया, मुझे पहले से जानकारी नहीं थी कि वह मुझे बाढ़ की स्थिति पर वक्तव्य देने के लिए कहेंगे। बाढ़ के बारे में मुझे नवीनतम जानकारी एकत्र कर लेने दीजिए। फिर मैं वक्तव्य दूंगा।

सभापति महोदया : बाढ़ की स्थिति एक अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत आ रही है। चूंकि यह आज की कार्यवाही सूची में है, हम सूखे की स्थिति पर चर्चा करेंगे।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : सरकार को छोड़कर हमें प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यदि कोई इस पर चर्चा करना चाहे तो उसे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कोई अन्य प्रस्ताव आ रहा है।

श्री सी० माधव रेड्डी : चर्चा का जवाब देते समय माननीय मंत्री जवाब दे सकते हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लो : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं वहां मौके पर जा चुका हूं, परन्तु मेरे विचार में यह जानकारी नवीनतम होनी चाहिए और जब तक हमें असम से आंकड़े नहीं मिल जाते तब तक वक्तव्य देना मेरे लिए उचित नहीं होगा।

सभापति महोदया : चूंकि बाढ़ की स्थिति पर वक्तव्य देने के लिए मंत्री महोदय पूर्णतया तैयार नहीं है इसलिए हमें इस पर उसी समय चर्चा करनी चाहिए जब यह सभा के समक्ष आये।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या आप इसे आज ही समाप्त कर देंगे ?

सभापति महोदया : हम इस पर 6 बजे तक चर्चा करेंगे। इसके लिये हमने दो घंटे निर्धारित किए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इस सत्र की शुरूआत में सभा में हमने जो अशांत दिन देखे हैं उनके दौरान कुछ सदस्यों ने एक या दो बार टिप्पणी की थी कि यह खेद का विषय है कि सभा बोफोर्स इत्यादि विषयों पर इतना अधिक समय व्यतीत कर रही है तथा इतना अधिक समय बर्बाद कर रही है जबकि सूखे जैसे कई आवश्यक तथा महत्वपूर्ण मामलों जो इस देश के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं किया गया। मैं उससे सहमत हूं। मुझे यह जानकर बहुत निराशा हुई है कि जब सूखे की स्थिति पर यह चर्चा शुरू हुई है, तो वे सदस्य जो सूखे की स्थिति के बारे में हो-हल्ला मचा रहे थे, सभा में उपस्थिति नहीं हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : अपनी सीट के पीछे देखिए। उनमें से कितने लोग वहां हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप में अपराध बोध का भाव क्यों है ? मैंने आपका या आपकी पार्टी का जिक्र कभी नहीं किया है।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : वे अब पुस्तकालय में बोफोर्स का अध्ययन कर रहे हैं **(व्यवधान)**;

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेहरबानी करके अन्तर्यामी मत बनिये। महोदया, मेरे विचार में मेरे लिए यह आवश्यक नहीं कि मैं सूखे की स्थिति का वर्णन करने की कोशिश करूं जिसने देश को आ घेरा है। हाल ही में मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है।

[4.05 म० प०]

[श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए]

मेरी खुद की राय यह है कि वह वक्तव्य तथा उसके बाद कुछ अन्य वक्तव्य और इस सम्बन्ध

में सरकार के कार्यों से मुझे तत्परता की कुछ कमी प्रतीत होती है। और मैं नहीं समझता कि वे अभी भी स्थिति की गम्भीरता को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। मैं जानता हूं कि मेरी इस बात का उत्तर दिया जा सकता है। अन्ततः यह एक वाद-विवाद है। कोई व्यक्ति यह कह कर जवाब दे सकता है कि हम भय इत्यादि का वातावरण पैदा नहीं करना चाहते हैं। यह भय का प्रश्न नहीं है। सच्चाई यह है कि शायद भी वर्षों में ऐसा सूखा देश में नही पड़ा है। हम विगत अनुभव के आधार पर जानते हैं कि इतने व्यापक सूखा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके प्रभाव केवल अभी या कुछ महीने के लिए ही रहेंगे। परन्तु इस तरह के सूखे के दीर्घकालीन प्रभाव हो सकते हैं। लोगों को इससे मिलने वाले दुखों के अतिरिक्त समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके दीर्घकालीन विपरीत परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह एक बहुत गम्भीर मामला है। और बल्कि यह जानकर दुख होगा—आखिरकार कुछ दिनों में हम अपनी स्वतंत्रता की चालीसवीं वर्षगांठ मना रहे हैं—कि 40 वर्षों के योजनाबद्ध आर्थिकविकास के बाद भी देश का भाग्य प्रकृति की दया पर है। जिस ढंग से सरकार ने इन सारे वर्षों में, इस देश के जल संसाधनों का प्रबन्ध किया है उससे खेदजनक स्थिति का पता चलता है।

जैसा कि मंत्री जी ने हाल ही में कहा है कि 35 मौसम विज्ञान सम्बन्धी सर्किलों या क्षेत्रों जिनमें पूरे देश को विभाजित किया गया है, में से केवल 10 क्षेत्रों में लगभग सामान्य वर्षा हुई है। अन्य 25 क्षेत्र बहुत भयंकर सूखे से आक्रांत हैं। हम जानते हैं कि इनमें से कुछ राज्यों को सूखाग्रस्त राज्य कह सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में हर वर्ष सूखा पड़ता है। कुछ राज्य जो बाढ़ ग्रस्त हैं, विशेषतौर पर भारत के पूर्वी भाग के राज्य के साथ ही ऐसे राज्य हैं जो सूखाग्रस्त हैं। अभी मैंने कुछ के नाम बताए हैं।

इस वर्ष सूखाग्रस्त राज्य ही नहीं, परन्तु अन्य क्षेत्र भी, विशेषतौर पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जिसे देश का धान्यागार समझा जाता है, जो देश का सबसे अधिक खाद्यान्न पैदा करता है—पंजाब तथा हरियाणा—भी गम्भीर रूप से सूखे से प्रभावित हुआ है। पंजाब तथा हरियाणा के इस क्षेत्र में हम जानते हैं कि कृषि बहुत विकसित है।

किसान अपने पम्पसेटों के लिए अधिकतर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। उन्हे बिजली की बहुत अधिक आवश्यकता है। यहां ऊर्जाकृत सिंचाई प्रणाली है जिसमें गत वर्षों में बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। लेकिन इस समय, भाखड़ा बांध, जिस पर ये क्षेत्र मुख्यतः अपनी बिजली के लिए निर्भर रहते हैं, रिपोर्टों के अनुसार मैंने यह पाया कि इस समय उनमें गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत जल कम है। जल में 50 प्रतिशत की कमी हुई है। आज देश में 47 बड़े जलगमों में, गत वर्ष जुलाई की तुलना में 30 प्रतिशत जल कम है। और देश में जलगमों को जल यदि कुल स्तर को देखें और यदि आप उसका औसत निकालें तो वह 10 से 12 प्रतिशत तक कम हो गया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जहां वहां वर्षा की काफी कमी रही है और यहां तक इस वर्ष केरल के कुछ भागों पर इसका प्रभाव पड़ा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : केरल के उत्तरी भागों पर प्रभाव पड़ा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने कहा है कि इसके कुछ भागों पर प्रभाव पड़ा है। देश में 416 जिलों में से लगभग 67 प्रतिशत जिलों में अर्थात 280 जिलों पर प्रभाव पड़ा है। इसकी तुलना में वर्ष 1985 में केवल 187 जिलों में सूखा पड़ा था। अतः प्रत्येक उत्तरवर्ती सूखे में प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि होती जा

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

रही है और यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिसके बारे में हमें विचार करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि हमारे देश में जल संसाधनों का दीर्घावधि रखरखाव और प्रबन्ध वास्तव में संतोषजनक नहीं है। जापान, चीन, और कोरिया जैसे अन्य एशियाई देश हैं जिन्होंने अपने जल संसाधनों का रखरखाव और प्रबन्ध किया है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना हम भारत में करते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावकारी ढंग में वे कह पाए हैं। ऐसा समाचार मिला है कि सूखे से प्रभावित 20 लाख लोग जो कि अब सूखा राहत कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें राजस्थान में राहत कार्यों में रोजगार दिया गया है, उन्हें गत दो महीने में उनकी मजदूरी नहीं दी गई है। इसलिए वहां भुखमरी तो आनी है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों से लोग काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाने लगे हैं। हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से हर वर्ष पूरे परिवार काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाते हैं जबकि वहां पर कोई सूखा नहीं पड़ता है। कोई उनकी दशा का इस वर्ष अच्छी प्रकार से अनुमान लगा सकता है। पशु भी चारे और जल की तलाश में निराश होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं।

सूखे से खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक है, और खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी से कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है चाहे वे सब्जियां हों अथवा खाद्यान्न अथवा दालें या खाद्य तेल हो, चारे की कमी है और अब हम यह कमी दिल्ली में भी अनुभव कर रहे हैं, दूध की सप्लाई में भी संकट पैदा हो गया है। दूध के मूल्यों में वृद्धि होने के अलावा, पशुओं के लिये चारे की कमी के कारण दूध का उत्पादन बढ़ाने में अत्यन्त कमी हुई है। इससे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश और नागपुर में चावल की बुवाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है तथा सौराष्ट्र में तिलहनों के उत्पादन तथा यहां तक कि कपास, पटसन और ऐसी बहुत सी चीजों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि अवमृदा जल की जल तालिका में कई वर्षों में पर्याप्त कमी हुई है। सरकार के विरुद्ध यह मेरी शिकायतों में से एक है कि यह बात कई वर्षों से मालूम थी कि यह अवमृदा जल तालिका बहुत तेजी से कम हो रही है, यह देखने के लिये कोई दीर्घावधि कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए थे कि इस अवमृदा जल का उचित तरीके से उपयोग किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी पेय जल की भारी कमी है। इसका सबसे बुरा उदाहरण शायद मद्रास शहर है जहां आप अपने को भाग्यशाली मान सकते हैं यदि आपको हर रोज एक बाल्टी पानी 5 रुपये में अथवा दस रुपये में मिल जाती है। यदि यह सूखा जारी रहा तो मुझे बताया गया कि मद्रास शहर के निवासियों के लिए वास्तव में पेय जल की भारी कमी की स्थिति पैदा हो जाएगी।

डीजल तेल की खपत भी बढ़ जाएगी। सरकार ने पहले ही कुछ निर्देश दिए हैं कि जहां एक संभव हो कृषि कार्यों के लिए डीजल और बिजली अवश्य दी जाए। इसका आशय यह हुआ कि डीजल की खपत और बढ़ सकती है और इसलिए आगामी वर्षों में अधिक आयात करना जरूरी हो सकता है। और निश्चित रूप से खाद्य तेलों के अधिक आयात में हम जो कमी कर रहे थे, हमने उसमें कमी करना शुरू किया था, लेकिन अब खाद्य तेल, कपास तथा ऐसी बहुत सी वस्तुओं का अधिक आयात आवश्यक हो गया है जिसका अब फिर हमारी विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ेगा जिसकी पहले ही कमी बनी हुई है।

औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त बिजली की कमी के कारण पैदा हुई बाधा से खतरा पैदा हो गया है। यदि बिजली को मुख्यतः कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा तो इस स्थिति में कुछ उद्योगों में मांग में मन्दी आ जाएगी और वे उद्योग जो अपने उत्पादन के लिए कृषि सम्बन्धी कच्चे माल पर निर्भर हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर श्री सी० रंगराजन, हमारे रंगराजन नहीं, वह यहां नहीं है, वह बोकोर्स में अधिक इच्छुक है, अन्य श्री रंगराजन जो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत की कमी से औद्योगिक उत्पादन में 2 प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके लिए काफी धनराशि खर्च कर की बात कही गई है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय हमें इन राहत योजनाओं पर और राहत-कार्यों पर होने वाले काफी खर्च के बारे में बताएंगे। कितनी धनराशि खर्च की जाएगी, हमें मालूम नहीं है? क्या यह धनराशि 1000 करोड़ रुपए तक हो सकती है और क्या वास्तव में इससे प्रभावित राज्यों तथा केन्द्र के बजट में घाटा नहीं बढ़ जाएगा?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भी इस वर्ष 30 से 40 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए कहा जायेगा। यह खाद्यान्न समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा अन्य राहत कार्यक्रमों के अन्तर्गत जारी खाद्यान्नों के अलावा होगा जो कि जारी करना आवश्यक हो जाएगा। हमें बताया गया है कि खाद्यान्नों के बफर स्टाक हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के लगभग 2.35 करोड़ टन के पर्याप्त बफर स्टाक हैं इसलिए चिन्ता करने की कोई बात नहीं है, ये बफर स्टाक इस वर्ष के संकट से निपटने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग-पूर्ति का प्रबन्ध कुशलता पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि इसका प्रबन्ध कुशलता पूर्वक न किया गया तो बफर स्टाक का कुछ भाग काले बाजार में चला जाएगा और वास्तव में यह सबसे निर्धन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिनको इसकी जरूरत है और इसमें नये मुद्रास्फीति दबाव पैदा होंगे। आवश्यक संसाधनों के अलावा इन अतिरिक्त संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा? मुझे सरकार के दृष्टिकोण के बारे में मालूम नहीं है। यदि वे अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति में दबाव को दूर रखना चाहते हैं, यदि वे और वित्तीय घाटा बढ़ाना नहीं चाहते, यदि वे इस वर्ष फरवरी में प्रस्तुत बजट के 5600 करोड़ रुपये के अनुमानित बजटीय घाटे को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें हमें कुछ संकेत देना चाहिए और देश को ऐसा कुछ संकेत देना चाहिए क्या वे किसी अन्य तरीकों पर विचार कर रहे हैं अथवा आवश्यक संसाधन जुटाने के किन्हीं अन्य उपायों पर विचार कर रहे हैं।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मंत्रिमण्डल ने स्पष्ट रूप से मंत्रियों के किसी प्रकार के पैनल की स्थापना की है। जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होंगे, जो इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ प्राथमिक योजना अथवा आयात योजना तैयार करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने तैयार किया है हमें उसके ब्यौरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। किसी भी स्थिति में मेरा यह दृढ़ मत है कि केबिनेट स्तर के मंत्रियों का पैनल हो अथवा अधिकारियों की कोई अन्य समिति आदि हो वह इसके लिए पर्याप्त नहीं है। यह ऐसे चारों ओर फैले सूखे जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, उससे निपटने के लिए यह उपाय पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार के बाहर अन्य लोगों तथा विभिन्न सरकारी संगठनों, और यहां तक कि विभिन्न राजनीतिक दलों को, जो कि अन्य प्रश्नों के बारे में अपने राजनीतिक मतभेदों को समाप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन इस प्रश्न पर वे एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहते हैं, उनका सहयोग और सहायता ली जानी चाहिए, क्योंकि इसका

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मुख्य उद्देश्य लोगों को राहत पहुंचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि राहत कार्यों का ठीक प्रकार से प्रबन्ध हो और राहत उन लोगों तक पहुंचे। उसके बारे में सरकार ने अब तक कुछ नहीं बताया है।

अब, मैं कहता हूं कि तत्काल कुछ उपायों की आवश्यकता है। वास्तव में उनमें से एक उपाय यह है कि तीन वस्तुएं उपलब्ध कराने के तत्काल राहत उपाय शुरू किए जाने चाहिए। एक तो उन क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देना, दूसरा पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना और तीसरा पेय जल उपलब्ध कराना है। इन तीन वस्तुओं के बिना, बहुत से लोग जीवित नहीं रह पाएंगे।

वास्तव में हम सर्वाधिक गरीब वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए उन्हें न्यूनतम मंजूरी अवश्य दी जानी चाहिए जो कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित की गई है। उन्हें वह मंजूरी अवश्य दी जानी चाहिए और उसमें कम मजूरी नहीं दी जानी चाहिए अथवा शायद ऐसा नहीं जैसा कि राजस्थान के मामले में हुआ है, जहां कोई मजूरी दी ही नहीं गई है। और भारत सरकार को उन राज्य सरकारों को उदारता पूर्वक अनुदान देना चाहिए जो कि बड़े पैमाने पर राहत उपाय शुरू कर रहे हैं। बहुत से राज्य सरकारों ने पहले ही केन्द्र से अनुरोध किया है और जैसा हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं बहुत से मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र से सहायता देने का अनुरोध किया है—कुछ 100 करोड़ देने के लिए कह रहे हैं, अन्य 188 करोड़ की मांग कर रहे हैं और दूसरे और धनराशि की मांग कर रहे हैं। इसलिए किसी भी मामले में, राज्य सरकारों को राहत उपायों के आयोजन में प्रभावकारी तरीके से और इसमें सामान्यतया भाग लेकर मुख्य भार वहन करना होगा। लेकिन केन्द्र को इस कार्य को चलाने में उनको अनुदान देने में उदार होना चाहिए।

दूसरे, प्रभावित क्षेत्रों में, मेरा सुझाव यह है कि विशेषकर छोटे किसानों सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों द्वारा लिए गए ऋण और उनके द्वारा दिया जाने वाला भू-राजस्व समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

तीसरे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। इस संबंध में कितने ही अवसरों पर सदन में कई चर्चाएं और आलोचनाएं की गई हैं। परन्तु इस सूखे की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त बनाया जाना चाहिए और सरकार को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राजसहायता प्राप्त दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करानी चाहिए।

चौथे, मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करूंगा कि सभी चालू सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाये। ऐसी कई चल रही सिंचाई परियोजनाएं कागज पर हैं जो बिल्कुल धीमी गति से चल रही हैं और उनमें से कई जिन्हें काफी समय पहले पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक निर्माण की प्रक्रिया में हैं। अब ऐसे समय में जो कि आपात काल का समय है, व्यवहार्यतया सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि सभी चालू सिंचाई परियोजनायें जल्दी पूरी हो जायें। सभी जल-भूतल और जमीन के नीचे के जल संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि मानव संसाधन मंत्री को भी इस चर्चा में भाग लेना चाहिए क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि वे क्या कर रहे हैं। इस देश के जल संसाधनों को जुटाने में पूरी तरह असफलता मिली है।

छठीं बात यह है कि चारे के भंडारण के लिए कुछ डिपो खोलने चाहिए। यह एक बहुत गंभीर मामला है। चारे के बगैर हजारों ढोर और पशु खत्म हो जायेंगे। आप जानते ही हैं कि इससे हमारे कृषकों और हमारे कृषि कार्यों पर क्या असर पड़ेगा।

सातवीं बात यह है, मेरी मांग है कि कृषि कार्यों और कृषि सेवाओं के लिए ऊर्जा की सप्लाई कुछ समय के लिए कम से कम सामान्य दरों के 50% पर की जानी चाहिए। अन्ततः इस बात में कोई सन्देह नहीं है, जिसका अक्सर भाषणों, लेखों और पत्रिकाओं में जिक्र किया जाता है कि ये बाढ़ और सूखे जो कि हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं वे मूलतः पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ने के कारण हो रहे हैं। और यह पारिस्थितिक संतुलन, मुख्यतः बड़ी मात्रा में वनों के काटने से बिगड़ता और नष्ट होता है। कुछ मामलों में, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष यह सब इन पहाड़ों में वृक्षों के अन्धा-धुन्ध काटने के कारण हुआ है, तथा इसके लिए कई किस्म के लोग, ठेकेदार और बड़े अधिकारी तथा अन्य लोग जिम्मेदार हैं। अब ऐसी विकट स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वनों की कटाई वर्षों से चल रही है और परिणाम, हम देख रहे हैं। सरकार, प्रधानमंत्री—न केवल वर्तमान प्रधानमंत्री बल्कि पिछले प्रधानमंत्रियों—ने बहुत ही जोरदार ढंग से पेड़ों के अन्धाधुन्ध काटे जाने और वनों के विनाश के इस कार्य के खिलाफ बोला है। यहां ऐसे सदस्य हैं जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की इस समस्या में बहुत अधिक दिलचस्पी रखते हैं, जो इसके बारे में समय-समय पर बोलते हैं। परन्तु हमें नहीं लगता है कि, पेड़ों के इस तरह अन्धाधुन्ध काटे जाने या उन लोगों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करने के लिए, जो कि यह अपने स्वयं के लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, कोई ठोस कदम, कोई कड़े उपाय किए जा रहे हो।

इसलिए वनों का विनाश किया जा रहा है उनके स्थान पर नई हरित वनस्पतियां नहीं लगाई जाती हैं जिनके लिए भी सरकार की एक दीर्घकालीन योजना होनी चाहिए। इस पारिस्थितिक विध्वंस से जो कि चल रहा है, भविष्य में सूखे और बाढ़ों में कई गुणा वृद्धि होने की संभावना है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की इसके लिए कोई योजना है। हम यहां संसदीय-सौंध के बाहर कुछ पेड़ लगाने जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूखा और बाढ़ यहां नहीं आयेंगी। उन वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, जो कि अन्धाधुन्ध अनियन्त्रित तथा अपराधिक रूप में देश के विभिन्न भागों में चल रहा है ? नये पेड़ों को तथा अन्य हरित वनस्पतियों को लगाने के लिए कोई योजना या कार्यक्रम या कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि हम इसी प्रकार चलाते रहे तो अगले 15 से 20 वर्षों में वनों की स्थिति इतनी खराब हो जायेगी कि हम आसमान पर स्वर्ग के समान देखा करेंगे और वर्षा के लिए प्रार्थना किया करेंगे। गरीब किसान अब केवल यही सब कर सकते हैं। यह भी इसलिए क्योंकि हम प्रकृति की दया पर निर्भर है। परन्तु उस सर्वनाश को रोकने के लिए जो होने वाला है कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी या कोई भी उसे नहीं रोक पायेगा। इस अतः, मैं अन्य तात्कालिक राहत उपायों के साथ इसके लिए अनुरोध करूंगा।

जल संसाधनों तथा विभिन्न संसाधनों के रख-रखाव के दीर्घकालिक उपाय और एक निर्धारित समय में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना बिल्कुल आवश्यक है। उसके बगैर मुझे विश्वास है कि हम इस वर्ष और अगले वर्ष गम्भीर कठिनाई में पड़ जायेंगे। इसका प्रभाव अगले वर्ष भी महसूस किया जायेगा और यह सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सभा और देश को यह कहकर संतुष्ट करें कि वे स्थिति की अत्यावश्यता से अवगत है और उन्हें केवल कुछ मन्त्रियों की समिति बना कर

और यह कह कर ही सन्तुष्ट न करें कि इससे समस्या का हल हो जायेगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर समस्त देश को संगठित करना होगा और सभी वर्गों के लोगों से, सभी संगठनों, सरकारी संगठनों और पार्टियों से जो हमारे लोगों और देश को बचाने में, एक साथ कार्य करने के इच्छुक हैं सहायता सहयोग लेना चाहिए।

✓राव वीरेन्द्रसिंह (महेन्द्रगढ़) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि यद्यपि देर से—संसद के एकत्र होने के लगभग 2 सप्ताह बाद—सभा ने देश में सूखे की स्थिति पर श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की है।

यह अधिक अच्छा और अधिक उपयुक्त होता यदि सभा समयानुरूप इस बहुत संकटमयी स्थिति पर पहले विचार-विमर्श करती। हम सब जानते हैं कि अब तक कार्यसूची विपक्ष द्वारा थोपी गई है और हम कुछ अन्य मामलों पर चर्चा कर रहे थे। मेरा कहने का आशय यह नहीं है कि उन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए थी। वे भी महत्वपूर्ण थे। लेकिन संभवतः उन पर चर्चा के लिए तब तक इंतजार किया जा सकता था जब तक कि समस्त देश की जनसंख्या पर जो तात्कालिक समस्याएं प्रभाव डाल रही हैं पर हम चर्चा कर लेते। देश की अर्थव्यवस्था पर डालने वाले सूखे पर चर्चा करने में अभी भी विलम्ब नहीं हुआ है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत योग्यता से हमारा ध्यान उन समस्याओं की तरफ दिलाया है जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। हम उन्हें अब इतने प्रखर रूप में महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं -- सूखे का प्रभाव काफी समय बाद महसूस किया जाता है जबकि वर्षा नहीं होती है जब लोग कोई फसल नहीं उगा पाते हैं जब जमीन में जल स्तर गिर जाता है, हमारे जलाशयों का स्तर नीचे चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः अगली फसल के लिए सिंचाई की कमी या सिंचाई अपर्याप्त हो जाती है, जब पानी की कमी की वजह से बिजली का कम उत्पादन होता है, और जब खाद्यान्न, चारे और जल की कमी होती है जिसके परिणामस्वरूप हर जगह कई गम्भीर समस्याएं जैसे भूख, भुखमरी, महामारी और ढोरों तथा लोगों की मौतें होने लगती हैं।

मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि चाहे कुछ हो सूखे की तस्वीर बहुत भयानक है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने पहले ही स्थिति के प्रति अपनी सजगता दिखा दी है, प्रधानमंत्री ने पहले ही अपनी अध्यक्षता में एक केबिनेट समिति गठित की है, इससे उनकी चिन्ता का पता चलता है। सरकार कहां तक लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जो कि स्पष्ट देखी जा सकती है, प्रभावी कदम उठाने में समर्थ होगी, अभी देखा जाना बाकी है। मुझे उस समय बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होती है, जब मैं लोगों को देश में व्याप्त सूखे की स्थिति के बारे बात करते हुए और साथ ही सूखे और आकाल में अन्तर करते हुए सुनता हूं। हमारी कई राज्य सरकारें भी ऐसी ही गलतियां कर रही हैं। उनमें से कुछ ने अपने राज्यों में अकाल की स्थितियों को घोषित नहीं किया है।

मैं नहीं जानता कि अकाल और सूखे में क्या अन्तर है, यदि किसान गम्भीर सूखे के कारण किसी प्रकार का खाद्यान्न और चारा न उगा सके।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सौ वर्ष पहले की अकाल संहिता के कारण है।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : हां, यह इसलिए है क्योंकि एक अकाल संहिता अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। अकाल का आशय है भुखमरी, भूख, कमी और भुखमरी के कारण मौतें। परन्तु उन्हें क्या पैदा करता है उन्हें क्या चीज लाती है ? यदि वह एक भयानक सूखा है जैसे कि यह पहले ही है,

सरकार को बिहार और असम के कुछ क्षेत्रों के सिवाय, जो दुर्भाग्य से लगभग हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं सारे देश में अकाल की स्थिति को घोषित करने में चाहे राज्य में या केन्द्र में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

कुछ एक राज्य न केवल बाढ़ की चपेट में आते हैं बल्कि एक साथ सूखे से भी प्रभावित होते हैं। यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि अकाल पहले ही इस देश में आ चुका है। लगभग अगस्त मध्य होने वाला है जुलाई और अगस्त के महीनों में 90 प्रतिशत वर्षा होती है और ऐसी कोई आशा नहीं है, अभी तक वर्षा नहीं हुई है। किसान आशा के विपरीत आशा कर रहे हों क्योंकि किसान आशाओं पर जीवित रहते हैं। एक किसान अपनी मुसीबतों का अन्दाजा नहीं लगा सकता है। जिनका उसे सामना करना है परन्तु हमें अच्छी तरह जानना चाहिए सरकार को पूरी जानकारी होनी चाहिए और हमें जो मुसीबत आने वाली है उसके लिए तैयार रहना चाहिए।

अब खरीफ की फसल उगाने की कोई आशा नहीं है। धान की फसल खत्म हो गई है और जहां यह लगाई गई थी यह नष्ट हो चुकी है। केवल 30 प्रतिशत से 50 या 60 प्रतिशत पौध लगाई गई है। औसतन हम यह कह सकते हैं कि केवल 50 प्रतिशत क्षेत्र पर पौध लगाई गई है। शेष पौध नहीं लगाई जा सकी। सबसे खराब बात यह है कि अब चारा नहीं उगाया जा सकता है। चारे के लिए मंडुवा, बाजरा, ज्वार और मक्का की फसलें हैं। यहां तक कि घास अधिक महत्वपूर्ण है—यदि जुलाई में वर्षा नहीं होती है—तो अब घास उगाने के आसार नजर नहीं आते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पशु मर जायेंगे और हम पशु पालन को प्रमुखता देने वाले राज्य जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन गरीब लोगों की स्थिति को नहीं भांप सकते हैं। दूध उत्पादन को गंभीर क्षति पहुंचेगी। हमारे देश में औसतन हमारी कृषि योग्य भूमि को 30 प्रतिशत भाग में सिंचाई हो रही है। पर दुर्भाग्य से हमारे कुछ राज्यों में अभी तक 10-15 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र नहीं है जिस पर अब तक सिंचाई की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश उनमें से एक है। वहां अभी तक मुश्किल से 11 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था है। एक अन्य राज्य उड़ीसा भी है जहां मुश्किल से 18 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था है। गुजरात में 16 अथवा 17 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था है। बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान में भी यही स्थिति है और वहां अब तक 7 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंच.ई की व्यवस्था है। प्रश्न यह है—जैसा कि श्री इन्द्रजीत जी गुप्त ने उल्लेख किया—हर साल या हर तीसरे या चौथे साल सूखे से उत्पन्न संकट को कम करने के लिए जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमने क्या दीर्घ-कालीन उपाय किए हैं। 1979-80 में बुरी तरह सूखा पड़ा था। वह शताब्दी का सबसे भीषण सूखा था। 1982-83 में दोबारा सूखा पड़ा और 1979-80 में पहले सूखा प्रभावित क्षेत्रों से कहीं अधिक क्षेत्र उससे प्रभावित हुए। पर हमने उसकी विशालता को महसूस नहीं किया क्योंकि 1979-80 में सूखा-प्रबन्ध के क्षेत्र में हमने कुछ अनुभव सीखे थे। कृषि प्रभारी मंत्री होने के नाते दोनों बार 1979-80 और 1982-83 सूखा प्रबन्ध का दायित्व मुझ पर था। जनता पार्टी 1980 के शुरू में ही सत्ता से हार गई थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमने सत्ता में आने के बाद 1980 में 190 करोड़ रुपये के लगभग सूखा प्रबन्ध पर व्यय किए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक साल में ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जी नहीं। मानसून के बाद की अवधि में। दिसम्बर के अन्त तक बारिश न होने पर हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 1979-80 के सूखे के लिए कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए खर्च किए···(व्यवधान) मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि असली समस्या मानसून के

[राव वीरेन्द्र सिंह]

बाद के महीनों में खरीफ के मौसम के बाद में हुई। रबी की फसल बोई नहीं जा सकी, जमीन के ऊपर और नीचे पानी ती कमी महसूस की गई, सिंचाई कम हुई, बिजली की कमी थी, दो फसलें उगाई नहीं जा सकी, पेयजल तक उपलब्ध नहीं था क्या स्थिति हुई होगी ? आपको याद होगा कि 1680 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अन्दरूनी क्षेत्रों में मिलिटरी ट्रकों और अन्य सभी परिवहन माध्यमों से ही नहीं बल्कि रेलों द्वारा पेयजल ले जाया गया था। इसके लिए बहुत बड़े प्रबन्ध प्रयासों की आवश्यकता पड़ी थी। 1978-79 में 1320 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था जो कि 1979-80 में अचानक घटकर 1090 लाख टन हो गया—एक साथ 220 लाख टन की कमी—उसके बाद उत्पादन में फिर वृद्धि हुई।

उसके बाद अन्य फसलें बोने के लिए हमें किसानों की सहायता करनी पड़ी जिससे पैदावार बढ़कर 1290 लाख टन हो गई। अगले साल वह और बढ़कर 1330 लाख टन हो गई। लेकिन 1982-83 में पैदावार घटकर 1290 लाख टन हो गई। भयंकर सूखा पड़ा था पर अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था के कारण 1981-82 की तुलना में जबकि पैदावार में 220 लाख टन की कमी हुई थी – केवल 40 लाख टन पैदावार की कमी हुई। अगली फसलें बहुत अच्छी थीं और उत्पादन अचानक बढ़ा था वह भी सूखा-वर्ष के दौरान अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था के कारण। 1982-83 के सूखे के बाद अगले साल 1983-84 में हम 1530 लाख टन पैदावार उत्पन्न कर सके। लेकिन उसके बाद 1480, 1490 और 1500 लाख टन पैदावार हो रही है। यदि हम प्रभावी उपाय नहीं करते तो हमारी पिछली उपलब्धियां बेकार हो जाती। इस देश के लिए लिए अपेक्षित खाद्य बफर स्टाफ को बनाए रखने के लिए उत्पादन में स्थिरता लाना जरूरी है। हमें याद रखना होगा कि एक या दो साल अच्छी फसल होने पर हमें कृषि उत्पादन की प्रचुरता की बात नहीं करनी चाहिए। हम अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। 1983-84 में जब हमने 84 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था तो हर एक ने कहना शुरू कर दिया था, "देश में चीनी की बहुतायत है, हम निर्यात नहीं कर सकते। पिछले कुल सालों खाद्यान्न की अच्छी पैदावार होने पर हमने कहा, "हम इतना बड़ा बफर स्टाक नहीं रख सकते।" हमारा स्टाक अब कम होना शुरू हो गया है। इन्द्रजीत गुप्त जी ने 230 लाख टन कहा है मालूम नहीं सही कहा है या नहीं। कृषि या खाद्य मन्त्री को बेहतर मालूम होगा। मेरे ख्याल से यह कम हुआ है। दो-तीन महीने पहले 230 लाख टन था···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बफर स्टाक ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 23.5 लाख टन है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मेरा मतलब बफर स्टाक 235 लाख टन है। मैं नहीं सोचता कि अब यह इतना है। यह इससे कम है। खरीफ की फसल के साथ जो कि मुख्यत: चावल की होती है, हमें चावल की कमी होगी, अगले साल गेहूं की भी कमी होगी। हमें डर नहीं फैलाना चाहिए। इस देश के बफर स्टाक को कम करके पैसा बचाने की बात नहीं करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां खाद्यान्न, दालें, तिलहन आदि का उत्पादन स्थिर किया जा सकता है। हम तिलहन के उत्पादन, उसका आयात बन्द करने की बात कर रहे हैं। हम सभी जानते है कि 1983-84 में

तिलहन का उत्पादन लगभग 132 लाख टन हुआ था। अगले साल यह घटकर 116 लाख टन अर्थात् 16 लाख टन कम हो गया।

दालों और तिलहन का उत्पादन सूखी भूमि, गैर सिंचित भूमि पर होता है। 70% तिलहन और दालों की पैदावार गैर सिंचित क्षेत्र में होती है। वास्तविक समस्या क्या है ? वास्तविक समस्या यह है कि हम बारिश पर निर्भर रहने वाले गैर-सिंचित भूमि की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सके हैं।

1966 में हरित क्रांति के बाद जहां तक पैदावार के बढ़ने का सम्बन्ध है, 80% अधिक उत्पादन सिंचित क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। केवल 20% उत्पादन गैर-सिंचित क्षेत्र से हुआ है। और गैर-सिंचित भूमि का क्षेत्रफल देश में बुवाई योग्य भूमि का 70% है। अगर हम शुष्क भूमि पर प्रति यूनिट पैदावार बढ़ाने की नहीं सोचते तो खाद्यान्न या दालों और तिलहन में आत्मनिर्भरता की आशा नहीं की जा सकती। जरूरत इस बात की है कि श्री गुप्त द्वारा उल्लिखित अल्पकालिक उपायों के अलावा कुछ दीर्घकालिक उपाय किए जाएं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा। पशुओं को बचाने के लिए तत्काल चारे की व्यवस्था करनी होगी। इस समय दिल्ली के आसपास के इलाकों में चारा 1 रुपए किलो बिक रहा है।

एक माननीय सदस्य : इससे अधिक पर।

राव बीरेन्द्र सिंह : शायद, तल या सरसों से। मैं दिल्ली के पास स्थित गुड़गांव के बारे में बात कर रहा हूं। राजस्थान में 60-70 रुपए मन हो सकता है क्योंकि सारा चारा राजस्थान ले जाया जा रहा है।

युद्ध स्तर पर कुछ नहीं किया गया तो राजस्थान के पशु समाप्त हो जाएंगे। राजस्थान के पशु जिन्दा हैं क्योंकि हल्की बारिश हुई थी, रेत के टीले हरे भरे हो गए थे और जानवर घास खाकर 3-4 महीने जिन्दा रह सकते हैं। लोगों को भी पेयजल मिलना चाहिए था। इस साल चारागाह के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। हमने मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार से अनुरोध किया है कि राजस्थान के पशुओं को अपने अपने यहां चरने की अनुमति दें। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी स्थिति खराब है। वह भी सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। गुजरात में भी यही स्थिति है। पशु कहां जाएं ? यह सूखा हमारे दुग्ध उद्योग को खत्म कर देगा। ...

पंजाब में पहले से पानी की कमी है। पंजाब अधिक धान नहीं उगा सकता। पंजाब में गेहूं और धान के भूसे के अलावा चारे की पैदावार नहीं, और इस भूसे को पशु खा नहीं पाते।

यह बहुत भयानक स्थिति है। हमें अगली फसल के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि अगले कुछ महीनों में लोगों और पशुओं की मौतें न हों। हमें लोगों को ऋण और रोजगार देना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि भोजन तथा पानी देश के हर हिस्से में उपलब्ध हो। भुखमरी कहीं भी होने वाली मौत से बचने के लिए बड़े स्तर पर सिंचाई की जानी चाहिए। निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे कदाचार फैलेगा। कम कीमतों पर खाद्यान्न बेचा जाए तो ठेकेदार काला बाजार में बेच देंगे। सरकारी एजेंसियां उसे लेकर चलता बनेगा। लोगों को पका हुआ खाना भी नहीं दिया जा सकता। दूसरा और एकमात्र रास्ता यह है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। रोजगार दीजिए और मजदूरी के बदले में राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न दीजिए ताकि काम करने वाले खाद्यान्न प्राप्त करके इसका ठीक से उपयोग

[राव बीरेन्द्र सिंह]

कर सके, उसका दुरुपयोग न हो। इसके लिए काफी प्रयास करने की जरूरत है। कृषि मन्त्रालय और विकास मन्त्रालय—इन मन्त्रालयों को ही नहीं बल्कि वित्त मन्त्रालय को भी शामिल करना होगा। इसलिए वित्त, सिंचाई, योजना, ऊर्जा और खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों को भी सम्बद्ध करना होगा। मंत्रिमण्डल एक समिति का गठन कर चुका है। लेकिन राज्यों और जिलों के बारे में स्थिति क्या है?

इस देश में समय-समय पर कहा जाता है कि किसान अमीर हो रहे हैं। मुझे आशा है कि इस सूखे से उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो ठीक से देख नहीं पा रहे। जो लोग गांवों में रहने वाले इन अमीर किसानों की बात करते हैं उन्हें गांवों में ले जाया जाए और वहां वे 4-5 महीने रहें। योजनाकारों की नियुक्ति भी इन राज्यों में की जाए। अगर अब प्रबन्ध करना चाहते हैं तो कृषि, ग्रामीण विकास, वित्त योजना, जल संसाधन मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सूखा प्रभावित इन क्षेत्रों का प्रभारी बनाया जाए। उन्हें वहां रहने दीजिए। उन्हें जिला स्तर पर प्रयासों का समन्वय करने दीजिए। उससे पता चलेगा कि हम कार्यक्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं न कि यहां।

सभापति महोदय : जी हां, कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

प्रो० मधु दंडवते : अगर आपने हां कहा तो वह जारी रखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या 1977-80 में किया गया था?

राव बीरेन्द्र सिंह : जी नहीं, 1979 में नहीं किया गया था। हमने 1980 से मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना शुरू किया था। उन्हें प्रत्येक राज्य का प्रभारी अधिकारी बनाया गया। इन सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों के बीच समन्वय था। एक महीने में 10 दिन इन वरिष्ठ अधिकारियों को इन राज्यों का दौरा करके वापस आकर मुझे सूचना देनी पड़ती थी।

प्रो० मधु दंडवते : अब इस प्रणाली को भी बन्द कर दिया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उसे बन्द कर दिया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : क्योंकि पद भार भी जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हो सकता है, अब बेहतर तरीके विकसित किए जाएंगे।

मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है जो यह सोचते हैं कि किसान अमीर हैं। किसान भी बेकार यह आशा करता है कि वह अमीर हो जाएगा। विचारों में केवल यह अन्तर कि कुछ शहरी लोग, जिनमें अधिकता हमारे नौकरशाह, योजनाकार उद्योगपति और और व्यवसायी हैं, जो सोचते हैं कि सभी किसान अमीर होते हैं। किन्तु किसान, चाहे वह छोटा सा किसान क्यों न हो हमेशा सोचता है कि अगले साल वह अमीर हो जाएगा। वह अगला साल कभी नहीं आता। आप बड़े किसान की परेशानियों का अन्दाजा भी नहीं लगा सकते। और भूमि की अधिकतम सीमा के बाद इन दिनों बड़ा किसान है कौन?

आजकल कोई भी किसान अमीर नहीं है जब तक उसके पास अन्य सम्पत्ति न हो। एक व्यक्ति जो फार्म के काले धन से श्वेत धन बनाने का उद्देश्य रखता है, वह किसान नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में सोचते जिसकी आजिविका खेती करना है। मुझे किसी कवि की कुछ पंक्तियां याद आती हैं।

"सम पीपल टैल अस देअर इज नो हैल, बट देअ हैव नेवर फार्मड सो हाऊ केन देअ टैल ?"

यह ऐसे लोगों का दृष्टिकोण है जो शायद विगत समय में प्राथमिकताएं गलत रूप से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन प्राथमिकताओं को पुन: व्यवस्थित करना होगा। हमें हर वर्ष सूखे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय अपनाने होंगे।

जैसा कि मैंने कहा, कुछ राज्यों में सिंचाई के अन्तर्गत छोटा क्षेत्र है। क्यों ? उड़ीसा बाढ़ से घिरा है, असम बाढ़ से घिरा है। असम में 20 प्रतिशत क्षेत्र तक में सिंचाई नहीं होती है। उड़ीसा में भी, केवल 17 से 18 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई नहीं होती है। महाराष्ट्र में केवल 12 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई होती है। क्यों ? यह इसलिए है क्योंकि हमारे भूतल तथा भूजल संसाधन का उपयोग नहीं हुआ है। हम बड़ी परियोजनाओं के बारे में सोचते रहे हैं, जिनके निर्माण होने तक काफी समय लगता है। हमें सूखे के विरुद्ध उपाय ढूंढना होगा और बाढ में भी पानी एकत्र करने के लिए छोटे जलाशय बनाने होंगे; छोटी परियोजनाएं तुरन्त परिणाम देती हैं। इस कार्य को करना होगा। हमें गांव के एक हिस्से के लिए भी जैसे पचास या एक सौ एकड़ भूमि के लिए जीवन रक्षक सिंचाई परियोजनायें बनानी चाहिए।

सूखे के दौरान वर्ष 1982-83 में चार हजार जलाशयों का पता लगाया गया था। हमने राशि आबंटित की थी। विचार यह था कि शुष्क क्षेत्रों में बरसात के जल की हरेक बूंद को संरक्षित करने का प्रयास किया जाए जिससे पशुओं के लिए, छोटी सिंचाई परियोजनाओं आदि के लिए छोटी भंडारण व्यवस्था हो सकें। मैं कृषि मंत्री से उनके उत्तर में जानना चाहूंगा कि इन छोटे जलाशय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है।

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : आपके समय से काफी अन्तर नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : लेकिन हमने प्रारम्भ कर दिया था। इसके बाद, तीन वर्ष गुजर गए। क्या किया गया ? कोई अन्तर नहीं है, का आशय है कि कुछ ज्यादा नहीं किया गया।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मुझे प्रसन्नता है कि आप मुझे दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने दिशा-निर्देश बनाए और इन्हें आपको दे दिया गया था। मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं वित्त, योजना आयोग पर दोष लगा रहा हूं जो इन कार्यों के लिए पर्याप्त राशि आबंटित नहीं कर रहे हैं।......(व्यवधान)। मैं किसी विशेष क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं सभी राज्यों के मित्रों की ओर से बोलने का प्रयास कर रहा हूं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसकी सत्तारूढ़ पक्ष के साथ-साथ विपक्ष को भी चिन्ता है। प्रत्येक को गहरी चिन्ता है। वर्तमान स्थिति से निपटाने के लिए केवल चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक यह सदन इस समस्या के स्थायी हल ढूंढने के लिए निदेश नहीं देता। इसमें दो या तीन दिन लग सकते हैं लेकिन हमें कार्य-नीति बनानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री हमारे इन विचारों पर गौर करेंगे, मंत्रिमण्डलीय समिति हमारे विचारों पर ध्यान देगी और निश्चित ही कुछ दीर्घकालीन कार्य-नीति न केवल इस वर्ष के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए भी बनायेगी।

5.00 म० प०

इस समय मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि केन्द्र द्वारा राज्यों को उदारता से राहत दी गई है।

मुझे मालूम है कि काफी राशि दी गई है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। वर्ष 1982-83 में, यदि मुझे ठीक से याद है, विभिन्न राज्यों को सूखा राहत के रूप में 440 करोड़ रुपये दिए गए थे। हालांकि वर्ष 1883-84 में, जिसे एक अच्छा कृषि वर्ष माना गया था, लगभग 200 करोड़ रुपये सूखा राहत कार्यों में खर्च किए गए थे। अत: राशि मूल्य के रूप में, ये 400 करोड़ रुपये अब लगभग 1000 करोड़ के बराबर आएंगे। यदि इस राशि का उचित रूप से उपयोग किया जाता है तो यह पर्याप्त होती, लेकिन यदि इसका उपयोग उचित रूप से नहीं किया जाता, तब, शायद आप जीवन रक्षा चाहे यह मानव की हो या पशुओं की हो, करने में समर्थ नहीं हो सकते।

सरकार और सदन द्वारा गम्भीर रूप से विचार किए जाने के लिए एक और बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह यह है कि हम बाढ़ के कारण हुई दुर्दशा और सूखे के कारण हुआ सर्वनाश के बीच भेद-भाव बरत रहे हैं। वास्तव में अकाल, सूखे और बाढ़ दोनों के कारण हो सकता है। यदि बाढ़ के कारण हुई हानि में, भारत सरकार सूखा राहत कार्य पर हुए खर्चे का 75 प्रतिशत खर्चा देती है तो इसने सूखा राहत कार्यों के लिए अलग नियम क्यों स्वीकार किए हैं? क्या यह इस कारण से है कि बाढ़ में, लोग और पशु बह जाते हैं और मौत अचानक हो जाती है और सूखे के मामले में यह लम्बी दुखदायी मौत होती है?

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : पूर्व मंत्री महोदय, यह प्रश्न मैंने आपके सामने कई बार उठाया। सातवें फाइनेन्स कमीशन के सामने भी प्रस्तुत किया, हाउस में भी प्रस्तुत किया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके।

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : क्यों कि मैंने इसे लिया था और मैंने स्वयं आठवें वित्त आयोग को लिखा था, इसीलिए मैं इसका उल्लेख यहां कर रहा हूं। क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आप पूर्ण विफल थे कि।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां, मैं पूर्ण विफल रहा था।

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : उस स्थिति में, आपके लिए अच्छा यह होगा कि आप कृषि मंत्री के रूप में पद सम्भाल लें। आप पूर्ण विफल कृषि मन्त्री के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन मैं उन बातों का उल्लेख कर रहा हूं जिनके लिए आप और मैं मिलकर कोशिश कर रहे हैं। आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए?

महोदय, इस सम्बन्ध में हमने आठवें वित्त आयोग को लिखा था। क्या कृषि मन्त्री कृपया हमें सूचित करेंगे कि क्या आठवें वित्त आयोग ने दी जाने वाली राहत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया था? यदि यह पर्याप्त नहीं है तो क्या आप उन सुझावों पर विचार कर सकते हैं जो अब हम दे रहे हैं? कृपया इसे नवें वित्त आयोग साल्वे आयोग के साथ ही लें। वर्तमान आयोग के साथ फिर से लो और कृपया यह सुनिश्चित करें कि सूखे के लिए भी राहत इस तरीके से दी जाए कि राज्यों द्वारा सूखा प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करना सम्भव हो सके।

5·06 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप आठवें वित्त आयोग को सौंपते हो तो निर्णय लेना होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : अब मैं नौवें वित्त आयोग के बारे में बोल रहा हूं। स्वर्गीय श्री चव्हाण आठवें वित्त आयोग से सम्बन्ध थे। वह इसके सभापति थे।

ये कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हमें इन समस्याओं पर लगातार और बार-बार विचार करना होगा। आखिर, हम बाढ़ की भयंकरता को रोकने में क्यों नहीं समर्थ हुए हैं? अतिरिक्त जल के 90 प्रतिशत भाग को हम समुद्र में गिरने से क्यों नहीं रोक सकते? यह मुख्यत: वित्त के अभाव के कारण ही है। हम अपने जल संसाधनों को उचित प्रकार से उपयोग करने में समर्थ क्यों नहीं हैं? पुन, यह धन के अभाव के कारण है। यह सुनिश्चित करना सरकार के लिए इस सदन के लिए और हम सब के लिए है कि प्राथमिकताएं इस तरह निर्धारित हों जिससे इस देश में अधिक से अधिक लोगों को जैसे कृषक, गांवों में रहने वाली जनता जो हमारी कुल आबादी का 75 प्रतिशत के बराबर है, विकास में अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योग की तुलना में उचित हिस्सा प्राप्त करें। यह सब मैं केवल इस विचार से निवेदन कर रहा हूं कि ये लोग अच्छा जीवन यापन करने योग्य होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि मेरे कुछ मित्र इस पर आपत्ति क्यों उठा रहे हैं।

जैसा कि पहले कहा गया, हमें कुछ अल्पकालिक उपाय तुरन्त करने होंगे। आवश्यक यह है कि धन का उपयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए। सूखा पड़ने पर जनता को चारा ठेकेदारों के माध्यम से मिलता है। ये ठेकेदार ऐसा चारा लाते हैं जो खाने-योग्य नहीं होता और अधिकांश राशि इस ढंग से हड़प ली जाती है। कृषि मंत्रालय राज्यों को यह सुझाव क्यों नहीं दे सकता कि किसानों को परिवहन राज सहायता नकद दी जानी चाहिए जिससे वे अपना चारा स्वयं खरीद सके। यदि यह किया गया, तो उन्हें ठेकेदारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये बहुत छोटी बातें हैं जिन्हें आसानी से किया जा सकता है।

अब मैं फसल ऋण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। छोटे तकवी ऋण जो 200 रुपये से 300 तक के होते हैं, लोगों को दिए जाते हैं और इसमें से आधी रकम वितरण अभिकरणों द्वारा ले ली जाती है। जब आपदा घटित होती है तो भारत सरकार घोषणा करती है कि वसूली स्थगित की जाएगी। कई बार, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को किसानों की ओर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस तरह, नि:सन्देह कुछ राहत दी जाती है। लेकिन अन्तत: जब वसूली की जाती है तो इससे किसानों पर दुगना बोझ पड़ जाता है, लेकिन जब अगली फसल आती है तो उसे वर्तमान बकाया के साथ-साथ पिछला बकाया देना पड़ता है जिसे वह पुन: बीज, चारा, उर्वरक और अन्य सामग्री के रूप में प्राप्त करता है। यह अच्छा कार्य होगा यदि छह महीनों के लिए किसानों को दिए गए सभी अल्पावधि फसल ऋण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई और बिजली की बकाया राशि के साथ-साथ माफ कर दिए जाएं। मैं जानता हूं कि सरकार पेय जल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करती है। बहुत कुछ किया जा रहा है और इसे आगे बढाना होगा। लोगों को मरने नहीं दिया जाएगा। हमें विश्वास है कि सरकार द्वारा कारगर उपाय किए जायेंगे। समय गुजर रहा है। इस मामले में, कोई देरी नहीं

[राव बीरेन्द्र सिंह]

होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकारी तन्त्र पहले से ही चुस्त किया जा चुका है। दीर्घ-कालीन योजना में इस बात की आवश्यकता है कि कृषि संबंधी मामले में योजनाकारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाये। कृषि को उद्योग के बराबर मानना होगा। यही केवल एक बात है जो अन्ततः कृषि क्षेत्र को सहायता पहुंचा सकती है। ऋण लाभप्रद मूल्य, निर्यात में राजसहायता, बादान, बिजली, जल की उपलब्धता, और कृषि को उद्योग के रूप में संरक्षण देने की आवश्यकता है और इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग जो पहले से ही उत्पन्न किया जा चुका है। सुनिश्चित किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह 700 लाख हैक्टेयर के लगभग है। लेकिन मुझे आशंका है कि केवल 500 या 550 लाख हैक्टेयर का ही उपयोग किया जा रहा है। इस अन्तर को पूरा करना चाहिए। इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। अधिक सिंचाई जलमार्गों का निर्माण होना चाहिए जिससे कम से कम कुछ क्षेत्रों को स्थाई राहत मिल सके।

भूमि और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और इन सब बातों की आम आवश्यकतायें हैं, जिसके बारे में सरकार अवगत है। इस बात की आवश्यकता है कि जागरूकता पैदा की जाये—पूरे देश में सरकार के सभी अभिकरणों में जागरुकता उत्पन्न की जाये तथा सहायता करना प्रत्येक की जिम्मे-दारी है क्योंकि यह समय न केवल किसानों के लिए बलिक व्यापार, उद्योग, श्रम और सामान्य रूप में जनता के लिए, बहुत ही कठिनाई पूर्ण होने जा रहा है।

कृषि उद्योग की जननी भी है। कोई भी कृषि के बिना समृद्ध नहीं हो सकता। सरकार को भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। मानसून को देश का वित्त मंत्री कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था इस सूखे कारण पहले से ही क्षतिग्रस्त है। इसे ठीक करने के लिए किसानों को हर तरीके से सहायता पहुंचा कर कृषि को बचाना होगा। जितना भी धन हम लगा सकते हैं, हमें इसे राहत पर खर्च करना चाहिए जिससे हम अच्छी फसल उगाने और इस सबसे कठिन समय में जो हमारे सामने है, गुजर सकें।

श्री के० पी० सिंह (ढेंकानाल) : महोदय, मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त को बधाई देता हूं कि वह इस चर्चा को आदेश पत्र में कराने में संसद के तीसरे सप्ताह में सफल हुए हैं।

मेरी बधाई माननीय मंत्री के लिए भी हैं जिन्होंने मानसून विफलता के वास्तविक तथ्यों के बारे में स्पष्ट वक्तव्य दिया है। लेकिन अड़ियल मानसून के बारे में तथ्यों को छोड़कर, 35 मौसम विज्ञान सम्बन्धी उपखण्डों में से केवल 10 उपखण्डों में सन्तोषजनक वर्षा होने का परिणाम निकला, तथ्य अभी तक वही है कि बरसात में देरी, यद्यपि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसे पर्याप्त समझा जा सकता है। तथापि अन्य बातों के साथ इससे धान का पौधा लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मेरे अपने उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में बरसात होने में देरी और अन्तर के कारण लम्बा शुष्क अन्तराल पड़ा है। जिसके परिणामस्वरुप जल का (वाष्पीकरण) हुआ है जिससे धान की पौध लगाने के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह कार्य उड़ीसा में दो बार स्थगित किया गया है।

इसलिए उड़ीसा जैसे राज्य का हमारे भूतपूर्व मंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया था, सैनिक संसदविज्ञ कैप्टन राव बीरेन्द्र सिंह को उड़ीसा का बहुत अधिक ज्ञान है। यह राज्य 1964 से सूखे और बाढ़ के अलावा समुद्री तूफान से भी घिरा हुआ है। अतः महोदय इन तीन आपदाओं ने

उड़ीसा राज्य में न केवल वित्तीय क्षमता और संसाधन जुटाने को कम किया है, बल्कि यह एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, महोदय, आप उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्दशा और विपत्ति का अनुमान लगा सकते हैं। उड़ीसा की तरह मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबमें अधिक जनसंख्या है – जैसा मेरे मित्र श्री रणजीत सिंह जी कहते हैं — यह सभी क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और संकट से हैं। महोदय, पिछले 20 वर्षों से जहां तक मुझे याद आता है, कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया जब हमने सूखे बाढ़ या समुद्री तूफान की इस पुनीत सदन या दूसरे सदन अर्थात् राज्यसभा में चर्चा न की हो।

मंत्री महोदय राज्य सरकार के साथ बैठक करने के लिए बहुत तत्पर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न दिशा-निर्देश, अनुदेश और सलाह भी दी ···।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से वित्त मंत्रालय से और अधिक धन के लिए अनुरोध करने का प्रयास करें।

श्री के० पी० सिंह : महोदय, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप बोल सकते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, क्या मंत्री महोदय विरोध में सदन से बाहर जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह वित्त मंत्री से धन लेने जा रहे हैं। चिन्ता न कीजिए।

श्री के० पी० सिंह : वह इन बैठकों को करने में बहुत तत्पर रहे हैं लेकिन उनके वक्तव्य को पढ़ने से लगता है कि सम्पूर्ण दायित्व राज्य सरकार पर है। प्रधानमंत्री जी भी मंत्रिमंडल में संकट-स्थिति प्रबन्ध ग्रुप बनाने में अत्यधिक तत्पर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सूखे के इस गंभीर प्रश्न पर समेकित दृष्टिकोण और प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया जायेगा क्योंकि यह प्रश्न केवल कृषि मंत्रालय से संबंधित प्रश्न नहीं है जैसा प्रतिष्ठित वक्ताओं श्री इन्द्रजीत गुप्त और राव बीरेन्द्र सिंह ने उल्लेख किया है, जल संसाधन' राज्य के हरिजन और आदिवासी कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को इन सब कार्यों में सम्बद्ध करना पड़ेगा अगर हमें प्रगति करनी है।

जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद प्रतिक्रिया और कार्यवाही करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इन आपदाओं से घिरे हुए होते हैं। मैं 'प्राकृतिक आपदाओं' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। इन तीनों में कम से कम दो अर्थात् सूखा और बाढ़ परिस्थितिकी पर्यावरण और प्रकृति के साथ मानव के हस्तक्षेप फलस्वरुप है।

इससे पिछले वाद-विवाद में भी यही बात उठाई गई थी जब पर्यावरण विधेयक पर चर्चा की जा रही थी। 1981 में नैरोबी में नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में यह कहा गया है कि अगर वर्तमान प्रवृति जारी रहती है जैसी कि जारी है तो भारत में शताब्दी के अन्त तक, अर्थात् 21वीं शताब्दी तक, दक्षिण पूर्व एशिया और अफगानिस्तान रेगिस्तान में बदल जायेंगे। चेरापूंजी में भी जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह स्थान भी राजस्थान के रेगिस्तान की तरह बन जायेगा।

यद्यपि इस वर्तमान सूखे के लिए हम भूतल और भूमिगत जल संसाधानों का उपयोग करने के लिए कुछ तात्कालिक और अल्पकालीन उपाय करने का प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक जल प्रबन्ध के

[श्री के० पी० सिंह देव]

लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन और मार्गोपाय जुटाने होंगे क्योंकि खरीफ फसल ही ऐसी फसल है जो किसानों के लिए आमदनी पैदा करने वाली है और जैसा कि ठीक कहा गया है, हमारी खरीफ की 72 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर करती है और इस वर्ष और भी अधिक गम्भीर सूखा पड़ा है और वर्षा बहुत कम हुई है इसलिए इस कारण ये केवल कठिनाई ही नहीं होगी बल्कि किसान के लिए दरिद्रता और कम आमदनी होगी। अब इस स्थिति से निपटने के लिए किसानों के लिए यह ठोस तथा द्रुत कदम रबी की फसल तक ही नहीं बल्कि आगे के लिए भी उठाने होंगे। जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि उन्होंने राज्य सरकार को रबी की फसल के लिए जल का संरक्षण करने के दिशा निर्देश अनुदेश जारी किये हैं यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है किसानों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रबी कार्यक्रम तक स्थिति से निपटता पड़ेगा। हमें उसके लिए कुछ ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी।

अब पिछले तीन चार वर्षों से लगातार महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सूखे से प्रभावित हुए हैं और पहली बार पंजाब में भी भूमि के नीचे जल तथा मिट्टी की कमी हो गयी है। पंजाब और हरियाणा भी सूखे की चपेट में हैं जहां भारत के अन्न भंडार थे; और अब इनमें तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश भी शामिल हो गये हैं। महोदय, हमारे सामने यह बहुत खराब स्थिति है। दीर्घकालीन उपायों को छोड़कर हम लोगों का निकट भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है और इसके साथ 82 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, इस सूखे से वे सब केवल प्रभावित ही नहीं हुए लेकिन उनकी आमदनी कम हो गई है।

अब जहां तक रोजगार उपलब्ध कराने और लाभदायक रोजगार का सम्बन्ध है एक बात ध्यान में रखनी होगी कि पिछले 20-25 वर्षों से हमने इन कार्यक्रमों को अपनाया और 1985 में जब गम्भीर सूखा पड़ा था तो प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्रालय और खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को उन सुरक्षा खाद्यान्न भंडारों का जो हमारे पास थे, लाभ उठाने का अनुदेश दिया था और यह खाद्यान्न सुरक्षा हमारे साहसी किसानों के कारण थी जिन्होंने खराब मौसम और खराब मानसून के बावजूद भी सूखे की स्थिति में खाद्यान्न उत्पादक का एक रिकार्ड कायम किया। इसलिए खाद्यान्न सप्लाई व्यवस्था या समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता खाद्यान्न काफी हद तक प्राप्त हो सका। मैं इसे एक प्रशंसनीय टिप्पणी के रूप में कहता हूं क्योंकि अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रभारी संगठन विशेषतया आई० टी० डी० पी० खण्ड 'माडा' क्षेत्र बिना प्रभारी के है या किसी एक पर विशेष जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं है।

अभी परसों हमने गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा की थी और समाज कल्याण उपमंत्री ने स्वीकार किया था कि कोरापुट जैसे स्थान. में भी जहां 80 प्रतिशत आदिवासी हैं। 1985 में आई० टी०डी०पी० खण्ड निष्क्रिय थे क्योंकि कोई नहीं जानता था किसी को क्या करना था। इसलिए इस प्रकार की अस्थिरता हमें भारी कठिनाई में डाल सकती हैं। हर रोज आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के भूख से मरने के समाचार हम पढ़ते हैं चाहे यह आंध्रप्रदेश हो उड़ीसा, राजस्थान या गुजरात हो लेकिन राज्य सरकार इस विषय में तुरन्त इन्कार कर देते हैं क्योंकि भुखमरी से हुई मौतों को कोई स्वीकार नहीं करता।

प्रो० मधु दंडवते : कुछ कहते हैं वे दिल के दौरों से मरे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : कुछ कहते हैं कि वे अधिक खाने के कारण मरे हैं यह व्यंग्य से अधिक कुछ नहीं हो सकता चाहे यह कुपोषण या घटिया या खराब भोजन हो सच्चाई यह है कि हमारे लोग मरे हैं वास्तव में मैं राज्य सरकार या प्रेस पर अक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन सचाई यह है कि हम सांसद केवल अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में जाकर देख सकते हैं या अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों के बारे में समाचार-पत्रों से पढ़कर जान सकते हैं। कल एक समाचार में किसी एक विषय राज्य के विशेष राहत आयुक्त…।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा यह उचित नहीं है यह समाचार-पत्रों में छपा है। उन्हें दोषी ठहराया गया है। उनके प्रति विधान सभा अध्यक्ष ने और सभी पार्टियों की एक हाउस कमेटी जिसमें सत्ताधारी दल और विरोधी दल भी हैं एक प्रत्यक्ष दोषी मामला पकड़ा है और दोषी ठहराया है और उनके खिलाफ लापरवाही के कारण भुखमरी से हुई मौतों का प्रत्यक्ष मामला बनता है। यह बहुत दु:ख की बात है।

मेरे विचार से हम सबको शर्म से अपने सिर झुका लेने चाहिए क्योंकि हम इस प्रक्रिया के अंग हैं और यह संसनीय लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हमें लोगों के विचारों को प्रकट करना होता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है या यह नहीं कहना होगा कि जब हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं जब हम कई अस्थाई उपायों या अल्पकालिक उपाय अपना रहे हैं लोग मर रहे हैं क्योंकि हम दीर्घकालीन उपायों या हम सूखे या बाढ़ के लिए स्थायी हल प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं। नि:सन्देह समुद्रों तूफानों के लिए कोई स्थायी हल नहीं हो सकता। वे दबाव विभिन्नता के कारण आते हैं, जहां कहीं हवा का कम दबाव होता है तो झंझावत उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में आते हैं तब वृक्षों के अंधाधुन्ध काटने और वनों के विनाश के कारण कम दबाव का विकास होता है।

ऐसे खराब वातावरण में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि वे इनपर विचार करें तथा अपनी मध्यस्थता करें क्योंकि यहां अन्य कोई मंत्री उपस्थित नहीं है।

अब हम सातवीं योजना के मध्यकाल में हैं और हमारे लिए यह उपयुक्त समय है कि हम इसका मध्यावधि मूल्यांकन करें और मेरे विचार से योजना आयोग के पास इस योजना का मध्यावधि मूल्यांकन है क्योंकि सातवीं योजना को लाये हुए ढाई वर्ष या दो वर्ष से कुछ कम हुए हैं। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखें हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद अक्तूबर 1985 से शुरू हुई थी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटित धन पूरी तरह से व्यय किया गया है या नहीं और इन परियोजाओं को कैसे यथाशीघ्र पूरा किया जा सकता है जिससे हम कम से कम 28 प्रतिशत भूमि को जो निश्चित सिंचाई के अधीन आती है को बढ़ा सके।

मेरे अपने राज्य और निर्वाचन क्षेत्र में रेंगाली बहुउद्देशीय परियोजना को 230 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था लेकिन अब उसकी लागत बढ़कर 700 करोड़ रु०हो गई है। बांध बनकर तैयार हो गया है लेकिन जल निकासी और नहर प्रणाली नहीं बनायी गयी है। उड़ीसा राज्य सरकार के पास उन्हें पूरा करने के लिए धन नहीं है क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी है। अगर यह प्रणाली के विकास का प्रयास भी करता है तो न तो योजना आयोग और न ही केन्द्र सरकार धन की क्षतिपूर्ति करती है। इसलिए विकास कार्य कठिन है और अंशदान देने का कोई लाभ नहीं है। उससे

[श्री के० पी० सिंह देव]

कोई अस्थाई हल नहीं निकलता है। यही बात कोसी और गंडक परियोजनाओं के साथ हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य होने के नाते हमने उनका दौरा किया है।

जहां तक सलाल परियोजना का संबंध है जोकि एक भौगोलिक आश्चर्य प्रथम योजना मे इसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपये थी लेकिन अब यह बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो गई है। यही बात नागार्जुनसागर परियोजना के साथ हैं। इसलिए ये बातें हैं जिनपर हमें ध्यान देना है और उपचारात्मक कार्यवाही करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि धन का पूरा उपयोग हो सके। लेकिन लोगों को परियोजनाओं का लाभ होना चाहिए।

अन्य मुद्दा छोटी और मध्यम परियोजनाओं का है। वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार जहां कहीं भी बड़ी परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में वे लगाई गई हैं, ये परियोजनायें पहली योजना से लेकर सातवीं योजना तक चलती आ रही है लेकिन अभी तक अधूरी पड़ी है। उन क्षेत्रों के लोग इन छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लाभ से भी वंचित हैं। उन क्षेत्रों के लोगों को कुछ वर्षों तक कभी पानी नहीं मिलेगा। मेरे विचार से उन क्षेत्रों तक जल पहुंचने से पहले शायद सम्पूर्ण पीढ़ी समाप्त हो जायेगी। इसलिए इस पहलू पर विचार करना चाहिए। चाहे यहां मध्यम सिंचाई है या बड़ी सिंचाई परियोजनायें हैं या नहीं। अगर यहां बारहमासी नदियां हैं तो खास बांध और छोटे बांध बनाए जा सकते हैं। इन बांधों को छोटे आयकर या कुछ छोटे आवाह क्षेत्रों से विकसित किया जा सकता है।

इस प्रकार के छोटे क्षेत्रों में मानसून की अनिश्चितता के कारण अधिक धन दिया जा सकता है क्योंकि विशेषकर जून से अक्तूबर के महीनों के दौरान जल का समान रूप से वितरण नहीं किया जाता। जल का न तो समान रूप से वितरण किया जाता है और न ही यह सिंचाई के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जोकि सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं और अधिक वर्षा होने और वर्षा न होने के कारण सूखा और बाढ़ साथ-साथ आते हैं। इस पहलू पर अवश्य विचार किया जाए जोकि इसमें अन्ततः लोगों को ही कष्ट होता है और उनको एक मध्यम परियोजना अथवा एक बड़ी परियोजना लगाने की आशा रहती है जिसमें कि काफी पूंजी खर्च होती है। जब वर्षा नहीं होती तो वे बेकार हो जाती है, और उसमें बिजली की कमी हो जाती है। जब वर्षा होती है, और उनकी बिजली उत्पादन को छोड़कर बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती और कभी-कभी जैसे महानदी में भी बाढ़ आ जाती है। महोदय, यहां ऐसी बहुत सी मध्यम सिंचाई परियोजनायें हैं और लघु सिंचाई परियोजनायें हैं, जोकि वन संरक्षण अधिनियम की वजह से रोक दी गई है। उनको पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति नहीं दी गई है।

महोदय, जब गत दमन में पर्यावरण विधेयक पर चर्चा चल रही थीं, तो मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र सपुरा बारजोर में एक समेकित मध्यम परियोजना का उल्लेख किया था। राज्य सरकार से उसके प्रस्ताव संबंधी पत्र काफी समय से पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए पड़े हैं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी विकास परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी प्रभाव का विश्लेषण आवश्यक है लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि परियोजना की स्वीकृति के लिए हम फाइलों को दबाकर बैठ जाए, जिससे कि लोगों को तत्काल लाभ होता है और उस पर धन राशि कम खर्च

होती। इसलिए वास्तविकता यह है कि जब कभी भी सूखा पड़ा है अथवा बाढ़ आई है, एक पांच वर्षों के आंकड़े यह बताते हैं कि वर्ष 1980 से 1986 तक 2000 करोड़ रुपए से अधिक बाढ़ राहत के लिए दिए गए हैं और 1874 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि सूखा राहत कार्यों के लिए दी गई है। शायद, ये 4000 करोड़ रुपए जोकि राहत के लिए दिए गए है उससे कार्य स्थायी हल नहीं निकला अथवा न ही उससे समुदाय परिसम्पति ही बनी। इस धनराशि से हम बहुत से छोटे सिंचाई टैंक, आड़े बांध बना सकते थे, उससे हम बहुत से क्षेत्र चैनलों का विस्तार कर सकते थे और हम उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई स्थलों की मरम्मत कर सकते थे। आज हम यहां तक कि लिफ्ट सिंचाई स्थलों के स्रोतों से भी जल के उपयोग के बारे में सोच रहे हैं। अब बिजली के उत्पादन के बिना ये लिफ्ट सिंचाई स्थल किस प्रकार कार्य करेंगे? सूखे से अधिकतर पन-बिजली परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है। आज दिल्ली सहित हर जगह बिजली की कमी है। इसलिए, महोदय, केवल विश्वास और मार्गनिर्देश देने की पावन आशा से और राज्य सरकारों को परामर्श देने में वास्तविकता नहीं आ जाएगी क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि मानसून के न आने से बिजली के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है। मानसून के न आने से वन और वनस्पति का विनाश हुआ है जिसके परिणामस्वरूप जल तालिका नीचे चली गई है। इसलिए भूमि तल के नीचे वर्तमान स्रोतों से यहां तक कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य उपजाऊ स्थानों से पानी का उपयोग किया जाना काफी कठिन होता जा रहा है।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा था, जल संसाधनों की देखरेख और प्रबन्ध के प्रश्न के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाना होगा क्योंकि जल संसाधनों के प्रबन्ध में, हम काफी धीमे चलते रहे हैं क्योंकि जल संसाधनों को 94 प्रतिशत, मानव अथवा जानवर के किसी उपयोग बिना समुद्र में बहकर चला जाता है। उनके अलावा दृष्टि क्रांति जिसकी हम बात करते हैं और हमें उस पर गर्व है, वह भी केवल सिंचित क्षेत्रों में हैं।

अब, समय की मांग यह है कि हमें शुष्क भूमि पर खेती करनी चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई निश्चित सिंचाई सुविधाएं नहीं है और जो वर्षा पर निर्भर रहते हैं। महोदय, शुष्क भूमि पर खेती करना, जोकि मानसून की ऐसी लहरों पर आधारित है, बहुत ही कठिन है और हरित क्रांति की तुलना में कहीं अधिक पेचीदा है, जहां सिंचाई सुविधाएं निश्चित हुई है। इसलिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 1986 में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य सात राज्यों के लिए एक योजना तैयार की थी, और शुष्क भूमि पर खेती करने के लिए, दालों के लिए और खरीफ की अन्य फसलों, जिनके लिए पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए सही मुख्य मुद्दा होगा।

मुझे आशा है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाएगा क्योंकि निश्चित सिंचाई सुविधाओं के बिना शुष्क भूमि पर खेती करना और मानसून की लहरों से निराशा हो सकती है और उससे लोगों की और कठिनाइयां और बढ़ जाएगी। इस वर्ष जिन लोगों को बीज निगम से बीज लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, खराब मौसम के कारण वह बेकार हो गए हैं, क्योंकि कभी बीज निगम उनको ऐसे बीज देते हैं जो किसानों तक पहुंचने तक बेकार हो जाते हैं। मेरे अपने जिले में और मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, ऐसी बातें होती हैं और हमें राज्य के कृषि मंत्री को हस्तक्षेप करने के लिए कहना पड़ता है कि वह सुनिश्चित करें कि किसानों को उसका दंड न भुगतना पड़े। क्योंकि राष्ट्रीय बैंक इसकी गारंटी देते हैं। इसलिए वे नुकसान सहन करते हैं। यदि इस प्रकार बहुत से लोग प्रभावित होंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंक उस धनराशि की प्रतिपूर्ति करने की

[श्री के० पी० सिंह देव]

स्थिति में नहीं हो सकते। यह आलू उगाने का क्षेत्र है जिसे बेंगुर सिंहा के नाम से जाना जाता है, जोकि आलू के कारण गत कई वर्षों से जाना जाता है। लेकिन इस समय किसान पूरी तरह से दूसरी जगह उनको प्राप्त कर रहे थे और आलू की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। जिन क्षेत्रों में इस बार पहली बार गन्ने, कपास और मूंगफली की खेती शुरू की गई है वहां भी फसल नष्ट हो गई है। यदि कृषि आदान ठीक नहीं है और उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो इसका नुकसान भी किसानों को ही होगा, जोकि बहादुर और साहसी हैं और जो मानसून की लहरों और उसकी अनिवार्यता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी देश के लिए उत्पादन कर रहे हैं ताकि देश खाद्य सुरक्षा को प्राप्त कर सके जोकि उसने गत कई वर्षों से प्राप्त की है।

अन्य मुद्दों जो मैं उठाना चाहता हूं उसको मैं जल्दी से कहूंगा क्योंकि में सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, वह मुद्दा है सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जोकि पानी की कमी के परिणाम-स्वरूप है। एक स्वास्थ्य का पहलू है यह विशेषकर लोगों के सबसे निर्धन वर्गों को प्रभावित करता है, जो कुपोषण से पीड़ित है और इससे जल संक्रामक और जल की कमी से मलेरिया, हैजा, अतिसार जैसी बीमारियां पैदा होती हैं और उनसे मौत भी हो सकती है और ऐसा काफी समय तक सूखा पड़ने तथा कुपोषण के कारण होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और अत्यन्त दरिद्र है। उन्हें उत्पादकता और उत्पादन प्रक्रियाओं में बलपूर्वक बाहर कर दिया गया है और इसलिए वे समाज पर आर्थिक दृष्टि से बोझ बन गए हैं। बीमारी के फैलने से स्थिति और गंभीर हो गई है। इसके अतिरिक्त राहत कार्यों पर धन खर्च किया जाता है जोकि गैर उत्पादक व्यय है। इससे न तो लोगों के लिए और न ही देश के लिए कोई स्थायी परिस्थिति बनती है। इसके अलावा जल संसाधनों का गलत विवरण किया जाता है जिसका कई राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस बात को देखना होगा क्योंकि कुछ राज्य जिनका आर्थिक दृष्टि से स्थान सबसे नीचे है और जिनकी संसाधन जुटाने की स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए, अन्यथा क्षेत्रीय असन्तुलन जिसे हम अपनी योजना प्रक्रिया से माध्यम से दूर करने के लिए समबद्ध है, वह केवल प्रशंसनीय उद्देश्य बनकर रह जाएगा और क्षेत्रीय असन्तुलन दूर होने की बजाए और बढ़ जाएंगे।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में एक शब्द कहूंगा। इन क्षेत्रों का कई वर्ष पहले पता लगाया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में उस क्षेत्र के सम्पूर्ण पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है जोकि मुख्यतया वर्षा के कम होने अथवा के लिए उत्तरदायी है। हमें इसका नए सिरे से न होने देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे क्षेत्र जिनमें काफी समय सूखे की स्थिति रहती है और जिनमें बाढ़ आती रहती है और जिन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि ऐसे लोगों का जो अपना कार्य सन्तोषजनक ढंग से कर रहे हैं उनको इस कार्यक्रम में लाभ हो।

हमें सूखे से प्रभावित लोगों को क्रय शक्ति देनी चाहिए क्योंकि जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि रबी का मौसम समाप्त नहीं हो जाता और इस अवधि को समाप्त होने में अभी तीन अथवा चार महीने बाकी है। इस अवधि में, किसान और ऐसे लोग जो कृषि पर निर्भर रहते हैं जैसे कृषि श्रमिक तथा यहां तक कि सफेद पोश कर्मचारी जो अपनी आय कृषि से पूरी करते हैं, उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जब तक कि हम उनको लाभप्रद रोजगार और उनको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य अवसर नहीं देते।

मैं यहां यह कहकर अपनी बात समस्त करना चाहूंगा कि इन सम्पूर्ण बातों को अभी युद्ध-स्तर पर लेना चाहिए क्योंकि युद्ध स्तर, जैसाकि इसमें स्पष्ट है, एक अल्प तत्काल समय के अन्दर एक संकटकालीन व्यवस्था है। लेकिन इस तथ्य के अलावा कि जब कभी भी सूखा पड़ा है अथवा बाढ़ आई है या तूफान आया है, हम उस अवसर पर खरे उतरे हैं हमने समस्या से तेजी से निपटने की कोशिश की। लेकिन समस्या के समाप्त होते ही हम इन पहलुओं पर थोड़ी मन्द गति से चलने लगते हैं और हम आगे पड़ने वाले सूखे अथवा तूफान या बाढ़ की प्रतीक्षा करते हैं जो हमें युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए जगाए। इसलिए इसका केवल एक ही हल है और वह स्थायी हल है और इसके लिए मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत हूं कि जल प्रबन्ध ही, भारत को बनाए रखने और उसके विकास तथा परिस्थिति की सन्तुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है जोकि जल संसाधनों के प्रबन्ध के लिए अनुपूरक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने से पहले बोलने वाले वक्ताओं को सुना है। उन्होंने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये हैं। मानव प्रकृति पर समस्त नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है जिससे कि प्रकृति पर उनका पूरा नियंत्रण हो सके। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में किए गए विभिन्न कार्यों के बावजूद भी प्रकृति ने अपना काफी नियंत्रण बनाया हुआ है। इससे पता लगता है कि हम कितने बोने हैं। हमारे प्रयासों के बावजूद भी हम प्रकृति पर अधिक नियंत्रण नहीं कर पाए हैं।

अब हम देश में व्याप्त भारी सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। देश का 70 प्रतिशत भाग सूखे से प्रभावित हुआ है, अर्थात इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा हुई है। यह वर्षा बहुत ही अनिवार्यत रही है और यह बहुत लाभदायक नहीं है, यह खेती अथवा फसलों को उगाने के लिए बिल्कुल भी लाभदाक नहीं है। कम वर्ष ने कृषकों को असाधारण स्थिति में डाल दिया है और फसलों को उगाने की उनकी क्षमता कम हो गई है। ऐसा कहा गया है कि देश में उस मौसम-विज्ञान केन्द्रों में से, 25 केन्द्रों से लगभग 20 से 25% कम वर्षा होने की सूचना दी है। पूरे देश में केवल 10 केंद्रों में सामान्य वर्षा होने का समाचार है। अतः जब लगभग 20 से 30 % वर्षा कम हुई है, हम इस असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां लगभग 70% क्षेत्र और 70% लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हम गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां आदि एक में सभी लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध न होने की संभावना है।

खाद्य तेल एक समस्या बन सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी कई खामियां हो सकती हैं और आम आदमी इस सूखा वर्ष में काफी दुख भोगेगा। इसलिए जब इस प्रकार की बातें हो रहीं हो तो हमें इन सभी बातों पर सूखे के प्रभाव के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। निस्संदेह प्रत्येक वक्ता यह कहने की कोशिश कर रहा है कि सूखा समस्त देश के विभिन्न भागों पर सूखे का प्रभाव एकदम भिन्न है, प्रभावित लोगों के दुख पूरी तरह से भिन्न हैं। इसलिए सरकार को प्रत्येक राज्य में सूखे की स्थिति का जायज लेना चाहिए। स्थितियां बिलकुल भिन्न हैं। प्रत्येक राज्य में ये अन्य राज्यों से भिन्न हैं यहां। तक कि एक ही राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में भी बहुत है क्योंकि स्वयं वर्षा एक समान नहीं हुई है। इसलिए, हम एक अजीव स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि वर्षा सामान्य से 20 से 25% कम हुई है। जब वर्षा 20 से 25% कम होती है तो हम कहते हैं कि सूखा समस्या देश में है, परन्तु क्या यह इस बात को जांचने के लिए उचित मानदण्ड है? यह सरकार के विचार करने की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वर्षा 1000 मि० मि० या इससे अधिक हुई है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा केवल 500 मि०मी० या इतनी ही हुई है उन क्षेत्रों में जहां वर्षा 1000 मि० मी० हुई है वहां भी लोग

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

अपनी आजीविका कम पा रहे हैं। वे जीवन-यापन कर पा रहे हैं। उन क्षेत्रों में जहां वर्षा 500 मि० मी० हुई है वहां भी लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। लोग वहां रह रहे हैं। परन्तु जब वर्षा में 20 से 25 प्रतिशत का अन्तर हो तो आपको सूखे के असर पर विचार करना चाहिए। वहां वे इससे पीड़ित हैं। ऐसे स्थान में जहां वर्षा 1000 मि० मी० है, अब वहां 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत भिन्नता होती है तो वहां भी औसत वर्षा घट कर 700 मि० मी० रह जाती है। एक वर्ष में औसतन 700 मि० मी० वर्षा होने वे लोग एक फसल या दूसरी स्थिति लेने की स्थिति में होंगे। वे अपनी आजीविका चला सकते हैं। उनके ऊपर सूखे का इतना गंभीर असर नहीं पड़ता है। उन लोगों का दुख कम से कम होगा। वे लोग कुछ आहार प्राप्त कर पायेंगे।

अब उन क्षेत्रों का मामला लें जहां वर्षा एक वर्ष में केवल 500 मि० मी० या इतनी ही है। उदाहरण के लिए राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में रायल सीमा के उन भागों को लें, जहां औसत वर्षा 500 से 600 मि० मी० के बीच है। जब भिन्नता 25 से 30% की हो तो वे मुश्किल से 350 से 400 मि० मी० वर्षा प्राप्त कर पायेंगे। ऐसे भी राज्य हैं जहां वर्षा भिन्नता के पश्चात 25% से 30 प्रतिशत है। क्या आप नहीं समझते हैं कि वे बहुत कष्ट उठा रहे हैं? वे अपना गुजारा नहीं चला सकते हैं। आम आदमी इस स्थिति में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है उनके लिए कुछ उपाय किया जाना चाहिए। उन्हें कुछ राहत दी जानी चाहिए।

कृपया उन राज्यों के लोगों की स्थिति को देखें जो केवल 250 मि०मी० की वर्षा वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं। उन लोगों का क्या भविष्य है—सूखे की तीव्रता, इन व्यक्तियों पर कम वर्षा होने से सूखे का प्रभाव—क्योंकि 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की विभिन्नता आम है। इस विभिन्नता का उनके पैदावार पर कुल कितना प्रभाव है?

700 मि०मी० वर्षा से आप कुछ उपज ले सकते हैं। वह भी केवल कुछ फसलें—यदि खरीफ की नहीं तो रबी की। भूमिगत जल का स्तर जल प्राप्त करने के लिए इतना नीचे नहीं होगा। जल का बचाव ठीक ही होगा। पीने के पानी की स्थिति कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी ठीक होगी।

कृपया अब ऐसे क्षेत्र की बात करें जहां पूरे वर्ष 25 से 30 प्रतिशत की विभिन्नता लिए 500 मि०मी० वर्षा होती है। वे एक वर्ष में 300 मि०मी० वर्षा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे क्या वे कोई फसल उगा पायेंगे? क्या ऐसे में कोई फसल, रबी की फसल उगाने की संभावना है? पीने के पानी पर इसका क्या असर है? पशुओं पर इसका क्या असर है? चारे पर क्या असर है? इसलिए आप इन दो क्षेत्रों की तुलना नहीं कर सकते हैं।

आप इन दोनों तरह के लोगों को एक ही तरह से राहत नहीं दे सकते हैं। आपको इन दो क्षेत्रों में अन्तर करना होगा। जहां तक इन क्षेत्रों का सम्बन्ध है इन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव है। जहां वर्षा बहुत कम है वहां बहुत भीषण प्रभाव पड़ा है। पीने के पानी की समस्या अत्यधिक गंभीर है। लोग कुछ भी नहीं कर पायेंगे। कृषि मजदूर, छोटे और सीमान्त किसान पूरी तरह से रोजगार-हीन हो जायेंगे उनका दुख मानव की समझ से परे है। जब ऐसे क्षेत्र हैं तो सरकार को निश्चित रूप से इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उपाय किया जायें। आपको दोनों प्रकार के लोगों के लिए एक ही तरह का उपाय नहीं करना चाहिए। आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। आपको उन क्षेत्रों पर जहां बहुत कम वर्षा हुई है और कई वर्षों से लोग इस तरह की स्थिति में रह रहे हैं, ध्यान देना चाहिए।

आपको इस तरह के क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तत्काल ही कुछ किया जाये।

दूसरा मुद्दा यह है—कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा केवल पिछले एक वर्ष से है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को लें। इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति इसी वर्ष से आई है। पिछले वर्षों में उन्हें बहुत अच्छी फसलें प्राप्त हुई थीं। उन्होंने शायद उनमें से कुछ चीजों को बचा लिया था इसलिए ऐसे क्षेत्र भी हैं। अब आप रायल सीमा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों को लें, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है। क्या आप इन दो स्थितियों की तुलना कर सकते हैं ? क्या आप समझते हैं कि इन दोनों स्थितियों से एक ही तरीके से निपटा जाना चाहिए? इन स्थानों में सूखे की कितनी तीव्रता है ? इन लोगों की कैसी दशा है जो पिछले पांच से दस सालों से लगातार सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं ?

परन्तु उन क्षेत्रों में जहां सूखा केवल एक वर्ष से है क्या प्रयास किये जा रहे हैं? अत: सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपाय किए जायें क्या राहतें दी जायें, क्या सहायता दी जाए और उन लोगों को कितनी धनराशि आबंटित की जाये। अत: महोदय, आपको इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा और उन क्षेत्रों में अन्तर और विभेद करना पड़ेगा तथा इन से भिन्न क्षेत्रों की कठिनाइयों को समझना होगा और इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के परिमाण के अनुसार ही सहायता देनी चाहिए। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सिंचाई सुविधायें बहुत अधिक हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है। परन्तु देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां केवल 10% से 15% भूमि को कम सिंचाई सुविधायें प्राप्त हैं और शेष के लिए इन क्षेत्रों में लोग वर्षा से सिंचित फसलों के लिए, सिंचाई प्रयोजनों हेतु अपने जलाशयों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जहां तक सिंचाई स्रोतों का सम्बन्ध है आप इन दो मामलों पर ध्यान दें। जल संसाधनों में कमी आई है अर्थात् कुछ क्षेत्रों में 20% से 30% तक। आप कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? जल संसाधनों में 20% या 30% कमी हुई है। क्या होने जा रहा है ? मैं उन लोगों की दशा को समझ सकता हूं जिन्हें प्रकृति ने भाग्यशाली बनाकर संपन्नता प्रदान की है और वे इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं। परन्तु साथ ही मैं माननीय मंत्री का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहूंगा जहां सिंचाई केवल 10% से 12% 10% से 12% से अधिक नहीं है और अपनी जमीन की सिंचाई के लिए वे जलाशयों और कुओं पर निर्भर हैं। देश के ऐसे क्षेत्रों के मामलों में जहां जलाशयों को पिछले 10 वर्षों से जल की प्राप्ति नहीं हुई है, जहां दशकों से जलाशय लगभग सूख गये हैं और देश के अन्य भागों में जहां सिंचाई कुओं पर निर्भर है, उन लोगों का क्या होगा ? उदाहरण के लिए आप आंध्र प्रदेश में चित्तूर और अनन्तपुर जिलों को लें। इन दो क्षेत्रों में सिंचाई का कोई स्थायी स्रोत नहीं हैं और केवल 10% से 12% क्षेत्र में ही सिंचाई की जाती है। लोग सिंचाई के लिए इन जलाशयों और कुओं पर निर्भर हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर और अनन्तपुर जिलों में 1,50,000 कुएं हैं और इन दो जिलों में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा औसतन लगभग 544 मि०मी० होती है। पिछले 10 वर्षों से इन जिलों में औसत वर्षा भी नहीं हुई है। उन्हें लगभग 300 या 400 मि०मी० वर्षा मिली है। इसलिए पूरे दशक से ये सभी जलाशय सूख गये हैं। किसी जलाशय को जल नहीं मिला है। पूरे दशक में लोग जलाशय सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत फसल नहीं उगा सके हैं।

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

अगली बात यह है कि जहां तक 1,50,000 कुओं का संबंध है वे इस छुटपुट वर्षा के कारण पूरी तरह सूख गये हैं जो कि वर्ष दर वर्ष से हो रही है इससे लगभग 90 प्रतिशत कुए सूख गये हैं। इन कुओं में जल की बहुत थोड़ी मात्रा है। यह जल की थोड़ी मात्रा भी उस भूमि के लिए पर्याप्त न होगी, जिसमें उन्हें सिचाई करनी है। यह उनकी भूमि के मुश्किल से 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत भाग के लिए काफी होगी। यहां तक कि इस वर्ष इसके लिए 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत जल भी उपलब्ध नहीं है।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में एक बहुत बुरी स्थिति को लाना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में कई साल से सूखे पड़े हैं और कई कुओं में घास उग आयी है और कई कुओं में पेड़ भी उग आये हैं; लगभग 6 फुट से 7 फुट ऊंचे पेड़ इन कुओं में उग गये हैं। आप लोगों की दुर्दशा को समझ सकते हैं और लगातार 5 से 10 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है तथा इन स्थितियों में कुओं में केवल पेड़ उगेंगे। इसके बाद कुओं में केवल पेड़ उगेंगे। ऐसी स्थिति में आप इन लोगों को इन असहाय लोगों के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं? कृपया इन लोगों की तुलना उन क्षेत्रों के लोगों से करें जहां 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत सुविधायें पहले से उपलब्ध हैं लेकिन इस वर्ष क्योंकि वर्षा कम हुई है अतः वहां सूखा पड़ा है। क्या आप इन दो किस्क के लोगों की तुलना एक ही तरह से करते हैं और फिर वही उपाय और राहत उपलब्ध करते हैं? इसलिए ये दो चीजें एकदम भिन्न हैं। वह तरीका, जिससे आपको इस समस्या को हल करना है उस तरीके से पूरी तरह से भिन्न होना चाहिए जिससे आपको अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों से निपटना है जहां यह सूखा केवल एक या दो वर्ष से है। निःसंदेह वे सारे भारत के लिए भोजन उपलब्ध कर रहे हैं। परन्तु इस क्षेत्र के लोगों को भी जीवित रहना है और उन्हें जीवन-यापन करना है। कम वर्षा होने के बावजूद लगातार सूखे और अकाल की स्थितियों के कारण, तबाही वाली परिस्थितियों के बावजूद लोग उस क्षेत्र में अधिकांश शुष्क फसलें पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। जब कभी वर्षा होती है, तो वहां कोई फसल उगाई जाती है और यदि वहां अगले तीन या चार सप्ताह कोई वर्षा नहीं होती है तो ये फसलें नष्ट हो जायेंगी। इस लिए कृषकों पर फसलों के लिए अधिक धन खर्च करने पर दबाव डाला जाता है। वह जमींदार या व्यापारी या किसी बैंक के पास जाता है और उससे कुछ धन उधार लेता है और फिर वह कुछ फसलें उगाता है। यह फसल उगाने के पश्चात यदि यह नष्ट हो जाती है तो वह फसल से हाथ धोता है और उसका ऋण भी बढ़ जाता है। उसे व्यापारी या बैंक से उधार लिए ऋण को वापस करना है क्योंकि वे चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए इन क्षेत्रों की स्थिति जहां वर्षा पर निर्भर फसलें उगाई जाती हैं सिंचित क्षेत्रों की स्थिति से एकदम भिन्न है। ये दो स्थितियां एकदम भिन्न हैं।

इसलिए, जब ऐसी स्थिति हो तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वहां एक विशेषज्ञों का दल भेजें न कि सामान्य सूखा आंकलन दल को भेजें। उन्हें इन क्षेत्रों में जाने दें, उन्हें उन कुओं को देखने दें जहां पेड़ उग आये हैं, घास उग गई है और उन्हें वह कुएं देखने दें जो पूरी तरह से सूख गये हैं। उन्हें वे क्षेत्र देखने दें जहां पिछले 5 या 6 वर्षों से सिंचाई नहीं की गयी है। उन्हें देखने दें कि इन लोगों पर इस निरन्तर पड़ने वाले सूखे का क्या असर पड़ा है। और फिर उन्हें ऐसी किसी योजना को बनाने दें जिससे कैसे इन लोगों को बचाया जाये, कैसे उनके पशुओं को बचाया जाये। इसलिए एक व्यापक योजना बनायी जानी चाहिए। आपको कुछ तरीके और समाधान यह सुनिश्चित करने के लिए बनाने चाहिए कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाये।

कुछ समय के लिए उन लोगों के बारे में भूल जायें जहां सिंचाई सुविधायें उपलब्ध की गई हैं। वे एक वर्ष से पीड़ित हो सकते हैं। परंतु उन स्थितियों को देखें जहां लोग लगातार 10 वर्षों से पीड़ित हैं। इस मामले में आपने क्या किया है? यह एक ऐसा मामला है जहां आपको स्थायी सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करनी हैं। वहां स्थायी सूखा और स्थायी अकाल पड़ा है। अत: आपको स्थायी हल खोजना है। यह बहुत आवश्यक है। हमारी स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के बाद भी सूखा प्रवण क्षेत्र परियोजनायें और रेगिस्तान विकास परियोजनायें केवल कागज पर रह गयी हैं। जब कभी सूखा पड़ता है तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर असर पड़ता है? ये बड़े लोग बड़े जमींदार नहीं हैं। ये केवल छोटे किसान और सीमान्त किसान और मजदूर हैं जिन पर असर पड़ता है। उन्हें कोई कार्य नहीं मिल पाता है। जब उन्हें कोई कार्य नहीं मिलता है तो उनकी खरीददारी की शक्ति कम हो जाती है। जब उनकी खरीदने की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है तो उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता है। इसलिए उन्हें सर्वप्रथम अपने पशुओं को बेचना पड़ता है।

जब कोई कार्य नहीं होता है तो अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर उन्हें दूर-दराज के स्थानों, बड़े नगरों, और बड़े शहरों जहां उन्हें कुछ कार्य मिल सकता है, जाना पड़ता है। इस तरह वे अपनी आजीविका कमाते है। यह पिछले 10 वर्षों में सूखा प्रवण क्षेत्रों में लगातार हो रहा है। ये तथ्य सरकार के ध्यान में प्रत्येक वर्ष लाये जाते हैं परन्तु सरकार ने किसी भी प्रकार के स्थायी उपाय करने पर विचार नहीं किया है। जहां तक सूखा प्रवण क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां पर्याप्त भूमिगत जल उपलब्ध है। कुएं की गहराई लगभग 30, 40 फुट है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय चाहिए?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : लगभग 15 मिनट और।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पांच-छ: मिनट देता हूं। आपको अपना भाषण खत्म करने की कोशिश कीजिए। बहुत से वक्त हैं ज जो कल बोलना चाहते हैं। इसलिए भाषण समाप्त करने की कोशिश करिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आप 5000 रुपए में 'इन-वेल बोर' लगाते हैं। इन क्षेत्रों के किसान कर्ज से इतने दबे हुए हैं। कि वे 'इन वेल बोर' लगवाने के लिए पांच हजार का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर 100 फुट गहरे कुए में 'इन-वेल बोर' लगाया जाए तो पर्याप्त पानी होगा। और किसान 2-3 एकड़ भूमि पर सिंचाई कर सकता है। अगर उस व्यक्ति को ऋण या राज सहायता के रूप में, चाहे जो भी हो, 5000 रुपए दें तो वह उस क्षेत्र में 'इन-वेल बोर' लगा सकता है। और उससे कम से कम दो या तीन परिवारों, किसान के परिवार, और दो खेतिहर मजदूरों के परिवारों को सहायता मिलेगी। भूमि तैयार है। अन्य आधारभूत संरचना तैयार है। किसान भी फसल बोने के लिए तैयार हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में प्रत्येक कुंए के लिए 5000 रुपए खर्च करें तो इन लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी। कृपया सुनिश्चित करें कि अकाल की स्थितियों पर काबू पाने तथा मजदूरों को अमीर जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए कुछ किया जाए।

जहां तक अगले मुद्दे, पानी की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है हम परियोजनाओं पर हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं। परियोजनाओं को पूरा होने में 10-15 साल लग जाते हैं। आप लघु सिंचाई पर अधिक खर्च करते हैं। लघु-सिंचाई क्या होती है? यह जलाशयों पर ही निर्भर करती है। बहुत से जलाशय हैं। इनका निर्माण 400 साल पूर्व राजाओं द्वारा किया गया था। कई बार जरा भी

सिंचाई नहीं होती। इन जलाशयों का उद्देश्य भूमिगत जल सुविधाओं में सुधार करना है। बारिश होने पर उसका पानी जलाशयों में इकट्ठा हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। श्री जनार्दन पुजारी।

— — — —

6·03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[जारी]

[अनुवाद]

दो पहियों वाले मोटर वाहनों के निर्माण हेतु संघटकों पर मूल सीमा शुल्क की रियायत निर्धारित करने में कतिपय संशोधन करने से संबंधित अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 289/87-सी० शु० जो 10 अगस्त, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 फरवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 30/83 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित एक चरणबद्ध निर्माणकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत ईंधन दक्ष दो पहियों वाले मोटर वाहनों के निर्माण हेतु संघटकों पर मूल्यानुसार, 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क की रियायत निर्धारित की जा सके की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4583/87]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6·04 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 11 अगस्त, 1987/20, श्रावण 1909 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

— — — —

मुद्रक : सन लाईट प्रिंटर्स, दिल्ली 6

लोक सभा

वाद-विवाद

(अष्टम माला)

खंड 29

27 जुलाई से 10 अगस्त, 1987/5 से, 19 श्रावण, 1909 (शक)

आठवां सत्र—दूसरा भाग 1987/1909 (शक)

(खंड 29 में अंक 51 से 60 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पी०एल०एस० 48/29/60/87(एम०)
185

© 1987 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।